राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र १९६६ का ८ वां दिवस [संख्या ६
१] [२

गुरूवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, वन, राजनैतिक, खाद्य, श्रम, जन, सम्पर्क, राजस्थान कैनाल, नियुक्ति, गृह, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, पशुपालन, सिंचाई-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री भीमसेन ।

नापासर पंचायत की दुग्ध वितरण की योजना

१५५. **श्री भीमसेन** : (लूनकरणसर) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नापासर ने अपने क्षेत्र के पशुधन हेतु तथा दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अपनी दस हजार बीघा गोचर भूमि की विकास की योजना तैयार की है ?

(२) क्या सरकार उक्त पंचायत को उक्त गोचर भूमि में एक दो ट्यूब वैल खोदकर उक्त योजना में सहयोग देने को तैयार है ?

उपमन्त्री, कृषि (श्री दिनेशराय डांगी) यह प्रश्न डेवलपमेंट विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया है । इसकी सूचना हमने १७ तारीख को दे दी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

वन व राजस्व विभागों को हस्तांतरित भूमि

१५६. **श्री जुझारसिंह (बेचट)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कोटा डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी जमीन वन विभाग से राजस्व विभाग को व राजस्व विभाग से वन विभाग को बदली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि कमेटी ने खाल व कटाव की नदियों से लगती हुई जमीनों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है ?यदि हां, तो पिछले पांच सालों में इस प्रकार की कितनी जमीन वन विभाग को उपलब्ध हो सकी है ।

(३) कोटा डिस्ट्रिक्ट में कितनी जमीन रेवाइन्स व अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड आंकी

Page No.2

(श्री जुझारसिंह)

गई है और उनमें से अब तक कितनी भूमि वन विभाग के मैनेजमेंट में आई हुई है व कितने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये गये हैं ? कृपया सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र के लिए यह सूचना पृथक से भी देने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अब तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर व्यवहारिक कदम नहीं उठाये गये हैं ? यदि हां तो क्या कारण है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आगे यह काम कब तक हो जाने की उम्मीद है ?

वन-मन्त्री (श्री भीखाभाई): (१) फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कोटा जिला में १६८६६ एकड़ चार बिस्वा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को दी गई है। राजस्व विभाग से वन विभाग में अभी तक कोई भूमि नहीं आई है।

(२) जी हां, लेकिन पिछले पांच सालों में वन विभाग को इस प्रकार की कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई है।

(३) कोटा जिला में रेवाइन्स व अनकलचरेबल वेस्ट लेण्ड के आंके जाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस जिले में वन विभाग के मैनेजमेंट में अब तक २२२७५ एकड़ रेवीन्स भूमि आई है। जिसमें से ५२५० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक ४१० एकड़ रेवीन क्षेत्र में व १४० एकड़ अन्य भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

(४) जी नहीं। इस काम के लिए सरकार ने कदम उठा रखे हैं। रेवाइन्स की सर्वे करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त है और उस काम में प्रगति हो रही है। राजस्व विभाग से रेवाइन्स क्षेत्र वन विभाग में हस्तान्तरित करने के लिए भी कार्यवाही चालू है। यह काम भी एक अलग अधिकारी की देखरेख में हो रहा है। आशा है शीघ्र ही यह काम हो जावेगा।

श्री जुझारसिंह : आपने बताया रेवाइन्स को जमीन उपलब्ध नहीं है तो क्या आपने इसके लिए मांग की है। नदियों से लगी हुई मार्जिनल लैंड के लिए मैंने आपको लिखा है। हमारी तहसील में इस तरह की बात है। इससे भूमि का कटाव बढ़ गया है। इसलिए इस पर वृक्षारोपण करवा कर इस लैंड इरोजन को बन्द करें।

श्री भीखाभाई : आपका प्रयत्न इस दिशा में सराहनीय है। जहाँ तक सरकारी आदेशों का सवाल है सरकार ने कलेक्टरों को इसके लिए कह दिया है और ऐसी जमीन लेने का अधिकार भी उनको दे दिया है। इसकी जानकारी भी माननीय सदस्य को है।

श्री जुझारसिंह : पर वास्तव में कार्यवाही कुछ नहीं हो पा रही है। यह आपकी ५६ की रिपोर्ट है। इसमें भी पोइन्ट आउट किया गया है। इसका भी रेफरेन्स दिया है।

(श्री जुझारसिंह)

आपने कहा कि आपने आथोरिटीज को लिख दिया है पर इसमें अभी डिले हो रही है। यह डिले नुकसानदेह है। आश्वासन आप देते है पर इससे समस्या का हल नहीं होता। प्रैक्टिस में कुछ करना होगा आपको।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) अध्यक्ष महोदय, यह रेविन्स की भूमि है और नदियों के किनारे पर जो वृक्ष खड़े हुए हैं वह बड़े वेग से कटते जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम मंत्री महोदय शायद जानते ही हैं कि कटाव के कारण नदियों के ऊपर बांध बंधे हुए हैं तो जैसे गोविन्दसागर डैम है उसकी एक तरह से दुर्दशा हो रही है सिल्टिग हो रहा है। तो कम से कम मैं इस संबंध में लम्बी बात नहीं करना चाहता लेकिन राजस्थान सरकार को यह नीति अपनाना परमावश्यक है कि रेविन्स कि भूमि को अलॉट नहीं की जाये और रेविन्स की भूमि में जो वृक्ष उगे हुए हैं उनका संरक्षण किया जाये और नदियों के किनारे पर भी जो वृक्ष हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाये। अगर यह नहीं होता है तो मेरे खयाल से भयंकर समस्या उत्पन्न होगी। बड़े बड़े बंध बंधे हुए हैं वह भी सिल्ट हो जायेंगे और अध्यक्ष महोदय आपने पढ़ा होगा कि गोविन्दसागर डैम की क्या स्थिति है और किस वेग से वहां पर सिल्ट प्रोसेस चालू हो गया है। मंत्री महोदय को चाहिए कि इस संबंध में कागजी कार्यवाही न करें। जो रिपोर्ट माननीय सदस्य के प्रश्न से संबंधित है वह मैंने पढ़ी है उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें जो लिखी हुई है उनके ऊपर सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। यह बड़े खेद का विषय है। मंत्री महोदय को इस संबंध में कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो कुछ सेन्टीमेंट्स प्रकट किये वह वास्तव में एप्रीशियेट करने योग्य हैं और राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों इस संबंध में जागरूक हैं जहाँ तक रेविन्स रिक्लेमेशन प्रोग्राम है और सॉइल कन्जर्वेशन प्रोग्राम है राजस्थान सरकार और भारत भी जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कदम उठा रही हैं और इसी का कारण है कि रेविन्स का जो सर्व हो रहा है और जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा और रेविन्स के बारे में बात की तो मैं बताना चाहता हूँ कि चम्बल वेली प्रोजेक्ट के अन्दर भी बहुत प्रावधान किया है और जवाई सागर और राणाप्रतापसागर के लिए जो प्रोविजन चौथी पंच वर्षीय योजना में यह किया जा रहा है और जहाँ तक रेविन्स रिक्लेमेशन और सॉइल कन्जर्वेशन का प्रोग्राम है उसके लिये भारत सरकार के द्वारा फण्ड्स मिलते हैं। लेकिन माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने जो पूछा था और उन्होंने जो बात कही वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जमीन देने का सवाल है वन विभाग को वह जमीन हस्तान्तारित नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस बात की कोशिश हो रही है कि जो भूमि जंगलात में है उसको कल्टीवेबल से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जहां अदला-बदली का सवाल आता है वहां माननीय सदस्यों का सहयोग और भी वांछनीय है और जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें कहा गया कि अपने

Page No.4

(श्री भीखाभाई)

क्षेत्र में जहां जमीन निकालने की बात करते हैं वह एक तरफा बात होती है जब कि फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी ने दो तरफा बात कही है। मैं समझता हूँ कि दोनों प्रकार की स्थिति सुलझ जायेगी यदि दो तरफा बात हो जाती है तो और फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की जो मन्शा है वह भी पूरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

सवाई माधोपुर जिले के राजनैतिक पीड़ितों की सुविधायें

१५७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन—सु.) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सवाई माधोपुर में कितने व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित माना गया है और उनको सरकार से क्या क्या सुविधायें आदि दी जा रही हैं ? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों को किस किस आधार पर राजनैतिक पीड़ित माना गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा): (१) जिला सवाई माधोपुर में तीन व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित माना गया है और उनको ये सुविधायें दी गई है।

श्री ओंकारसिंह, ७५) रु० मासिक पेंशन

(२) श्री किशन प्रसाद भटनागर, ७५) रु० मासिक पेंशन।

श्री मुरारीलाल, ७५) रु० मासिक पेंशन ५००) रु० चिकित्सा हेतु अनुदान। १५ बीघा सींचित भूमि हिन्डौन तहसील के जगर बांध क्षेत्र में।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह जो आपने (३) नम्बर पर बताया तो अजमेर जेल के अन्दर यह रहे तो कितने दिन रहे ?

श्री परसराम मदेरणा : ६ महीने।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : आधार क्या है ?

श्री श्रवणलाल : आपने जैसा बताया कि ३६ से ४२ तक इन्होने अपने राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया तो क्या यह कोई रेकार्ड के आधार पर कह रहे हैं, इन्होंने कहां कहां भाग लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिला। समम-समय पर स्वतन्त्रता के लिए जो आन्दोलन था उसमें वह भाग लेते रहे। ४२ के अन्दर जब Quit india रेज्योल्यूशन कांग्रेस ने पास किया उसके बाद में आश्रम से पकड़े गये। यह अजमेर की जेल में ६ महीने रहे। उसके बाद में स्वामी कुमारानन्द, जो कि इस विधान सभा के सदस्य हैं और श्री हरिभाऊ उपाध्याय, जो भी इस सदन के सदस्य है वह भी उनके साथ जेल में थे और उन्होंने इसको प्रमाणित किया है कि हमारे साथ में जेल में ६ महीने तकथे और जेल में उनको

(श्री परसराम मदेरणा)..

अनेक यातनायें मिलीं और खड़े खडे चक्की पिसाई गई और उसके कारण बैंकबोन में टी०बी० हो गई। इसको देखते हुये उनको पेंन्शन दी और दूसरी सुविधायें दीं।

श्री श्रवणलाम : यह जो जमीन १५ बीघा अलॉट की गई है तहसील हिन्डौन के अन्दर क्या यह उपलब्ध करोली के लिए नहीं थी जो आपने खिजूरी के लिये अलॉट की है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट। कमेटी और तहसीलदार करते हैं अलॉटमेंट जहां तक सामान्य विभाग का प्रश्न है राज्य सरकार ने उचित समझा कि इस व्यक्ति के जो स्वतन्त्रता के प्राप्ति के लिए जो सेक्रिफाइसेज रहे हैं उनको देखते हुये और जब इनको टी०बी० है और ५ बच्चों के खाने के लिये भी कुछ नहीं है और वह कतई तौर पर गरीब है इस प्रकार की रिपोर्ट कलेक्टर और एस०पी० की रही तो यह उचित समझा गया कि उनको स्थान उपलब्धि के लिये जमीन दी जानी चाहिये और वह जमीन कहीं भी थी, कहीं भी नहीं थी, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया वह उचित था, यह मैं मानता हूँ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से कोई गिला नहीं है कि उनको जमीन क्यों दी गई और क्यों दी जाये, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति जो कि राजनैतिक पीड़ित के नाम से अलॉटमेंट कराता है और फिर उस जमीन को बेच देता है और आज जो जमीन १५ बीघा हिन्डौन तहसील में उसको मिली हुई है आज भी वहां के सेठ रामेश्वरप्रसाद को १२ हजार में बेचने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी कुछ दिनों की घटना है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उससे कोई मतलब नहीं हैं। नियमानुसार उनको जमीन दी गई। वह बेचे, नहीं बेचे या क्या करे, यह उसके अधिकार की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आर्थिक संकट के कारण कोई बेच भी सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला सदन में नहीं उठाना चाहिए। माननीय सदस्य राजनैतिक पीड़ितों के लिए इस तरह की कण्ट्रोवर्सी पैदा नहीं करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल

एसेन्शियल कोमोडिटीज चैरिटी फण्ड, कोटा

१५८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिलाधीश ने एक एसेन्शियल कोमोडिटीज चैरिटी फण्ड का निर्माण किया हुआ है ! अगर हां, तो कब से।

(२) क्या उक्त फण्ड में से रुपया वितरित किया गया है।

(३) क्या इस फण्ड के इकट्ठा करने व वितरीत करने के लिए कोई नियम बने हुए हैं। अगर हां तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(४) क्या इस फण्ड को वितरित करने के लिए कोई कमेटी बनी है। अगर हां, तो कब व किस नियम के अधीन। तथा इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, दिनांक १०-८-६१ से लाइसेन्स कोमोडिटीज चैरिटी फण्ड का निमारा किया गया है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। फण्ड को एकत्रित करने के लिए नियम है। इस फण्ड की रकम जिले में नियुक्त कमेटी के सुझाव पर नियमानुसार खर्च की जाती है।

(४) जी हां। लाइसेन्स कोमोडिटीज दिनांक १०-८-६१ की धारा ५ के अन्तर्गत चैरिटी फण्ड रूल्स १९६१ में कमेटी बनाने का प्रावधान है। इस समय कमेटी में निम्न सदस्य है :-

१. जिलाधीश, कोटा—अध्यक्ष

२. श्री नवलसिंह, अधिशासी अभियन्ता सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, कोटा प्रतिनिधि थोक विक्रेता--सदस्य

३. श्री देशराज, प्रतिनिधि खेरोज विक्रेता--सदस्य।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

विभिन्न उद्योगों द्वारा समझौतों का पालन

१५६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : (रायसिंह नगर) : क्या श्रममंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्रम मन्त्री महोदय के तत्वावधान में राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन व राजस्थान ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच इस बात का करार हुआ था कि समस्त छोटे उद्योग वाले अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में १०) रू० मासिक अन्तरिम बढोतरी अगस्त, १९६५ से कर देंगे ?

(२) अगर हां, तो किस किस उद्योग ने समझोते का पालन किया है ?

(३) अन्य उद्योगों ने इस समझोते को लागू करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) श्री शाह कस्तूर मल अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ स्माल इन्डस्ट्रीज ऑफ राजस्थान तथा श्री के० एल० जैन अध्यक्ष जयपुर इन्डस्ट्रियल एस्टेट एसोसियेशन जयपुर ने लिखित रूप में सूचित किया है कि फेडरेशन से सम्बन्धित करीब करीब समस्त इकाइयों ने समझोता दिनांक १६ अगस्त, १९६५ का पालन कर लिया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) अध्यक्ष महोदय, अभी इस समझौते के बाद राजस्थान सरकार ने माथुर कमेटी को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय ले लिया है और उसके अनुसार यह मंहगाई भत्ता १०) रू० के बजाय १६ रू० ८० पैं० आता है। तो क्या सरकार ने उस माथुर कमेटी के निर्णय के अनुसार यह १६.८० के मंहगाई भत्ते को लागू कर दिया है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माथुर कमेटी के लिंकिंग का सवाल है, कास्टप्राइजेज से लिंकिंग का सवाल है, इसके बारे में जो राज्य सरकार की नीतियों का सवाल है तो राज्य सरकार ने तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है और जहां तक निजी क्षेत्र का सवाल है वहां पर सरकार ने परश्यूएशन के जरिए से काम करने का निश्चय किया था और उसके अनुसार ही काफी परश्यूएशन किया गया और परश्यूएशन से काफी संख्या में इसको मनवा भी लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले स्टैंडिंग लेबर कमेटी की मिटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अन्दर भी मैंने निवेदन कर दिया था सारी बातों को और यहां पर भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का विवाद खड़ा होता है तो उस विवाद को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उन सारे उद्योगों के नाम बता दीजिए जिनके अन्दर कि माथुर कमेटी की सिफारशों के अनुसार निजी क्षेत्र में १६.८० पैसे मंहगाई भत्ता दे दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है और इसका जवाब अलग से ही दिया जा सकता है। डिस्कशन के दौरान जब यह प्रश्न आएगा तो मैं सारी बात भी कहूँगा और परसों जो लेबर कमेटी की मीटिंग हुई थी उहके अन्दर भी सारी बातें कहीं हैं लेकिन अभी इस वक्त जो माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक भी उद्योग ने माथुर कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना है। आप एक भी उद्योग का नाम बता दीजिए जिसने माथुर कमेटी की सिफारिशों को माना हो। एक भी निजी उद्योग में उसके अनुसार मंहगाई भत्ता नहीं दिलाया गया है।

श्री भीखाभाई : यह तो आपका मत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आप नाम बता दीजिए।

श्री भीखाभाई : अलग से पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You want to mislead the house.

उद्योगों के नाम बता दीजिए जिसमें माथुर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ता दिया गया हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गवर्नमेंट के किन किन विभागों में लागू करवा दिया गया है, यही बता दीजिए ?

Page No.8

श्री भीखाभाई : जितने भी पब्लिक सेक्टर में थे उनमें लागू हो गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या गंगानगर शुगर मिल में लागू हो गया है ?

श्री भीखाभाई : मैं उसकी जानकारी करके बता सकूंगा कि उसमें लागू हुआ है या नहीं, लेकिन जहाँ तक इरिगेशन का सवाल है, पी डब्ल्यू. डी. का सवाल है, राजस्थान केनाल का सवाल है या दूसरे डिपार्टमेंटों का सवाल है वहाँ पर लागू हो गया है । यह तो हिन्दुस्तान भर में राजस्थान ही एक ऐसी सरकार है जिसने लिंकिंग के फार्मूले को माना है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप माथुर कमेटी की बात को जाने दीजिए, आप तो इतना ही बता दीजिए कि जो समझौता हुआ था इण्डस्ट्रीजवालों के साथ कि दस रुपये देंगे, क्या वे सब ने दे दिए है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान के अन्दर तो मजदूरों ने आन्दोलन करके प्राप्त किया है ।

श्री भीखाभाई : माथुर कमेटी को भी सरकार ने ही बैठाया था और राजस्थान सरकार ने उसको सारी रिपोर्ट को इम्पली-मेंट किया है और श्रम सम्मेलन के अन्दर भी डंके की चोट के साथ, फक्र के साथ कहा था कि राजस्थान ही पहला प्रान्त है जिसने इस फार्मूले को माना है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जरूरत से ज्यादा मत ऐंठिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जो फैसला हो जाय, उस फैसले के बारे में क्या यह लेबर डिपार्टमेंट और लेबर मिनिस्टर का फर्ज नहीं है कि वे यह भी जानकारी रखें कि यह कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है ? सवाल यहाँ यह है कि एक फैसला हुआ और उस फैसले को लागू मान लिया सरकार ने और यह भी मान लिया गया कि इससे मजदूरों को फायदा हुआ तो वास्तव में मजदूरों को इससे फायदा हुआ या नहीं और कहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में यह लागू हो गया है, इसकी जान-कारी भी आपको रखनी चाहिए या नहीं, यह बता दीजिए ?

श्री भीखाभाई : पूरी जानकारी रखी जाती है । मैंने निवेदन कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर में लागू कर दिया है और प्राईवेट सेक्टर में परश्यूएशन से लागू करने का निश्चय हुआ था और इसमें काफी काम-याब भी हुए हैं । मैंने खुद ने प्रोग्राम बनाया है कि हर एक डिविजनल हैडक्वार्टर पर जाकर तमाम निजी इण्डस्ट्रीजवालों से परश्यूएट किया है कि वे इन सिद्धान्तों को एक्सेप्ट करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यय महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जो मंत्री महो-दय ने स्टेटमेंट दिया है वह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है । यह जो इण्टरिम समझौता हुआ था वह भी आप स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज में लागू नहीं करा सके हैं । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि १६ रुपये, ८० पैसे की बात तो दूर रही, १०) रुपये की जो अंतरिम सहा-

Page No.9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यता देनी थी वह भी अलवर के एक भी उद्योग को आज तक नहीं दिला पाये है बावजूद मजदूरों की मांग के और आप माथुर कमेटी के अनुसार १६.८० पैसे दिलाने की बात करते हैं और परश्यूएसन की बात कहते हैं। न तो आप उसके सम्बन्ध में कोई कानूनी व्यवस्था करते हैं और न उनसे पैसा ही दिला पाते है। जब तक आप माथुर कमेटी की सिफारिशों को कानून के जरिये से लागू नहीं करेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी ये बातें केवल प्रचार मात्र के लिये है। वह लागू करने की घोषणा करते हैं और अमली तौर पर परश्यूएशन की बात करके सेबोटेज कर देते हैं। यह आपकी नीति रही हे और उस नीति के कारण ही मजदूरों को नुकशान हो रहा है।

श्री मोखाभाई : माथुर कमेटी की सिफारिशें कितने मजदूरों के कारखानों पर लागू होगी, यह आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५० पर।

(विराम)

(कोई उत्तर नहीं)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरदारशहर में अप्रैल मास में समझौता हुआ था एक उद्योग के अन्दर कि ४)रू० रुपये का अन्तरिम भुगतान करेंगे, वह भी आज तक नहीं किया गया है और वहाँ पर एक महीने से हड़ताल हो रही है, फिर आपने कहा पर १० रुपये का अन्तिरिम समझौता लागू करवा दिया होगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :

प्रश्न संख्या १६०।

श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : लक्ष्मीकुमारी हाउस में कहाँ से आ गई।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इन्होने तो पार्टी बदली है सेक्स थोड़े ही बदला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० १६०।

कृषि-मंत्री श्री (**नाथूराम मिर्धा**) :

उपस्थित सदस्यों के ही काफी प्रश्न हैं फिर अनुपस्थितवालों के क्यों लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सैनिकों से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिए ले लेते हैं।

प्रश्न स० १६०।

१६०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : [श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(१) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जब सैनिकों की नियुक्तियां नान फैमिली स्टेशन्स पर ही जाती हैं और जब वे अपने परिवार को अपने स्वयं के मकानों में रहने

Page No.10

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

के लिये घर भेजते हैं और यदि इनके मकान उस समय किराये पर दिये हुए होते हैं तो वे कानून किरायेदारों से अपना मकान खाली नहीं करा सकते हैं और इस प्रकार सैनिकों के परिवार को मकान सम्बन्धी बड़ी असुविधा हो जाती है ?

(२) क्या इस आशय के प्रार्थना-पत्र सैनिकों के परिवारों से सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या सरकार कानून में ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है जिससे उक्त प्रकार के सैनिक परिवार रहने के लिए अपने निजी मकान प्राप्त कर सकें ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि पंजाब सरकार ने सैनिकों की सुविधा के लिए इस सम्बन्धी नियम बना दिये है ?

गृह-मंत्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान प्रिमीसेज (कन्ट्रोल आॅफ रेन्ट एन्ड इविक्शन ऐक्ट १९५० की धारा १३ (१) (एच) के अनुसार यदि मकान मालिक को अपने लिए या अपने कुटुम्बियों के लिए मकान खाली कराने की आवश्यकता हो तो मकान मालिक किरायेदार से मकान खाली करवा सकता है ।

(२) राज्य सरकार के पास यह प्रश्न कोई समस्या के रूप मे अभी तक नहीं लाया गया ।

(३) कानून की व्यवस्था साफ है ।

(४) पंजाब सरकार के नियमों की राज्य सरकार को सूचना नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि जो धारा १३ बतलाई गई है उसमें यह क्लॉज और जोड़ दे कि कोई भी सैनिक जो कि नॉन-फैमिली स्टेशन पर जाता है और उसको फैमिली रिटर्न होती है तो ऐसे मकान को तुरन्त छोड़ दिया जाय और किसी किस्म की बात नहीं रहे कि उसकी आवश्यकता है या नहीं ? क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि जिससे एक परमानेंट नेचर का कानून बन जाय हमेशा हमेशाके लिए कि जो सर्विस के अन्दर सैनिक हैं और जिनका नान फैमिली स्टेशन पर ट्रांसफर हो जाता है और उनकी फैमिलीज रिटर्न होती हैं तो उनके लिए तुरंत मकान खाली कर दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा निवेदन किया कि यह प्रश्न किसी समस्या के रूप में सामने नहीं है ऐसा प्रश्न अभी तक उठा नहीं है और इसलिए ऐसा अमेंडमेंट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : जैसा प्रश्न माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के भाग २ में उठाया है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के पास आवेदन पत्र गए होंगे । मैं यह मानकर चलता हूं कि जो प्रश्न उठाया गया है उसके अनुसार लाजिमी तौर पर सरकार के पास आवेदन पत्र आए होंगे । हो सकता है कि आपने उनकी छानबीन नहीं की हो और इसलिये ही आपको इसका अंदाज नहीं हो कि आवेदन पत्र आए हैं या

Page No.11

(श्री अब्दुल जब्बार)

नहीं। लेकिन आए अवश्य होंगे, ऐसा मेरा मानना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर ऐसा ही प्रश्न है दरअसल और इस प्रकार की समस्या है और इसके लिए दरख्वास्तें दी गई हैं, सैनिकों की दिक्कतें हैं तो सरकार कोई न कोई प्रावधान उनकी सहूलियत के लिए करने का विचार रखेगी।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय कि आम तौर पर देहातों से ही सैनिक जाते हैं और देहातों में इस प्रकार का कानून लागू नहीं होता है और न वहां पर इस प्रकार की ही समस्या पैदा होती है। दिक्कत तो उन बड़े बड़े मकान मालिकों की हो सकती है जो बड़े बड़े आफिसर्स हैं और जो शहरों में रहते हैं। अगर उनकी जेन्युन रिक्वायरमेंट हैं तो कानून के अन्दर परसनल नेसेसिटी की बुनियाद पर उसमें प्रावधान मौजूद है। इसलिये हम देश की कोई मिल्ट्री इकोनोमी बनाये या देश का मिलिट्राइजेशन करें, सैनिकों का नाम लेकर कुछ बड़े लैंड लार्डस फायदा उठाने की कोशिश करें तो यह कोई उचित बात नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज भी देश के अन्दर मांग है कि जो पर्सनल नेसेसिटी के नाम पर दुरुपयोग कर रहे है उसको भी समिति किया जाय। उस हालत में इस तरह के प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कोई इस प्रकार की देहातों से मांग हैं और न इस प्रकार के किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य ; बड़े बड़े सैनिकों में ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, लेफिटनेंट, कैप्टिन सभी होते हैं जो शहरों में भी बहुत ज्यादा हैं और गावों में भी हैं। ऐसी स्थिति में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन बड़े ब्रिगेडियर हों या छोटे सैनिक हों, नहीं करना चाहते। जहां उनकी फेमिली का प्रश्न आता हैं तो वह समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो बड़े के लिये हो या छोटे के लिए, शहरों में हो या गावों में हो, अगर उनकी समस्या है तो हम उस समस्या के समाधान के लिए विचार करना उपयोगी समझेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

चूरू जिले में चने का निर्यात

१६१ श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) जनवरी, ६५ से आज तक चूरू जिले से चने की कितनी बोरियां व्यापारियों द्वारा राजस्थान से बाहर गई ?

(२) जिन व्यापारियों ने चने बाहर भेजे उनके साथ सरकार का क्या एग्रीमेंट था ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की यह शर्त थी कि जो व्यापारी चना बाहर भेजेंगे वे व्यापारी ५० प्रतिशत चना सरकार को देंगे ? यदि हां तो, कितना चना सरकार ने किस भाव से खरीदा और सरकार की कितनी रकम इस बिजिनेस में लगी ?

(४) कृपा वह बतायें कि किन किन व्यापारियों से चना खरीदा और उक्त

(श्री रावतराम)

चना सरकार ने कहां रखा और चना खराब न हो जाय इसकी क्या व्यवस्था रखी गई ?

(५) उक्त चना सरकार ने बाहर कहां भेजा और वह कब कब आगे किस भाव बेचा गया तथा सरकार को इससे कितना फायदा हुआ ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार ने जुलाई, अगस्त, १९६५ में इस जिले में अकाल रहते हुए भी चना बाहर भेज दिया जिससे अनाज की भयंकर समस्या पैदा हो गई ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन अधिकारी है ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जनवरी, ६५ से अगस्त ६६, तक ६८,१०९ क्वि० १० की० चना व्यापारियों द्वारा बाहर भेजा गया ।

(२) व्यापारियों के साथ राज्य सरकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था परन्तु यह प्रावधान था कि अगर राज्य सरकार को अमुक चने की तादाद नियमानुसार बेची जाय तो निश्चित अवधि में उतनी ही मात्रा का निर्यात करने की इजाजत होगी ।

(३) जी हां । निम्न भावों में चना एवं दालें खरीदी गई :

क्रमांक	विवरण	वजन	द.
१.	चना	२२६७-६५	५२ रु०
२.	चना	८६८४ क्वि० २५ की०	५०-४० रु०
३.	दाल (चना)	११२१ क्वि०	५८ रु०

सरकार की कुल रकम ३४,२१,६२५-४० रु० इस कार्य में लगी ।

(४) सूची संलग्न है । चना चूरू, राजगढ़, सिद्धमुख तथा तारानगर सेन्टरों पर रखा गया । खराबी से बचने के लिए उपयुक्त किटाणु नाशक दवाई का उपयोग किया गया ।

(५) सूची संलग्न है । जिन राज्यों को यह चना दिया गया उन्होंने आगे किस भाव से बेचा इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वे इसपर लाभ नहीं कमाते हैं । राजस्थान सरकार ने यह जो चना दिया वह सहकारी समितियां या जो अधिकृत व्यक्ति थे उनको दे दिया गया हैं । लाभ कमाने की दृष्टि से यह चना राजस्थान के बाहर नहीं ले जाया गया है ।

(६) माह जुलाई ६५ में चना बाहर नहीं भेजा गया । माह अगस्त, ६५ में निम्न लिखित चना दूसरे राज्यों को भेजा गया :

१.	मद्रास	८००० क्विन्टल
२.	मैसूर	१७९९ क्विन्टल

इस निर्यात से अकाल की भयंकर समस्या उत्पन्न नहीं हुई ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न (१) में यह बताया है कि ६८,१०९ क्विन्टल चना व्यापारियों द्वारा बाहर भेजा गया है । इसका मतलब है कि

(श्री रावतराम)

६८,१०६ क्विन्टल चना गवर्नमेंट को उनसे मिलना चाहिए तो उस चने में से जो कि ६८,१०६ क्विन्टल गवर्नमेंट को मिला है कितना यहां के लोगों को दिया गया और कितना बाहर बेचा गया है ? एक क्वेश्चन तो यह है ।

दूसरा यह है कि इस काम में ३४,२१,-६२५-४० रु० सरकार के खर्च हुए । अब वह चना जो बाहर भेजा गया और वहां पर बेचा गया तो अब स्थिति क्या है ? जितनी रकम लगी थी उतनी वसूल हो गई है और उसमें घाटा और नफा क्या हुआ ? क्या पोजीशन है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चना व्यापारियों ने बाहर भेजा यह प्राइवेट एकाउन्ट में अलग अलग राज्यों में जैसे भाव थे और पड़ता खाता था उन्होंने बेचा है । राज्य सरकार ने जो चना इकट्ठा किया उसमें से जहां तक आपने पूछा चूरू जिले का कि कितना वितरण किया गया तो उस हिसाब से काफी बड़ी मात्रा में भेजा गया है । चूरू में राजकीय दुकानों पर ३१६६-१७-७५० चना बेचा गया, प्राइवेट दूकानों पर ५२६४ क्विन्टल, ४२ किलो ६०० ग्राम और पंचायत समितियों के द्वारा २२८० क्विन्टल चना वहां पर बेचा गया और राजस्थान के दूसरे जिलों में जैसे कि झुंझूनू को भेजा गया वह करीब २००७ क्विन्टल, बीकानेर को करीब ३५०० क्विन्टल और गवर्नमेंट के गोदामों में कुछ चना है करीब ४७७३ क्विन्टल । कुछ छीजत में गया वह करीब ६ क्विन्टल के हुआ है । इसमें से कुछ राजस्थान में बेचा गया है और राजस्थान के लोगों के काम में आया है । कुल मिलाकर प्रोफिट एण्ड लास बनता है । एक एक का कैल्कुलेट नहीं करते हैं । सारे राजस्थान की खरीद और बेचने का हिसाब-किताब हर साल मिलाते रहते हैं और अभी कई जगहें और चीजें पड़ी हुई हैं । लाभ-हानि एक एक ट्रान्जेक्शन के बारे में नहीं की जा सकती है । समूचे राजस्थान की जो पोजीशन है वह घाटे की पोजीशन नहीं है, लेकिन ठीक हालत है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) क्या अभी तक चने का स्टाक आपके पास में जमा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बता दिया मैंने ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब है तो जो चना जैसे बीकानेर जिले में डिस्ट्रिब्यूट किया जाता था राशन के साथ में वह बन्द क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सब जगह राशन के साथ में हर वक्त चना नहीं दिया जाता है । व्हीट या दूसरे कोर्स ग्रेन्स की कमी थी तो वहां पर मुश्किल के वक्त हम लोग चना राशन के रूप में देते थे, जब कि दूसरे खाद्यन्नों की कमी थी । इसलिये देते थे । अब क्योंकि इम्पोर्टेड व्हीट और दूसरे खाद्यान्न हैं और जितना राशन दे रहे हैं उस हिसाब से चना देने की आवश्यकता नहीं है और चना ओपन मार्केट में काफी मिलता है इसलिए राशन में देने की जरूरत नहीं है ।

Page No.14

श्री मुरलीधर व्यास : चने की दाल बड़ी मंहगी है और लोग चने की दाल को दाल की जगह इस्तेमाल करते हैं और वह आपके पास में है, जब वह आपके स्टाक में है और फिर नया आने वाला है तो जनता को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत कम है।

श्री मुरलीधर व्यास : जितना है उतना तो दें ताकि यहां के लोगों को मिल सके। दूसरे प्रांतों को आप देते हैं और यहां से वहां ले जाते हैं तो यहां नहीं मिलता है और दाल बहुत मंहगी है और चना जब है स्टाक में तो आप दिलाइये। यह आपसे अर्ज है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान सरकार ने जो चना दूसरे प्रदेशों को निर्यात किया तो उसके भाव किस आधार पर निर्यात किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस भाव में हमने जो माल खरीदा प्लस स्टोर चार्जेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं और जो कुछ खर्चा हुआ है उसको इसमें जोड़ कर उस भाव से उन राज्यों को दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : क्या यह सही है कि दूसरी स्टेटों को जो चना भेजा है वह वहां पर जो मार्केट में ब्लेक रेट्स थे आपने चार्ज किये हैं, जैसे जो चना आपने आसाम भेजा है या जो चना मद्रास भेजा है उसके आपने बहुत हाई रेट्स चार्ज किये थे जो कि ब्लेक में एवेलेवल थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिलकुल गलत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : औसतन किस भाव में खरीदा था और राज्य सरकार ने जिस भाव में बेचा है वह औसतन किस भाव में बेचा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : खाद्य समस्या पर पूरी बहस होगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस भाव पर परचेज किया और किस भाव पर बेचा उसकी एवरेज प्राइस बता दें ?

श्री अध्यक्ष : यह सारी बहस के टाइम कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हमारे काम आयेगी अगर यह बता देंगे तो।

श्री नाथूराम मिर्धा : ४०-५० रु० से ५२ रु० तक खरीदा और ५४-५५ रु० में बेचा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह ११ से १५ रुपया प्रति क्विन्टल खर्चा आया क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ४० से ५२ में खरीदा और ५४-५५ में दिया गया है। ये दो रेट्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका अलग अलग बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन । १६२ ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह सही है कि इससे भी ऊंची रेट में बेचा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब आपकी गलतफहमी है ।

श्री जोधसिंह चौहान : यह सही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सही तो आप नहीं कहते ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

भरतपुर जिले से प्रकाशित पत्र

१६२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले से कितने साप्ताहिक दैनिक तथा मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं, किस समय से प्रकाशित हो रहे हैं और कितनी संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) सरकारी विज्ञापनों के लिए भरतपुर जिले के कौन कौन से पत्र मंजूर हैं और उन्हें कब से विज्ञापन मिल रहे हैं ?

(३) विज्ञापन देने सम्बन्धी सरकार के क्या नियम है ? नियमावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

जन-सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी)

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) साप्ताहिक नवयुग सन्देश १९५० से साप्ताहिक आवाज नवम्बर १९५५ से साप्ताहिक चौरासी खम्भा, कामां दिसम्बर ६५ से उदयभानु, धौलपुर जून ६६ से ।

(३) नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

श्री जोधसिंह : प्रश्न संख्या १६३ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में तीन प्रश्न हैं । यदि आप उन तीनों को एक साथ लेलें और तीनों के उत्तर एक साथ दिलवा दें तो आसानी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन से क्वेश्चन हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : १७४ और एक हाण्डा साहब का है १८३ ।

श्री अध्यक्ष : तीनों को एक साथ ले लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सबसे पहले मैं रामानन्दजी के प्रश्न संख्या १७४ का जवाब दूंगा ।

राजस्थान नहर परियोजना

१७४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.16

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को पहले चरण में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया है और बाकी परियोजना को स्थगित करना तय कर लिया है ?

(२) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरे आर्थिक साधन देने से इन्कार कर दिया है और राज्य सरकार को सलाह दी है कि इसको पहले चरण में ही समाप्त कर दिया जावे ?

(३)क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को केन्द्रीय इस परियोजना योजना मानने से इन्कार कर दिया है और के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के मिले जुले नियन्त्रण बोर्ड बनाने अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य आँथोरिटी निर्माण करने की बातचीत समाप्त कर दी गई।

(४) इस परियोजना को पहले चरण में समाप्त करने से राजस्थान का कितना क्षेत्रफल सिंचित होगा और कितना क्षेत्रफल पूर्व अनुमान से असिंचित रह जायेगा ? पैदावार के पूर्व अनुमान में कितनी कमी हो जायेगी ?

(५) क्या राज्य सरकार ने इस स्थिति को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ?

राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना को पहले चरण में ही समाप्त करने का और बाकी परियोजना को स्थगित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(२) जी नहीं। भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरे आर्थिक साधन देने से इन्कार नहीं किया है और न ही राज्य सरकार को सलाह दी है कि इसको पहले चरण में ही समाप्त कर दिया जाय।

(३) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को केन्द्रीय योजना बनाने से इन्कार नहीं किया है. और न ही इस योजना के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार की मिली जुली आँथोरिटी बनाने की बात समाप्त की है।

अब मैं जोधसिंहजी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : रामानंदजी के प्रश्न के भाग (४) और (५) का उत्तर रह गया।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : (४) सवाल नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

अब मैं जोधसिंहजी के प्रश्न संख्या १६३ का जवाब दूंगा।

Page No.17

राजस्थान कैनाल

१६३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(१) राजस्थान कैनाल मूल योजना के अनुसार कितनी लम्बी बनने को थी और अब तक कितनी लम्बी बनी है ?

(२) राजस्थान कैनाल से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

(३) कितनी लम्बी नहर में नौ परिवहन (Navigation) हो सकेगा ।

(४) राजस्थान कैनाल पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है और इसे पूरी करने के लिये अब और कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

(५) क्या यह सही है कि अब तक जितनी कैनाल का निर्माण हुआ है उसमें अनुमान से अधिक राशि खर्च हुई है ।

राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान कैनाल मूल योजना के अनुसार ४२५.८ मील बनने को है । इसमें से १३४ मील का हिस्सा राजस्थान फीडर का था जिसका कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष २६१.८ मील में से जून, १९६६ के अन्त तक ३२ मील तक कार्य पूर्ण हो चुका है और ७० मील तक की लम्बाई में कार्य चल रहा है ।

(२) कुल २८.७५ लाख एकड़ भूमि में ।

(३) राजस्थान नहर में नौ परिवहन (नैवीगेशन) करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ।

(४) राजस्थान कैनाल पर जून, १९–६६ के अन्त तक ४३.२९ करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है । योजना के अनुसार इस नहर को पूरा करने के लिए अब, ६५.४१ करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता और होगी ।

(५) जी नहीं ।

श्री जोधसिंह चौहान : यह बताइये....

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी ठहर जाइये, हांडा साहब के प्रश्न का जबाब और दे दूं । तीनों प्रश्न साथ ले रहे हैं ।

राजस्थान नहर के साथ साथ रेल्वे लाइन

१८३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की मूल योजना में मुख्य नहर की समस्त लंबाई के साथ साथ रेल्वे लाइन बनाने की योजना थी ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त योजना क्यों स्थगित कर दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि हाल ही में रायसिंहपुर से ८० माइल पर रेल्वे लाइन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है एवं इसके लिये सर्वे भी किया गया है ? यदि

Page No.18

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हां, तो पुरानी योजना के अनुसार रेल्वे लाइन क्यों नहीं बनाई जाती है ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) राजस्थान नहर मंडल ने रामसिंहपुर से ८० माइल पर रेल्वे लाइन के सर्वे करने की स्वीकृति दे दी है तथा इसके लिये मुख्य अभियन्ता, नार्दर्न रेल्वे नई दिल्ली को लिखा गया है कि इस कार्य का सर्वे और तकमीने शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि इस विषय पर आगे विचार विमर्श किया जाय। पुरानी योजना में ऐसी कोई रेल्वे लाइन बनाने का प्रावधान नहीं था। इसलिये उसके अनुसार रेल्वे लाइन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि क्या किसी स्टेज पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय या योजना मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया था राज्य सरकार को कि राजस्थान नहर परियोजना को पहले चरण पर ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि आर्थिक संकट के कारण ज्यादा मदद मिलना संभव नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सिंचाई मंत्रीजी गंगानगर पधारे थे तब उन्होंने लोगों को आश्वासन नहीं दिया था लिफ्ट इरिगेशन का कि अब राजस्थान नहर योजना यहीं समाप्त करके लिफ्ट इरिगेशन के जरिये चूरू, नागौर और बीकानेर को पानी देंगे और उन्होंने वहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों को कन्विन्स करने की कोशिश की थी कि यह चीज ज्यादा सफल रहेगी। लिफ्ट इरिगेशन योजना को कामयाब करो जनहित में ? क्या उन्होंने अपने भाषण में आम लोगों के सामने ये विचार प्रस्तुत नहीं किये थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न जो आपने उठाया है इसके बारे में और भी कई प्रकार की चर्चाएं अखबारों में निकली है। इसकी जानकारी २ मिनट में मैं देना चाहता हूँ। यह सवाल इसलिये खड़ा हुआ कि राजस्थान नहर योजना को प्रथम और द्वितीय चरण में पूरा करने में कम से कम १५ साल लगेंगे और नहर के आखिरी स्थान टेल तक डवलप करने में काफी लंबा अर्सा लगने की संभावना है। सन् ७१-७२ की साल में पोंग डैम पूरा होने पर जो पानी उपलब्ध होगा वह काफी मात्रा में होगा इसलिए इस पानी को जल्दी उपयोग में लाया जा सके जहां काफी लोग आबाद हैं, बस्तियां बस गई हैं, पीने का पानी उपलब्ध है, स्कूल्स खुली हुई हैं वहां इस पानी का जल्दी उपयोग हो सके, कैसे उपयोग में लाया जा सके जो पानी पूरा का पूरा पोंग डेम बनने से मिल जायगा उसका जल्दी से जल्दी उपयोग करना है। क्योंकि आगे के एरिया में कॉलोनाइजेशन मुश्किल है, आबादी कम है, नये तौर से गांव बसाने पड़ेंगे, नये तौर से बसाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी तब कहीं उसका उपयोग हो सकेगा। अनूपगढ़, सूरतगढ़ तक फर्स्ट स्टेज पूरा हो

Page No.19

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चुका है या हो रहा है। इस पानी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने का तरीका सोचा गया। एक तरफ राजस्थान केनाल में हमारी इन्टेन्सिटी ७८ परसेन्ट कायम की गई है तो क्या हम इस इन्टेन्सिटी को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और यदि बढ़ा सकते हैं तो कितनी हद तक, कितने परसेन्ट बढ़ाया जा सकता है। थ्योरी में तो जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है लेकिन प्रेक्टिकल रूप से कितना बढ़ा सकते हैं। जो पानी मिला है वह १०५ परसेन्ट तक पहुंच चुका है जब कि सेक्शन्ड ६० परसेन्ट था। तो इस पानी का उपयोग ज्यादा कर सकें इसलिये यह सोच रहे थे कि इसकी इन्टेन्सिटी को बढ़ाया जाय तो कितना बढ़ाया जाय। इस इलाके में अनूपगढ़, सूरतगढ़ के एरिया में पानी का हाइयेस्ट इन्टेन्सिटी में यूज करने के बाद भी पानी काफी ज्यादा बचेगा उसको लूणकरण-सर, नोखा, बीकानेर, नागौर के एरिया में पहुँचाने के लिए लिफ्ट करके, एक सरटेन हाइट तक लिफ्ट करने की स्कीम इकोनो-मिक रहेगी। कुछ पानी इन्टेन्सिटी और कुछ लिफ्ट के जरिये देकर आगे आ जाने से बचा सकते हैं और वहां पर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और कॉलोनाइजेशन पर खर्चा नहीं उठाना पड़े, इस स्कीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस सारे विषय पर सोचने के लिए Committee of Directos of Rajasthan केनाल के टैक्निकल आदमी हैं जो कॉलोनाइजेशन के बारे में जानते हैं उनकी समिति गठित की है। वे इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे उस पर विचार करके जल्दी किस तरह से यह काम किया जा सकता है, इतना ही दृष्टिकोण है। इसके अलावा जो बातें यहां कही गई हैं उस प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। इस इलाके के लोगों के पास जल्दी से जल्दी पानी पहुंचे, यही चीज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी के युटिलाइजेशन का सम्बन्ध है गंग कैनाल का .५ पर क्युसेक था और सन् ५६ में हाइयेस्ट युटिलाइजेशन हुआ १०० परसेन्ट से भी ऊपर और राजस्थान कैनाल की योजना आज सोची है, राजस्थान कैनाल ४३०.३५ मील लम्बी होगी, १८० फीट १३० फीट चौड़ी बोटम में और ४० फीट बीच में चौड़ी होगी इतना हयूज कंस्ट्रक्शन किया है। उसके साथ ही नेवि-गेशन की भावना से इसको बनाया है तो इसको देख कर ५ परसेन्ट का क्वान्टम करेंगे तो गंग कैनाल से डबल हो जायगा वहां पर २.५ के क्वान्टम से १०० परसेन्ट इरिगेशन ले सकते हैं तो ५ से २०० परसेन्ट से ऊपर ले सकेंगे इसलिये यह सम्भव नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, भाषण न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दूसरा प्रश्न यह है कि यदि लिफ्ट इरिगेशन से वाटर को युटिलाइज करेंगे तो कितना वाटर और कितनी इलेक्ट्रीसिटी उपलब्ध होगी ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री जोधसिंह चौहान : जो कैनाल बन चुकी है उसके लिये खर्चे का एस्टिमेट कितना था और कितना खर्चा हो चुका है ?

Page No.20

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना एस्टिमेट है उसी कोस्ट में बन रही है, उतना ही खर्चा हुआ है।

श्री जोधसिंह चौहान : वह जो मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में आप बताइये। आपने तो वेग उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द मुराणा।

श्री जोधसिंह चौहान : वह कितना था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, आपने सुना नहीं।

श्री जोधसिंह चौहान : मैंने नहीं सुना तो मुझे सुनाना आपका कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न अस्वीकार कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अस्वीकार नहीं, मुझे मेरे प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री अध्यक्ष : वही अस्वीकार किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह रामानन्दजी के प्रश्न पर था। मेरा तीसरा प्रश्न है उस पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। आपने पूछ लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन प्रश्न एक साथ हैं। मैं अपने पर पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न एक, दो वाक्य में पूछे जाते हैं, आप तो भाषण देना शुरू कर देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह रामानन्दजी के प्रश्न पर था। मैं एक कान्क्रीट प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं। दूसरे प्रश्न हैं और माननीय सदस्य भी इन्तजार कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तीनों प्रश्न एक साथ ले लिये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो उनके लिए कोई एक घण्टा नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया ने पत्रकारों से वार्ता करते समय इस बात की घोषणा की है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना में ही समाप्त करने का निर्णय लिया है और उसके दूसरे चरण में मिलने वाली मदद के लिए डिवेलूएशन के कारण केन्द्रीय सरकार ने इन्कार कर दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई घोषणा मुख्य मन्त्रीजी ने नहीं की। जो कुछ मैंने कहा, वह उन सारी बातों पर आधारित है, जो मुख्य मन्त्रीजी और मैंने और हमारी राजस्थान कमेटी ऑफ डाइरेक्शन के सभी सदस्यों ने कमेटी में बैठ कर निर्णय लिये थे और वह उसी प्रकार से हैं जो मैंने कहा। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने कोई घोषणा नहीं की है, या

Page No.21

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अखबार वाले जितना समझ पाये उतना उन्होंने छाप दिया, या वह बिल्कुल नहीं समझ पाये। अलग अलग तरीके की बातें छपी हैं-यह मैंने देखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया और गवर्नमेंट आफ राजस्थान के बीच में....

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : On a point of order Sir ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बातचीत चल रही है जो एक चिन्ता का विषय बन गई है और इतनी बड़ी परियोजना का भविष्य क्या बनने वाला है, यह विषय अन्धकार में पड़ता जा रहा है कि क्या यह केन्द्रीय योजना के रूप में चलाई जायगी या हमारे प्लान आउट-ले में शामिल होगी, या जोइन्ट आथेरिटी बनेगी ? या गवर्नमेंट किसी निश्चित स्थिति में पहुंच गई है और अगर नहीं पहुँची है तो उसके बारे में एक्चुअल पोजीशन क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि इस नहर परियोजना को सेन्टर के जरिये बनाया जाय, या राजस्थान के जरिये बनाया जाय, या स्कीम्स के अन्दर मोडीफिकेशन करके जैसा मैंने अभी वर्णन किया, उसके हिसाब से किया जाय और इसका सैकिण्ड चरण कब शुरु किया जाय-यह सारे प्रश्न टेक्निकल पोइन्ट आफ व्यू से देखे जाने के बाद आपके सामने पूरे रुप में आयेंगे। जहां तक कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम का सवाल है, उसमें कोई कमी करने या कोई आथेरिटी बनाने का फैसला आज तक नहीं हुआ है। अगर यह नहर योजना राजस्थान प्लान सीलिंग के अन्दर चलेगी तो उसका प्रावधान भारत सरकार राजस्थान के बजट में करके चलेगी। जहाँ तक नहर के कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम का सवाल है उसमें न तो कोई सेट बैक आज की अवस्था में मौजूद है और न आगे मौजूद होने की गुंजाइश है। अभी कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम एकोर्डिंग टू शिड्यूल बराबर चल रहा है और उसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने जो कहा वह ठीक है कि कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। लेकिन यह प्रश्न काफी समय से चल रहा है कि इस प्रकार की कोई आथेरिटी बनाई जायगी और सम्भवत: इस प्रकार का एक विधेयक भी तैयार किया गया था जिसका उल्लेख सदन में कई बार आया है। उसकी क्या स्थिति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी स्थिति यह है कि वह मामला केन्द्रीय सरकार की केबिनेट के विचाराधीन था। उसके ऊपर पूरी तरह से निर्णय अभी केन्द्रीय सरकार की केबिनेट से नहीं हुआ है। वहां पर इस सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधारा चल रही हैं। उसमें कुछ लोगों का यह मानना है कि यह कन्स्ट्रक्शन और कालोनाइजेशन का कम्प्लीट प्रोग्राम राजस्थान के पास रहना चाहिए और राजस्थान सरकार को जो

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

धनराशि इसके लिए चाहिए वह देनी चाहिए। यह धनराशि राजस्थान की योजना का पार्ट हो या अबव दी सीलिंग हो—इसका फैसला नहीं हुआ है। ज्यादा एम्फेसिस तो उनका इस बात पर है कि यह योजना राजस्थान के पास रहती है तो उसके लिए रुपये की व्यवस्था हो और वह प्लान सीलिंग के अन्दर रहनी चाहिए। एक मत तो यह चल रहा है। दूसरा मत जिनका है वह इस बात को अभी तक विचार रहे हैं कि यदि राजस्थान कैनाल को लेते हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर कई दूसरी योजनाएं हैं जो इसके बराबर हैं या छोटी हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा। यदि राजस्थान कैनाल को लेते हैं तो उन योजनाओं पर भी सोचने की गुंजाइश है। इस तरह का प्रश्न उनके सामने है और यह काफी बड़ा प्रश्न उनके सामने हैं। इसलिए वह कोई आसानी से निर्णय नहीं कर पाये हैं। इसलिए ही मैंने अपने उत्तर में कहा है कि इस प्रायोरिटी का फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वर्ष के बजट में राजस्थान नहर परियोजना के लिए जो फाइनल एलोकेशन है, उसके लिए यह माना जाय कि वह राजस्थान प्लान आउट-ले के अन्तर्गत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, इस साल का जो प्रोविजन है वह केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में किया है। जो चालू साल है उसके अन्दर ४ करोड़ और कुछ रुपया तो कन्स्ट्रक्शन साइड में दिया है और करीब डेढ़ करोड़ रुपया उन्होंने कालोनाइजेशन साइड में दिया है। इसके अलावा उनकी तरफ से हमारे पास इजाजत है कि कन्स्ट्रक्शन में और पैसा खर्च होगा या कालोनाइजेशन के अन्दर और पैसा खर्च होगा और यदि अभी जो मिला है वह जल्दी खर्च कर देंगे तो वह और दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्रीय बजट में प्रावधान रखा गया है.... ...

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल के लिए।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सरकार को जो धनराशि स्वीकृत की गई है वह अपने प्लान सीलिंग के अन्तर्गत हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल की प्लान सीलिंग के अन्तर्गत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस योजना के कन्स्ट्रक्शन का सैकिण्ड फेज पोस्टपोन करने के बारे में जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उनका आपने प्रतिवाद क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि मुझे पत्रों में समाचारों का प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत साफ तौर से इस सदन के माननीय सदस्यों को समझा दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि सदन यह मानकर चले कि इस योजना के कन्स्ट्रक्शन का जो सैकिण्ड फेज का प्रोग्राम है उसको पोस्ट पोन करने का कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने नहीं लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं योजना के सैकिण्ड फेज प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो पूछ रहे हैं उसका ही जवाब दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि कुंवरसेन, जिन्होंने राजस्थान कैनाल की ओरिजिनल योजना बनाई थी—मैं अपने प्रश्न पर सप्लीमेन्टरी पूछ रहा हूं—उसमें उन्होंने सजेशन दिया था, वह योजना में केवल वैसे ही पोइन्ट आउट नहीं किया है बल्कि वह राइटिंग में मौजूद है—मैं एक कान्क्रीट प्रश्न पूछ रहा हूं, कि पहले ४०० मील की रेल्वे लाइन बना ली जाय, रेलवे रोड बना ली जाय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने प्रश्न पूछा है वह हां या ना कह दें।

श्री अध्यक्ष : आप गंग कैनाल के बारे में १९२६ से शुरु करते है और राजस्थान कैनाल का कुंवरसेन से शुरु करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह कहना चाहता हूं कि उस योजना को फ्रस्ट्रेट कर दिया है और उसी कारण से नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न नहीं, आपका आब्जर्वेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने ना कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा जो प्रश्न है, उसी पर प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का मन्त्री महोदय उत्तर दे चुके हैं। फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो प्रश्न का उत्तर था वह मैंने दे दिया है। अब मैं आपकी बात को मान ही लूं यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) प्रश्न संख्या १६५।

गृह मन्त्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सन १९६४ में सन १९६३ की अपेक्षा ३१ प्रतिशत की कमी....

श्री अध्यक्ष : (श्री उमरावसिंह ढावरिया के प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर) आचार्य जी, आप ठहर जायं।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : यह बताने की कृपा करें कि सैकिण्ड फेज का काम बन्द करने के बारे में या स्थगित करने के बारे में राज्य के मुख्य मंत्री जी ने अपना कोई स्टेटमेंट दिया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह झूठे हैं, वह गलत बयानहै।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : और उन्होंने योजना आयोग को इसके बारे में कहा है कि

Page No.24

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सैकिण्ड फेज का काम बन्द कर दिया जाय, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न २, ३ दफा पूछा जा चुका है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस तरह का उत्तर अखबारों में आया है, क्या वह सही नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रश्न का उत्तर मैं, २ दफा, ३ दफा, ४ दफा दे चुका हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय एक इतना बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मुख्य मंत्रीजी का यह बयान अखबारों में छपा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है. यह मुख्य मन्त्री के नाम से छपा है, कि राजस्थान केनाल के कन्स्ट्रक्शन का सेकिण्ड फेज पोस्टपोन कर दिया जाय। ऐसा समाचार एक में नहीं, पचासों अखबारों में निकला है, लोकल अखबारों में निकला है और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े बड़े अखबारों में निकला है, मुख्य मंत्रीजी के हवाले से निकला है। अखबारों में इसके ऊपर एडीटोरियल आये हैं और अखबारों में कमेंट भी आये हैं और जो भी अखबारों में आ सकता है वह आया है; लेकिन फिर भी राजस्थान गवर्नमेंट ने उसका प्रतिवाद नहीं किया है। इस बात की तो खुशी है कि कृषि मंत्रीजी दूसरे मंत्री निकले हैं, पहले तो राजस्व मंत्री ने कहा था और अब आपने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी झूठे हैं, वह समाचार सही नहीं है। इस बात की तो खुशी है कि दो मंत्रियों ने सुखाड़ियाजी को झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन अखबारों में जिस तरह छपा है उसका प्रतिवाद तो राज्य सरकार को करना चाहिए था।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी को झूठा कहना आपको शोभा नहीं देता है। अगर आप ५० बार भी इस बात को दोहरायें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने उन समाचारों का कान्ट्रेडिक्शन क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान केनाल कमेटी डाइरेक्शन के सदस्यों, जिसमें मुख्य मंत्रीजी और मैं भी था, द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिये गये उसका विवरण मैंने, जब आप गैरहाजिर थे, सदन के सामने रखा। इसलिये सुखाड़ियाजी और मैं दोनों एक जगह बैठे—उस समय यह बैठ कर फैसला हुआ उसके बाद में कोई इस तरह का सुखाड़ियाजी ने स्टेटमेंट दिया कि इस योजना का सेकिण्ड फेज रोक दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है—इसे मैं नहीं मान सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एक अखबार में नहीं पचासों अखबारों में छपा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि इस तरह की कोई बात हुई है। आपको इसमें इन्ट्रेस्ट आता है, आपको

Page No.25

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसमें रुचि है कि यह बात कहें कि उन्होंने झूठ बोला तो इससे यह बात कोई सत्य सिद्ध नहीं हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह एक बार नहीं ५० बार कहें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह समाचार एक में नहीं पचासों अखबारों में छपा है तो क्या यह मानकर चलते हैं कि समाचार–पत्र गलत समाचार छापते हैं, उनके समाचारों को झूठा माना जाय ? अगर वह गलत थे तो आपने कान्ट्रेडिक्शन क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब यहां पर भी तो वह गलतफहमी हो सकती है। मैंने सारी बातें कह दी हैं उसके बाद में भी आप और योगेन्द्रनाथ हांडाजी यह कहें कि सुखाड़ियाजी ने झूठ कहा तो मैं क्या करूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब सरकार यह मानती है कि इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई तो वह उसका कान्ट्रेडिक्शन क्यों नहीं करती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गलतफहमी को ठीक करने के लिये ही तो मैंने यहां सारी बातें कहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह इतने बड़े प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में इतनी बड़ी गलत फहमी पैदा हो जाय, इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में इतने एप्रीहेंशन पैदा हो जायं सारे देश के अन्दर....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी समझ में न आ पाए तो मैं क्या करूं !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; और जिसके बारे में अखबारों में एडीटोरियल छप जांय और फिर भी आप उसका कान्ट्रेडिक्शन न करें।

(१२ मध्याह्न)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने विधान-सभा से कह दिया है और यह राजस्थान की जनता की तमाम गलतफहमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने अब तक कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों नहीं किया ? आखिर आप राज्य चलाते हैं आपको कॉन्ट्रेडिक्शन करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : Next.

पुलिस थाना सांचोर में काम की अधिकता

१६५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)] : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना सांचोर, जिला जालौर का काइम वर्क पिछले तीन सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है ? अगर हां, तो कितना प्रतिशत ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त थाने का काइम वर्क इतना बढ़ने पर भी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

थाने का स्टाफ अभी तक पहले के स्ट्रेन्थ के अनुसार ही है ? अगर हां, तो क्या क्राइम वर्क के शीघ्र डिस्पोजल के लिए सरकार इस थाने का स्टाफ बढ़ाना आवश्यक नहीं समझती ?

(३) क्या पुलिस थाने में स्टाफ रखने का स्तर सरकार द्वारा बहुत बर्षों पहिले निर्धारित किया गया था ? अगर हां, तो कितने वर्ष पूर्व था ? क्या सरकार वर्तमान हालतों को देखते हुए उस स्तर को बदलने के बारे में विचार कर रही है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मन्त्री (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) सन् १९६४ में सन् १९६३ की अपेक्षा ३१ प्रतिशत की कमी व १९६५ में १९६३ की अपेक्षा २३·५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसी सूरत में बढ़ोत्तरी नहीं कही जा सकती।

(२) क्राइम वर्क इतना बढ़ा नहीं कहा जा सकता जिस कारण से थाना की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती।

(३) सितम्बर १९६५ में ही एक कमेटी द्वारा विचार किया जा कर राजस्थान सरकार पुलिस ने सभी थानों की शक्ति निर्धारित की है और इस शक्ति को पुनः घटाने बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने अभी बताया कि सन् १९६३ की अपेक्षा २३·५ प्रतिशत क्राइम में वृद्धि हुई है। आप यह बतलावें कि सन् ६४ मुकाबले में कितना प्रतिशत क्राइम में इन्क्रीज हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा कि निवेदन किया कि ३१ परसेन्ट की कमी व सन् ६५-६६ में ३ परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि इसको बढोत्तरी नहीं कहा जा सकता। मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां १९ मुकदमें अदम वकुआ और ८ का चालान हुआ है और चार जेर तजवीज हैं। इसलिए ऐसी सूरत में बढोत्तरी नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : सन् ६२ में २८·८ परसेन्ट भी से ज्यादा क्राइम की संख्या थी। वहां पर बोर्डर का इलाका होने के कारण भी वहां पर पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था होना जरूरी है इसलिए वहां पर पुलिस बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिए, आप प्रश्न पूछिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस बढ़ाने से क्या होगा ? जयपुर में पुलिस बहुत ज्यादा है फिर भी लोगों पर अत्याचार होते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य होशियार रहें। आपकी गलतियों पर लाठी चार्ज हो जाएगा।

Page No.27

श्री अध्यक्ष : Next ! Shri Rama Nand ! !

राजऋषि कालेज अलवर का पुस्तकालय-भवन

१६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजऋषि कॉलेज, अलवर में लाइब्रेरी की बिल्डिग बनाने के लिए यूनिवर्सिटी-ग्रान्ट-कमीशन की ओर से ७५,०००) रु० की ग्रान्ट मंजूर हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त लाइब्रेरी की बिल्डिग बनाने के लिए टेन्डर मंजूर हो कर कार्य शुरू हो गया था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूतपूर्व महाराजा अलवर के एतराज उठाने पर राज्य सरकार ने रोकने के आदेश दे दिए हैं जिसके फलस्वरूप निर्माण विभाग ने बिल्डिग का कार्य रुकवा दिया है ?

(४) महाराजा अलवर ने क्या एतराज उठाया है ? क्या यह सही है कि उन्होंने कॉलेज की बिल्डिग को अपनी निजी सम्पत्ति होने का दावा करते हुए वहां किसी प्रकार के परिवर्तन परिवर्द्धन को मना किया है ?

(५) क्या सही है कि राज्य सरकार ने इसी कॉलेज की बिल्डिग में दो नये ब्लाक अपने खर्चे से बनवाये थे ?

(६) क्या यह सही है कि राजऋषि कॉलेज जब से बना है तब से इसी बिल्डिग में चलता आ रहा है ?

(७) राज्य सरकार ने लाइब्रेरी की बिल्डिग बनाने के कार्य को केवल महाराजा के एतराज पर क्यों रोका ? क्या राज्य सरकार इस बिल्डिग के निर्माण के लिए तुरन्त आदेश जारी करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जी हां, राजऋषि कॉलेज की लाइब्रेरी की बिल्डिग के लिए यूनिवर्सिटी–ग्रान्ट्स-कमीशन ने १, १४,०००) रु० की ग्रान्ट मंजूर की है। इसका १।३ हिस्सा स्टेट सरकार को खर्च करना है।

(२) जी हाँ, यह सही है कि लाइब्रेरी की बिल्डिग के टेन्डर मंजूर होकर कार्य पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने शुरू कर दिया था।

(३) जी हां।

(४) महाराजा अलवर ने कॉलेज बिल्डिग को अपनी निजी सम्पत्ति बतलाया है तथा सरकार को ८० सी. पी. सी. में नोटिस भी दिया है तथा वहां किसी प्रकार का (एडीशन एण्ड ऑलट्रेशन) के लिए मना है।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां, क्योंकि बिल्डिग बनाने का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार रोका गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जब राज्यों का इन्टीग्रेशन हुआ और यह बाग और बिल्डिग जिसमें कॉलेज स्थित है इस बिना पर ही यह महाराजा की पर्सनल प्रोपर्टी घोषित किया गया कि उन्होंने यह एग्री किया था कि जब तक कॉलेज के रूप में इसका इस्तेमाल होगा वे इसको पर्सनल यूज के लिये काम में लेने के लिये इनसिस्ट नहीं करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह इन्वेन्ट्री में शर्त थी कि वह नहीं होगा मगर मैदान और बगीचा है वह महाराजा के अधिकार में होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब कॉलेज बिल्डिग में रहेगी तो जैसे जैसे लड़के बढ़ेंगे तो उसकी आवश्यकता के अनुसार बिल्डिग में आल्ट्रेशन और एडीशन्स होना जरूरी है तो क्या सरकार यह नहीं मानती कि यह जो एश्योरेन्स दिया गया है कॉन्सीक्वेंशनल है कि इस बिल्डिग की कॉलेज के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई कॉन्सीक्वेंशनल नीड्स भी शामिल हैं। सरकार ने इस कार्य को नोटिस आने के बाद बन्द क्यों किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब तक इसमें दो लाख का कन्स्ट्रक्शन हो चुका है और कभी भी उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई। जब लाइब्रेरी का कन्स्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने यह आपत्ति उठाई। यह मामला गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को रेफर किया गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस संबन्ध में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछें तो अच्छा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो ब्लॉक और बढ़ाये गये उसमें उनकी चुप्पी रही तो इससे साफ जाहिर है कि उनकी कॉन्सेन्ट थी। अब यह इम्पलीकेशन केवल उनके सेक्शन ८० को नोटिस देने पर आपने काम बन्द करवा दिया और काम जारी नहीं रखा और ग्रान्ट लेप्स हो जावेगी। मैं इसलिये यह कहूंगा कि यह राजस्थान में सबसे बड़ा कॉलेज है और ग्रान्ट लेप्स हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी इसलिए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उनसे बातचीत करके जैसी उनकी नीति है और बातचीत करते रहते हैं, करते रहें लेकिन जब तक अदालत से कोई स्टेट नहीं मिले तब तक बिल्डिंग को न रोकें और जब तक अदालत से स्टे आएगा तब तक बिल्डिंग पूरी बन जावेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह लॉ डिपार्टमेन्ट से कन्सलट कर लिया गया है और उसके बाद ही यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को लिखा गया है। लिटिगेशन को रोकना ही उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसको ले लिया जावे।

शाहबाद के किले का बारूद

१६७. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा): क्या मन्त्री, सामान्य प्रशासन यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद, जिला कोटा के किले का बारूद किले की बावड़ी में डलवा दिया गया है ?

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

(२) यदि हाँ, तो कब और क्यों ?

(३) बारूद कितना था जो पानी में डाला गया ?

(४) क्या इससे पहले भी किसी ने खरीदने की बात की थी ?

(५) यदि हाँ, तो कब और किसने ?

सामान्य प्रशासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) बारूद दिनांक ८.१.६४ से १२.१.६४ तक बावड़ी में डाला गया क्योंकि वह इस्तेमाल के योग्य नहीं था और न इस बारूद को कोई खरीदनेवाला ही उपलब्ध था।

(३) करीब १००० मन।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि यह जो बारूद बावड़ी में डाला गया वह कुछ हिस्सा ही बावड़ी में डाला गया और बाकी का बारूद चोर बाजार से बाहर निकाल दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : ८.१.६४से १२.१.६४ तक यह बारूद बावड़ी में डाला गया। जिस समय यह बारूद बावड़ी में डाला गया उस समय वहां पर तीन ऑफिसर्स उपस्थित थे और उसको डेस्ट्रोय करावें। इन्सपेक्टर इण्डियन एक्सप्लोशन को भी कोटा के डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था कि वे वहां पर रहें। इन्सपेक्टर ऑफ सेन्ट्रल सर्कल ग्वालियर भी वहां मौजूद थे। इसलिए यह कहना कि वह बेच दिया गया उचित नहीं है।

श्री हरि प्रसाद : क्या यह सही है कि बम्बई की एक फर्म इस बारूद को लेने के लिए तैयार थी और उसे नहीं दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : उसको बार बार लिखा गया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री हरि प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो बारूद जमीन पर बिखरा हुआ रह गया था उधर से चार व्यक्ति तम्बाखू पीकर चिलम झाड़ने से चिनगारी के कारण बारूद जल गया और वे खत्म हो गये। इसलिये वह बारूद खराब नहीं था और उसको चोर बाजारी से बाहर भेज दिया गया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि जो बारूद का हिस्सा मिट्टी में बच गया था उससे ३,४ आदमी बैठे चिलम पी रहे थे और चिलम झाड़ रहे थे उससे बारूद में आग लग गई और आदमी मर गये और बाकी के घायल हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जनवरी १९६२ में इंसपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, सेंट्रल सर्कल ने बारूद को देखा, जिन सेल्स में बारूद पड़ा था उनको शाहबाद के एस० डी० ओ० के रू-बरू तुड़वाया गया। इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स ने जो कि एक टेक्निकल आदमी था उसने यह राय दी कि यह बारूद पार्टली सर्विसेबल है और पार्टली खराब हो गया है, उसकी केक बन गई थीं, ढगले बन गये थे इसलिए इन्सपेक्टर ने राय दी कि इसको बेचना या दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना खतरनाक होगा इसलिए इस बारूद को डेस्ट्रोय करा दिया जाय। टेक्निकल आदमी की इस तरह की राय आती है तो एक्ट के अन्दर सरकार को पॉवर्स हैं कि उसको डेस्ट्रोय करा दिया जाय। ८-१-६४ से

Page No.30

(श्री परसराम मदेरणा)

१२–१–६४ तक उसको डेस्ट्रोय कराया गया। १८ तारीख को जो गवर्नमेंट को इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट भेजी है कि बारूद को डेस्ट्रोय कर दिया गया है और इसे डेस्ट्रोय करने में डिस्ट्रिक्ट ग्रॉथेरिटीज ने मुझे पूरी तरह से सहायता दी, लेबर वगैरह उपलब्ध कराया, दूसरी हर प्रकार की सहायता इसको डेस्ट्रोय करने में दी है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और मेरे सामने उस सारे बारूद को डेस्ट्रोय कर दिया गया है। २६–१–६४ को वहां ५ साधु गये हुए थे, कुए में डालते वक्त शायद कुछ बारूद बाहर बिखर गया था, हालांकि गनी बैग्स का इन्तजाम किया था, बाहर नहीं फेंका था फिर भी कुछ बाहर बिखर गया। उन साधुओं ने चिलम पीकर नीचे आग डाली तो जो बारूद बिखर गया होगा वह भड़क गया और ५ साधुओं में से एक की डैथ हो गई वह जल गया। बाद में इन्सपेक्टर को लिखा गया तो उसने कहा कि यह नहीं हो सकता कि बारूद बाहर रह गई हो, मैंने खुद ने कुए में डलवाया है और मैंने खुद ने देखा है, हो सकता है कि थोड़ी बाहर बिखर गई हो। फिर भी वहां तीन–चार चौकीदार महीनों रखे गये। जहां स्टोर था उसको धुलवाया गया, दरवाजों के प्लास्टर करवाया गया ताकि आयन्दा ऐसी वारदात नहीं हो।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : इससे यह स्पष्ट तौर पर निश्चित है कि वह बारूद बेकार नहीं था। उस बारूद की मामूली सी परत नीचे बिखरी रह गई, आग गिरते ही वह बारूद भभक उठा और उससे आदमी मरे हैं तो जिस समय यह बताया गया कि यह बारूद बेकार है उस समय स्टेट गवर्नमेंट के कितने आदमी वहां मौजूद थे और वे कौन कौन थे ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसकी एक जांच करवाई है, कलेक्टर ने उस जांच की रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट मेरे पास मौजूद नहीं है पर उस जांच रिपोर्ट का सारांश कलेक्टर की रिपोर्ट में है, न होम डिपार्टमेंट की फाइल में है न जी०ए० डी० की फाइल में है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि डेस्ट्रोय करते समय कुछ बाहर बिखरा रह जाने से ही आग लगी है। डिटेल्ड रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है पर यह तथ्य जरूर है कि आग लग गई।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कोई खरीददार नहीं आया और माननीय हरिप्रसादजी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमने लिखा पर उनका कोई जवाब नहीं आया, तो कौनसी बात सही है ? आपने किसको लिखा ?

श्री परसराम मदेरणा : इसको डेस्ट्रोय करने से पहले एक इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को बुलाया था। इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स की रिपोर्ट यह थी कि इस बारूद का कुछ पार्ट सर्विसेबल है इस पर गवर्नमेंट को कलेक्टर को चिट्ठी लिखी थी कि कुछ पार्ट सर्विसेबल हैं इसे बेचा जाय तो बोम्बे की एक कम्पनी को चिट्ठी लिखी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या नाम है उस फर्म का ?

श्री परसराम मदेरणा : मेसर्स के० एल० वाड़ी० एण्ड कम्पनी, वे गन पाउडर से ब्लास्टिक के कान्ट्रेक्टर हैं, उनको चिट्ठी दी........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक को ही क्यों चिट्ठी लिखी, सरकार ने सारे फर्म्स को लेटर क्यों नहीं डाला जो कि एक्सप्लोजिव्स में काम करती हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप समझते हैं कि इसमें कोई घोटाला हो गया है, कोई घोटाला नहीं हुआ, यह गन पाउडर है कोई मजाक नहीं है, आप कुछ भी कहें, जो इन्सपेक्टर ऑफ एक्स्प्लोजिव्स राय देंगे वह मानेंगे । इसके बाद मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कोटा को लिखा क्लेक्टर ने उस फर्म से संपर्क स्थापित किया, राणा प्रताप सागर डेम में गन पाउडर देते थे, उन्होंने कहा कि इसको कहीं ट्रान्सपोर्ट करने में कोई सेफ्टी नहीं है । तो इस प्रकार एक ने मना कर दिया और दूसरे ने कोई जवाब ही नहीं दिया हालांकि उसको कई बार लिखा गया । पार्टली सर्विसेबल और पार्टली अनसर्विसेबल लिखा था तो इन्सपेक्टर एक्स्प्लोजिव्स ने कहा कि इसको दूसरी जगह ट्रान्सपोर्ट करना असम्भव है इसलिये इसको डेस्ट्रोय कराया जाय इसलिये उसको डेस्ट्रोय कराया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस किले में यह बारूद रखा था, वहां से वह कुआ कितनी दूरी पर है जिसमें कि यह बारूद डाला गया ?

श्री **परसराम मदेरणा** : दो फर्लांग ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब उस को दो फर्लांग ट्रान्सपोर्ट कर सकते हैं, १ हजार मन बारूद को खोद खोद कर गनी बैग्स में भर भर कर दो फर्लांग पर ट्रान्सपोर्ट कर सकते हैं, जो उसकी केक बन गई थीं, उनको खोद खोद कर बोरियों में भर के कुए तक, दो फर्लांग ट्रान्सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर उसको दूसरी जगह ट्रान्सपोर्ट करने में क्या दिक्कत हो सकती है, दो फर्लांग ट्रान्सपोर्ट करो या १०० मील पर ट्रान्सपोर्ट करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है । दूसरे यह कि कुए में डालने के बाद इस बात के प्रिकाशन्स लिये क्या कि दो घंटे बाद ही कोई निकाल कर नहीं ले जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्सपेक्टर की यह राय थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्सपेक्टर को कुए में जाने दो....

श्री परसराम मदेरणा : कुए में कैसे जाने दें, इन्सपेक्टर ने कहा कि इसको ट्रान्सपोर्ट करना खतरनाक है....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कौन था इन्सपेक्टर ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरा चाचा का बेटा भाई नहीं था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका नाम बताइये, ६२ में इमेर्जेन्सी लागू हो गई ६४ में जो एक हजार मन बारूद किले में भरा हुआ था उस को खोद कर दो फर्लांग दूरी पर जो कुआ था उसमें डलवा कर डेस्ट्रोय करा दिया, उसको बिकवाने का प्रबन्ध नहीं करते, अगर बम्बई की फर्म ने जवाब

Page No.32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं दिया तो किसी सरकारी अधिकारी को वहां भेज सकते थे, दूसरी फर्म्स से कान्टेक्ट कर सकते थे, बारूद तो बहुत काम की चीज है, डिफेन्स मिनिस्टरी को लिख सकते थे। पर यह सब कुछ आपने नहीं किया एक इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर उसे डेस्ट्रोय करवा दिया, हो सकता है कि वह पाकिस्तानी एजेंट हो, इसलिए आप उसका नाम बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : नाम का पता नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या यह सही है कि वह पाकिस्तान चला गया ?

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैं कहता हूँ कि कुए में से निकलाकर बेच दिया और पाकिस्तान भाग गया।

श्री रामानंद अग्रवाल : इन्सपेक्टर महोदय पाकिस्तान चले गये तब तो यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट फैक्ट बन जाता है कि वह इन्सपेक्टर कौन था। कहीं वह पाक स्पाइ बन कर तो गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना गया ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला है। किले को देखने के लिये लोग जाते थे वहां सख्त मनाई थी माचिस ले जाने की। राजस्थान सरकार बनी तब भी लोग देखने जाते थे। कौनसी पार्टी इन्ट्रेस्टेड थी, कौनसी नहीं थी, यह सरकार के पास है, चाहे सरकार नहीं बताये। पर वह बारूद बेकार नहीं था जिस बावडी में डालने का कहते हैं वह बावडी मेरी आंखों देखी हुई है, वह किले से दो फर्लांग से ज्यादा है। जो बारूद बिखरा रह गया, उसमें आग की चिनगारी लगते ही आग लग गई और आदमी मर गये। इससे साबित है कि यह बारूद बेकार नहीं था। असमाजवादी तत्वों ने इसे बेकार बता कर कुए में डलवा दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डूब मरो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Who was this Inspector ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्सपेक्टर का नाम है आई० एस० जालानी। ओरिजनल चिट्ठी इस प्रकार हैं:-

"The department (the Department of Explosives, Central circle) is of the opinion that the handling of gun powder which is not serviceable and which is not properly stored should not be allowed to endanger the life and property."

अब उनकी राय पर इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। अब कहना कि इमर्जेन्सी थी इसलिए पाऊडर की जरूरत थी, रक्षा मन्त्रालय से पूछना चाहिए था। उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय थी कि इसको डेस्ट्राय करना चाहिए। इन्सपेक्टर ने कहा है कि मेरे सामने डेस्ट्राय हुआ है। लेकिन

Page No.33

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं यह मानता हूं कि जो बिखर कर बाहर रह गया उसको नाश करवाना चाहिए था। बाकी यह कहना कि वह पाकिस्तानी तत्व था, उसने गलत रूप से सरकार को राय दी है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : आधुनिक विज्ञान में जब आप खानों को डिफ्यूज कर सकते हैं, बम्ब्स को डिफ्यूज कर सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह गन पाउडर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या आपत्ति थी ? मन्त्री महोदय ने बताया कि पुराना गन-पाउडर था। पुराना बारूद समय से खराब नहीं होता, अगर अच्छी जगह पर रखा जाय तो ५०० साल तक भी पुराना नही होता। संभवत: केक्स की शक्ल में हो गया। मन्त्री महोदय ने लंगड़ा बहाना देकर कहा कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सरकार को सलाह दी कि यह डेस्ट्राय कर दिया जाए। मेरे ख्याल में यह संतोषजनक जवाब नहीं है। इसमें सरकार का नुकसान अवश्य हुआ है। बाकी स्पाइंग जो कुछ हुआ है, वह मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे खयाल से अगर यह रिपोर्ट सरकार के पास आई और सरकार ने इस पर कदम उठाए बिना पर्याप्त रूप से जांच किए, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की कार्यवाही में कमी है। मेरा निश्चित ख्याल है कि बारूद खराब नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार ने बारूद को बेचने के बारे में जो व्यवस्था नहीं की और जो उत्तर मन्त्री महोदय के द्वारा दिए गए हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इन्स-पेक्टर इस समय कहां है ? क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह पाकिस्तान चला गया है।

श्री अध्यक्ष : वह राज्य सरकार का अधिकृत जवाब नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मन्त्री महोदय, क्या यह बतायेंगे कि एक हजार मन बारूद की कीमत क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि हर स्टेज पर उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय ली और जो काम हुआ है सब भारत सरकार के इन्सपेक्टर्स की राय से। भारत सरकार का उस पर नियन्त्रण है राज्य सरकार चाहती तो सम्भवत: नहीं कर सकती। हर स्टेज हर उन्होंने सलाह की है। माननीय सदस्य यह बताएं कि राज्य सरकार की क्या लापरवाही रही। अगर उन्होंने नीलाम करने की भी कोशिश की....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : राज्य सरकार को अगर डिस्पोज ऑफ करना था तो टेण्डर इन्वाइट करने चाहिए थे। अखबारों में पब्लीसाइज करना चाहिए था। बम्बई की एक फर्म ने ऑफर किया था, जवाब नहीं आया जैसे मन्त्री महोदय ने कहा है, तो राज्य सरकार के किसी अधिकारी को बम्बई भेजना चाहिए था, वह उस फर्म से कॉन्टेक्ट करता और दूसरी फर्म्स से भी कॉन्टेन्ट किया जा सकता था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उस समय राज्य सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी था यह देखने के लिए कि जब तक यह बारूद पानी के अन्दर घुलकर गल न जाय, तब तक वह वहां से न हटें ? अगर किसी को नियुक्त किया गया था तो कौन था ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है कि मेरे सामने डाल दिया गया और डिस्पोज ऑफ किया गया। कृपया इस मसले को और ज्यादा एक्स्लोजिव न बनाए ।

श्री गोकुलचंद : मेरा प्रश्न नं० १७० है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने भी बूंदी के बारे में....

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा निवृत्ति की आयु

१६४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मन्त्री, नियुक्ति विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से रिटायरमेंट की आयु ५८ वर्ष से ५५ वर्ष करने की बात सोचती है, ताकि उससे प्रशासन के खर्चे में कमी की जा सके और नये लोगों को काम करने का मौका मिल सके ?

(२) क्या राज्य सरकार ने नौकरी की अवधि को ३० से २५ वर्ष करने पर विचार किया है, ताकि मितव्ययता, कटौती में आये सरप्लस स्टाफ को सरकारी नौकरी में लिया जा सके ?

उत्तर

(१) रिटायरमेंट की उम्र ५८ वर्ष से कमी कर ५५ वर्ष करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(२) इस समय राज्य कर्मचारी ३० वर्ष की सेवा के पश्चात् स्वेच्छा से रिटायर हो सकता है। राज्य सरकार ने नौकरी की अवधि को ३० वर्ष से २५ वर्ष करने का विचार नहीं किया है। परन्तु सरप्लस कर्मचारियों को २५ वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होने के लिए विकल्प देने का प्रश्न विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बांध बनाने की योजना

२६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गुड़ली से कुरावड़ (तहसील गिरवा) की ओर जाने वाले नाले उडा या वेला पर कोई बांध बनाने के लिए सरकार की ओर से सर्वे किया गया था और कुछ रकम भी मन्जूर हुई थी ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में अब क्या योजना है ?

उत्तर

जी नहीं।

Page No.35

ग्राम पीला में बम्बोरा के पास बांध बनाने के लिए सर्वे

३०. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा)—क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार गिरवा तहसील में बम्बोरा के पास ग्राम पीला में कोई बांध बनवाने के लिए सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(२) यह बांध कितनी कीमत का तथा कितना बड़ा होगा और उससे कितनी सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(१) बांध स्थल की सर्वे पहले ही की जा चुकी है।

(२) यदि बनाया जाता तो बांध की लागत लगभग २६८०००) रुपये होती एवं इसकी क्षमता करीब ७१ मि० प० फुट होती और उससे प्रतिवर्ष लगभग ६५० एकड़ सिचाई संभव हो सकती।

खानपुर उच्च विद्यालय के लिए भवन की व्यवस्था

३१. **श्री प्रभुलाल सैटर** (खानपुर):—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या खानपुर उच्च विद्यालय के लिए भवन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

खानपुर उच्च विद्यालय में भवन पर्याप्त नहीं है। इसे डबल सिफ्ट में चलाया जा रहा है ऐसी सूरत में कमी प्रतीत नहीं होती।

एस० टी० सी० ट्रेनिंग में अनुसूचित जाति के छात्र

३२. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु०):— क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिला की गोनेर, एस० टी० सी० ट्रेनिंग में सन् ६३-६४ में कितने छात्र ट्रेनिंग के लिए दर्ज रजिस्टर किये गये थे और उनमें से अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र थे ?

(२) उपरोक्त ट्रेनिंग में प्रथम तथा द्वितीय डिवीजन में पास होने वाले कुल कितने छात्र थे और उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने थे ?

(३) क्या यह सही है कि एस०.टी० सी० द्वितीय डिवीजन में पास करने वालों को सर्विस न देकर तृतीय डिवीजन पास करने वालों को अध्यापक बनाया गया है ?

उत्तर

(१) जिला जयपुर की गोनेर एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल में सन् १९६३-६४ में १२९ छात्र प्रविष्ट हुए। उनमें से ७ छात्र अनुसूचित जाति के थे।

(२) एस० टी० सी० ट्रेनिंग में दो प्रकार के डिवीजन होते है यानी सैद्धान्तिक व प्रायोगिक शिक्षण में अलग अलग डिवीजन दिये जाते हैं। सन् १९६३-६४ में परीक्षाफल निम्न प्रकार था।

सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	सफल छात्र संख्या
तृतीय	तृतीय	४१
तृतीय	द्वितीय	६२
द्वितीय	द्वितीय	६
द्वितीय	प्रथम	२
तृतीय	प्रथम	१
द्वितीय	तृतीय	१

उत्तर

(३) यह कहना सही नहीं है कि द्वितीय डिवीजन पास करने वालों को नौकरी न देकर तृतीय डिवीजन वालों को ही अध्यापक बनाया गया है।

तहसील पीपल्दा के प्राईमरी स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तन

३३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) :—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में किस ग्राम में प्राइमरी स्कूलों को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि नीमोला ग्राम के लोगों ने व सरपन्च ने वहां की प्राइमरी स्कूल को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने की मांग की थी ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार के नियमों के अनुरूप वहां पर कमरे व छात्र मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्राइमरी स्कूल को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील पीपल्दा, पंचायत समिति इटावा में इस वर्ष किसी भी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में प्रोन्नत नहीं किया गया।

(२) जिला निरीक्षक से मांगे गये प्रस्तावों में प्राथमिक शाला नीमोला भी सम्मिलित थी जिसे जिला परिषद ने प्राथमिकता में चौथे नम्बर पर रखा था।

(३) इस शाला में कमरों की संख्या १० बताई गई है व २ कमरे जनता बनवाने के लिये तैयार हैं परन्तु कक्षा ६ की अनुमानित छात्र संख्या केवल १६ बताई गई है जबकि मानदंड के अनुसार कम से कम २५ होनी चाहिये। अतः नहीं खुली।

(१२.२८ म. प.)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और स्थगन प्रस्तावों के सम्बंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और स्थगन प्रस्तावों के द्वारा कई प्रश्नों के बारे में जानकारी चाहते हैं। जिस प्रकार से स्थगन प्रस्तावों की प्रक्रिया है, मैं नहीं चाहता कि उन सब को बिल्कुल खारिज किया जाय या सदन में लाने की मनाही की जाय। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे स्थगन प्रस्ताव दें, उससे पहले उनका क्या विशेष महत्व है, उस बारे में सोच लें और कुछ प्रश्न ऐसे हैं। जिनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है जैसे हाई-कोर्ट की बैंच, प्रवासी राजस्थानियों का प्रश्न है, एक दो हड़तालें चल रही हैं, तो इन सब मामलों पर अगर सब बैठकर ऐसी कोई प्रक्रिया निकालें कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण हैं तो वे उनमें से चुनकर सदन के समक्ष रखे जायं, तो माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा और सदन के समक्ष भी मसले उसी तरह के आएंगे जो आने चाहिए। इसलिए स्थगन प्रस्तावों की जो सूचना आज तक दी है, एक आध में तो

(श्री अध्यक्ष)

भूख हड़ताल के बारे में है अनुपगढ़ में, उस पर श्री हांडा बोलेंगे। उसके अलावा किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करेंगे और इस बारे में बैठकर विचार विमर्श करें। २, ४, ५,६ जिनको भी आप समझते हैं कि सदन में उल्लेख होना चाहिये, उनको किसी न किसी समय ऐडजस्ट कर सकते हैं। अगर माननीय सदस्यों को यह स्वीकार है तो भविष्य में जब प्रस्तावों की सूचना दें तो ऐसे दें जो सार्वजनिक महत्व के हों, नहीं तो चयन करना मुश्किल होगा। रोजाना एक-दो या ज्यादा स्थगन प्रस्ताव आ सकते है, वे ध्याना कर्षण प्रस्ताव के अलावा दे सकते हैं तो माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत यह आती है कि मेरा अनुभव है कि जब काल एटेन्शन नोटिस या टू आवर डिस्कशन के जितने नोटिस देते हैं तो आपका सचिवालय सरकार को भेजता है और सरकार चाहे तो जल्दी जवाब दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कारण से मजबूर होकर एक ही तरीका अख्तियार करना पड़ता है, वह है स्थगन प्रस्ताव। जब तक इस प्रकार का मेथड एडाप्ट नहीं करते तो सरकार नहीं समझती कि उत्तर दिया जाय। मेरा अनुभव है कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया जाय या स्टार्ड क्वेश्चन दिया जाय एक एक महीने तक उनका जवाब नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि सरकार से भी आप कहें कि हमारे काल एटेन्शन नोटिस या जो इस प्रकार के नोटिस हैं, उन तमाम के सरकार जवाब तैयार कर विधान सभा सचिवालय को भेजें। बाद में आप एक्सेप्ट करें या नहीं लेकिन सरकार तो इसी कोशिश में रहती है कि वह लैप्स हो जावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमारा सुझाव है कि स्थगन प्रस्तावों के बारे में हम तय कर सकते हैं कि जिस माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव हो इमिजियेट घटना से संबंधित हो उसको रिफरेंस दें और पहले ही तय कर लें उस सदस्य से जब तक कि ऐसा महत्वपूर्ण सवाल नहीं हो, जिसमें सभी सदस्य बोलना चाहें ऐसे मुद्दे कम हों तो हम इस बात को एग्री हो सकते हैं कि जिस बात का उत्तर आए, उस बारे में संबंधित सदस्य बोल लें और वह मामला वहीं समाप्त कर लें। कुछ स्थगन प्रस्ताव चुन लिए जायं जो ज्यादा महत्व के हैं उन पर सब बोल लें, वरना रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं जिन पर स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता है। कई पर इमिजियेट एक्शन की आवश्यकता होती है। इस तरह उनको छांट कर रेफरेंस करेंगे तो उत्तम रहेगा।

श्री बलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन इसीलिये देते हैं कि कई अर्जेन्ट वर्क्स के लिये ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। यह तो क्वेश्चन ऑवर के बाद पांच मिनट के लिये जिस मिनिस्टर से कन्सर्ड हो वह आपके समक्ष डिस्कस हो जाय। जैसे फेमिन का मसला है यदि इसको जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं किया जावेगा तो उसका भीतर और बाहरी चीजों पर असर पड़ता है। ऐडजोर्नमेन्ट मोशन देने के बाद में हमें यह नहीं मालूम होता है कि डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर कब टाइम दें। जब भी

(श्री दलपतसिंह)

आप सहूलियत समझें ऐसे बर्निग प्रोब्लेम्स आपके समक्ष पांच मिनिट के लिये ही मिनिस्टर के सामने डिस्कस हो जांय तो अच्छा है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसे मैंने सीमाओं के बारे में तीन चार पोइन्ट रखे कि इन बातों पर जानना चाहता हूं लेकिन मैंने १५ तारीख को मोशन दिया और आज तक, २२ तारीख तक, भी उसका कोई जबाव नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : अगर हर एक माननीय सदस्य पूछें कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ तो यह कहना संभव नहीं है । और माननीय सदस्य भी चाहते हैं । इसीलिये सब मिल कर तय कर लें कि हम को अमुक अमुक दो चार मसले इस प्रकार से उठाने हैं तो उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सकता है । आवश्यक प्रश्न रह न जांय इसलिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था निकालने की आवश्यकता है ।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जैसे अल्पकालिक सूचना प्रश्न हैं, इत्यादि के बारे में उसमें सरकार से पूछा जाता है कि कब उत्तर देंगे और जहां तक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है, नियमानुसार एक दिन में एक ही लिया जाना चाहिये लेकिन हम दो-दो ले रहे हैं और सरकार से बिना पूछे ही ले रहे हैं । या तो सरकार उसका उत्तर दे या उत्तर नहीं दिया जाता है तो हम उसको छाप देते है ।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था आपस में मिल कर बना सकेंगे जिससे इसको हम सुचारु रूप से ले सकें और माननीय सदस्यों को भी असंतोष नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक ही लिया जाता है और अकमोडेट करने के लिये दो लिये जा रहे हैं । आप तो सदन की भावना का बहुत ही ध्यान रखते हैं लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं लेती है । मैंने १२ काल अटेन्शन नोटिस दिये । आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है कि जो महत्वपूर्ण न हो । जवाब दें अच्छी तरह से तो उस पर डिस्कशन होकर कार्यवाही हो सके । फरवरी के अन्दर दो दो महीने का सेशन चला । उनके ववश्चन आज तक पड़े हुए हैं, उनका सरकार जवाब नहीं देती रिमाइन्डर पर रिमाइन्डर जाते हैं, फिर भी सरकार उनका जवाब नहीं देती है । उसको मेन्यूपुलेट करती है । कमेटीज और सदन में यही हालत है कि सरकार का जवाब नहीं मिलता इसलिये आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द (रीपलदा) : सदन के अन्दर दो प्रश्न आये । मुझे यह यहां दसवां साल है सदन में पेश हुए, तो वे जरूर पूछे जाते हैं । २० तारीख से ऐसा एक्शन लिया है कि आठवां प्रश्न आया और मेरा दसवां आया तो बस प्रश्न ऑवर समाप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्न नहीं लिये गये । आपका अनुभव है तो थोड़ा बहुत मेरा भी है । माननीय सदस्यों का सहयोग होता तो सारे प्रश्न लिये जाते हैं, स्थगित प्रश्न होते हैं तो भी लिये जाते हैं । जो नहीं लिये जाते

Page No.39

(श्री अध्यक्ष)

हैं उनका उत्तर सरकार से हर स्थिति में आता है और वह माननीय सदस्यों को मिलता है। जो भावनायें उनके द्वारा आप प्रकट करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता हैं। इसलिये मैं आप माननीय सदस्यों से बार बार निवेदन करता रहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि अविकल रूप से निर्धारित कार्यक्रम पूरा हो सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि जो प्रश्न यहां नहीं पूछे जाते उनका उत्तर माननीय सदस्यों को मिल जाता हैं लेकिन उनका उत्तर हमें मिलता हो ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लिखित रुप में वे भेज देते हैं और हम उसको छपवा देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : छपता है तीन महीने बाद।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस सत्र में जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे सामने रह गया है, जो भी महत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन्स हैं उनमें सीमा बांधकर जितने महत्वपूर्ण विषय हैं, पांच छः हों उनके लिये टाइम लिमिट कर दी जावे कि अमुक विषय आधे घंटे से अधिक नहीं चल सकता। पांच सात मिनिट में माननीय मंत्री महोदय जवाब दे दें और विरोधी दल के सदस्य सीमा रखें कि पांच मिनिट प्रत्येक पार्टी ले और उससे अधिक न ले। एडजोर्नमेंट मोशन्स का डिस्पोजल हो जाता है तो कार्य संचालन में काफी सहायता होती है। हां पक्ष और ना पक्ष यदि दिन भर बोल लें फिर भी उसमें मामला प्रेस आउट नहीं किया जा सकता जबकि इस प्रकार की यदि व्यवस्था रखी जाय तो आध घंटे की बहस में ही मामला प्रेस आउट हो जावेगा। काल अटेन्शन नोटिस और एडजोर्नमेंट मोशन्स के डिस्पोजल के सिलसिले में आप जो भी आदेश देंगे वे शिरोधार्य होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ने कहा उसको मैं स्वीकार करता हूं। यह अच्छा सुझाव है कि कुछ न कुछ सीमा बांध दी जाय कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन पर सीमा बांधना संभव न हो। जहां तक सीमा का सम्बन्ध है पिछले सेशन में कितनी सीमा बांधी कि हम विधेयक पास करेंगे लेकिन वह हो नहीं सके। भविष्य में भी मैं आशा करता हूं कि जैसा आपने सहयोग दिया उस प्रकार का सहयोग मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वाधीनता का सच्चा आनन्द आपकी अध्यक्षता में आता है।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यक समझें तो एक नाइट सेशन और फिर बाकी रह जाय तो दूसरा नाइट सेशन बुला लिया जाय और तय किया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि स्थगित प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाय विधायी कार्य के बाद जितने माननीय सदस्य चाहेंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गृह मन्त्रीजी दो मोशन्स का उत्तर देंगे सदन की कार्यवाही खत्म हो उसके पहले उस पर विचार हो सके। पहले ध्यान आक-

(श्री अध्यक्ष)

र्षण प्रस्ताव और उसके पश्चात् विधायी कार्य और फिर मा. गृह मन्त्री राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पर हमला और खंडेला प्रधान की गिरफ्तारी हुई उसके सिलसिले में आज सदन समाप्त हो उसके पहले उत्तर दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं अनूपगढ़ तहसील में ९. ९. ६६ को ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन रखना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : मैं कल काफी इन्तजार कर रहा था। मैं आपसे विचार विनिमय करना चाह रहा था। आप मुझसे मिल लें मैं फिर कल बता दूंगा कि क्या हुआ।

(१२.३९ म. प.)

अनूपगढ़ तहसील में हरिजनों की जमीन

संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ तहसील में तारीख ९. ९. ६६ से महात्मा तोलाराम, महात्मा चोथराम, महात्मा मंगलाराम इत्यादि ने अनूपगढ़ तहसील के समक्ष भूखहड़ताल रख रखी है। ये चारों पुरुषार्थी हैं और जिनको पुरुषार्थी भूमि अलाट हुई थी। इन हरिजनों के साथ काफी अन्याय हुआ है, काफी इनका विक्टिमाईजेशन हुआ है। इनमें से एक हरिजन जिसकी जमीन ६८ (३) जी० बी० में है उसको हंसराज नाम के सेठ ने पुलिस लाकर पुलिस केस बनाकर जबरदस्ती जमीन का पट्टा ले लिया है। वैसे कोई कानून नहीं हैं, न कोलोनाइजेशन एक्ट में, न दूसरे कानून में है कि हरिजन की जमीन कोई दूसरा खरीद सकता है। हरीजन की जमीन हरीजन ही खरीद सकता है। उनके एक फर्जी बे नामा बनवा लिया। यह अनूपगढ़ तहसील की जमीन पर आम घटना है। दस दस साल से जिनका कब्जा है उसको तबदील कर दिया जाता है, अलॉटमेन्ट दूसरे को कर दिया जाता है। उस इलाके में धांधली चलती जा रही है जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न आदेश हुए हैं। एक ही स्थान की जमीन के अलॉटमेन्ट में विभिन्न समयों में राज्य सरकार ने विभिन्न आदेश दिये हैं। इससे ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां रहने वालों को और एक्स सोल्जरों को मुर्गों की तरह लड़ाना चाहती है यह सरकार। न तो फौजी किसी तरह से ठीक ठीक अवस्था में है न हरिजन ही हैं। बल्कि हरिजनों को तो जबर्दस्त विक्टिमाइज किया जा रहा है।

ऐसा भी हुआ है कि कुछ फरजी फौजियों के नाम अलॉटमेन्ट कर दिये गये हैं। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचना दी गई कि जब तक एक्स सोल्जर्स स्वयं उपस्थित न हों और अपना ऑफीसियल क्रीडेन्शल प्रस्तुत न करें और अपने एग्जिस्टेन्स के बारे में कनविन्स न कर दें उनके नाम से किसी को जमीन अलॉट न की जावे। ऐसे सैकड़ों केस हो चुके हैं जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फरजी हैं और जिनको जमीनें अलॉट कर दी गई हैं।

कुछ ने पट्टे लेकर फौजियों से मुख्तियारनामा ले लिया है। कुछ ऐसे गरीब फौजी हैं जो लावारिस हैं तो उनको जमीन अलॉट ही नहीं हो सकी है। सरकार की यह नीति बड़ी खतरनाक है। अपनी इस नीति के कारण वह न फौजियों के साथ न्याय कर पाती है, न हरिजनों के साथ और न वहां के रहने वालों के साथ ही न्याय कर पाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की ऐसी पॉलिसी क्यों है।

ये चार हरिजन सरकार के इस तरह के विक्टीमाइजेशन से तंग आकर इस जुल्म के खिलाफ ६–६–६६ को बाकायदा सात दिन का नोटिस देकर अनूपगढ़ तहसील के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं। ग्यारह दिन पहले तक वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। विगत दो चार दिनों की सूचना मुझे नहीं है। मैंने और केदारनाथजी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

हम थाने में भी गये। हमने पुलिस के कर्मचारियों से कहा कि आप इन हरिजनों को थाने में बुलाकर इल्लीगल डिटेन्शन में क्यों लेते हो बिना किसी एफ. आई. आर. के। खुद फार्म पर जाकर एक्टिव होकर डराने धमकाने और इस प्रकार वहां के बड़े बड़े लोगों के जिन्होंने फौजियों के मुख्तियार नामे ले रखे हैं, कहने में क्यों आते हैं।

और भी जमीन इन लोगों ने ले रखी है। हरिजनों की जमीनों पर भी काबिज हैं। ऐसे केस भी हैं कि ७० अस्सी मुरब्बा जमीन पर नाजायज हरिजनों के नाम से कब्जा कर रखा है। इस पर तहसीलदार ने इन्क्वायरी की तो वह कब्जा टूटा। डिप्टी मिनिस्टर चौधरी मनफूलसिंह ने ऑर्डर दे दिये कि इस प्रकार के मामले बन्द कर दिये जावें। मैं और प्रोफेसर केदारनाथजी कलेक्टर से मिले और मेरा खयाल है २५ अगस्त के करीब मिले और अर्ज की उनसे कि आप वहां पर जाकर जांच करें। उन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं परसनली वहां जाकर कैम्प करूंगा और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करूंगा। हमने कहा कि जिस दिन आपका कैम्प अनूपगढ़ में पहुँच जावेगा वे हरिजन भाई हड़ताल समाप्त कर देंगे और आपकी जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे।

पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब यह स्थगन प्रस्ताव १६ तारीख को प्रस्तुत किया गया, १५ तारीख को प्रस्तुत कर दिया था, तब तक कलेक्टर वहां नहीं गये थे। कैम्प नहीं किया था उन्होंने और किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत खराब है, वे हरिजन बहुत निर्बल हैं वैसे ही, पहले से ही गरीब हैं, मैल न्यूट्रीशन के शिकार हैं। इतने दिन तक भूख हड़ताल करना उनको मृत्यु के मुख में धकेलना होगा। इसलिए उनको शीघ्रातिशीघ्र न्याय प्रदान किया जाय। इस सारी विक्टीमाइजेशन की कहानी का इन्वेस्टिगेशन किया जावे और जो इन पिछड़ी जातियों और हरिजन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसकी जांच पड़ताल हो, उसे दूर किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, चार हरिजनों की चिन्तामय स्थिति के सम्बन्ध में, उनकी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में जो कहा गया, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि वह भूख हड़ताल समाप्त हो गई है इसलिए चिन्ताजनक स्थिति भी समाप्त हो गई है। दूसरी बात विक्टीमाइजेशन की कही गई. उसकी मैं जाँच करवा लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस आधार पर भूख हड़ताल समाप्त की है यह ?

श्री अध्यक्ष : भूख हड़ताल समाप्त कब हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रेडियोग्राम आया है। मेरे खयाल से कल हो गई होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी स्थिति थी कि कलेक्टर के वहां कैम्प पर जाने की बात थी और इन्वेस्टिगेट करने की भी बात थी, और यही मुद्दा था। इस बारे में कुछ सूचना है कि नहीं कि कलेक्टर वहां पहुंच गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेडियोग्राम में केवल यही सूचना है कि चिन्ताजनक स्थिति साफ हो गई है।

(१२·४५ म. प.)

कृषि कॉलेज जोबनेर व उदयपुर और वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में हड़ताल संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, एस्योरेन्स कल दिया था।

श्री अध्यक्ष : एस्योरेन्स तो सबके लिए था।

श्री जोधसिंह चौहान : उदयपुर का कृषि कॉलेज बन्द है, बीकानेर का वेटरनरी कॉलेज बन्द है। जोबनेर का कृषि कॉलेज बन्द है। आज विद्यार्थी घर जा चुके हैं। इसके लिए आप मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलावें तो अच्छा है।

जहां दूसरी जगह कॉलेजों में विद्यार्थियों को फर्स्ट क्लास मिलता है, उतने मार्क्स पर यहां नहीं मिलता। राजस्थान वैसे भी टैक्निकल शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। उदयपुर में पांच परसेन्ट मार्क्स पर फर्स्ट डिविजन मिलता है, जब कि पंजाब में ३·७ और यू. पी. में २.५ परसेन्ट पर फर्स्ट क्लास मिल जाता है। इस प्रकार के अन्तर से हमारे यहां के निकले हुए स्नातकों को कहीं दूसरी जगह सर्विस नहीं मिलती। मिलती है तो पंजाब और यू. पी. के मुकाबले में काफी कठिनाई पड़ती है क्योंकि इतना अन्तर रहने से फर्स्ट क्लास यहां के विद्यार्थी बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। तो उदयपुर में इस अमेरिकन सिस्टम के कारण बड़ा असन्तोष है। इससे डिविजन नहीं मिलता।

फिर इनकी फीसें भी बढ़ा दी गई हैं। जहां साल में फीस पहले १२०) रु० थी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वहां यह ट्यूशन फी १४४) रु० कर दी गई है। इसी तरह से दूसरी फीसें जहां १०)रु० थी, १२) रु० कर दी गई, जो दो दो रुपया थी वह चार कर दी गई।

यही नहीं जिनके नम्बर कम आते थे दो साल तक फेल होने पर तब कुछ एक्शन लिया जाता था, पर अब तो एक साल में १·५ नम्बर आ जाते हैं तो निकाल दिये जाते है। इस तरह से एक ही साल में २०० विद्यार्थी कॉलेज से निकाल दिये गये हैं। आज सब जगह हड़ताल है। इसका भार विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। माता-पिताओं पर भी पड़ता है, काफी खर्च करके वे उनको पढ़ाते हैं।

विद्यार्थी डाक्टर महाजनी से मिलने गये, मन्त्री को और उनको अपना ज्ञापन दिया है। शिक्षा मन्त्री को भी दिया है पर अभीतक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वे अपने उप-कुलपति से भी मिलना चाहते थे, पर उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। डेमोक्रेसी में यह ठीक नहीं है। उनको ठीक तरह से उत्तर दिया जाना चाहिये, सन्तोष दिलाया जाना चाहिये। बिना ही उनसे मिले, बिना उनकी बातों को सुने कॉलेज बन्द कर देना न्यायसंगत नहीं है। इसके बारे में सोचा जावे। आज उनका आन्दोलन बिल्कुल शान्त है। कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई खिड़की वगैरहा उन्होंने नहीं तोड़ी। कोई पुलिस से उनकी मुठभेड़ नहीं हुई। कहीं पुलिस नहीं बुलानी पड़ी। शान्ति से दो बार क्लास में नहीं गये।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्व-विद्यालय के कृषि कॉलेज उदयपुर, वैटरनरी कॉलेज बीकानेर, कृषि कालेज जोबनेर में छात्रों ने अभी हड़ताल कर रखी है। १० तारीख को इस विश्वविद्यालय के उन उदयपुर के छात्रों ने वाइस-चान्सलर को और गवर्नमेन्ट को कुछ मांगें प्रस्तुत करते हुए एक नोटिस दिया कि अगर ७ दिन में हमारी इन मांगों का संतोष-जनक उत्तर नही दिया जायगा तो हम स्ट्राइक पर चले जायेंगे। १० तारीख को उन्होंने इस प्रकार का नोटिस दिया। ज्यों ही वाइस-चान्सलर को यह नोटिस मिला उन्होंने यूनिवर्सिटी के डीन साहब और दूसरे लोगों को बुलाकर उसके बारे में उनसे बातचीत की। और उसके दूसरे दिन ही विश्वविद्यालय के उन छात्रों से उन लोगों ने बात शुरू की कि आपने जो यह नोटिस दिया है उसमें मुख्य बात यह थी कि यह जो सेमस्टर सिस्टम ग्रेडिंग का इन्ट्रोड्यूस किया है उसमें हम अमुक प्रकार से चेंज चाहते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कौन सा सिस्टम ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेमस्टर सिस्टम। यह मैं सदन को बताऊंगा कि यह सेमस्टर सिस्टम क्या है। जो लेण्ड ग्राउन्ड कॉलेज एग्रीकल्चर का है जिसको कि हिन्दुस्तान के अन्दर पंजाब के कालेज ने और राजस्थान के विश्वविद्यालय ने एडॉप्ट किया है और जिसको मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में भी रखूंगा कि यह सिस्टम क्या है। उसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उन्होंने जो फीस की बात है वह भी कही और उन्होंने एक होस्टल और बनाने की बात कही और एक बात अमुक जगह से दूसरी जगह जहां इन्जीनियरिंग कॉलेज चलता है वहां तक बस की व्यवस्था करने की बात कही और भी इसके अलावा मांगें थीं यह सब लड़कों ने अपने मेमोरेन्डम में लिखा। वाइस चान्सलर साहब और डीन साहब लड़को से दूसरे दिन इसके बारे में मिले और लड़कों को समझाया कि यह बातें जो आपने कही हैं लड़कों ने मेमोरेन्डम में लिखा था कि जो राजस्थान में सेमस्टर सिस्टम लागू है उसके बजाय पंजाब वाले सेमस्टर सिस्टम को वह ज्यादा पसन्द करते हैं तो उसको लागू किया जाये। तो वाइस चान्सलर साहब ने यह कहा कि पहले जो सिस्टम हमने अपने विश्वविद्यालय में लागू किया है और पंजाब ने अपने विश्वविद्यालय में लागू किया है उन दोनों के डिफरेन्स को आप अच्छी तरह से समझ लें और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के विश्वविद्यालय के एक एक्सपर्ट को जो कि सारे सेमस्टर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं उनको चिट्ठी लिखकर बुला लेता हूं वह आ जायें और आप सारी बातों को समझ लें और अगर आप यह समझते हैं कि पंजाब वाला सिस्टम अच्छा है राजस्थान के सिस्टम से और आप उससे कनविन्स्ड हो जायें तो मैं इसको सोचकर लागू करने की बात को सोच सकता हूँ। विद्यार्थियों को इतना कहने के बाद विद्यार्थी पूरी तरह से संतुष्ट हो कर गये और जो उन्होंने ७ दिन का नोटिस दिया था तो ११ और १२ तारीख को लगातार यह बातें चलती रहीं और १४ तारीख को ही जो उन्होंने पहले ७ दिन का नोटिस दिया था उसके बजाय जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना और कुछ छोटे पैमाने पर ऐसी ही बातों को विद्यार्थियों ने शुरू किया और १७ तारीख को काफी बड़ा जुलूस भी शहर में उन्होंने निकाला जिसमें २०० लड़के थे और दूसरे लड़को को भी उन्होंने अपने साथ जॉइन करने की कोशिश की लेकिन दूसरे प्रकार के लड़कों ने उसके साथ ज्वाइन करने से इन्कार कर दिया और वह इस बात को करने के लिए तैयार नहीं थे.......

श्री जोधसिंह चौहान : यह गलत है। सारे स्कूल और कालेजेज उदयपुर में बंद हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब दे लेने दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद में २० तारीख को उन लड़को ने फिर जुलूस निकाला तो जुलूस निकाल कर वह शहर में गये। और यह देखा गया कि शायद लड़कों की टकराव हो सकती है, लड़के आपस में टकर सकते हैं, स्कूलों में तोड़फोड़ हो सकती है तो एक हाई स्कूल रास्ते में पड़ता है वह भी बन्द हो गया तो इन्सटीट्यूशन वालों ने स्वतः ही उन इन्सटीट्यूशन्स को बन्द कर दिया....

श्री जोधसिंह चौहान : एम० बी० कॉलिज के लड़के गये और दूसरे कॉलेज के गये। माननीय मंत्री महोदय चुपके चुपके कह रहे हैं।

Page No.45

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनिये तो सही ।

श्री नाथूराम मिर्धा : २० तारीख को जब जुलूस बाजार में गया तो वहां पर उन्होने कुछ साइनबोर्डस या इसी प्रकार की चीजें दुकानों के ऊपर से हटाने का काम थोड़ा बहुत किया । इसके बाद में लड़कों को लगातार वाइस चान्सलर साहब की तरफ से यह कहा जाता रहा कि जब हमारी आपसे बातें चल रही हैं और आप हमको ७ दिन का नोटिस देते हैं और उसके बावजूद लगातार जुलूस निकालते हैं और जो मांगें हैं उसके बारे में मैंने कहा है कि इस सेमस्टर सिस्टम के लिए हम विचार करने के लिए तैयार हैं तो फिर यह क्यों ? सेमस्टर सिस्टम यह लेण्ड ग्राउन्ड सिस्टम हमारे यहां जुलाई ६४ से विश्वविद्यालय में लागू हुआ । इस सिस्टम की बुकलेट है जिसमें सारी डिटेल्स हैं । जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जान सकते हैं । क्योंकि मैं लम्बा समय सदन का नहीं लूंगा । लेकिन उस सिस्टम का जो सिद्धान्त है वह इस प्रकार से है कि हमारे पुराने तरीके की जो एग्जामिनेशन पद्धति थी उसमें लड़के साल के दौरान में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़तेकैसे पढ़ते हैं और फिर अन्त में जाकर फेल होते हैं तो उसके बजाय एक लड़का रेगुलर तरीके से काम कर सके उसको व्यवस्था यह है कि एक घन्टा थ्योरी का काम, २ घन्टे प्रेक्टिकल का काम जो विद्यार्थी करेगा उसको 'ए' ग्रेड में माना जाता है और इस तरह से हर रोज या एक या दो महीने बाद उनके जो सब्जेक्ट्स में ग्रेड्स होते हैं उसमें कान्सटेन्टली उनका मार्किंग होता रहता है और ६ महीने के अन्दर उसका एक दफा एप्रेजल होकर जो लड़का ठीक तरह से कामयाब नहीं होता तो उसको रोक दिया जाता है और जो निकलते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है । इस प्रकार शुरू से आखिर तक पढ़ाई की व्यवस्था ठीक कर सकें इस तरह का मौका देते हैं । इससे हमारे बहुत से लड़कों की पढ़ाई का स्टेन्डर्ड इम्प्रूव हुआ है और जो पुराने तरीके से कालेज के रिजल्ट्स आते थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ज्यादा लड़के फर्स्ट आये हैं, उन लड़कों का परसेन्टेज इस सिस्टम के इन्ट्रोड्यूज करने के बाद में जिस प्रकार का मार्किंग और जो सेमस्टर सिस्टम है उससे लड़कों की पढ़ाई की क्वालिटी में फर्स्ट और सेकिण्ड डिविज़न ज्यादा आये हैं और लड़कों के बाहर जाकर अच्छे मार्क्स लेने की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है । और जो लड़के रेगुलर जीवन में कुछ बनना पसन्द नहीं करते वह इसको पसन्द नहीं करते हैं । लेकिन ऐसे लड़कों का परसेन्टेज बहुत कम है और यह ऐसे लड़के हैं जिनके 'एफ' आता है । ए० बी० सी० डी० ई० और एफ । यह केटेगरीज़ हैं एक्सीलेन्ट, गुड, फेयर, सेटिस्फेक्टरी और फेल । यह पांच केटगरीज़ हैं । जो लड़के इसमें 'एफ' लेने वाले हैं ऐसे लड़के यूनिवर्सिटी में कम हैं और वह करीब २० होंगे जो असन्तुष्ट हैं और वह इसलिए यह चेंज चाहते हैं कि उनको एफ मिल जाता और इस कारण से उनको रुकना है । पड़ता और जो दो सेमस्टर की केटेगरी को पार नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर सकता तो आगे पढ़ने से उसको रोक दिया जाता है । यह व्यवस्था दो तीन साल से यूनिवर्सिटी में चल रही है। जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अच्छे रिजल्ट्स आये हैं, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आर० आई० वगैरह का जहां सिलेक्शन हुआ है और उनके ग्रेड और क्वालिटी में बाहर भी जाते हैं तो लड़कों ने शाइन किया है और जो लड़के निकले हैं वह अच्छे परिणामों से निकले है। तो अब लड़कों की मांग करना कि हमें पंजाब का सेमस्टर सिस्टम चाहिए और जो नइ मांग लेटेस्ट २० तारीख को विद्यार्थियों की है वह यह है कि राजस्थान के सेमस्टर सिस्टम की सहुलियतें और पंजाब वालों के सेमस्टर सिस्टम की अच्छी बातें दोनों को मिलाकर और दोनों की खराबियां निकालकर जो अच्छी २ बातें हैं उनसे एक नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूज कर दिया जाये।

(१.०० म. प.)

लगातार लड़कों का स्टेंड बराबर मांगों के अन्दर कोंस्टेंटली बदलता जा रहा है । अब लड़के अगर यह कहें कि हमारी पढ़ाई का स्टेंडर्ड हम जैसा कहें वैसा होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि यह सदन की इच्छा कभी नहीं हो सकती, न राजस्थान की सारी जनता की और राजस्थान की पेरेंटस की जिनके कि बच्चे पढ़ते हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि लड़कों का मनमाना स्टेंडर्ड यूनिवर्सिटीज अडोप्ट करें और तभी लड़के रुक सकेंगे नहीं तो वे पढ़ेंगे नहीं! जुलूस निकालेंगे और प्रकार से स्ट्राईक्स करेंगे और इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज को फोर्स करेंगे कि इस प्रकार का एकेडेमिक स्टेंडर्ड कायम किया जाय तो मैं समझता हूँ कि सदन यह कभी नहीं चाहेगा कि लड़कों का स्टेंडर्ड इस प्रकार कायम कर एकेडेमिक स्टेंडर्ड गिराया जाय ।

मुख्य बात यह है कि जैसा इसके बारे में कहा गया कि फीस बढ़ाई गई, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरी सूचना है, राजस्थान विश्व विद्यालय ने कोई फीस नहीं बढ़ाई है सिवाय इसके कि छः रुपये गेम्स फीस के बढाए हैं । पहले विश्वविद्यालय में छः रुपये गेम्स फीस वार्षिक थी वहां पर अब १२) रुपये किये गये हैं वह भी इसलिए किए गए हैं कि दूसरे कालेजेज् में, उदयपुर में जो आर्ट्स, साइंस और दूसरे कालेजेज् थे उनमें सब जगह गेम्स फीस बारह रुपये लिए जाते है और हमारे यहाँ पर छः रुपये एग्रीकल्चर कालेज में जो कि विश्व–विद्यालय का ही पार्ट है, वहां पर छः रुपये लिये जाते थे और इसलिए वहां पर बारह रुपये किये गये हैं। बाकी न तो उनका कोई शुल्क बढाया गया है, न उनकी एग्जामिनेशन फीस बढाई गई है और न दूसरी किसी प्रकार की बढोत्तरी की गई है। जो कहते हैं कि एक दो दो रुपये बढाये गए हैं तो उसके लिए मैंने जानकारी हासिल की है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन छः रुपये के अलावा कोई फीस नहीं बढाई गई है ।

Page No.47

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही नहीं है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार बहस नहीं करें, माननीय मंत्री महोदय को अपना उत्तर देने दें।

श्री नाथुराम मिर्धा : मैं समझता हूं कि या तो सारे राजस्थान में सभी जगह पर गेम्स फीस के छः रुपये करें या फिर जो सारे राजस्थान में बारह रुपये लिए जाते हैं तो हमारे यहां पर भी बारह रुपये करें और इस दृष्टि से हमने अपने यहां पर छः रुपये की जगह बारह रुपये किये हैं, इससे लड़कों के नाराज होने की गुंजाइश नहीं है। पूरे साल में गेम्स फीस बारह रुपये देते हैं और जो छः रुपये से बारह रुपये कर दिये हैं तो इसमें नाराज होकर स्ट्राईक करने का कोइ कारण नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर लड़के कहते हैं कि होस्टल नया बनाया जाय तो वह भी बनाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे जैसे फाइनेंसेज की व्यवस्था होगी यूनिवर्सिटी अपने साधनों से सब कुछ करेगी लेकिन इस प्रकार से स्ट्राइक कर देने से ही तो होस्टल नहीं बन जाएगा। लड़के कहते हैं कि बस चलाई जाय। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर भी दो दो माईल से लड़के साईकिलों पर जाकर पढ़ते हैं। आज यह कहें कि अगर आज ही बस नहीं चलाई तो स्ट्राइक करेंगे। यूनिवर्सिटी ने फाइनेंसेज के लिए सरकार को लिखा है और इस पर गवर्नमेंट सोच रही है। बस की सर्विस भी लागू की जा सकती है और भी जिन सहूलियतों की आवश्यकता हो वह भी दी जा सकती हैं परन्तु छोटी मोटी बातों को लेकर इस प्रकार से स्ट्राइक करें और स्ट्राइक का नोटिस देवें, सात दिन का और पहले ही स्ट्राइक शुरू कर दें और वायलेंस करने लग जायं तो यूनिवर्सिटी के लिए यह सोचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि अगर लड़के नहीं पढ़ना चाहते हैं और वहां पर ठीक तरह से रह कर काम नहीं करना चाहते हैं तो संस्था को बन्द कर दिया जाय। अब अगर लड़के पढ़ना चाहेंगे और उनके मां बाप अपने लड़कों को वहां पर पढाना चाहेंगे और ठीक से पढना चाहेंगे तो फिर से चालू कर दिए जावेंगे। लेकिन सिस्टम तो एक ही होगा। या तो पंजाब का पूरा सिस्टम ले लो या राजस्थान का पूरा सिस्टम ले लो। यह नहीं हो सकता कि आधी मुर्गी एक ओर आधी मुर्गी दूसरी जोड़ कर नयी मुर्गी अलग से खड़ी कर दी, यह सम्भव नहीं है, मैंने यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और दूसरे लोगों से भी बात की है वे इसके लिए तैयार नहीं हैं और लड़कों ने जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया है उस हालत में उसे बन्द करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। जिस प्रकार से लड़के कहें उसी प्रकार का स्टेंडर्ड पढाई का यूनिवर्सिटी कायम करें, इस बात को मैं समझता हूं कि न तो इस सदन के माननीय सदस्य चाहेंगे, न राजस्थान की जनता ही चाहेगी। अगर लड़के पढना चाहेंगे तो विश्व विद्यालय खोल देंगे, नहीं पढना चाहेंगे तो बन्द रहेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री....

Page No.48

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें बहस में न पड़ें । मैं इसे ठीक नहीं समझता ।

श्री **जोधसिंह चौहान** : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय मंत्री कह रहे हैं वह गलत है....

श्री अध्यक्ष -माननीय सदस्य, यह छात्रों की हड़ताल से सम्बन्धित मामला है इसको यहां उठाना चाहते थे इसलिये मौका दे दिया गया, क्योंकि यहां पर हड़ताल हो रही है और उस पर मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है । अब पढ़ाई का कौन सा सिस्टम हो और यूनिवर्सिटी इसके लिए क्या करे इसकी बहस यहां पर करना शोभा नहीं देता । इसके बारे में विचार करना यूनिवर्सिटी का काम है इसलिए इस पर आगे बहस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जोधसिंह चौहान - इसके बारे में मंत्रीजी ने सारी की सारी बातें गलत कही हैं ...

श्री अध्यक्ष - अगर गलत कही है तो आप लिख कर दे दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल - मैं कुछ अर्ज करूं इस पर ।

श्री अध्यक्ष - नहीं, अब इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है, मैं कह चुका हूं ।

(१.०५ म० प०)

मजदूरों को बोनस देने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष - श्री रामानंद अग्रवाल ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) - अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बोनस अदायगी का कानून १९६५ में पास किया जिसके अनुसार हरएक औद्योगिक संस्थान को चाहे उसको मुनाफा हो या न हो, उसके अनुसार कम से कम ४ प्रतिशत बोनस अपने मजदूरों को अदा करना अनिवार्य हैं । इस कानून के तहत उन संस्थानों के मालिकों को ८ महीने का समय अधिकाधिक दिया गया था कि उस तारीख तक जब कि उनका फाइनेंशियल ईयर १९६४ में जहां से भी शुरु होता हो, उसमें उनका जो १९६५ में जहां बन्द होता है, उसमें ८ महीने जैसे ही खत्म हों उस तक बोनस अदा कर दिया जाय । इसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, जिन उद्योगों के, जिन संस्थानों के फाइनेंशियल ईयर ३१ मार्च, १९६५ को बन्द होते है और १ अप्रेल सन १९६६ से जिनके फाइनेंशियल ईयर शुरु होते हैं, १ अप्रेल से शुरु होते हैं उन संस्थानो को ३० नवम्बर १९६५ तक अपने एम्पलाईज को बोनस अदा कर देना चाहिये था । यदि किन्हीं संस्थानों के फाइनेंशियल ईयर उससे पहले समाप्त हो गये हों जैसा कि कई संस्थानों का ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है तो उनका १ जनवरी, सन् १९६५ से ईयर शुरु होता तो उनकी अदायगी की तारीख ३१ अगस्त को समाप्त हो गई और अधिकतर जो संस्थान हैं उनके फाइनेंशियल ईयर क्योंकि ३१ मार्च को समाप्त होते हैं तो मैं यह मानता हूँ कि तमाम संस्थानों के द्वारा अधिक से अधिक ३० नवम्बर ६५ तक मजदूरों को पेमेन्ट कर देना चाहिए था और यदि उस एक्ट के तहत कोई पेमेंट न करे तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि उनका प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है और प्रोसी

(श्री रानानन्द अग्रवाल)

क्युशन किया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय उस कानून के आने के बाद राज्य सरकार से मजदूरों ने संगठित तौर से आवाज उठाई राजकीय क्षेत्रों के लिये और निजी क्षेत्रों के लिये भी बोनस अदायगी के लिए । राजस्थान में मजदूरों की मांग खड़ी हुई परन्तु राज्य सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मजदूरों ने ३० नवम्बर तक इन्तजार किया तब भी उनको बोनस का पेमेंट नही हुआ । यहां तक कि निजी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि स्वयं राज्य सरकार ने राजकीय क्षेत्रों में बोनस की अदायगी नहींकी । राजस्थान विद्युत मण्डल ने, राजस्थान परिवहन निगम रा.एग्रीकल्चरल वर्कशाप ने या राजस्थान मेंशुगर की जो मिल है, गंगानगर शुगर मिल जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसमे भी, गर्ज यह है कि जितने भी संस्थान राजकीय क्षेत्र में चलते हैं जिनको बोनस एक्ट के तहत बोनस का पेमेंट ३० नवम्बर तक कर देना चाहिये था, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद होता है यह आपके जरिये कहते हुए और इस सदन के सामने रखते हुए कि आज तक भी राजस्थान सरकार के जितने भी राजकीय क्षेत्र के संस्थान हैं उनमें से किसी में भी बोनस की अदायगी नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि अपने राजकीय क्षेत्र में बोनस की अदायगी करनी थी और निजी क्षेत्र के उद्योग वालों से बोनस अदायगी के लिए राज्य सरकार कहती, उसकी जगह राज्य सरकार ने उल्टा ही रुख अपनाया । राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल के जरिये हाई कोर्ट के अन्दर एक रिट दायर की । राजस्थान के इण्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में राजस्थान के विद्युत मन्डल ने यह मुकदमा दायर किया और इस एक्ट को चैलेंज किया जिस एक्ट को कि भारत सरकार ने जो कि कांग्रेस दल की सरकार है और उसने ही जिस एक्ट को बनाया और उसके तहत यह प्रावधान रखा कि हरएक क्षेत्र के उद्योग को ४ प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य होगा ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसा मैं समझता हूं कि उसी कांग्रेस दल की सरकार है । यह हो सकता है कि कहीं किसी प्रान्त के अन्दर इन्दिरा गुट्ट की सरकार हो, कहीं कामराज गुट्ट की सरकार हो और कहीं मुरारजी गुट्ट की सरकार हो । मैं नहीं कह सकता इनकी अन्दरूनी गुटबन्दी के बारे में । कांग्रेस की कोई अन्दरूनी मीटिंग हुई हो और उसमें सुखाडिया जी ने वहां पर बैठकर पी० सी० सेन के साथ बैठकर या और किन्हीं मुख्य मंत्रियो के साथ बैठकर यह तय किया हो कि हम इस बोनस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज हमारे सामने आई, अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि राजस्थान सरकार के विद्युत मंडल ने उस बोनस एक्ट को चेलेन्ज किया । यह कहा कि यह बोनस एक्ट अल्ट्रावायर्स है । यह कहा कि भारत सरकार को बोनस एक्ट पास करने का अधिकार नहीं था । यह उनके बियाण्ड जुरिस्डिक्शन है । इस तरीके से यहां इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में उन्होंने चेलेन्ज किया । अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल ने अपना जजमेंट राजस्थान विद्युत मंडल के खिलाफ दे दिया । उसने यह निर्णय दिया कि यह बोनस एक्ट लागू होता है और विद्युत मंडल पर लागू होता है और केन्द्रीय सरकार को इस तरह का एक्ट बनाने का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिकार था। इस तरीके से यह ट्रिब्युनल का जजमेंट विद्युत मंडल के खिलाफ गया और राजस्थान सरकार ने वहां पर भी संतोष नहीं किया और विद्युत मंडल से अपील करवा दी। विद्युत मंडल से हाई-कोर्ट में अपील करवा दी। लेकिन इसी बीच में कुछ और इन्डस्ट्रियलिस्टस इस बोनस एक्ट की बुनियादी धाराओं को चेलेन्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गये। सारे हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों ने, तमाम मोनोपोलिस्ट्स ने इकट्ठे होकर मजदूरों को उनके बोनस के हक से डिबार करने के लिए उन लोगों ने वहां पर इस तरह की रिट दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, मेरे ख्याल से, पिछले अगस्त या जुलाई के महीने में उस रिट का फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने इस बात का निर्णय किया कि जो बोनस एक्ट के तहत ४ परसेन्ट मिनियम बोनस, चाहे मुनाफा हो या न हो, का जो प्रावधान किया गया है वह इन्ट्रा-वायर्स है अल्ट्रावायर्स नहीं है, वह सही है, दुरुस्त है। और इस बोनस एक्ट के दूसरे प्रावधानों के बारे में कुछ एडवर्स जजमेंट भी दिये हैं, परन्तु जो हमारे लिए यहां पर रेलेवंट है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ४ परसेन्ट मिनिमम बोनस देना अनिवार्य है उसका पेमेन्ट करना चाहिए, यह उस फैसले का मुख्य निर्णय है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार ने उस फैसले के बावजूद आज तक वह पेमेन्ट अपने किसी भी अन्डरटेकिंग में नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि जब मजदूरों को ३० नवम्बर, १९६५ तक, जो आखिरी डेडलाइन थी उस वक्त, तक बोनस नहीं मिला तो राजस्थान के तमाम श्रम संगठनों ने इकट्ठा होकर संघर्ष समिति बनाई इस बोनस एक्ट के प्रश्न पर और डियरनेस के प्रश्न पर, माथुर कमेटी के प्रश्न पर। इन्टक के अलावा तमाम केन्द्रीय संगठनों ने जिसमें ए० आई० टी० यू० सी०. हिन्द मजदूर सभा. जिसमें इन्डिपेन्डेन्ट यूनियन्स सब के सब सम्मिलित थे उसमें इस कानूनी बोनस एक्ट के तहत की अपनी सुविधा को लेने के लिए उन्होंने नोटिस दिया सरकार को कि हम २९ मार्च से हड़ताल करेंगे। उन्होंने पहले तो यह नोटिस दिया कि इससे पहले या तो इनको पूर्ण करो वर्ना मजबूर हो कर हमको हड़ताल पर जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बजाय कि सरकार उस बात को मन्जूर करती सरकार ने लोगों को दमन करने का रास्ता अपनाया, गिरफ्तार किया, मजदूरों को गिरफ्तार किया, और इस तरीके से २९ मार्च को हड़ताल कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के दमन के बावजूद वह हड़ताल कामयाब हुई। सरकार उसको दबा नहीं सकी उस मांग को और मजदूरों की तरफ से भूख हड़ताल उसके बाद भी जारी रही। बिजली घर के सवाल पर भूख हड़ताल फिर भी जारी रही। आखिर ए० आइ० टी० यू० सी० के जनरल सेक्रेटरी भूख-हड़ताल पर थे उस समय श्री के० वी० श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी, श्री कुमारानन्द जो कि राजस्थान की टी० यू० सी० के प्रेसीडेन्ट है, और मैं, हम तीनों के माध्यम से सरकार से बातचीत हुई, राजस्थान सरकार

Page No.51

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया था कि हम जल्दी ही इस बात पर विचार कर रहे हैं और अगर हिन्दुस्तान के किसी भी एक प्रान्त में अगर बिजली के मजदूरों को बोनस एक्ट के तहत अदायगी कर दी तो हम उसमें हिचकिचायेंगे नहीं, हम उसकी अदायगी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बात थी वह पहले की थी जब कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। हम यह समझते थे कि यह राजस्थान सरकार यह डॉयलेट्री टेक्टिक्स इसलिए अपना रही है कि वह यह समझती है कि सुप्रीम कोर्ट से एडवर्स जजमेंट हो जायेगा और बोनस का पेमेन्ट नहीं किया जायगा।

(१.१५ म० प०)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बिहार सरकार ने निर्णय लिया। बिहार सरकार ने बिजली घर के मजदूरों का पेमेन्ट कर दिया। यू० पी० सरकार ने निर्णय ले लिया और घोषणा कर दी कि वह अपने मजदूरों को, बिजलीघर के मजदूरों को, पेमेन्ट करेंगे। और केन्द्रीय सरकार ने एक इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स कमेटी इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में बनाई थी और उसमें ट्रिपार्टाइट-कॉन्फ्रेन्स की तरह पर मजदूर संगठनों, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के बीच जो झगड़ेतलब मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मीटिंग का एजेन्डा तय किया गया था। उस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम का एक पत्र है वह आपको पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने यह साफ इन्डीकेशन दिया है कि जहां तक बिजलीघर के मजदूरों को बोनस के पेमेन्ट का सवाल है उसके बारे में राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल का जो फैसला हो गया है उसी को सही मान कर दूसरे प्रान्तों की सरकारों को इस तरह का आदेश दिया है, इस तरह की एडवाइस दी है कि वे भी उसको मान लें। और इसी इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल के फैसले की बुनियाद पर जो ट्रिपार्टाइट-कॉन्फ्रेंस में जो बहसतलब मुद्दे थे उनमें आइटम नं० ४ बोनस से संबंध रखता था, उसको उस ट्रिपार्टाइट-कॉन्फ्रेंस के एजेन्डे में से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र है जो माननीय श्री जगजीवनरामजी ने १६ अगस्त, १९६६ को श्री एस० एम० बेनर्जी, एम० पी० को लिखा है :

D.O. No. W.B. 20 (95).65 to Shri S.M. Banerji, M.P., New Delhi.

"Kindly refer to your letter dated 1st August, 1966 regarding payment of bonus to the employees of U.P. State Electricity Board. In an industrial dispute between the Rajasthan State Electricity Board and its employees the Industrial Tribunal, Rajasthan has taken the view that the State Electricity Board is liable to pay bonus under the payment of Bonus Act. Following this, it would

Page No.52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

appear that the U.P. State Electricity Board is liable to pay bonus to its employees under the Act. Since the U.P. Government is the appropriate Government in relation to the State Electricity Board, we have explained the position to them for further action."

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, अन्डर सेक्रेटरी जो कि ट्रिपार्टाइट-कॉन्फ्रेंस का एजेन्डा ड्रा करते हैं उनकी टी० यू० सी० में एक चिट्ठी आई और उसमें यह लिखा है :

"I am directed to invite a reference to your letter No. 172/K 65 dated 6th January, 66, and to state as follows in regard to items 1 and 4 suggested for inclusion on the agenda for the forthcoming meeting of the Industrial Committee on Electricity.

Item 4—Payment of Bonus to employees of Electricity Board :

The Industrial Tribunal, Rajasthan has held that the State Electricity Board is liable to pay bonus under the Act. The Bihar Electricity Board has taken the view that it is liable to pay bonus to its employees. The above position has been brought to the notice of U.P. Government also.

If a similar question has arisen in any other State also, the State Government Concerned may please be addressed in the matter. It is not considered necessary to include this item also in the agenda."

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री के व्यूज़ के अनुसार, वहां की ट्रीपार्टाइट-कॉंफ्रेंस के एजेन्डा के अनुसार यह प्रश्न बहस तलब नहीं रहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोनस पे नहीं करे स्टेट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया कि ४ पर्सेन्ट बोनस पेएबल है। भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया उसके बावजूद अफसोस यह है कि राजस्थान सरकार का विद्युत् मण्डल बावजूद सुखाड़ियाजी के आश्वासन के, हम यह समझते थे कि सुखाड़ियाजी के आश्वासन की सुखाड़ियाजी कद्र करते हैं, अपने वायदे को पूरा करते हैं, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करके आज तक राजस्थान विद्युत् मण्डल के एम्पलॉईज़ को बोनस नहीं मिला है। मजबूर हो कर २१ तारीख को इसके प्रोटेस्ट में सांकेतिक रूप से एक घण्टे की हड़ताल राजस्थान के मजदूरों ने, जो ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बन्ध रखते हैं, रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कानून को लागू करने के बारे में किस किस्म की लापरवाही की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्थान सरकार की इच्छाओं पर नहीं है। यह प्रश्न श्री मुरारजी देसाई, श्री सी० बी० गुप्ता और दूसरों के साथ बैठकर सुखाड़ियाजी ने क्या-क्या नीतियाँ बनाई, क्या-क्या षड़यन्त्र रचे उससे सम्बन्धित नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की तहत पाबन्दी है लागू

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने की और उनको लागू करने में यदि ढिलाई बरतते हैं, उनको लागू नहीं करते है तो वे संविधान को तोड़ते हैं और संविधान फैडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो सम्बन्ध है उसको तोड़ रहे हैं और हमें यह देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार कानून पास होने के बाद उस कानून के ऊपर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद, अभी तक उसको लागू नहीं करने के ऊपर कमर बांधे हुए है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अवैधानिक स्थिति है जिसमें प्रेसीडेन्ट को इन्टरफीयर करना चाहिए, गवर्नर को इन्टरवीन करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार ने जो कानून पास किये हैं उनको यह सरकार लागू नहीं करे तो सुखाड़िया सरकार को डिसमिस करना चाहिए, पद से हटाना चाहिए इस आरोप में कि जानबूझ कर केन्द्रीय सरकार के आदेश का पालन करने में अड़चन डाल रही है उनको पूरा नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला केवल विद्युत् मंडल से ही संबंध नहीं रखता है, लेकिन आज राजस्थान परिवहन निगम के मजदूरों को बोनस देने के लिए घोषणा करदी लेकिन एक भी पैसा उनको नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा किसी भी संस्थान में राजस्थान सरकार ने एक भी पैसा बोनस का नहीं दिया है। यहां तक कि जहां तक प्राइवेट कंसर्न्स का सवाल है, मुख्यमन्त्री जी लेबर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जाते हैं और घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार दृढ़प्रतिज्ञ हैं बोनस दिलवायेगी। पिछले बजट अधिवेशन में इस सदन में मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि यदि कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट पैसा नहीं देगा, बोनस की अदायगी नहीं करेगा जून तक, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। लेबर एडवाइजरी कमेटी में श्रम मंत्रीजी ने, मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी। मुझे अफसोस है कि अब तक कागजी कार्यवाही चलाई, लिस्ट बनाई जा रही है, कागजी घोड़े दौड़ाये जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेक्टिस में किसी भी इन्डस्ट्रियलिस्ट का प्रोसीक्यूशन करके किसी को जेल में नहीं डाला गया, किसी को मजबूर नहीं किया कि पेमेन्ट करो। मजदूरों को बोनस सरकार ने मजबूर करके नहीं दिलाया है, वे तमाशा देखते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि वे संशोधित कानून के तरीके से इस बोनस एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन वे इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के परव्यू में आते हैं। राजस्थान में ऐसे संस्थान बहुत से हैं। राजस्थान में वाटर वर्क्स के एम्प्लॉईज हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के एम्लॉईज हैं जो इस केटेगरी में आते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम उन तमाम एम्लॉईज को जो बोनस एक्ट की तहत नहीं आते हैं लेकिन इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की तहत आते हैं उनको भी बोनस देंगे। ४ पर्सेन्ट बोनस आवश्यक रूप से देंगे। यदि यह सरकार वास्तव में अपने आपको कांग्रेस सरकार कहती है तो कम से कम उसूल के तौर पर इस बात की घोषणा करे कि

Page No.54

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान में वे तमाम पब्लिक एन्टरप्राइजेज के कर्मचारियों और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बोनस देंगे। प्राईवेट एन्टरप्राइजेज, ऐसे निजि उद्योगों से कहदें कि वे भी बोनस दें। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये जिनके लिए कानून है उनको भी नहीं देते तो दूसरों को देने की बात ही क्या है? इसलिए स्थिति यह है कि कानून पास किये इतना अर्सा हो गया, पेमेन्ट का टाइम हुए आज ११ महीने हो गये कानून तोड़ते हुए, लेकिन राजस्थान सरकार मजे से खुर्राटे ले रही है। मन्त्रीजी घोषणा तो करेंगे अखबारों के लिए, लेकिन टेलिफोन पर उनसे कह देंगे कि घबराओ मत कम्युनिस्ट, सोशियेलिस्ट हमारे पीछे पड़ गये हैं इसलिए घोषणा करते हैं, लेकिन हुक्म तो हमारा चलेगा। यह एसेम्बली तो २६ तारीख को खत्म हो जायगी, आप हमको चन्दा इलेक्शन के लिये दे देना। घबराओ मत, सब ठीक कर देंगे। इस तरह से सरकार चल रही है। यदि सरकार सीरियस होती तो सबसे पहले चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ प्रोसीक्यूशन करती, सबसे पहले राजस्थान परिवहन निगम के चेयरमैन पर मुकदमा चलाती। एग्रीकल्चर विभाग के वर्कर्स के बारे में मिनिस्टर नाथूरामजी मिर्धा के खिलाफ मुकदमा चलाती उन्होंने क्यों नहीं पेमेन्ट किया? उन्होंने कानून की अवहेलना की है। तब तो डर से सभी लोग पेमेन्ट करते वर्ना कोई नहीं करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपका (मंत्रीजी) स्टेटमेन्ट हो जाय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एजेन्डा देख लीजिये, मेरा भी कॉल-अटेन्शन नोटिस है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य के मजदूरों के बारे में, राज्य सरकार ने बोनस अधिनियम के अंतर्गत ४ पर्सेन्ट बोनस नहीं दिया, बहुत कुछ कहा है। मैंने भी इस आशय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं इस संबध मे कुछ अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस सदन के गत अधिवेशन में राज्य सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि जिन-जिन कारखानों ने, जिन-जिन संस्थानों ने इस बोनस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की है, राज्य सरकार उनसे वह कार्यवाही करवायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में समाचार पढ़ा था कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने बोनस नहीं दिया है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जायगा। मैं आज यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि वह समाचार कहाँ तक सत्य है, क्योंकि सात दिन के अधिवेशन में दो घटनायें इस सदन के सामने ऐसी आई हैं जिनमें राज्य सरकार के द्वारा और खास तौर पर, मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो समाचार पत्रों में वक्तव्य दिये गये वह एक प्रकार से सरकार के उत्तर के अनुसार,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिल्कुल झूठे थे। सीलिंग के मामले में एक मामला आया, उसके संबंध में जो मुख्य मंत्रीजी ने समाचार पत्रों में वक्तव्य दिया था वह राजस्व मंत्री जी के कहने के अनुसार सफेद झूठ निकाला। दूसरे, राजस्थान केनाल ऑथोरिटी के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के अनेक समाचार पत्रों मे समाचार प्रकाशित हुए, वह भी, आज जो कृषि मंत्री जी ने प्रश्नोत्तर काल में उत्तर दिये, उनसे बिल्कुल सफेद झूठ निकले। तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री समाचार पत्रों में बिल्कुल सफेद झूठ छपवाते रहे और समाचार पत्रों को ऐसे वक्तव्य देते रहे और उनका सरकार की तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं निकले और फिर सदन में कहें कि वह समाचार बिल्कुल झूठे है तो ऐसा लगता है कि सदन में कुछ कहा जाता है और सदन के बाहर कुछ कहा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने और सदन के सामने हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं उनके द्वारा हम सरकार की स्पष्ट नीति जानना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के श्रम मंत्री इस सदन में जो कुछ भी कहें लेकिन यह उनके काबू के बाहर की चीज है, यह उनकी शक्ति के बाहर की चीज है कि राजस्थान के इंडस्ट्रियलिस्ट से वह मजदूरों को ४ पर्सेंट बोनस दिलवा सकें। यह उनके काबू के बाहर की बात है, यह उनके अधिकार के बाहर की बात है। वह इतने सक्षम नहीं है कि वह राज्य के हजारों और लाखों मजदूरों को कानून के अन्तर्गत और वाजिब अधिकार दिलवा सकें। मैं नहीं समझ सकता, उपाध्यक्ष महोदय, कि आगे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के श्रम मंत्री, श्री भीखा भाई कोई ऐसा कदम उठा सकें जिससे मजबूर होकर सवाई माधोपुर उद्योग के मजदूरों को और साहू जैन उद्योग के मजदूरों को वह उद्योगपति ४ पर्सेन्ट का बकाया बोनस दें। मैं समझता हूं इतनी उनमें ताकत नहीं हैं क्योंकि आगामी फरवरी में चुनाव आने वाले हैं, और अखबारों में यह जो समाचार छपे हैं वह इस दृष्टि से छपे हैं, इस दृष्टि से वह छपाये गये लगते हैं, मैं श्रम मंत्री श्री भीखा भाई पर आरोप लगाता हूं कि वह इस प्रकार जो कानून का उपयोग करना चाहते हैं वह इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि अखबारों में इस प्रकार के समाचार छप जायं कि जो मज़दूरों को ४ पर्सेन्ट बोनस नहीं देते हैं ऐसे लोगों का वह प्रोसीक्यूशन करेंगे, ऐसे लोगों पर वह मुकदमा करेंगे-और यह समाचार इस भावना से छपवाये गये हैं जिससे राजस्थान के इंडस्ट्रियलिट्स डर जायं और डर कर दौड़े-दौड़े श्रम मंत्री को एप्रोच करें और श्रम मंत्रीजी उनको मुख्य मंत्री के पास डाईवर्ट कर दें और इस प्रकार उनसे कांग्रेस के चुनाव-फण्ड के लिए पैसा ले लिया जाय। और पैसा ले कर प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करने की बात को ड्रॉप कर दिया जाय। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इससे किसी का प्रोसीक्यूशन नहीं होने वाला है। मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के कौन-कौन से ऐसे उद्योग है, राजस्थान के कौन कौन से ऐसे उद्योगपति है, उनकी आप सूची पेश करें जिन्होंने इस बोनस अधिनियम के लागू होने के बाद भी राज्य के मजदूरों को चार पर्सेन्ट बोनस अदा नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है, किन-किन के खिलाफ आपने प्रोसीक्यूशन लांच किया है ? और अगर नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है ? यह सब सूचना आप सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है. यह सरकार सोशियेलिज्म का नारा लगा कर चलने वाली सरकार है, यह सरकार मजदूरों और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है. इसी सरकार के सामने जब कोई मजदूरों के हित का कोई कानूनी सवाल खड़ा होता है, जब केन्द्रीय सरकार द्वारा मजदूरों को ४ पर्सेन्ट बोनस देने का कानून पास किया जाता है, यह सरकार ऐसा कानून पास करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जब वह कानून पास होकर मजदूरों को ४ पर्सेंट बोनस देने की बात की जाय तो यह सरकार उनको वह बोनस देने को तैयार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि वह मजदूरों के हित का कानून पास करती है। लेकिन यह सरकार ऐसी है कि यह राजस्थान की सरकार केंद्रीय सरकार के बनाये हुए कानून को लागू भी नहीं करवा सकती है। यह राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान टीनेंसी कानून को पारित नहीं करवाती है इसलिए यह किसान-विरोधी सरकार है और दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार के द्वारा पारित कानून के अनुसार मजदूरों को ४ पर्सेंट बोनस भी नहीं दिलवा सकती है, इसलिए यह मजदूर विरोधी सरकार है। ऐसी यह मजदूर और किसान विरोधी सरकार है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : No, No.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आपके no कहने से नहीं होगा, ज्वालाप्रसादजी !

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : नहीं, नहीं, गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप किसानों की पैरवी कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं और आप जिस दल में हैं वह भी पैरवी कर रहा है लेकिन ...

श्री उपाध्यक्ष वह लाउड थिंकिंग कर रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं कंट्रोवर्ट कर रहा हूँ। यह कायदा है, उस एक तरफ से ही कहते रहें और इधर से कोई न बोले। मैं कंट्रोवर्ट कर रहा हूँ। जब मेरा नाम आयेगा तब मैं अपना जबाब दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्योंकि पार्लियामेंट में रहे हैं इसलिये कानून कायदे जानते हैं और पार्लियामेंट का प्रोसीजर जानते हैं इसीलिए नो, नो कहते हैं। भीखा भाईजी पार्लियामेंट में नहीं रहे हैं इसलिए वह नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो नो, नो कहते। आप नो, नो कहते हैं, लेकिन आपकी सरकार में आपको पूछता कौन है ? आपकी बात को आपकी सरकार में सुनता कौन है ? आप रोजमर्रा यहां चिल्लाते हैं कि टीनेंसी बिल सदन के सामने लाया जाय और उसको पास किया जाय लेकिन आपकी बात को सुनने वाला कौन है ? आज जो राजस्थान में गवनमेंट है वह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसानों के हित में काम करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, वह मजदूरों के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों के के हित में सोचने वाली यह कांग्रेस सरकार है, चंद पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली यह सुखाडिया गवर्नमेंट है, ज्वाला प्रसाद जी ! कांग्रेस की सरकार द्वारा मजदूरों और किसानों के हितों का ध्यान नही रखा जाता है । केवल दूसरे लोगों को गाली देने से काम नहीं चलेगा । किसानों और मजदूरों के हित की बात करने वाली गवर्नमेंट खुद किसान और मजदूरों का गला घोटे इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो नहीं सकती । अफसोस इस बात का है कि आप लोग जो बात करते हैं उसको कोई सुनता नहीं है क्योंकि यह गवर्नमेंट पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है । मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो नहीं सकती है । आप छोड़िये इस दल को और इधर आइये और इधर आकर किसानों और मजदूरों के हितों के लिए लड़िये और मजदूरों को चार परसेंट बोनस दिलवाइये, और टीनेंसी कानून पास कराइये जिससे किसानों का कुछ भला हो सकता है, सीलिंग को लागू करवाइये और उसमें जो उचित संशोधन किसानों के हित में हो सकते हैं उनको पारित करवाइये । हम लोग आपके पीछे चलेंगे । लेकिन आप तो ऐसे दल में बैठे हुए हैं, कौरवों के गढ़ में बैठे हुये हैं, जिसके अध्यक्ष सुखाड़ियाजी हैं ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा कीजिये आप इन से । मेरे से ही बात करना शुरू कर दिया । मेरे से बात करना शुरु करने से क्या होगा ? आप अपनी बात कहें ।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप मिनिस्टरों को तो बहुत मानते हैं जो जनरल सेक्रेट्री को मानने लग गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल इतना ही कह कर विशेष रूप से सरकार से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो मजदूरों का यह वाजिब हक है और जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का कानून बना हुआ है वह बोनस उनको क्यों नहीं मिला है ? मैं यह भी सरकार को कहना चाहूंगा कि वह मजदूरों का हक उन को तब तक नहीं मिल सकता है जब तक सोशियेलिज्म में विश्वास रखने वाली सरकार सोशियेलिस्टक पैटर्न का नारा लगाने वाली सरकार मेरे कम्युनिस्ट मित्र मेरी इस बात पर ध्यान दें यह सोशियेलिज्म और नेशनेलाइजेशन का नारा लगाने वाली सरकार, जब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूरों को राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के मजदूरों को और जो दूसरी पब्लिक अन्डर टेकिंग्स हैं, उनके मजदूरों को बोनस नहीं दे सकती तो प्राइवेट इन्डस्ट्रियल को कैसे कह सकती है कि तुम अपने यहां पर लगे हुए मजदूरों को यह ४ पर्सेन्ट बोनस दो । जो सरकार अपने बोर्ड के अन्दर अपने कॉर्पोरेशन के अन्दर और पब्लिक अन्डर टेकिंग्स के अन्दर सरकार के, केन्द्रीय सरकार के बनाये हुए कानून की, केन्द्रीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार के बनाये हुए बोनस कानून की अवहेलना करे तो इससे ज्यादा लज्जा की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती आज बिजली मजदूर, बिजली पानी के मजदूर राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूर और अन्य मजदूर इस बात की मांग कर रहे हैं और राजस्थान के इन मजदूरों ने इस बात का नोटिस दिया है कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उसकी मांगें मंजूर नहीं हुईं तो उनको हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री गोविन्द मैनन यहां पिछली बार आये थे उस समय यहां पर मजदूर सम्मेलन हुआ था २७ मार्च को, जिसमें उस समय के विद्युत् मंत्री श्री हरिश्चन्द्रजी मौजूद थे उस समय श्री गोविन्द मैनन ने अपने भाषण में यह कहा कि हमें ४ पर्सेन्ट बोनस इन बिजली मजदूरों को देना होगा और अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हाई कोर्ट में कोई रिट पिटीशन इस कानून को चुनौती देने के बारे में की है तो उसे उस रिट पिटीशन को वापिस लेना चाहिए। इसके अलावा इस सदन में भी काफी दफा मांग की गई है इस बात की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार और उसके अन्तर्गत चलने वाले पब्लिक सेक्टर और पब्लिक एन्टरप्राइज में चलने वाले वर्क्स के लिए इसलिए करोड़ों रुपये देने की मांग करते हैं कि वह उनमें काम करने वाले मजदूरों का गला घोंटे। अगर उन मजदूरों का गला घोंटा जाता है तो आप किस आधार पर कह सकते हैं प्राइवेट एन्टरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले उद्योगपति इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, बोनस कानून के उल्लंघन का अपराधी और दोषी और मुजरिम यदि कोई है तो सबसे ज्यादा है राजस्थान सरकार और इसलिए वह जब तक स्वयं दोषमुक्त नहीं होगी, जब तक स्वयं अपने को बरी नहीं करायेगी तब तक राजस्थान के बाकी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को और प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर्स को नहीं कह सकती है कि बोनस कानून के अंतर्गत बोनस मजदूरों को अदा क्यों नहीं किया है? मैं श्री रामानंद जी से कहूंगा कि आप राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को प्रोसीक्यूट करना चाहते हैं, राजस्थान रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन, के चेयरमैन को प्रोसीक्यूट करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसीक्यूट करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी को प्रोसीक्यूट करना है तो पहले सदन के अंदर श्रम मंत्री श्री भीखा भाई को प्रोसीक्यूट करें जिन्होंने राजस्थान के मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इन शब्दों के साथ में राजस्थान सरकार का ४ पर्सेन्ट बोनस के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की भावना श्रम मंत्री जी इस सदन के समक्ष रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर कोई नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें भी थोड़ा बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रूल्स के

(श्री उपाध्यक्ष)

अन्दर यह है : "There shall be no debate on such statement at the time it is made."

यह स्टेटमेंट हो जाय, उसके बाद में जो स्पष्टीकरण के लिए माननीय सदस्य, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, पूछ लेंगे । उस पर कोई प्रश्न या वक्तव्य नहीं होंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है इस सदन की ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, sir, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यह प्रोसीजर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन जिस तरह जो सम्माननीय सदस्य ने बात कहीं उनके सम्बन्ध में तो मैं कुछ निवेदन नहीं करता चाहता । लेकिन संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें तो यह बात कहने का हक हासिल हो गया और उसके लिए मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहना पड़ा कि यह मेरे से बात न करें । लेकिन अब कर ली है तो उतनी ही बात का मैं दो मिनिट में सबसे पहले क्लेरीफिकेशन कर देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री को मैं कह चुका हूं, उसके बाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो मुझे कह दें और मैं जरूरी जवाब न दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कायदे से तो खिलाफ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें एतराज नहीं है, ठीक है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका हुक्म है तो मैं मान लेता हूं । यह अपना स्टेटमेंट दे दें उसके बाद पूछ लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद पूछ लें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह हर तरह की बातें करते हैं । हमारी क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या करती हैं पार्टी....

श्री उपाध्यक्ष : इसके विषय में रूल्स हैं और रूल्स के मुताबिक हो सकता है । आपको भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देना चाहिये था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो वे देते नहीं हैं पान खाते रहते हैं ।

आपने चैम्बर का उद्घाटन करा दिया सब को बुला लिया आपको चाहिये वोट....

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है । हम तो इन्टक से ताल्लुक रखते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शाहू एन्ड कम्पनी को ६० लाख रु० सन् ५७ में दिलाये और २।। लाख चन्दे के लिये कांग्रेस ने लिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है ।

(शोर गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव में उन्होंने इस प्रस्ताव से असंगत बातें कही हैं। मै यह समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में जब थोड़े दिनों बाद दूसरे प्रश्नों पर विचार होगा तब जबाब दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार की सरकार है और उन्होंने मजदूरों के लिये क्या काम किया है वह सबको मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में नहीं पूछा है कि राजस्थान की सरकार ने क्या काम किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जो कोई कानून इतने दिनों में पास नहीं कर सकी। राजस्थान की सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है।

एक माननीय सदस्य : यह मजदूरों की सरकार है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): अश्रव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आपको बड़ी सरकार नहीं कहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : (अश्रव्य)

श्री भीखाभाई : जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार मजदूरों के हित के लिये कानून बनाती रही है। जहां तक इन्टरनेशनल का प्रश्न है, हमारी सरकार उस नीति के अनुसार काम करती रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून बने हैं उनको हम मानने नहीं जा रहे हैं और इसके लिये सुखाड़िया सरकार और राजस्थान का मंत्रीमंडल गुनहगार है। मैं यह कहूंगा कि यह बिलकुल निराधार आरोप है। एक तरफ मुझे खड़ा कर दिया जावे और दूसरी तरफ उनको तो पता लगेगा कि राजस्थान की सरकार ने क्या किया है और मैं बताऊंगा कि राजस्थान की सरकार ने बहुत काम किया है और कानून का पालन किया है और जिन्होंने पालन नहीं किया उसके लिये पूछा गया है कि कितने आदमियों का प्रोसीक्यूशन किया ? मैं कहूँगा कि जो कानून का पालन नहीं करते उनका प्रोसीक्यूशन भी किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रान्सपोर्ट आदि में...

श्री भीखाभाई : मैं आपको बताऊंगा आप जल्दी न करें। आपकी तबियत खुश हो जावेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ७५ आदमियों का प्रोसीक्यूशन किया है उनकी लिस्ट को मैं सदन की मेज पर रखता हूँ।

(लिस्ट आगे की कुर्सी पर रखते हैं)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर लिस्ट रखिये कुर्सी पर नहीं।

(श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) द्वारा सदन की मेज पर रखी गई)।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीखाभाई : इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूँ कि इससे कुल मिलाकर ३७ हजार मजदूरों को लाभ पहुंचता है।

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि कौन से मजदूरों पर यह कानुन लागू होता है और किन-किन पर लागू नहीं होता। कहां पर एक्सटेन्शन हो सकता है और कहां पर लोगों को छूट दी है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कहीं और यह समझते हैं कि हम मजदूरों की सिम्पेथी और हमदर्दी प्राप्त कर लेंगे, इसलिये आपने भाषण दे दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मामला सरकार के विचाराधीन है। यह मामला ट्रिब्यूनल में गया और मैं यह कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसे मामले नगण्य से हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह फैक्ट है या नहीं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोनस अदा नहीं किया है? आप लेबर मिनिस्टर हैं आप लेबर मिनिस्टर की हैसियत से यह बता दीजिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने नहीं दिया और आप उनको बचाना चाहते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। कौन से प्रावधान के मुताबिक उन्होंने रोका है। उन्होंने कानून की अवहेलना की है। ३० नवम्बर ६५ तक नहीं दिया।

श्री दलपतसिंह (आबू): टेम्पो बन रहा है भाषण का और आप बीच में बोल रहे हैं। उनको बोलने तो दें।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने स्टेट ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहा कि यू. पी. और बिहार ने यह किया और यह भी कहा कि हमारे यहां पर कुछ नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक राजस्थान स्टेट रोडवेज का प्रश्न था ४ पर्सेन्ट बोनस, शुगर मिल का प्रश्न है चार परसेन्ट का पेमेन्ट हुआ है और दूसरों में भी पर्सेन्ट पेमेन्ट हुआ है। माननीय सदस्य ने जानकारी के अनुसार उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में रखा है कि पेमेन्ट नहीं हुआ। एग्रीमेंट के अनुसार कइयों की देनदारी है और कइयों की नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान धारा १३,१६ और ३ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इनको देखने के बाद वे इस बात पर पहुँचेंगे कि यह किन पर लाजमी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सारे आरोप एक साथ सरकार पर लगा दिये जिससे उनकी बात चल जावे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बैठने वाले हैं वे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय सदस्य भी किसी जमाने में कार्यकर्ता रहे हैं। और हम उनका आदर करते हैं। लेकिन इस प्रकार के तरीकों से गलत आरोप लगाना यह उचित बात नहीं है। जिस जगह पर उनकी पहुंच नहीं है वहां पर भी उन्होंने कार्यवाही की है उसके लिये उनके शुक्रगुजार हैं। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है उसको ही क्रेडिट मिलेगा। आपको नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप क्रेडिट की बात बार बार कहते हैं

Page No.62

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह आपके लिये शोभा की बात नहीं है कि क्रेडिट किनको मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत गिरी हुई बात है और ऐसी बात कहना आपके पद के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री भीखाभाई : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर वर्कशाप का सवाल है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is wrong.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कॉम्पिटिशन है, एक एक को इन्कार कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉम्पीटीशन कुछ नहीं है, उल्टी सब्सिडी दे रहे हैं श्रीमानजी। इम्प्लिमेंट्स बनाकर उल्टे किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और घाटा खाकर किसानों को और लाभ पहुंचा रहे हैं, किसानों और मजदूरों को लड़ाइये मत।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसानों का नाम लेकर मजदूरों की रोटी काटना यह कहां तक उचित है, लड़ाने का सवाल नहीं कानून के मुताबिक जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए वे देनी पड़ेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून में हैं वे सभी दी जायेंगी पर कानून में नहीं है वे नहीं दी जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हर जगह चैलेंज करेंगे तो हर जगह आपको मात खानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मन्त्रीजी, आप बोल लें।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं भारत के श्रममन्त्री ने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सिफारिश में वह लिखा कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं वहां ४ पर्सेन्ट करें, जिससे कि और मजदूरों का भला हो सके। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में एक्स ग्रेशिया ४ प्रतिशत बोनस वितरण करा दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह पत्र आपके पास है जो सेंटर के श्रम मन्त्री ने एडवाइज दी है ?

श्री भीखाभाई : इस वक्त नहीं है।

जो आरोपों का सवाल था उनका जवाब तो मैंने दे दिया। बोनस के मामले में सदन इन्ट्रेस्टेड होगा। इसके सम्बन्ध में एक ब्यौरेवार स्टेटमेंट बना रखा है। वह में पढ़ कर सुना देता हूं, इससे आपको पूरी जानकारी हो जायगी।

वह स्टेटमेंट इस प्रकार है :

"भारत सरकार ने बोनस कमीशन को सिफारिशों के अनुसार दिनांक २३-५-१९६५ को बोनस अदायगी ऑर्डिनेन्स पास किया। इसके पश्चात् दिनांक २५-९-१९६५ को बोनस अदायगी अधिनियम पारित हुआ।

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक फैक्टरी तथा संस्थान को जिसमें २० तथा २० से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं बोनस अदा करने के लिए बाध्य किया गया। अधिनियम के अनुसार, इसके अन्तर्गत आने वाले संस्थानों को १९६४-६५ अकाउंटिंग वर्ष से न्यूनतम ४ प्रतिशत अथवा ४० रु० जो भी अधिक हों, बोनस के रूप में वितरण

(श्री भीखाभाई)

करने का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा ३३ के अनुसार यदि कोई विवाद सन १९६२ के अकाउटिंग वर्ष से सरकार तथा समझौता अधिकारी तथा ट्रिब्यूनल के समक्ष यदि विचाराधीन थे तो उन पर भी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय करने का प्रावधान था। अधिनियम को कुछ मालिकों के प्रतिनिधियों ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सम्मुख, वैधानिकता के प्रश्न पर चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक ५:८:१९६६ को इस सम्बंध में अपना निर्णय घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार अधिनियम को, अतिरिक्त धारा ३३, ३४ व ३७ के वैध घोषित किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बिजली के चले जाने पर यह सरकार की कार्यकुशलता का नमूना है।

एक माननीय सदस्य : यह आपको चुनौती है।

(विराम)

श्री भीखाभाई : तो आप भी आराम करें।

(पुनः दो बार बिजली आई और लुप्त हो गई)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रीविलज का प्रश्न है कि इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेंट सदन के साथ इस तरह मखौल कर रहा है।

(पुनः बिजली आ जाने पर)

श्री भीखाभाई : ये ३ धाराएं जिन्हें अवैध माना गया है, के अनुसार सन १९६२ से १९६४ तक के बोनस से सम्बन्धित विवाद इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्णित नहीं होंगे, तथा उन्हें ट्रिब्यूनल को पुनः फुल बेंच फारमूला के अनुसार निर्णय करने के आदेश दिये गये है। उच्च न्यायालय के सम्मुख जो रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं, उन पर अभी निर्णय होना बाकी है। चूंकि अधिनियम की वैधानिकता को ही चुनौती देकर अवैध घोषित करने के बारे में रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई थीं, अत: अधिनियम को पूर्ण रूप से पालन करना सरकार के लिए सम्भव नहीं था, इसके उपरान्त भी सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले समस्त संस्थानों एवं फैक्ट्रियों का सर्वे करा कर उनकी सूची तैयार कराई। इस सूची के अनुसार राज्य में कुल ७२६ प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। प्रारम्भ में सर्वे के जो आंकडे श्रम विभाग को प्रस्तुत किये थे उनके अनुसार लगभग १५०० प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत आने बताये गये थे। यह आंकड़े चीफ इन्स्पैक्टर आफ फैक्ट्रीज के पंजीयन के रिकार्ड के आधार पर थे जिसमें फैक्ट्री लाइसेंस निकलवाने के लिये मालिक फैक्ट्री अधिक से अधिक संख्या का लाइसेंस ले लेते हैं, क्योंकि वर्ष के दौरान में यदि उन्हें लाइसेंस में परिवर्तन कराना होता है तो अधिक धन देना पड़ता है। चीफ इन्स्पैक्टर आफ फैक्ट्रीज की लिस्ट पर जांच कराने पर ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान पाये गये जहां २० तथा २० से कम श्रमिक कार्य करते हैं और उन्हें

(श्री भीखाभाई)

फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत फैक्ट्री माना जाता है। इस प्रकार अन्य संस्थाओं के बारे में भी जो सर्वे श्रम विभाग ने किया है, उसमें बहुत से कारखाने भी तो बन्द पाये गये हैं अथवा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें अधिनियम की धारा ३२ के अनुसार छूट प्राप्त हो जाती है।

इन ७२६ संस्थानों में से आज तक ३१२ संस्थानों ने बोनस वितरण कर दिया है। बोनस वितरण करने वाले संस्थानों में वे अधिकांश संस्थान सम्मिलित हैं, जिनमें श्रमिकों की संख्या १०० तथा १०० से अधिक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १०० से ऊपर वाले कितने हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने अधिकांश कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूँ कि १०० से अधिक वाले कितने हैं आप यह बताइये।

श्री भीखाभाई : मैं सारी सूचना दे रहा हूँ कितनों को बोनस दिया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास यह फिगर्स हैं क्या कि इन ७२६ संस्थानों में कुल कितने मजदूर हैं ?

श्री भीखाभाई : ऐसा लगता है कि ६० प्रतिशत आता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो टोटल बता दीजिये।

श्री भीखाभाई - यह तो असर्टेन कर के बताऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्यों नहीं बताते कि कितने मजदूर हैं ? Why hide the facts ?

श्री भीखाभाई : I am not hiding.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनों को नहीं मिला, इसमें सदन इन्ट्रेस्टेड है।

श्री भीखाभाई : मेरे को एक दफा पढ़ने दीजिये, हम क्यों नहीं कर पाये हैं सब मालूम हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पहले यह आंकड़े तो सामने आयें कि कितने बदनसीब हैं जिनको नहीं मिला।

श्री भीखाभाई : केवल उन संस्थानों ने जिनमें १०० से कम तथा २० से अधिक श्रमिक हैं, अधिनियम की पालना नहीं की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ६६ संस्थानों के विरूद्ध मुकदमें चलाये जाने की स्वीकृति दे दी है, जिसमें से अधिकांश मुकदमें किये जा चुके हैं। श्रम विभाग को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ७२६ संस्थानों में से ६ संस्थान ऐसे हैं, जहां बोनस भुगतान की अवधि समाप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त ६० प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्हें धारा १६ के अनुसार नये संस्थान होने के कारण तथा लाभ न उठाने के कारण अधिनियम से छूट है। ११ संस्थान बन्द अवस्था में पाये गये हैं तथा ८ संस्थानों के सम्बन्ध में न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं।

(श्री भीखाभाई)

उपरोक्त सूचना के अतिरिक्त मैं सदन को यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि राज्य सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी नीति के अनुसार आज तक किसी संस्थान को धारा १६ के अन्तर्गत कोई एक्स्टेन्शन नहीं दिया है। और न ही धारा ३६ के अन्तर्गत किसी संस्थान को एग्जेम्पशन दिया है। कुछ संस्थानों को प्रारम्भिक अवस्था में अधिनियम की पूर्ण जानकारी न होने के कारण तथा आर्थिक संकट होने के कारण समय पर बोनस वितरण करने में कठिनाई आई। इन संस्थाओं ने सरकार के समक्ष एक्स्टेन्शन के प्रार्थना पत्र प्रेषित किये, परन्तु अधिनियम की वैधानिकता को जो चुनौती दी गई थी और जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय होना बाकी था, इस अवस्था में राज्य सरकार प्रोसीक्यूशन के सम्बन्ध में अपनी नीति निश्चित रूप से निर्धारित इसलिये नहीं कर सकी कि यदि प्रोसीक्यूशन कराने के आदेश जारी होते हैं तो वे संस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं पेश कर सरकारी कार्यवाही को स्थगित करा देंगे।

(२. म. प.)

इसके बावजूद भी सरकार ने परसुएशन के आधार पर मिल मालिकों तथा संस्थानों के अधिकारियों को दिनांक १५–४–१९६६ तक स्वतः बोनस अदा करने के बारे में अपील की। प्रोसीक्यूशन जो सरकार ने जारी किये वे इस तिथि के पश्चात् किये गए हैं। ७२६ में से केवल २६० संस्थान ऐसे हैं जिनको बोनस अब तक देना चाहिए था पर अभी तक नहीं दिया गया है। उन संस्थानों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ताकि वे शीघ्र ही बोनस दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने २६० का आंकड़ा दिया, वह गलत मालूम पड़ता है। ७२६ में से ३१२ को दिया और २०–२५ ऐसे बताए जो उसमें नहीं आते।

श्री भीखाभाई : जोड़ का सवाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १०० का फर्क है, ३६० ऐसे निकलेंगे।

श्री भीखाभाई : शेष संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

बोनस अधिनियम के प्रतिवेदन को लागू कराने में आवश्यक कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं और उठाये गये हैं। यह उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रतीत होगा। राजस्थान में भी इन पांच प्रतिष्ठानों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं पेश कीं:—

(१) कृष्णा मिल, ब्यावर।

(२) ऐडवर्ड मिल, ब्यावर।

(३) महा लक्ष्मी मिल, ब्यावर।

(४) जयपुर मेटल व इलेक्ट्रिकल मिल।

(५) राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड।

इन याचिकाओं के निर्णय अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार ने राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन में एक्स-ग्रेश्या बोनस ४ प्रतिशत वितरण करा दिया है।

(श्री भीखाभाई)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं ने भी बोनस का वितरण किया है:—

(१) गंगानगर शुगर मिल्स।

(२) स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोरपोरेशन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनमें से ऐसी संस्थाएं कितनी हैं जिनमें ३०० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ६९ के नाम दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही कर दी गई है ? बहुत जिम्मेवारी के साथ जवाब दें।

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने ६९ के लिए सैंक्शन दी है और अब एक्चुअल फाइलिंग में हो सकता है कि दो तीन चार इधर उधर हुए हों।

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत फर्क हो गया। आप कह रहे थे कि हमने इतनों को प्रोसीक्यूट किया। मैं जानना चाहता हूं कि........

श्री भीखाभाई : जिनकी स्वीकृति दी है उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है एक दो का नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितनों का एक्चुअल प्रोसीक्यूशन हो गया ?

श्री मुरलीधर व्यास : ६० प्रतिशत ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितनों का हो गया ?

श्री भीखाभाई : सब का होगा सिवा दो चार के।

श्री मुरलीधर व्यास : ये सब आपके चेले हैं

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब न दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं जानना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार से जो सलाह तमाम राज्य सरकारों को भेजी है कि वे संस्थान भी जिनमें काम्पिटीशन नहीं होने की वजह से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू नहीं होता लेकिन जो इंडस्ट्री होने के कारण इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट के तहत आते हैं इसलिए उनको बोनस अदा कर देना चाहिए तो क्या जो भी संस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत चलते हैं जैसे कुछ पी० डब्ल्यू० डी० वर्कशाप या और डिपार्टमेंटल जितने भी चलते हैं प्रेसेज भी, उनको एज ए पॉलिसी यह तय कर लिया है कि उनको ४ प्रतिशत बोनस एक्स-ग्रेश्यापेमेंट्स कर देंगे। दूसरे मंत्रीजी ने इस संबंध में केवल विद्युत् मंडल और यातायात निगम के मजदूरों के लिए कहा ......

श्री नाथूराम मिर्धा : शुगर मिल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शुगर मिल के बारे में जो कहा, ये सब के सब चाहे शुगर मिल हों, चाहे रोड वेज कॉर्पोरेशन हो चाहे विद्युत मंडल हो, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का जो खत है वह ऐसे उद्योगों को रेफर नहीं करता, ये उद्योग बोनस एक्ट के तहत ही आते हैं जो बोनस एक्ट के तहत नहीं आते हैं उनके लिए यह एडवाइस है कि आप बोनस एक्ट के तहत आने वालों को एक्स-ग्रेश्या पेमेंट कर रहे हैं. यह गलती कर रहे है। इसलिए आप बताएं कि जो ऐसे विभाग है जैसे पी०डब्ल्यू० डी० के अन्दर वर्कशाप है जिनमें मोनोपोलीज होने के कारण काम्पिटीशन न होने के कारण बोनस एक्ट के तहत नहीं आते लेकिन इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आते हैं, उनको एज ए पॉलिसी लागू करने की नीति है या नहीं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात का निर्णय ले चुकी है कि कृषि वर्कशाप, प्रिंटिंग प्रेसेज के मजदूरों पर बोनस एक्ट लागू होता है या नहीं होता है। कृषि मंत्रीजी के भाषण से ऐसा आभास हुआ कि सरकार यह स्टैन्ड ले रही है कि बोनस एक्ट लागू नहीं होता। यह गलत है, मजदूरों को फिर ऐसे लिटीगेशन के चक्कर में डालने की कोशिश न करें, सरकार का क्लीयर कट स्टैंड क्या है, श्रम मंत्रालय का स्टैंड क्या है, कृषि मंत्रालय

(घंटी)

का स्टैंड कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या श्रम मंत्रालय इस बात से सहमत है जो कृषि मंत्री ने कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह भाषण होता जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी जो इन्होंने फिगर्स बता दीं उनके लिए क्लेरीफिकेशन चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रारम्भिक भाषण दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को देखें, जो मैंने प्रश्न उठाए हैं बिल्कुल रिलेवेन्ट पूछ रहा हूं। इन्होंने यह नहीं बताया कि राजस्थान में कितने मजदूरों को अभी बोनस नहीं मिला है। जिनको मिल गया उनके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक आपने जितने भी मजदूरों की बात कही जिनको मिला है ये ३५ प्रतिशत होंगे और अभी भी अधिकांश मजदूरों को बोनस नहीं मिला है।

अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि विद्युत मंडल के मजदूरों को बोनस देने के प्रश्न को मंत्री जी साफ उड़ा गये। आखिर उस बारे में श्रम मंत्रालय क्या कर रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, दूसरे राज्यों का फैसला हो गया, श्रम मंत्रालय को केन्द्र

(घंटी)

से डाइरेक्शन्स आ गये फिर श्रम मंत्रालय कैटेगोरीकली क्या कहता है ? कौन सी तारीख से अब पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते ? और रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन को एक्स-ग्रेश्या पेमेंट आपने कौनसी तारीख से किया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मुझे यह पूछना है कि माननीय मन्त्रीजी यह बतायें कि राज्य सरकार की क्या नीति है कि जो अन्डरटेकिंग्स अभी भी बोनस नहीं देते हैं जिनकी लिस्ट आपने दी है, ३०० के करीब अन्डरटेकिंग्स अभी भी बाकी हैं, ३१२ ने दे दिया, उनके प्रोसिक्यूशन में क्या दिक्कत आ रही है। कब तक उनका प्रोसिक्यूशन करेंगे और पेमेन्ट कर दें तो प्रोसिक्यूशन का इन्टेन्शन नहीं रखते हैं। आप कहते हैं ६६ का प्रोसिक्यूशन किया है उनमें १२ तो छोटी मोटी सहकारी समितियां हैं। सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक या कोई सहकारी भंडार। कम से कम राजस्थानी जनता को यह मौका न दें। लिस्ट में नम्बर बढ़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रम मंत्री महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक एडवर्ड मिल और एक महालक्ष्मी मिल ये तो ठप्प पड़े हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको कांग्रेस के इलेक्शन फण्ड में चन्दा लेना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आंकड़े खड़े कर देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां चले जाते हैं माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे कितने संस्थान हैं जिनमें तीन सौ मजदूर काम करते हैं और उनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया है। तीन सौ से ऊपर काम करने वाले केपिटलिस्ट संस्थान हैं और उनका आपने प्रोसिक्यूशन नहीं किया है। आप उनकी लिस्ट पेश कर दीजिए जिससे सदन को मालूम पड़ जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप घोटाला कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : यह अधिनियम २० से ३० है, बहुत से उद्योग निकल जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीड़ी वालों को कर दिया, सहकारी समितियों का कर दिया।

श्री भीखाभाई : गंगानगर से माननीय सदस्य आते हैं उनको तो कानून ही नहीं मालूम है। शुगर फेक्टरी है उसमें शुगर एक्ट लागू है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप चाहें तो लेबर लॉ आपको दो साल तक पढाऊं मैं आपको चेलेन्ज देता हूँ। प्रेक्टिकल रूप में दो साल तक बताऊं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५०० मजदूर वाले संस्थान बता दीजिये जिनका आपने प्रोसीक्यूशन किया है?

श्री भीखाभाई : सब का प्रोसीक्यूशन किया है। एडवर्ड मिल ....

Page No.69

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आपकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडवर्ड मिल के प्रोसीक्यूशन से तो अपने बेटे को घी खिलाया।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य आंकड़े पूछ रहे थे। टोटल की बात कही कि गलत है और ठीक नहीं है। मैं उनको बताऊं कि बोनस दिया। ३१२। एक्जम्प्टेड ६०

बाकी २६०....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको पेमेन्ट हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : सोल्व हो गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २६० प्लस ६६। ३२६ हुए जिन्हें बोनस अदा नहीं किया है। क्यों हां ?

श्री भीखाभाई : हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २६० के प्रोसीक्यूशन ऑर्डर्स नहीं दिये और एक्चुअली कितनों का प्रोसीक्यूशन हुआ वह आप खुद भी नहीं जानते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून का उल्लंघन किया उसमें २० पर्सेन्ट है।

श्री भीखाभाई : आप कहते हैं उतना नहीं पहुंचा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २० : ३० का सवाल है। लेबर ऑफिसर को पूछ लीजिए ५. ६६ में प्रोसीक्यूशन किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोडल केसेज ५ के ही आप बता दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने लिस्ट पेश की उसमें लिखा है ..." List of persons who have been prosecuted"

प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ है और यह लिख कर कि "List of persons who have been prosecuted"

सदन में पढ़ दी यह सदन के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। लिस्ट रखिये।

श्री भीखाभाई : कौनसी फ्रॉड की है ? You should withdraw your words.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रोसिक्यूशन चलाना हो जाय, कोर्ट चले जाय। आपने आर्डर करदिया, फाइल सर्किट में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप दूसरों की सुनिये तो सही। जो सदन की मेज पर सूची रखी है उसमें यह लिखा है कि इन ६६ को गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन कर दिया है। उसमें सेन्क्शन देने के बाद कितनों का प्रोसिक्यूशन किस फार्म में कौनसी अदालत में जावेगा वह स्टेजज अलग अलग हैं। जो सदन जानना चाहता है वह भीखा भाई के पास नहीं है। इसके बारे में दूसरा फार्म हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोडल क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शोर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ लीजिए, आंकड़ों की ही क्या बात है।

Page No.70

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने कुछ संस्थान का आर्डर तो दे दिया लेकिन प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही नहीं हुई वह बताना चाहिए :

nature of the work which has been done dy your department."

हम यह कहते हैं कि आपके सेन्कशन देने के बाद आपके डिपार्टमेंट वाले इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं । पांच मोडल निकाल कर बता दीजिए कि यह यह हुआ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बहस को इस प्रकार आगे नहीं बढ़ा सकते कि जिससे किसी निर्णय पर पहुँच जांय । आपने एक पोइन्ट रखा है उसका जवाब दिया वह सारा रिकार्ड में आ गया । उसके बाद में किसी निचोड़ पर पहुँच जांय यह तो है नहीं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने को दूसरी कार्यवाही लेनी है उसको दृष्टिगत रखते हुए और साथ ही एक ध्यान आकर्षण भी और है, उसको तीन बजे तक निपटा दिया जाय तो आगे विधायी कार्य और स्थगन प्रस्ताव लिये जावेंगे उन सब को पूरा कर सकें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट की ओर से जवाब दिया गया आखिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसी लिए उठाया जाता है कि गवर्नमेंट संतुष्ट करे, मिनिस्टर महोदय ने इतना टाइम वेस्ट किया, उनमें से कितने आदमियों को प्रोसिक्यूशन किया यह वह नहीं बता सके । उनकी तरफ से आप ही कह दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो समझने की चतुराई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक का भी नही हुआ । माननीय मन्त्री जी लिस्ट में से एक पर भी हाथ रख कर बता दें कि इस का हुआ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं नमूना पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में नही हुआ है, तो इस वक्त विवाद न करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पर ये हाउस में इम्प्रेसन यह क्रीएट करना चाहते हैं कि सरकार विजिलेन्ट है । ६९ लोगों के खिलाफ केस कर दिया पर वे एक दो पर तो अंगुली उठाकर बतावें कि इन एक या दो का प्रोसीक्यूशन भी करा दिया । वे क्या क्या हैं, बतावें थोड़ा, खामखा में उछल रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि कितनों को प्रोसीक्यूट इस में से कराया तो मैं उसकी सूचना दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब बता देंगे ?

श्री भीखाभाई : कल परसों तक बता दूंगा ।

Page No.71

(श्री भीखाभाई)

इसके अलावा ३०० से अधिक काम करने वाली संस्थाओं के बारे में भी जानकारी होगी तो दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन सौ से ऊपर जिनके नहीं हुए हैं वह लिस्ट चाहिए।

श्री भीखाभाई : बोनस एक्ट का जहां तक सवाल है, उसके सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। इसके सम्बन्ध में इसको एनफोर्स करने के लिए उपयुक्त मशीनरी हो तब तक कठिनाई है तो इसके लिए नए इन्सपेक्टरों की पोस्टें सरकार ने क्रीएट की है। तब हमारी कार्यवाही और तेजी से चलेगी। यह मैं सूचना करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके ये सब अफसर लोग गरीबों का ध्यान नहीं रखते, सब रिश्वतें लेते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इनको तो चन्दा चाहिए। जिनका खर्च भी नहीं चलता उनका तो प्रोसीक्यूशन किया है जैसे महावीर प्रिन्टिंग प्रेस है और प्रेस हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो श्रम मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है वह इतना लचर है कि उससे सदन सन्तुष्ट नहीं हो सकता। ७३५ में से २१२ के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की और उनमें से भी ६६ के लिए प्रोसीक्यूशन के आर्डर दिए हैं, पर इनमें से भी एक्चुअल कितनों को हुआ है वह यह नहीं बता सके। फिफटी परसेन्ट के बारे में भी कोई कार्यवाही ये नहीं करना चाहते। ३०० से ज्यादा लोगों को बोनस नहीं दिलवाया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून, कांग्रेस सरकार का स्वयं का बनाया हुआ कानून और उसकी यह राजस्थान की ही एक कांग्रेसी सरकार इस तरह से। हत्या करे इससे ज्यादा मजदूर विरोधी सरकार और कौनसी हो सकती है। और उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार जो राजस्थान में लाखों मजदूरों का गला घोंटती है, उनको उनका वाजिब बोनस नहीं दिलवा सकती कानून तोड़ने वालों का प्रोसीक्यूशन नहीं करवा सकती, पूंजीपतियों से सांठ गांठ रखती है। ऐसी सरकार की इन श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के लिए बड़ी शर्म का विषय है।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर !

(लगातार घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Sarkar should make a statement.

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह से वाक आउट करना उनकी हठधर्मी है। जनता में

Page No.72

(श्री नाथूराम मिर्धा)
से वे रूट आउट हो रहे हैं तो यहां जड़ें जमाना चाहते हैं इस तरह से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बैठ जाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जड़ें उखड़ रही हैं और वे आगे भी उखड़ती ही जावेंगी। इस तरह से जड़ें नहीं जम सकतीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बैठ जाइये।

(शोरगुल घंटी अश्रव्य)

आप मजदूरों से दुश्मनी रखते हैं। उनको बोनस नहीं दिलाना चाहते। पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, पूंजीपतियों से चन्दा लेने की खातिर मजदूरों का गला घोंटते हैं, शर्म नहीं आती आपको। आप खामोशी से बैठ जाइये।

(शोरगुल घंटी अश्रव्य)

("बैठ जाइये" "बैठ जाइये" की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से दिया गया है उससे साबित हो गया है कि यह सरकार बावजूद कानून पास हो जाने के, बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के, बावजूद इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के फैसला कर देने के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूरों को बोनस नहीं दिला रही है। अब भी मजदूरों की तरफ बोलने को तैयार नहीं है। मजदूरों को बोनस नहीं दिलाया। पचास पर्सेन्ट से ज्यादा होने पर भी एक का भी प्रोसीक्यूशन नहीं किया। मुंह छिपा रहे हैं, केन्द्रीय सरकार की सलाह को नहीं मान रहे हैं। यह सरकार मिल मालिकों से पूंजीपतियों से मिली हुई है। पूंजीपतियों से सांठ गांठ की हुई है। उनसे चन्दा लेना चाहती है इलेक्शन के लिए और मजदूरों का गला अपने इस स्वार्थ के लिए घोंटना चाहती है। भारत सरकार का कानून यह नहीं मान रही, इस तरह की यह सरकार है।

(शोरगुल अश्रव्य)

इस नीति के विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

(घंटी शोरगुल अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। छोटा सा प्रश्न रखा। उसका उन्होंने जो जवाब दिया उसमें बताया गया कि इतने इतने लोगों के खिलाफ कार्यवाही सरकार ने कर दी। पर जब और पूछा गया तो गलत बात कह दी। बोनस एक को भी नहीं दिलाया दस हजार मजदूरों में से न बोनस दिलाते हैं, न सही बात कहते हैं, बल्कि सदन को गुमराह और करते हैं। तो इस पर श्रम मन्त्रीजी को त्याग पत्र दे देना चाहिये या फिर सदन को सन्तोष कराना चाहिये कि यह सरकार की श्रम नीति है। उसकी तो आज की नीति श्रम विरोधी है।

Page No.73

(श्री मुरलीधर व्यास)

हजारों मजदूरों का गला घोंटती है। इसके विरोध में मैं सदन से वाक आउट करता हूँ।

(बहिर्गमन)

श्री गोकल प्रसाद शर्मा (मांडल) : आज मजदूर हितैषी इनमें कहां से आ गये।

(शोरगुल अश्रव्य घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : एक एक वाक आउट के लिए इस तरह से भाषण नहीं दिया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह सरकार पूंजीपति परस्त है। इसकी तमाम नीतियां मजदूर विरोधी ही नहीं, विद्यार्थी विरोधी भी हैं। आज यह इस दशा में पहुंच गई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं यह आदेश देने को बाध्य हो गया हूं कि जो भी इस सदन का बहिष्कार करते हैं वे भाषण न दें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां मजदूरों का सवाल हैं, बोनस का सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है श्रम सम्बन्धी, भीखाभाई श्रम मन्त्री हैं वे कतई इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और बिलकुल नौकरशाही के गुलाम बने हुए हैं। नौकरशाही जिस तरह से इनसे काम कराना चाहती है उसी तरह से वे करते हैं और यह नौकरशाही अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा पूंजीपतियों से मिली हुई रहती है और ये मन्त्री उस नौकरशाही से मिलकर उन सेठों से चुनाव के लिए पैसा एठना चाहते हैं।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(घंटी)

श्री हरिराम चौहान : ऐसी हालत में यह सरकार जो मजदूरों के खिलाफ जुल्म कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह से भाषण नहीं दे सकते।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इस नौकरशाही परस्ती और पूंजीपति परस्ती नीति के कारण मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य There will be no talks.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

Page No.74

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। मैजोरिटी पार्टी का धर्म है कि व्यवस्था मेन्टेन रखे।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री श्रवणलाल : आप बोले तो चन्दा कहां से मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया

(२.३२ म० प्र०)

निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर मैंने ३ बजे तक का समय सीमित कर दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय सहकारी मंत्री जी व राजस्थान मन्त्री मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि निवाई में यह मार्केटिंग सहकारी समिति सन् ६० से स्थापित हुई है। तब से इस सहकारी समिति को जितना भी कर्जा राज्य सरकार के द्वारा चाहे वह अनुदान के रूप में हो या लोन के रूप में मिला हो, चाहे वह मकान बनाने लिए मिला हो या किराए के लिए या कर्मचारियों की तनख्वाह या फर्नीचर के लिए मिला हो–आज तक जितना भी कर्जा इस सहकारी समिति को मिला है इस सहकारी समिति ने उस पैसे का सही उपयोग नहीं किया है। मुझे जहां तक सरकारी प्रश्नों के आधार पर जानकारी है उसके ऊपर मैं कहने के लिए इस स्थिति में हूँ कि जो इस सहकारी समिति के ऊपर कर्जा है उसको वापिस अदा नहीं किया गया। और आज वह सहकारी समिति इस स्थिति में नहीं है कि सारा कर्जा सरकार को वापिस करे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समय समय पर जो भी सहकारी मंत्री थे उनका प्रजातान्त्रिक तरीके से हाउस में प्रश्न पूछकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पूछकर और अन्त में एक रिट याचिका इस हाउस की एक याचिका समिति के सामने प्रस्तुत करके इस सहकारी समिति के प्रश्न को मैंने बार बार सैद्धान्तिक तरीके से उठाया। लेकिन आज मुझे खेद है और दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज जो सहकारी समिति निष्क्रिय हैं और जो घोटालों का अड्डा बनी हुई है और जो भाई भतीजे वाद का एक प्रमाण है, जिसमें अनियमिततायें आज चरम सीमा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तक पहुंच चुकी है, जहां न तो प्रजातान्त्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, न कोई पूछने वाला है उसकी ऑडिट रिपोर्ट उठाकर देखें तो आपको उस सहकारी समिति का सारा चित्रण मिल जायेगा। समय समय पर उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उसकी जांच करवाई। सहकारी विभाग के उच्च अधिकारियों ने समय समय पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दी। मैंने इस सहकारी समिति के संबंध में पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १८–८–६४ को दिया तो उसके उत्तर में राज्य सरकार की तरफ से मुझे जो आश्वासन मिला है उसमें से राज्य सरकार ने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है और राज्य सरकार जानबूझकर उस सहकारी समिति के सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें करती है। मैंने समय समय पर प्रश्न इस सहकारी समिति के किये हाउस में पेश किये है। उनमें इसी तरह का ५-११-६५ को इसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में हाउस में एक ध्यानआकर्षण प्रस्ताव रखा था और उसके जवाब में राज्य सरकार ने यह कहा है कि हम जल्दी ही सहकारी समिति को खत्म करने वाले हैं। मैं समय समय पर इस संबंध में सहकारी मंत्री जी, रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्टार साहब से मिलता रहा हूं और उन्होंने भी समय समय पर आश्वासन

(२.३५ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

दिया है कि हम जल्दी से जल्दी सहकारी समिति को खत्म करने वाले हैं। वह महसूस करते हैं लेकिन मुझे यह जानकर अफसोस होता है माननीय चेयरमैन महोदय कि सारी जानकारी के बाद भी राज्य सरकार को क्या मजबूरी है कि उस सहकारी समिति को जो कि एक सहकारी विभाग के नाम से और सहकारी आंदोलन के नाम से कलंकित है, जो कलंकित ही नहीं बल्कि लांछित करती है, ऐसी सहकारी समिति जिस रूप में वह आज से ६ साल पहले थी उसी रूप में आज भी वैसे ही कार्य कर रही है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सभापति महोदय, उसके बाद में इसी बजट सेशन में ८–४–६६ को प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में राज्य सरकार ने यही जवाब दिया माननीय चेयरमैम महोदय, जब जब मैंने इसके संबंध में इस हाउस में प्रश्न उठाया–मुझे जहां तक याद है राज्य सरकार की तरफ से संतोषप्रद जवाब मिला है। लेकिन उस संतोषप्रद जवाब को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया। इस से दुखित होकर यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव फिर मैंने प्रस्तुत किया है।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस सहकारी समिति के संबंध में जो समय समय पर मैने पूछा उनको भी पेश करना उचित समझता हूं। मैंने एक प्रश्न १८–८–६४ को इस सदन में पूछा था। उसके उत्तर में राज्य सरकार ने कहा है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैंने प्रश्न पूछा था कि निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति की स्थापना कब हुई और उसके किस किस प्रकार के कितने सदस्य हैं। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक ३१–१२–६० को हुआ है और इसमें ३ प्रकार के ४१ सदस्य हैं। इसमें 'ए' श्रेणी के १६ सदस्य हैं, 'बी' श्रेणी के २४ और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

'सी' श्रेणी के ३ हैं । इस तरह से ४३ सदस्य हैं

दूसरा प्रश्न था कि उक्त समिति को अब तक कितना कितना रूपया अनुदान और कर्ज के रूप में राज्य सरकार से मिला है। इसके उत्तर में राज्य सरकार ने कहा कि कुल मिला कर इस सहकारी समिति को ५० हजार रुपया के करीब सहायता और अनुदान और ऋण के रुप में दिया है।

इसी तरह से मैंने तीसरा प्रश्न यह पूछा था कि इस समिति को जो रूपया दिया है उसमें कितना बकाया है और उसने कितने काम किये और कितना मुनाफा हुआ है। उसके उत्तर में बताया गया कि जितना रूपया हमने दिया है वह सारा का सारा बकाया है और इन्होंने १५ हजार का काम किया है उसमें ६३६ रूपये का घाटा इसको हो रहा है

श्री परसराम मदेरणा : १ लाख १५ हजार का काम किया है १५ हजार का नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हां १ लाख १५ हजार का किया है उसमें से ६३६ रुपये का घाटा है।

मैंने पांचवा प्रश्न पूछा था कि इसके सदस्य कौन कौन हैं और इस इस तरह से सदस्यों की संख्या है।

छठा प्रश्न पूछा था कि इसमें जो कर्मचारी हैं वह किस किस योग्यता के हैं और उनको क्या तनख्वाह मिलती है और जो संचालक मण्डल के सदस्य हैं उनके क्या कार्य हैं। इस पर राज्य सरकार ने जो सूचना दी है उसमें पहला मेम्बर है श्री भगवान दास। यह मेट्रीकुलेट हैं और इनको १६० रूपया तनख्वाह मिलती है और हनुमान दास मंत्री के भाई हैं। तीसरा है। मै इस प्रश्न के द्वारा राज्य सरकार को दिखाना चाहता हूं कि इसमें ३ हैं और तीनों की योग्यता मेट्रीकुलेट है। लेकिन किस तरह से भाई–भतीजों को पनपाकर मेट्रीकुलेटस को कितनी कितनी तनख्वाह देते हैं। एक कर्मचारी हैं भगवान दास टंडवाल जो मेट्रीकुलेट हैं और इस समिति के जो श्री हनुमानदास जी मंत्री है उनके छोटे भाई हैं, इनको १६० रूपये तनख्वाह मिलती है। दूसरे हैं श्री नेमीचन्द जो अध्यक्ष के मामा के लड़के हैं यह भी मेट्रीकुलेट हैं और इनको १२० रूपये तनख्वाह मिलती है। तीसरे किसी के नहीं हैं और यह हैं श्री बेला सक्सेना .यह भी मेट्रीकुलेट हैं और इनको केवल ६० रूपये दिये जाते हैं। मैं माननीय चेयरमैन महोदय, आपके माध्यम से यह बताता हूं कि तीनों कर्मचारी मेट्रीकुलेट्स हैं लेकिन उनकी जो ग्रेड है इसमें कितना फर्क है और वह फर्क राज्य सरकार ने मन्जूर किया है।

इसके बाद एक याचिका इस सदन की याचिका समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। उसका प्रतिवेदन तीसरा है। उसको मै पढ़कर सदन के सामने सुनाना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरा क्यों पढ़ते हैं ?

Page No.77

श्री जयनारायण सालोदिया : यह छोटा है।

प्रस्तुत याचिका में जो मुद्दे मुख्य रूप से उठाये गये हैं उनकी सत्यता अधिकतर राज्य सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार कर ली है। राज्य सरकार की ओर से इस सहकारी समिति में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की गई है जिसकी एक प्रति याचिका समिति को भी कार्य वाहक के द्वारा भेजी गयी है। इस जांच रिपोर्ट से निम्न रिपोर्ट स्थापित होती है। सहकारी समिति को २५ हजार रुपया के ऋण व अनुदान जिस कार्य के लिए दिया गया था उसके बजाय दूसरे कार्यो में खर्च किया है।

(२) उप-नियमों की अवहेलना करके संचालक मण्डल के सदस्य बने हुए हैं।

(३) सहकारी समिति के सदस्यों में सहकारी समिति की बकाया है मतलब सहकारी समिति के सदस्यों में उस सहकारी समिति का वकाया है।

(४)सहकारी समिति के हिसाब की अनियमितताएं आडिट द्वारा इंगित की गई थीं उसका निराकरण नहीं किया गया है।

(५) ऐसे व्यक्ति जो इस समिति के लिए नियमानुसार योग्य नहीं है उसके संचालक मण्डल के सदस्य बने हुये हैं।

[६] सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी नियमानुसार ठीक समय पर कार्य नहीं कर रही है।

इस जांच रिपोर्ट के आधार पर उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अजमेर खण्ड जयपुर ने रजिस्ट्रार, सहकारी समिति राजस्थान जयपुर से यह सिफारिश की है कि यह सहकारी समिति अनियमित है और अधिनियम की धारा ५१ के अंतर्गत उपरोक्त सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी को अप दस्थ किया जावे। राज्य सरकार ने इस सम्बंध में जांच समिति को यह सूचित किया है कि सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और धारा ४० के अंतर्गत उस समिति की आर्थिक स्थिति व कारोबार की व अन्य जाँच रिपोर्ट के प्रस्तुत होने पर दोषी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। समिति यह महसूस करती है कि समिति के संबंध में विधान सभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ के उत्तर में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है २९-८-६४ को, उसके अनुसार इस सहकारी समिति के चुनाव दिनाँक ८-७-६३ को हुए थे। जिसकी अवधि ८-७-१९६४ को समाप्त हो गई लेकिन दूसरे चुनाव अभी तक नहीं कराए गए हैं और विशेष कर जब कि इस सहकारी समिति के कार्य कालके सम्बन्ध में अनेक अनियमितताओं की पृष्ठ भूमि उप रजिस्ट्रार महोदय द्वारा को गई जांच से स्पष्ट है, सहकारी समिति जो सहकारी आन्दोलन की मूल इकाई है और सहकारी आन्दोलन के जरिए सामाजिक पुनर्जीवन आर्थिक उन्नति एवं बिचौलियों को हटाने, उनके जीवन को स्वस्थ करने में पूर्ण उपयोगी होकर सफल होना चाहिए था, उनको इतने लम्बे अर्से तक इतनी अनियमितताओं के बाद भी समाप्त नहीं किया गया है।

माननीय चेयरमेन महोदय, आगे समिति ने कहा है कि एक ही तरह के तीन कर्मचारी है। एक ही योग्यता के होने पर भी एक को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जहां १६० रुपये दिए गए हैं, एक को १२०) रुपये दिए गए है और एक को ६०) रुपये दिए गए हैं, इस पर भी समिति ने काफी एतराज किया है और बाद में समिति ने कहा है कि यह समिति सहकारी आन्दोलन के लिए कलंक के रुप में है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

माननीय चेयरमैन महोदय, इस विधान सभा के माध्यम से मैं फिर सहकारी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और इसके साथ ही माननीय चेयरमैन महोदय, एक बात मुझे और इस सहकारी समिति के सम्बन्ध में कहनी है कि जो रुपया सहकारी विभाग का उसमें बकाया हैं वह तो है ही, उसके अलावा पचीस हजार रुपया इस सहकारी समिति को गोदाम बनाने के लिए यिया गया था। सहकारी समिति ने यह गोदाम भी नहीं बनाया और उस पैसे को भी अपने काम में खर्च कर दिया। वह अपने काम में इस तरह से खर्च कर दिया माननीय चेयरमैन महोदय कि उन तीन आदमियों के पास कोई धन्धा नहीं है। जो संचालक मण्डल के सदस्य हैं वे सभी व्यापारी लोग हैं, वे बाजार में जाते हैं और सौदा खरीदतें हैं बोली पर। जो मुनाफे का सौदा होता है, उस मुनाफे के सौदे को तो अपने नाम पर लिखा लेते हैं और घाटे के सौदे को सहकारी समिति के नाम लिख देते हैं और इस तरह से इसमें घाटा चलता रहता है। इस सहकारी समिति ने मिट्टी का तेल खरीदा था कुछ साल पहले। उस मिट्टी के तेल में इस सहकारी समिति ने ५०-६० पीपे यों दिखाये हैं कि यह सारा तेल चू गया है। उस सहकारी समिति की शक्कर कम हो जाती है। उस सहकारी समिति में और कोई सामान आता है तो वह कम हो जाता है और इस तरह से घाटा ही घाटा हो रहा है। इसी के साथ साथ पच्चीस हजार रुपये जो गोदाम के लिए दिए गए थे वह तो खत्म किए ही, इसके साथ ही अभी अभी मुझे मालूम हुआ है, अभी वहां पर एक सेल्स टैक्स आफिसर आए थे, उन्होंने निवाई में कैम्प लगाया था, वे कह रहे थे कि इस सहकारी समिति के अन्दर सेल्स टैक्स का पच्चीस हजार रुपया बकाया है। माननीय चेयरमैन महोदय, यह क्या मजाक है, आखिर क्या करना चाहते हैं आप, सहकारी समिति को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या इस सहकारी समिति के मायने यह हैं कि कुछ चन्द लोग जो असर रखते हैं आप पर, उनको आप इस सहकारी आन्दोलन की मार्फत, इसके माध्यम से पालना चाहते हैं! उनको आपने इस तरह से खुली छूट दे रखी है. इस तरह से उनको पेंशन दे रहे हैं। वे कोई काम नहीं करते हैं और इस सहकारी समिति के माध्यम से अपना सारा काम चलाते हैं। सहकारी आंदोलन की इस संस्था को आप कहां ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की बातें और उन सारी बातोंको, सारे फैक्ट्सको मंजूर किया विधान सभा की महत्वपूर्ण सब कमेटी ने और आपके विभाग ने भी जिसे मन्जूर किया है ..

श्री सभापति : अब आप संक्षेप में ही समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो माननीय चैयरमैन महोदय, मैं सहकारी मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब तक इस सहकारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

समिति के नियमानुसार चुनाव नहीं होते हैं, जब तक संचालक मण्डल में जो सदस्य नियमानुसार होने चाहिये वे नहीं होते हैं, तब तक इसका काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। एक दफे इस सहकारी समिति के चुनाव का नोटिस मैंने देखा। उस चुनाव के नोटिस के साथ कई शर्तें थीं। उन शर्तों में एक दो शर्तें इस तरह की भी थीं कि जो लोग दुकानदारी करते हैं या लेन-देन का काम करते हैं वे सदस्य नहीं हो सकते. जिनके घर की दुकान है वे सदस्य नहीं हो सकते इस तरह की शर्तें थीं कि ये लोग. संचालक मण्डल के सदस्य नहीं होंगे और आपके एक इन्स्पेक्टर थे, एक ए. आर. ओ. आफिसर थे, मुझे जानकारी देते हुए बहुत दुख होता है कि वह रिटर्निंग आफिसर बन कर वहां पर आए चुनाव के लिए तो उन से यह कह दिया गया कि हम रिटर्निंग आफिसर को नहीं मानते हैं, हम जैसा चुनाव करेंगे वैसे ही चुनाव होगा। वह चुनाव वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था और रिटर्निंग आफिसर साहब देखते ही देखते रह गए। एक तरफ तो आपका विभाग अवहेलना करता है, आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं और आपकी रिपोर्ट को मानते नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हो उसको नहीं मानते हैं। एक तरफ आपका पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, आप मौन व्रत धारण किये हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माननीय सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मुझे आपकी निष्पक्षता पर कोई शक नहीं है, मैं आपके माध्यम से यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस सहकारी समिति के लिए एक ठोस कदम उठा कर, निश्चित कदम उठा कर सहकारी आन्दोलन को इस प्रकार गर्त में जाने से आप बचायेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): सभापति महोदय आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का यह वर्णन किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन की समिति के द्वारा जो आदेश इस मंत्रीमण्डल को, इस सहकारी विभाग को दिया गया है उसका पालन कराने में यह मंत्री मण्डल और सम्बन्धित मंत्री और सम्बन्धित विभाग इस तरह से आयोग्य रहा है और उसने असहयोग किया है इस सदन के साथ और सदन की समिति के द्वारा दी हुई रिपोर्ट के साथ। तो इसलिये यह और भी गम्भीर प्रश्न बन जाता है कि क्या यह सब फार्मल इन्स्टीट्यूशन्स ही बन कर रह जायेंगी। हमने सदस्य के रूप में एक समस्या पेश कर दी और उस पर इस सदन की समिति ने अपना आदेश भी दे दिया, अपनी जाँच रिपोर्ट उनके विरुद्ध दे दी, उनका अपराध साबित हो गया...

श्री सभापति: मंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे तो आपकी बात का ध्यान रखेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल: सभापति महोदय, मैं आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यदि यही प्रथा चलती रही और मंत्री मण्डल, उसके विभाग और सम्बन्धित मंत्री इसी तरह से सदन की समितियों की परवाह नहीं करेंगे तो क्यों ऐसी समितियों को बना कर पब्लिक मनी को वेस्ट किया जाता है....

श्री सभापति : इस बात का ध्यान रखते हुए ही उत्तर देंगे ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो विधान आपको पास कराना हो वह तो एक दो दिन में ही करा लें और इस तरह से जनता का पैसा खराब न करें । इसलिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाता है । इससे जनतन्त्र खतरे में है । यह साधारण बात नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपकी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा (सहकारी मंत्री): सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि जिन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है उन्हीं मुद्दों को उन्होंने प्रश्नों के जरिये और याचिका समिति में समय समय पर उठाये हैं । सरकार ने याचिका समिति के सामने भी अपना उत्तर प्रस्तुत किया था । जब कभी माननीय सदस्य ने इस सदन में इस समिति को लेकर प्रश्न उठाया है उनका भी उत्तर दिया है । अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा माननीय सदस्य ने ७ मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ कहना है बाकी प्रश्नों के सम्बन्ध में और याचिका के समर्थन में उठाये गये मुद्दे हैं ।

इसमें सबसे पहले जो माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस समिति ने जो ऋण और अनुदान लिया है बड़ी बड़ी रकमों का तो उसमें घोटाला होने की संभावना है । उनका यह कहना कि गोदाम के लिए जो ऋण या अनुदान की राशि दी गई थी उसका दुरुपयोग किया गया है और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव हुए हैं वे वैध नहीं हैं, अवैधानिक तरीके से चुनाव किये गये हैं, इनका उत्तर इस प्रकार है । मैं माननीय सदस्य को पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि समिति का पंजीयन दिनांक ३१-१२-६० को हुआ था । पंजीयन होने के बाद समिति के निर्माण पर ऋण, अनुदान और हिस्से की राशि राज्य सरकार के विभाग द्वारा दी गई है वह १९६०-६१ में ऋण १८,७५०) रु० और अनुदान ६,२५०) रु० गोदाम-निर्माण हेतु । ६०-६१ में १५,०००) रु० की हिस्सा राशि राज्य सरकार की ओर से दी गई है ये हिस्से राजस्थान सरकार ने खरीदे हैं । ६०-६१ में २५,००) रु० व्यवस्थापिका अनुदान दिया गया है और ८००) रु० गोदाम किराये हेतु अनुदान दिया गया । ६२-६३ में ६००) रु० व्यवस्थापिका अनुदान दिया गया है । ६५-६६ में २५००) रु० उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु अनुदान दिया गया है । इस प्रकार से दी गई धनराशि में से केवल गोदाम निर्माण हेतु प्राप्त राशि के अतिरिक्त सभी अनुदान राशि जिस खर्च के लिए प्राप्त हुई उसका उसी कार्य में उपयोग किया जाकर उपयोगिता प्रमाणपत्र दे दिया गया है । जहां तक गोदाम निर्माण के हेतु प्राप्त किए गए ऋण और अनुदान की राशि का प्रश्न है, यह राशि सम्बन्धित कार्य में व्यय नहीं की जा सकी और इस समिति ने उसको अपने कारोबार में लगा दिया । गोदाम-निर्माण हेतु भूमि खरीदने में नगरपालिका में २३-९-६३ को १९२०) रु० जमा किये गए, लेकिन इस भूमि के सम्बन्ध

(श्री परसराम मदेरणा)

में स्वामित्व का विवाद होने के कारण गोदाम का निर्माण नहीं हो सका। समिति ने पंचायत समिति से बनाये गोदाम खरीदने का प्रयत्न किया था और पंचायत समिति ने १७-१-६५ को अपना गोदाम इस समिति को बेचने का प्रस्ताव भी पारित किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त गोदाम की कीमत आंकने के लिए भी निवेदन किया लेकिन उस गोदाम के स्वामित्व के बारे में भी विवाद होने के कारण यह नहीं खरीदा जा सका। अब इस कार्य के लिए भूमि एलाट करने के लिए समिति द्वारा ग्राम पंचायत में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही की जायगी।

विभाग द्वारा ऋण-वसूली की कार्यवाही के फलस्वरूप ३,७५०) रु० वसूल किये जा चुके हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि नियमानुसार चुनाव नहीं हुए और उपनियम की अवहेलना करके इस समिति के संचालक मंडल के सदस्य बड़े लम्बे अरसे से बैठे हुए हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि समिति के संचालक मंडल का चुनाव प्रति वर्ष होता रहा। उपनियम सं० ३३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में दो कार्य-काल तक सदस्य रह सकता है। इसके अनुसार सर्व श्री लालचन्द और जगन्नाथ प्रसाद चौधरी दोनों पिछले ६ वर्षों से सदस्य हैं, लेकिन अब वे केवल निर्देशक मंडल में बिना पूर्व स्वीकृति के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते इसलिए उपनियमों की अवहेलना करके कोई भी व्यक्ति संचालक मन्डल का सदस्य नहीं है। दिनांक ३१-८-६४ को हुए चुनाव के बारे में कुछ सदस्यों के अनियमित रूप से चुने जाने की तथा समिति में अन्य अनियमितताएं बरती जाने की रिपोर्ट इस कार्यालय में ६-१२-६४ को प्राप्त होने पर समिति के संचालक मण्डल को अपदस्थ करने का नोटिस दिनांक १-१-६५ को दिया गया परन्तु निर्णय लेने से पूर्व समिति का नया चुनाव हो जाने के कारण उक्त नोटिस विभाग द्वारा २७-५-६६ को वापिस ले लिया गया।

उप-रजिस्टार सहकारी समिति, जयपुर को आदेश दिया गया है इस रिपोर्ट के आधार पर कि ऐसा कोई व्यक्ति समिति को नुकसान पहुँचाने का समिति के धन को अपने निजी कार्य में लाने का अथवा उसका दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया हो या पाया जाय तो उसके विरुद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाय व समिति को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराई जाय।

दिनांक १३-१०-६५ को समिति का चुनाव होने के बाद कोई अनियमितता नहीं रही है। वर्तमान संचालक मंडल में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो उपनियम के अन्तर्गत अयोग्यता में आता हो। इस वर्ष के लिए संचालक मंडल का चुनाव आगामी माह में करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसके बाद में अन्य मुद्दे जो माननीय सदस्य ने उठाये हैं, मुद्दा नं० ३, ४ व ५ मेरे इस उत्तर के बाद में समझता हूँ कि माननीय सदस्य की संकाएं दूर हो गई होंगी।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक माननीय सदस्य ने सैल्स टैक्स के बारे में कहा उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि समिति में इस विभाग के ऋण के अलावा करीब २५ हजार का सैल्स टैक्स भी बाकी है जिसका भुगतान करने में भी समिति असमर्थ है ऐसा आपका कहना है। जो इतिला मेरे पास है उसके अनुसार समिति की ऑडिट रिपोर्ट ६४-६५ के आधार पर सैल्स टैक्स का १४,३३६.६५ रु० बकाया था। वर्ष ६५-६६ में १३५.३४ रु० बिक्री कर और देना वाजिब हुआ। इस कुल रकम में से ४२५०) दिनांक २३-३-६६ को तथा ५७११) रु० दिनांक २७-७-६६ व दिनांक ३-८-६६ को सैल्स टैक्स विभाग को भुगतान किया जा चुका है। सैल्स टैक्स विभाग ने बिना ऐसैस किए ही २५,०००) रु० की मांग निर्धारित करके भेज दी थी जिसमें ११ हजार पैनाल्टी के रूप में लगाए थे। पैनाल्टी के सम्बन्ध में अपील करने की कार्यवाही समिति के द्वारा की जा रही है। समिति के खाते के अनुसार अब ४,५६४)रु. सैल्स टैक्स के और देने बाकी निकलते हैं जिसको जमा करवाने के लिए समिति को लिख दिया गया है।

इसलिए यह कहना कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथ्यहीन सिद्ध हुआ है। समिति के हिसाब की जांच करवाई जा चुकी है। समिति का निरीक्षण भी सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, टौंक द्वारा किया गया है। समिति के नियमानुसार चुनाव हो चुका है। ऐसी आशा की जाती है कि नये चुने हुए संचालक मंडल के द्वारा समिति का कार्य भली प्रकार से किया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि दो दफा जो २५-२५ हजार का अनुदान दिया गया है वह किस काम के लिए दिया गया? मकान के अलावा दो बार इस समिति को २५-२५ हजार का अनुदान दिया गया है वह। एक बात तो यह है उसके सम्बन्ध में आप फर्मा दें। दूसरी बात मैंने कर्मचारियों के सम्बन्ध में निवेदन किया था।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह निवेदन किया था कि गोदाम निर्माण हेतु १,८७५०) रु० तो ऋण और ६,२५०)रु० का अनुदान दिया गया था जो कि एक ही बार दिया गया था। दो बार नहीं दिया गया था। इस बारे में यह प्रश्न है कि दो साल तक तो किश्त ड्यू नहीं होती है। उसके बाद में जो इन्स्टालमेंट हैं वे तीन इन्स्टालमेंट ड्यू होते हैं और इन तीनों इन्स्टालमेंट्स की रकम ३,७५०) रु० समिति ने अदा कर दिये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : २५ हजार रुपये जो गोदाम के लिए दिए गये वे बैंक में जमा हैं या कहां। और किस नाम से।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अपने वक्तव्य में बता दिया है कि गोदाम में नहीं लगाया उनको और कारोबार में लगा दिया, लेकिन उस रकम का किसी प्रकार से घोटाला नहीं हुआ हालांकि जिस परपज के लिए दी गई थी उसी परपज के लिए उन्हें खर्च करना चाहिए था। भूमि अवाप्त करने की कोशिश की गई लेकिन उनमें स्वामित्व के डिस्प्यूट थे फिर पंचायत समिति से बने बनाए गोदाम खरीदने की बात थी तो उसमें एग्रीकल्चर

(श्री परसराम मदेरणा)

डिपार्टमेंट और ऑनरशिप का सवाल आगया इसलिए समिति मजबूर रही कि भवन बना सके। यह इस प्रकार की इसी समिति की हालत नहीं है, राजस्थान की बहुत सी समितियों के मेरे पास पत्र आते हैं। बैंक जमीन चाहती है, मार्केटिंग सोसाइटी जमीन चाहती है, प्राइमरी सोसाइटी जमीन चाहती है लेकिन उनको जमीनें म्युनिसिपैलिटी से, पंचायत समिति से और पंचायतों से मिलनी चाहिए वे उनको नहीं मिल पातीं इसके लिए

(३. म. प.)

वे कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन इस मार्केटिंग सोसाइटी ने जमीन खरीदी है, उसके पैसे १६०० और कुछ रुपये जमा करा दिये हैं। इसके बाद रामकिशोर शर्मा नाम के व्यक्ति ने नाजायज कब्जा उस जमीन पर कर लिया है इस कारण उसको पजेशन नहीं दिया जा सका इसलिए भवन नहीं बन पाया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बात तो सन् ६६ की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समिति को २५०००) जिस काम के लिए मिले और खर्च करने चाहिए थे वे खर्च नहीं किये। यह समिति की बहानेबाजी की बात है। हनुमानप्रसाद तोड़ीवाल इसके मन्त्री थे वे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी थे। यह कहना कि....

श्री सभापति : अब आप दूसरा प्रश्न पूछलें।

श्री परसराम मदेरणा : बहानेबाजी की बात नहीं है। ६०-६१ में लोन दिया गया था और सोसाइटी ने १६२०) जमीन के जमा कर दिये थे लेकिन क्योंकि जमीन पर ऑनरशिप का टंटा है, अनऑथोराइज्ड पजेशन है, म्यूनिसिपैलिटी समिति को कब्जा नहीं दिला सकी उसके लिए समिति दोषी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने कर्मचारियों के लिए निवेदन किया था। तीन मेट्रिक्युलेट वहां पर हैं उनमें से एक को १६०) मिल रहे हैं, दूसरे को १६०) मिल रहे हैं और तीसरे को ६०) मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : हरेक समिति डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन है, उसके बाईलॉज हैं। उसका जो वर्क है उसमें हम इन्टरफियर नहीं कर सकते। एक मेट्रिक्युलेट को क्या तनख्वाह देते हैं क्या नहीं, यह उनका काम है। एक मेट्रिक्युलेट किसी फैक्ट्री का मैनेजर हो जाता है तो उसको ४ हजार तनख्वाह मिल सकती है...

श्री सभापति उत्तर संक्षेप में दें।

श्री परसराम मदेरणा : नियमानुसार बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने कर्मचारियों का सिलेक्शन किया है यह कम्पलीटली उनके डिस्क्रीशन पर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार यह महसूस करती है कि बाई-लॉज में ऐसा प्रावधान है कि संचालक-मंडल के सदस्य के भाई या रिश्तेदार को नहीं रखा जाय ?

Page No.84

श्री परसराम मदेरणा : मैंने समिति के बाई-लॉज देखे हैं, मेरे पास हैं। उनमें इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह ठीक हो सकता है कि डाइरेक्टर्स के रिश्तेदारों को नहीं रखना चाहिए लेकिन जो आदमी रखे गये मौजूदा हालत में दूसरा नहीं मिलता होगा, किस हालत में रखा मैं यह नहीं कह सकता मगर यह पाबन्दी नहीं है कि रिश्तेदार हो तो नहीं रख सकते।

श्री सभापति : श्री राधकृष्णजी पूछना चाहते हैं, एक सवाल पूछ कर बंद करदें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय, जिसका उत्तर अभी मिला उसीसे संबंधित मेरा प्रश्न है। २५०००) रु० का अनुदान दिया गया था यह अन्य कार्य में लग गया। क्या इसकी जानकारी की गई कि वह अन्य कार्य क्या था ? क्या वह प्राइवेट कार्य नहीं था जो सहकारी समिति के कार्य के अतिरिक्त हो ? यह रुपया कहां जमा था ? बैंक में जमा था या यह २५०००) रुपया किसी नये कार्य में लगा या व्यक्तिश: रूप में उसका उपयोग किया ? यह एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि मन्त्री जी ने बताया कि बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स के रिश्तेदार को समिति की सेवा में लिया जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सभापति यह महोदय, मैं पुन: जानकारी करने के लिए निवेदन करूंगा। यदि कोई डाइरेक्टर है तो उसका भाई मैनेजर के पद पर नहीं आयेगा या किसी डाइरेक्टर के भाई को एपॉइन्ट नहीं किया जायगा। आज जो मैनेजर है वह डाइरेक्टर का भाई है और वहां पर ऐसा घोटाला हुआ है कि समिति की तरफ से माल खरीदा जाता है तो बिना एन्ट्री किये रख लेते हैं। उसमें यदि घाटा जाता है तो समिति के नाम लगता है और नफा होता है तो दूकान में निजी रूप में माना जाता है। दोनों भाइयों ने मिलकर समिति को नुकसान पहुंचाया है वर्ना नुकसान का क्या काम जबकि आपने उनको सबसिडि दी है और कम ब्याज पर रुपया दिया है ?....

श्री सभापति : लंबा न करें। संक्षेप में दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस समिति के बारे में जो आॅडिट रिपोर्ट आई है या सरकारी प्रतिनिधि की रिपोर्ट आई है उसकी पाबन्दी आपके डिपार्टमेंट ने शीघ्र नहीं करवाई इसका क्या कारण है ?

श्री सभापति : तीन सवाल पूछ लिये जवाब दे दें। बहुत संक्षेप में उतर दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पहले अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि जो रुपया दिया है उसका दुरुपयोग नहीं किया है, घोटाला नहीं किया है, न व्यक्तिगत रुप से काम में लेने की कार्यवाही की है।

दूसरी बात यह कही कि दोनों भाइयों ने नुकसान पहुँचाया है। नुकसान पहुंचाया या नहीं यह बैलेन्सशीट देखने से पता चलता है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी डाइरेक्टर ने धन का दुरुपयोग नहीं किया है। जो कुछ कार्य किया है वह समिति के कारोबार के लिए किया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरी बात ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कही। लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। जो ऑब्जेक्शन्स किये हैं उनके बारे में जवाब मांगा गया है।

श्री सभापति : अब अगला कार्य हाथ में लिया जाता है। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६६.

श्री दलपतसिंह (आबू रोड) : मैं एक मिनिट में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। काल अटेन्शन नोटिस या एडजोर्नमेन्ट मोशन देते हैं तो उनके लिये समय नहीं दिया जाता और दूसरे मसले खड़े कर दिये जाते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा प्रश्न है इस बारे में सुबह व्यवस्था दी है। ऐसे प्रश्न अध्यक्ष महोदय से मिल कर तय करने चाहिये वे मिलते नहीं हैं इसलिए कैसे हल हों।

श्री श्रवणलाल : मैं भी निवेदन....

श्री सभापति : अब विधायी कार्य हो रहा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने तथा राजस्थान के राजस्व बोर्ड की स्थापना और कार्य कारिता के वैधकरण हेतु विधेयक है उस पर चर्चा चलेगी। राजस्व मंत्री जी उत्तर देंगे।

(३. ८ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैध-करण) विधेयक, १९६६

(अग्रेतर विचार विमर्श एवं पारित)

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, कल इस विधेयक पर ५ महानुभावों ने बहुत ही कठोर, कड़वी और क्रोध की भाषा में बातें कहीं। मैं उन सब बातों को....

कुछ माननीय सदस्य : आवाज साफ नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : रोटी खाकर आया हो के नहीं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय महार ने रखा था उस पर व्यवस्था ....

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी गई है।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं इन बातों को तीन भागों में बांटता हूं। सबसे पहले तो कुछ माननीय सदस्यों ने केवल राजनैतिक तौर पर ही भाषण दिये उनके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना नहीं चाहूँगा। दूसरा कुछ कठिनाइयों के बारे में और कुछ गलत कार्यवाहियों के बारे में कहा और कुछ विधि-विधान की गलतियां बतलाईं, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा एलॉट होनेवाली भूमि के संबंध में आपत्ति की कि ऐसी कमेटी द्वारा जमीन एलॉट करने के बाद भी राजस्व अधिकारी उन किसानों पर जिनको भूमि एलॉट की गई उन पर धारा ९१ का मुकदमा चला रहे हैं। यह बात उनकी इतनी सही नहीं है जितनी उन्होंने कही है। भूमि के एलॉटमेन्ट के बाद किसी पर वैधानिक

Page No.86

(श्री कुम्भाराम आर्य)

तौर पर मुकदमा नहीं चल सकता। इसके अंदर जो गलती रही है वह कब्जा लेने की वजह से रही है। किसानों ने या तो पहले से कब्जा कर लिया या जो कब्जा दिया गया गलत तरीके से उन्होंने काश्त करली। इसलिए उनके खसरे नम्बर जिनको भूमि एलॉट की गई है उनको सही करने के लिए कार्यवाही की जा रही है और इस कार्यवाही के करने का अर्थ केवल इतना ही बनता है कि जो जमीन जिसको एलोट की गई है वह जमीन उसके पास रहनी चाहिए और जो जमीन जिसको एलॉट नहीं की गई है और उसने गलती से या जान बूझ कर कब्जा कर लिया है तो उसकी दुरुस्ती होनी चाहिए। इस तरह की दुरुस्ती से अगर अपने लोग आंख मिचौनी करेंगे, या कार्यवाही करने से ना करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी, आपस के अन्दर झगड़ा बढ़ने का भी अंदेशा रहेगा। एक गांव का उन्होंने खास तौर से नाम लिया है जहां बाइस हजार रूपया जुर्माना कर दिया गया। जुर्माना कर दिया गया यह समाचार मेरे पास नहीं है। मैंने कोशिश की भी लेकिन प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन जब एक सदस्य कहते हैं तो ज्ञान के अभाव में मैं उसको असत्य नहीं कह सकता। मैं उसकी जांच कराऊंगा, सही तथ्य क्या है यह प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

एक बात उन्होंने सबसे बड़ी कही कि अलवर शहर के आस-पास कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है, उसमें से कुछ पर कुछ नेताओं ने कब्जा कर लिया हैं। वह नेता सोशियेलिस्ट पार्टी के हैं, या कॉम्युनिस्ट पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं यह तो पता नहीं लगता क्योंकि न तो उन्होंने अपने भाषण में कहा और न मेरे पास ऐसा समाचार है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिकार्ड से पता लग जाता।

श्री कुम्भाराम आर्य : रिकार्ड के अंदर जानकारी मिली है वह यह मिली है कि यह कब्जा कुछ तो अलवर स्टेट के टाइम का है और कुछ कब्जा बाद का है। कब्जा होने के बाद अलवर का सेटलमेंट हो गया और सेटलमेंट के रिकार्ड में ऐसा सब कब्जा आबादी भूमि के अन्दर लिखा गया। इसलिए बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई कि जो सेटलमेंट के रिकार्ड के अन्दर जमीन आबादी में लिखी गई उस जमीन के ऊपर धारा ६१ का मामला राजस्व अधिकारी नहीं चला सकते। इसलिए यह फ़ैसला करना बाकी है कि इस जमीन को एग्रीकल्चर लैण्ड घोषित किया जाय या इसको आबादी में रहने दिया जाय। यह मामला शीघ्र निपटेगा--उनको यह विश्वास रख कर चलना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री जो, एक पूरा मोहल्ला खोरा कहलाता है, वहां बिल्डिंग बनी हुई है छोटे-छोटे मजदूरों की उन पर धारा ६१ के मुकदमे चल रहे हैं, और जिन लोगों की कोठियां बनी हैं बहुत पीछे एग्रीकल्चर लैण्ड को कन्वर्ट बगैर कराये १६५५ के बाद उन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। तो कम से कम खोरा ग्राम के लोगों को, जिनके पचास वर्ष से मकान बने हुए हैं, उस तलवार से बचाइये।

श्री कुम्भाराम आर्य : जिन लोगों के मकान पचास वर्ष पुराने बने हुए हैं

(श्री कुम्भाराम आर्य)

ऐसे पर, किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा और चलाया गया है तो उठा लिया जायगा।

(करतल ध्वनि)

उमरेल पंचायत समिति का जो भवन बना है वह एग्रीकल्चर लैण्ड कुछ किसानों से लेकर बनाया गया है और उन किसानों को उसकी एवज में दूसरी जमीन भी दी गई है. लेकिन कठिनाई उनको यह पड़ती है कि अलवर जिले के अन्दर जमीन की बड़ी कमी है, और जिस किसी गांव में उनको जमीन दी जाती है उस गांव के अन्दर गांव वाले लोग एतराज करते हैं। तो राज तो उनको जमीन एलॉट कर देता है लेकिन बाद में गांव वाले उनको काश्त नहीं करने देते। यह शिकायत माननीय सदस्य महोदय ने की थी। इसके लिए हम व्यवस्था कर देंगे, जहां भी उन लोगों को अच्छा लगे और कोई कठिनाई दिखाई न लगे उस जगह सरकारी भूमि है तो हम उस जगह भूमि एलॉट कर देंगे। इस मामले में वह भी कुछ थोड़ी दिलचस्पी लें ताकि उनकी समस्या जल्दी निपट जाय।

इसके बाद हमारे गंगानगर जिला एरिया से आने वाले–मेरा एक पन्ना उलट गया इसलिए कुछ बातें छूट गई....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुन्नालाल गोयल वाला मेरा एक पॉइन्ट रह गया।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरा एक पन्ना उलट गया इसलिए रह गया।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : और कुछ तो नहीं उलट गया।

श्री कुम्भाराम आर्य : मुन्नालाल गोयल के बारे में बात कही। मैंने सारे कागजात देखे हैं उसके आधार पर मैं जानकारी देना चाहूंगा। वह जब पंचायत समिति सांगानेर के अन्दर बी. डी. ओ. थे उस समय कुछ लोगों को जमीन एलॉट हुई है। जमीन जो एलॉट की गई है उसके बारे में सैटलमेंट के अधिकारियों की यह रिपोर्ट है कि सैटलमेंट के कागजात के अन्दर यह जमीन सिवाय चक में है और किसी के कब्जे में नहीं है। जो जमीन सिवाय चक में है और किसी के कब्जे में नहीं है उसको किसी को एलॉट कर देने में, जो एलॉटमेंट करवाता है, कोई गलती नहीं करता है किसी भी तरह की। आपको मालूम है सरकार के उन कानून-कायदों की और नीतियों की कि अधिकाधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सिलसिले में बिना इस लिहाज से कि कौन खेती करना जानता है–और कौन खेती करना नहीं जानता है–-आम लोगों को छूट दी गई थी कि जो जहां खेती कर सकता है उसको वहां खेती करनी चाहिए और सरकारी जमीन इस तरह से लोगों को एलॉट की गई और वह जमीन समय के अनुसार जैसे जैसे सरकार की नीति और आदेश बनते गये खातेदारी बनती गई। उस सब बेक ग्राउन्ड के अन्दर जब हम देखते है तो जिन तीन आदमियों को यह जमीन दी गई है यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्य मंत्री के रिश्तेदार थे इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमीन दिलवा दी। रिश्तेदार तो, डेमाक्रैसी रहेगी, तो सब के रहेंगे और सब को इस राजस्थान में काम धन्धा करना है, चाहे जमीन का करें, चाहे नौकरी का करें, चाहे बिजिनेस का करें और उन सम्बन्धों को हम तोड़ कर नहीं चल सकते...

श्री भैरोंसिंह : यह बता दें कि जमीन का एलॉटमेंट मिनिस्टर ने डाइरेक्ट किया है या कि कलेक्टर और जो एलॉटमेंट कमेटी बनी हुई थी उसने किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मिनिस्टर एलॉट कर दे तो क्या फर्क है और तहसीलदार कर दे तो क्या फर्क है ?

श्री भैरोंसिंह : वह फर्क मैं बता दूं। वह फर्क यह है कि सरकार ने आदेश निकाल रखा है कि जो जमीन सरकार की है उसका एलॉटमेंट कमेटी करेगी और उसको एस. डी. एम. कन्फर्म करेगा। एलॉटमेंट कमेटी एप्लीकेशन्स इन्वाइट करेगी और जो डिजर्व करेगा उसको दी जायगी। जब यह आम जनता के लिए नियम बना रखा है तो उसके अन्तर्गत जो जमीन है वह डाइरेक्टली मिनिस्टर ने कर दी या एलॉटमेंट कमेटी या कलेक्टर ने कर दी ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े शहरों के आस-पास नियम होते हुए भी यह नियम रहा है कि जमीन कम से कम एलॉट की जाय इसलिए अधिकारी जमीन एलॉट करने में थोड़ा सा धीरे चलते हैं। इसलिए इसके पास होने की वजह से यह जमीन संबंधी मंत्री ने उनको एलॉट की हैं जो कोई बेजा नहीं लगता....

श्री भैरोंसिंह : एक पॉइन्ट और है, एक जानकारी और करना चाहूँगा। क्या यह सही है कि जमीन के एलॉटमेंट के अन्दर कलेक्टर को बाई-पास किया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : कलेक्टर तो जमीन का एलॉटमेंट होने में सब जगह बाई-पास हो रहा है आज, इसलिए इस एक मामले में बाई-पास हो गया तो क्या शिकायत की बात है। उसका कोई संबंध नहीं है। यह तो नीचे तहसीलदार लोग काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एस. डी. ओ. करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार जमीन उन भूमिहीनों को मिल सकती है जो कि एक्चुअली भूमिहीन किसान हैं। उनको रूल्स में डेफीनेशन दी हुई है और भूमिहीन किसान यानि वह लोग जो रीजनेबली कल्टीवेट करते हैं और जिनके पास खेत नहीं है उन लोगों को ही भूमिहीन किसान कहा जाता है और उनको ही एलॉट होती रही है ? क्या मंत्री महोदय यह मानेंगे कि यह तीन व्यक्ति जिनको एलॉटमेंट हुआ है, काश्त करने वाले लोग नहीं हैं ? नहीं हैं, तो उनको इन रूल्स को बाई पास करके ग्रो मोर फूड की जल्दी के अन्दर एलॉटमेंट हुआ होगा ?

(विराम)

ग्रो मोर फूड सन १९५१ में था, सभापति महोदय, टीनेन्सी एक्ट १९५५ लैंड रेवेन्यू एक्ट सन् ५६ में पास होने के बाद से खत्म हो गया। १९६१ के अन्दर सेक्शन १०१ के तहत एलॉटमेंट रूल्स बन गये उसके तहत एलॉटमेंट होते हैं। और एलॉट मेंट कमेटी के अलावा किसी को अलॉटमेंट करने का अधिकार नहीं है। कलेक्टर को एपेलेट पॉवर है जिसके तहत एलॉटमेंट कमेटी के फैसले को रिवर्स कर सकता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन डाइरेक्ट एलॉटमेंट नहीं कर सकता इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्टर महोदय को इस तरह का अधिकार नहीं था। तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें यह एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी प्रासीजर अपनाया गया, जो कि सामान्य लोगों के लिए नहीं अपनाया जाता। इन तीनों लोगों को रेवेन्यू मिनिस्टर ने जमीन एलॉटमेंट कमेटी को बाई–पास करके किया था। क्या यह उनके माइन्ड में संदेह पैदा नहीं करता? इसके लिये पूरे तथ्यों की जाँच की जावे यह किस कारण से हुआ?

श्री कुंभाराम आर्य : मैं इसका पूरा उत्तर दे दूं उसके बाद आपको जो भी शंकाए हों उन को आप करें तो आपको संतोष दिलाने का प्रयत्न करूंगा। बीच में इस प्रकार की बातें करने से संदर्भ टूट जाता है। जहाँ आपने पूछा भूमिहीनों को भूमि देने के बारे में, मैं कहूँगा कि भूमिहीनों के लिए कानून में परिभाषा निर्धारित है लेकिन उसके साथ-साथ दो बातें हमें भूल कर नहीं चलना चाहिये कि इस परिभाषा के पहले आम लोगों को जमीन एलॉट की गई तो किसान और बेकिसान का प्रश्न उसमें नहीं था। जहां हरिजनों का प्रश्न आता है, बैकवर्ड क्लास के लोगों का प्रश्न आता हूँ हम उन लोगों को इन परिभाषा में इतना मजबूती से पाबन्द पसन्द नहीं करते, उनके लिए रोक लगाई जावे। एक हरिजन जो शहर में रहता है, भूमिहीन किसान नहीं बन सकता लेकिन हरएक हरिजन को हम भूमि देने के लिये कटिबद्ध हैं और बराबर देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन ये तीनों लोग कौनसे हरिजन जाति में आते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मुन्नालाल गोयल तीन हरिजनों को ढूंढ कर लाया है?

श्री सभापति : बीच मे डिसटर्ब मत करो। जो भी पूछना हो बाद में पूछ लेना।

श्री कुंभाराम आर्य : आप बार बार गोयल का नाम लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह जाति का तो बनिया है लेकिन गंगानगर जिले का बनिया है जो जाट का भी बाप है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि यह कौनसे कानून में परिभाषा दी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात आपने संक्षेप में कही विस्तार से कहें ताकि समझ में आ सके।

श्री कुंभाराम आर्य : गंगानगर का बनिया एक किसान का किसान होता है। मेरे कहने का मतलब यह है।

श्री रामानन्द अग्रवाल - यह आपको जानकारी मिली है कि यह जमीन उनके कब्जे में है। कुआ और क्वार्टर भी उनका है। आपकी इस बारे में इन्क्वायरी क्या कहती है?

श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) क्या यह परिभाषा कानून से लिख दी गई है। गंगानगर का बनिया जाट का बाप है तो बयाना का बनिया कौनसी तारीफ में आता है।

श्री कुंभाराम आर्य : मेरे पास जो जानकारी है वह माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके ठीक विपरीत है।

श्री रामानंद अग्रवाल : गंगानगर के महाजन की परिभाषा बता दी। क्या जिन लोगों को जमीन एलॉट की वे भी जाट के बाप हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य : उनकी जानकारी नहीं है। आपने गोयल का नाम बार बार लिया इसलिये मैंने आपको बताया। गोयल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बी. डी. ओ. वहां रहे हैं बी. डी. ओ रहते हैं....

श्री भैरोंसिह : यह आप बता दें कि जिन तीन आदमियों को जमीन एलॉट की है क्या वे भूमिहीन किसानों की परिभाषा में आ सकते हैं, और सादिकअली कमेटी और कलेक्टर को बाई-पास करके उनको जमीन एलॉट की गई है ?

श्री कुंभाराम आर्य : कानून की आप तीक्ष्ण बात कर रहें हैं तो मैं विधि विभाग से पता लगा कर बता दूंगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक तरफ जाट का बाप दफ्तर में कलम चला रहा है और दूसरी तरफ खेत में हल चलाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह भी जानकारी विधि विभाग से कर लें कि कोई भी जमीन हो उसके एलॉटमेंट से पहले एक महीने का नोटिस निकालना पड़ता है कि यह जमीन एलॉट होने वाली है। कोई दरख्वास्त देना चाहे तो दरख्वास्त दे सकता है और जमीन एलॉटमेंट के लिये दूसरों को एलॉटमेंट के बारे में एतराज करने का भी मौका दिया जाता है। आपने कहा कि किसान और गैर किसान का प्रश्न नहीं, मैं यह कहूंगा कि यह सन ५२ की बात हैं। ग्रो मोर फुड में नहीं यह तो लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स के तहत आती है और मैं यह कहूंगा कि उसका एलॉटमेन्ट उस कानून के तहत नहीं किया गया। यह साधारण आदमी कैसे था ? यह असाधारण तरीके उसके लिए अपनाये गये। कोई उनके पीछे शक्ति थी तभी तो इस प्रकार की रियायत बरती गई कि कलेक्टर को बाई-पास किया गया और सीधा एलॉटमेन्ट किया गया। मैं इसके लिए मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जुडिशियल जाँच होनी चाहिये। इससे फिट केस कोई आवेगा या नहीं यह मैं कह सकता, यह आगे देखा जायेगा। इसमें कानून को बाई-पास किया गया है। समान तरीकों को बाई पास किया गया है और चीफ मिनिस्टर के दामाद के साथ फेवरेटिज्म किया गया है। आज भी उस पर मुन्नालाल गोयल का कब्जा है। इन तीनों भले मनुष्यों से पूछा जावे कि वे जमीन पर कभी गये भी हैं या नहीं ? वे जमीन पर कभी गये भी नहीं होंगे। उनको यह भी मालूम नहीं है कि जमीन है कहां ? उनके तो दस्तखत ही कराये गये हैं।

श्री कुंभाराम आर्य : यदि माननीय सदस्य सुनें तो मैं उनको संतोष दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि जैसा मैंने कहा कि आस-पडोस में बड़े शहरों में रेवेन्यू ऑफिसरों को जमीन एलॉटमेंट नहीं करनी चाहिये ऐसी सरकार की नीति है। जहां तक जयपुर का प्रश्न है १२ मील का एरिया कवर किया है नियमों के अनुसार रेवेन्यू ऑफिसर्स जयपुर के आस पास १२ मील का एरिया में जमीन

Page No.91

(श्री कुम्भाराम आर्य)

पड़ती है उसे नहीं बांटते हैं और मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऐसी जमीन जो सवाय चक थी और जिस पर किसी का कब्जा नहीं था, अगर किसी ने उस जमीन की मांग की और ऐलॉट कर दी तो आप जिसे बेजा कार्यवाही समझते हैं, बेजा कार्यवाही कुछ नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कहते हैं कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन है ...

श्री भैरोंसिंह : जयपुर शहर के १२ मील के एरिया में कोई जमीन लेना चाहे तो तहसीलदार, एस. डी. एम. और कलेक्टर आदि गवर्नमेंट को सिफारिश करते हैं और उसको जमीन गवर्नमेंट से सेंक्शन की जाती है । मगर यहाँ सबका बाईकॉट किया गया है माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सेटलमेंट में नहीं लिखी है । मैं निवेदन करूंगा कि एक गरीब ब्राह्मण की जमीन थी जिसकी मृत्यु हो गई । उसकी जमीन गलत दर्ज हुई । उसका लड़का नाबालिग था । जब वह लड़का बालिग हुआ उसने उसके लिए दुनिया भर में दरख्वास्तें दे रखी हैं कि सेटलमेंट में जागीर मेरे उदरत में लिखी थी और उसके पिताजी के मरने के बाद गलत रेकार्ड में दर्ज हो गई । उस रेकार्ड में वह जमीन एन्टर्ड है । माननीय मंत्री इतना तो देखें कि एक नाबालिग की उदरत की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं ...

श्री कुम्भाराम आर्य : कोई किराये पर लावें क्या रोने वाले ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा, ऐसी कोई बन्दोबस्त के रेकार्ड में बात मिली तो कानून के खिलाफ तो सरकार नहीं जा सकती लेकिन फिर भी उदारतापूर्वक व्यवहार करने का मैं आपको वचन देता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह बात राजस्व मन्त्री ने कही, उसकी वजह से मैं उनके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं । लोग यह समझने लगे हैं कि रेकार्ड के अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ी करने के बाद उनको कोई छूने वाला नहीं है । मैं इस केस की नहीं कहता पर नाजायज धंधे होते हैं और सरकार यह समझती है कि नामान्तरण करने के बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती और नामान्तरण कराने वाले लोग भी यह समझते हैं कि बस फिर कुछ न हो सकेगा । तो यह कहना कि कानूनन कुछ हो सकेगा वह किया जायगा, मेरे खयाल से यह उचित नहीं । कानून आप और सदन बनाता है । ऐसी धोखेबाजी कहीं पाई जाय, इस प्रकार की धोखेबाजी से किन्हीं के कब्जे में जमीन पाई जाय तो यदि हमें कानून में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो वह भी करें, ऐसा कोई संशोधन लाना चाहिये ।

श्री कुम्भाराम आर्य : जहां तक कानून का सम्बन्ध है, उसमें बहुत रियायतें हैं, सहूलियतें हैं । सेटलमेंट का जो रेकार्ड तैयार होता है वह गांव में जाकर एक-एक खसरा आसानी के नाम से पूरी गांव सभा के बीच में बैठ कर ढोल बजा कर सुनाया जाता है, एक एक आइटम सुनाया जाता है । गांव के लोग जितने एतराज करते हैं, उन एतराजों का वहीं शुद्धिकरण किया जाता है । जिस मामले में विवाद खड़ा हो जाता है वह लिख दिया जाता है । यह केस ऐसा

(श्री कुम्भाराम आर्य)

लगता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वह तो नाबालिग था, गांव में रहा या नहीं रहा, दूसरों को दिलचस्पी नहीं थी, अफसर के नोटिस में आई नहीं इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए इसको देखेंगे और जैसा मैंने कहा उस तरह विचार करेंगे। बाकी कानून में बहुत रियायतें हैं, सहूलियतें हैं। इसके बाद भी कोई कठिनाई माननीय सदस्य दिखायेंगे और कोई कठिनाई होगी तो उसको दूर कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है, यह खसरानामा उसके नाम था, अभी हस्तान्तरित हुआ है वह भी है। इस तरह नाबालिग होने के कारण चैलेंज नहीं कर सका वक्त पर तो आप देखें। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि वे शपथपूर्वक कहें कि क्या यह मेटर साफ तौर से इन्क्वायरी के लायक नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : आप जितना पोलिटिक्ली बोलते हैं, उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। जहां तक कठिनाई का सम्बन्ध हैं, इसको देखेंगे, हार्डशिप का मामला है, उसको कितना नरम कर सकते हैं, वह देखेंगे।

उसके बाद गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य ने बात कही, उनकी भाषा तो उनकी ही है, कोट पहले बनता है और आदमी पीछे पैदा किया जाता है, ऐसा तो वे जानें पर कुछ कठिनाइयां उन्होंने बताई कि ४० वर्ष की पुरानी जमीनें जो कमाण्ड में चली आ रही थीं, अचानक वह अनकमाण्ड कर दीं। ऐसा अब तक मेरे नोटिस में नहीं लेकिन मैं फिर भी सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि सरकार का यह इरादा नहीं कि कमाण्ड की जमीनों को अनकमाण्ड करे बल्कि सरकार तो अनकमाण्ड को कमाण्ड करना चाहती है इसलिये कमाण्ड को अनकमाण्ड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके सामने ऐसे सवाल हों तो सरकार के नोटिस में लाना चाहिये, हम देखेंगे कि किस तरह गलती हुई है और सुधार कैसे किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे सैकड़ों कैसेज हैं जिनमें सूखी गीली वाली तय हुई है तो रेकार्ड में भेदभाव के कारण, एक राजस्व रेकार्ड है, दूसरा नेहरी रेकार्ड है। उन सब काश्तकारों को जवाब दे दिया गया है कि अब दुबारा नहीं देखा जायगा हालांकि नहरी पर कीमतें वसूल हो चुकी हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने भी एक के लिये नहीं कहा, सबके लिये कहा है। आपके ध्यान में जितने मामले हों वे दें।

एक तहसीलदार के तबादले का कहा कि सभी तबादले केन्सिल कर दिये। गुमानसिंहजी सूरतगढ़ के बताये गये। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसकी वजह से कोई ट्रान्सफर नहीं किया, न सस्पेन्ड किया गया। लेकिन सवाल रहने न रहने का जहां तक है, अगर मेरे कान में कह देते तो तबादला भी कर देता पर इतने बड़े हाउस में कहने के बाद करना मैं उचित नहीं समझता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो तबादला कर दिया, चले भी गये थे उसके बाद कैंसिल हुआ, आप छुपाते क्यों है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह काम रेवेन्यू बोर्ड करता है मैं नहीं करता, इसलिये इस अज्ञान को तो कम से कम छोड़ दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी राय से करते हैं, लिस्ट आप देते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : एक बात माननीय सदस्य ने और कही, भूमिहीनों को जमीनें दी जाती हैं उनकी किश्तें वसूल नहीं होती हैं तो जमीनें कैंसिल कर दी जाती हैं, जब्त कर ली जाती हैं। मैं सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गंगानगर में मेरे से मिले थे और उसी वक्त ऑर्डर जारी कर दिया था कि चाहे कितनी ही किश्तें बकाया रह जायं किसी की जमीन कुर्क नहीं की जाय, इतना ही नहीं इसके साथ ही साथ यह भी कर दिया कि बकाया को लेकर किसी किसान की जमीन को नीलाम न करें, कोई उसकी जमीन की तरफ आंख नहीं उठा सकता, नजर नहीं उठा सकता। दूसरी चीजें भले ही नीलाम करें, पर जमीन न की जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने आदेश दे दिये पर क्या आपके आदेशों का पालन हो रहा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरे ध्यान में तो पालन हो रहा है, आपके ध्यान में अगर नहीं हो रहा हो तो बताइये, उन अफसरों को ठीक करेंगे।

भूख हड़ताल की बात आई, उसका होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, मुझसे चाहें तो मैं भी दे दूं। बोर्डर पर ५ मील का बेल्ट है उसको फौजी अफसरों के लिये रिजर्व कर दिया क्योंकि सीमाक्षेत्र है। जब बात चलती है तो कमजोर दिल-दिमाग के आदमी हिलने लग जाते हैं इसलिये यह जरूरी समझा गया कि छोटी-छोटी बातों से दिल और दिमाग नहीं हिलावें इसलिये यह एरिया एक्स-मिलिटरी मैन के लिये रिजर्व कर के बहुत सों को जमीनें अलॉट कर दी हैं। कब्जा दिलाने का सवाल आया तो कहीं कहीं कुछ हरिजन लोग काश्त करते मिले, उन लोगों के साथ हार्डशिप नहीं हो जाय इसलिये फौजियों को वह जमीनें नहीं दी गईं जब तक उन लोगों को रीसेटल नहीं कर दिया जाता वे लोग काश्त आदि करते रहें। बहुत से फौजियों ने मुरब्बों की कीमत दी थी पर मुरब्बे उनको नहीं मिल सके क्योंकि दूसरों के कब्जे में थे, राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की है कि जितने भूमिहीन हैं उनकी एप्लीकेशन्स को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाय और जो हकदार बनते हैं उनको जमीन अलॉट कर दी जाय और फौजियों से मुरब्बा छुड़वाकर उनको जमीन मिले, उन पर बसा दिए जांय। ताकि दोनों समस्याएं एक साथ हल हो जायं। इस विवाद को मेरे ख्याल से आप देश के हित में, समाज के हित में उचित समझते हैं और सरकार ने भी इसको उचित समझा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मैंने स्थगन प्रस्ताव में भी स्वीकार किया है। स्थित वह की वह है लेकिन आपने मेरी कठिनाई नहीं समझी। एक हरिजन को एक फौजी द्वारा बेदखल किया जाता है, ५ मील में फौजी बसाते हैं अच्छी जमीन में, वह ठीक है, लेकिन हरिजन को उस मुरब्बे से बेदखल करके दूसरे मुरब्बे में आप बैठा लें और फौजी को ५ मील के बेल्ट के अंदर बिठाएं,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तो उसको वहां से क्यों उठाया ? इस प्रकार के केसेज हुए हैं । हरिजन को उठाया, खराब मुरब्बे पर बिठाया है और उसके मुरब्बे पर फौजी को बिठाया । एक तरह से, हरिजन और फौजी, दोनों संकट से गुजर रहे हैं । इसके अलावा कई फर्जी फौजी भी हैं । यह तय हुआ था कि जब तक फौजी खुद नहीं आएगा, आइडेन्टीफिकेशन नहीं देगा तब तक जमीन नहीं दी जायगी । कुछ सेठ-साहूकार, झूठे सर्टीफिकेट्स बनाकर फौजियों के नाम जमीन ले लेते हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य : जो बात सदस्य महोदय ने कही है, मुझे तो पहली बार मालूम हुई है । इस बारे में आप जितनी अधिक जानकारी मुझे देंगे, उतनी अधिक जानकारी करवा लूंगा ।

यहां आपने कॉलोनाइजेशन एक्ट के बारे में कहा । यह एक्ट ४० साल से बराबर चला आ रहा है और गंगानगर को इससे कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं, यह एक प्रश्न उनका है । कॉलोनाइजेशन एक्ट तो इलाके की बहबूदी के लिए है, न कि इलाके को हानि या परेशानी पहुंचाने के लिए । अगर वे इलाके की बहबूदी नहीं चाहते हैं तो एक्ट के बारे में मांग कर सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान कैनाल के लिए तो यह एक्ट समझ में आता है लेकिन गंग कैनाल, जहां कॉलोनाइजेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, वहां पर कॉलोनाइजेशन एक्ट को आप लागू कर रखें, वहां बारानी जमीन पर भी खातेदारी हकूक न दें, आज उसी कानून के तहत वे पड़े रहें, यह उचित नहीं है । माखरा में रख सकते हैं, राजस्थान कैनाल में रख सकते हैं । हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि दफा १५-ए अल्ट्रा वायर्स है । उसके बावजूद भी राजस्थान कैनाल को खातेदारी हकूक न दें इसलिए मैंने कहा ।

श्री कुम्भाराम आर्य : कॉलोनाइजेशन एक्ट जो है वह केवल एक जमीन से ताल्लुक नहीं रखता, वह पूरे इलाके के विकास से ताल्लुक रखता है । सदस्य महोदय को यह भी मालूम है कि पदमपुर की मंडी अभी तक अनआॅथोराइज्ड है, आज तक वह मंडी प्लान के अंदर नहीं है । यह उस इलाके का हाल है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है । इसलिए जरूरी है कि एक्ट उस पर लागू रहे और जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो । इसमें सदस्य महोदय को सहयोग देना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन ने, मौजूदा कॉलोनाइजेशन एक्ट को बहुत पुराना और ऑब्सोलीट मानकर सिफारिश की है और दूसरा ड्राफ्ट दिया है । सरकार ने उसमें फार-रीचिंग चेंजेज़ की हैं और सबसे बड़ा सजेशन यह है कि जो भी अलॉटमेंट्स हो गए उनको खातेदारी हकूक देने का प्रावधान किया है । इसलिए उस एक्ट को रिप्लेस करना बहुत जल्दी, जरूरी हैं क्योंकि दरअसल यह पंजाब में पुराना ब्रिटिश कानून था उस तरीके का यह भी है । क्या सरकार ने विचार करके पुराने कानून को हटाकर नए कॉलोनाइजेशन एक्ट लाने का कोई निर्णय किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : सदस्य महोदय का यह नया प्रस्ताव है । पिछली बात में यह था कि कॉलोनाइजेशन एक्ट नहीं रखना चाहिए । उसके लिए मैंने कहा कि अगर इस एक्ट में कोई अच्छा सुझाव आएगा तो

(श्री कुम्भाराम आर्य)

हम आभार मानेंगे, विचार करेंगे, इलाके का जितना भला हो उतना अच्छा है, इसमें दो राय नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मौजूदा कॉलोनाइजेशन एक्ट नहीं रखना चाहिये । मंडी विकसित हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन मौजूदा कॉलोनाइजेशन एक्ट की जो दफा काश्तकार को आम सहूलियतों से दूर रखती है, जो दूसरे काश्तकारों को प्राप्त हैं, जो टीनेन्सी एक्ट से एक्रू करते हैं, उनसे हम लोग महरूम क्यों रहें ?

श्री कुम्भाराम आर्य : जिस बात से आप कॉलोनाइजेशन एक्ट को हटाना चाहते हैं, उस दफा १५ के बारे में आप कई बार कह चुके हैं । आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से एक तरह का फैसला हुआ लेकिन संशोधन जो लगाया विधान के अन्दर, उसे धारा १७ के अन्दर सुरक्षित कर दिया गया है । इसलिए वह विवाद अब नहीं है । उसके बाद सरकार उन किसानों के साथ जो जमीन पर काबिज हैं आज तक हमने उनको जमीन से बेदखल नहीं किया और हमारा उनको जमीन से बेदखल करने का इरादा भी नहीं है । हम उनको जमीन से बेदखल करने से पहले यह सोचकर चल रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ जमीन उनको, किस तरह से कितनी सही बैठ सकती है, उनको देकर शेष जमीन उनसे हम लेना चाहते हैं । अगर ऐसा नहीं होता तो कानून के हिसाब से आज तक वे कभी के बेदखल हो जाते । इसलिए सरकार उन लोगों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है और उनके साथ सद्व्यवहार करने के लिए विचार कर रही है ।

राजस्थान कैनाल के लिए कह रहे थे कि वे पानी ला सकने के लिए सक्षम नहीं हैं । पानी के बारे में हमें बहुत समझ कर चलना है कि राजस्थान कैनाल मेन कैनाल है और इससे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं और फिर आगे छोटे वाटर कोर्सेज निकलते हैं, वे कायम नहीं रह सकते हैं । दो दिन आंधी चलती है, २०-२० मील के वाटर वर्क्स साफ हो जाते हैं । जब एक दम पाट हो जाती हैं तो पानी आखिर तक नहीं पहुंचता । न किसान का बस चलता है, न विभाग का बस चलता है । लेकिन माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे, वह इसी इलाके के बसने वाले हैं, कितनी जल्दी बालू आकर नाले के अन्दर पड़ जाती है जिसकी वजह से कठिनाई आती है । बाकी किसान की वजह से कमी नहीं है । उससे जितना बनता है पानी को खेत तक ले जाने की कोशिश करता है और पानी के मामले में गंगानगर ऐसा है जहां कत्ल होते हैं । उस पानी को गंगानगर का किसान आवारा घूमने कैसे देगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो अलॉटमेंट रिजर्व्ड एरिया में ३ लाख जागीरदारों को हो गया है और बहुत से लोगों को हो गया है, आपने तो मेरे सवाल को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया, वे लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यह बात कॉलोनाइजेशन विभाग ने स्वीकार की है, वहां यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उनका अलॉटमेंट कैन्सिल किया जाय ।

श्री कुम्भाराम आर्य : गंग कैनाल जिसको आज ३० साल से ज्यादा हो गया वहां भी आज के दिन टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो नहरी विभाग की अकर्मण्यता की वजह से । अबोहर का इलाका मौजूद है, उसी प्रकार की जमीन है, उसी प्रकार की नहर है । पंजाब में कानून है जिस एस० डी० ओ० का टेल पर पानी पूरा नहीं होता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है । यहां तो किसी एस० डी० ओ० का टेल तक पानी नहीं हुआ तो इनाम दिया जाता है । फाल्स रिकार्ड बनाए जाते हैं सिर्फ नहरी विभाग की लापरवाही के कारण फॉल्स रीमॉडल नहीं करते, वेलोसिटी को मेजर नहीं करते, हाइड्रोइलेक्ट्रिक सर्वे नहीं करते ऐसी बातों की चिन्ता नहीं है ।

श्री कुम्भाराम आर्य : आप अति रंजित बात कहते हैं। मैं दूसरे माननीय सदस्य का उत्तर देना चाहूंगा वे हैं नसीराबाद से, उन्होंने तथ्य तो नहीं दिये लेकिन भाव बड़े ऊंचे दिये और उन भावों में जो कठोरता थी, जो कड़ुवापन था और जो क्रोध था वह देखने से बनता था। तो मैं उनके जोश-खरोश को ठंडा करने के लिये तो कुछ नहीं कहना चाहता……

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको तो आप कायम रखना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आपके लिये बड़ी उपयोगी चीज़ है।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरे लिये तो उपयोगी कोई चीज है तो आप हैं और कोई नहीं।

उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड जैसी एक बड़ी अदालत को पिंजरा पोल कह दिया। इस हाउस में और कुछ नाम ले लेते तो भी कोई एतराज नहीं कर सकता था। हम किस हिसाब से बोलें, यह हमारे सोचने की बात है; हाउस के सोचने की बात नहीं है। हो सकता है राजस्व बोर्ड में कुछ कमियां हों, कुछ कठिनाइयां दिखाई दी हों। हो सकता है वहां मुकदमे, मामले भी ज्यादा हों, लेकिन यह कह कर कि वह तो एक अनाथालय है, आप ऑफिसर्स की सीनियॉरिटी लिस्ट देख सकते हैं, उसमें जिस करीने के अफसर हैं उनसे अच्छे ऑफिसर्स प्रशासन में भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने वहां मिल जावेंगे, इसलिये बोलने के लिये बोलें, उनके उत्साह को मंद नहीं करना चाहता और उस पर सरकार के लिये यह चार्ज लगा देना कि सरकार आंख मिचौनी करना चाहती है, सरकार आंख मिचौनी करती नहीं, सरकार कभी सख्ती और रियायतें तो कर सकती है लेकिन आंख मिचौनी नहीं करती, यह सरकार का काम नहीं है। इसलिये उनको विश्वास करके चलना चाहिये कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन सोच समझ कर, सही तरीके से किया गया और यह बात खड़ी हो गई जिसकी वजह से फिर उस पर पुनर्विचार करना पड़ा, उसमें एक एक भाई एक मत नहीं है, किसी को कोई कठिनाई दिखाई दी, किसी को कोई कठिनाई दिखाई दी और कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि शायद इस तरह से पास हुआ तो इसको दुबारा चेलेन्ज किया जावेगा और वह अवैध घोषित हो जावेगा। मैं सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी शंका निराधार रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिक्कत यह है कि खुद को सूझता नहीं और दूसरे की सुनते नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैंने पिंजरा पोल कहा। एक बात जानना चाहता हूं कि अभी चेयरमैन पहले थे उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ा या नहीं, आपके गवर्नमेन्ट के खिलाफ। दूसरी बात सत्यप्रसन्नसिंह भंडारी के लिये कही। स्टेलमेंट हुआ उसमें या नहीं ? कितनी मीटिंग्ज़ अटेन्ड की हैं ? १२ साल की सेवा का नियम बनाया। उसमें कौन कौन आते हैं और सदन पूरी तरह जानता है कि रिज-र्वेशन किया जा रहा है या नहीं। आप खाली तारीफ कर रहे हैं। सरकार अपोइन्ट करती है. सरकार को क्या अधिकार है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यहां का चीफ सेक्रेटरी उनको अपोइन्ट करे। आप उस 'पिंजरा पोल' को बचाने के लिये कैसे जस्टिफाई करते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : सिविल ऑथो-रिटीज़ की वहां आज जो स्थिति है उसे मैंने पहले भी कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सामने विचाराधीन है और सरकार उससे अधिक से अधिक लाभ लेने की इच्छा रखती है, इसलिये यह किसी भी सदस्य महोदय को समझ करके नहीं चलना चाहिए कि हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, बाई पास करके चलते है या उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। सवाल इस बात का यहां है कि एक यह कदम इमरजेंन्सी में लिया गया, जो सम्मुख आया है उसको अधिक से अधिक बढ़िया बनाने में सहयोग देवें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार दिवालों का नाम है क्या ? सरकार आप नहीं हैं तो और कौन है ? सरकार एक चीज होती है और आप विचार कर रहे हैं। आप सरकार किसको कहते हैं, उसको डिफाइन कर दें ? डेढ़ डेढ़ साल पड़े हुए हो गया, अमेन्डमेन्ट आता है और नजीर देते हैं। मेरा मौलिक प्रश्न है कि आपके बनाये हुए कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। इमर्जेन्सी में लेना पड़ा और जिन खतरों से इस सरकार को धक्का लगा उससे सोचने से इन्कार कर रहे हैं और जनता और किसान के हित में आने वाली बात से कन्नी काटते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : सरकार को कोई धक्का नहीं लगा ; सरकार कोई कन्नी नहीं काटना चाहती। सदस्यों को यह सोचना पड़ेगा कि कार्य की जो पद्धति होती है उसको पूरा किये बिना कोई काम किया गया तो इस हाउस में फिर आपत्ति की बात बनेगी। इसलिये वैसा स्वीकार करना चाहिये। गुस्सा आपको और भी आ सकता था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सभापति,....

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं आपको जवाब दूंगा। पहले आपकी बात का जवाब मुझे दे लेने दीजिये।

यह कहा गया कि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड हाई कोर्ट में चले गये। वे हाई कोर्ट में चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड की हैसियत से नहीं गये। उनका व्यक्तिगत मामला था और उसमें सब को अदालत तक पहुंचने का हक है। सदस्य महोदय भी जांय तो छूट है। वे चले गये तो कोई बात नहीं। अदालत फैसले करती है, इन्डिपेन्डेन्टली करती है। उनकी तरफ देख कर वह करते हैं। कभी खिलाफ भी हो सकता है और उस फैसले को लेकर अधिकारी को अच्छा और बुरा नहीं कहना चाहिये और न ही समझना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि रेवेन्यू बोर्ड में जो मेम्बर्स नियुक्त किये जाते हैं या किये गये हैं उनकी इन्टीग्रिटी कभी डाउटफुल नहीं रही और सारी की सारी जो नियुक्तियां हुई हैं वह राजस्थान प्रशासन सेवा की सीनियोरिटी और काम के आधार पर हुई हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : सदस्य महोदय जितना जानना चाहते हैं मेरे पास उनकी कोई सी. आर. नहीं है जिसको पढ़ कर, याद ताजा करके, जवाब दे सकूं। इतना ही कह सकता हूं कि सीनियोरिटी के कारण उनका नम्बर पड़ता था और अच्छे अफसरों में गिनती है इसलिये वहां लगाया गया।

श्री भैरोंसिंह : अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्व मंडल को 'पिंजरा पोल' बताया। 'पिंजरा पोल' में रिजेक्टेड मवेशियों को रखा जाता है इसीलिये उसका नाम 'पिंजरा पोल' रखा गया है। मुझे यह बता दीजिये कि चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड, श्री मेनन के ५५ साल की सर्विस होते ही यह कह कर उनको एक्सटेन्शन नहीं दिया गया कि उनकी इन्टीग्रिटी में डाउट है, दूसरे श्री बलवन्तसिंह, उनको यह कह कर ५५ साल के बाद एक्स्टेन्शन नहीं दिया गया कि उनका काम अच्छा नहीं है। इस प्रकार दो सीनियर अफसर, जो चेयरमैन के पद पर काम कर चुके हैं, उनको

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार ने उनकी इफिशियेन्सी और इन्टीग्रिटी डाउटफुल है, यह बता कर हटाया तो इसको 'पिंजरा पोल' नहीं कहें तो क्या कहें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तीसरे का भी यही हाल है।

श्री **कुम्भाराम आर्य** : माननीय सदस्यों से यही कह सकता हूं कि सी. आर. थोड़े ही पढ़ कर आप लोग आये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चतुर्वेदी साहब के गंगानगर में भी हाथ देखे हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : बीकानेर जिले में भी देखे होंगे उनके हाथ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १२ साल की क्वालिफिकेशन आपने रखी है। आप बता सकते हैं कि अभी जितने मेम्बर हैं उनमें से १२ साल वाले कब, रिटायर होने वाले हैं ? एक या छः महीने में तीन मेम्बर रिटायर होंगे और आई. ए. एस. में से डेप्यूट इसलिए किए हैं कि जो रिटायर होने वाले हैं उनका पीरियड और बढ़ायें, नहीं तो १२ साल के आई, ए. एस. अफसर मिलने वाले नहीं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई आई. ए. एस. अफसर डेप्यूट किये हैं, उस पर हाउस की छाप लगाना चाहते हैं, इससे ज्यादा धोखाबाजी की बात और नहीं हो सकती।

(४. म. प.)

इसलिए रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नया एक्ट लाकर रखिये सदन में। क्वालिफिकेशन दूसरी रखिये और इसके अन्दर नॉन-ऑफिशियल मेम्बरों को भी रखने का प्रावधान है, वह भी रखिये।

श्री सभापति : उत्तर भी तो सुनें।

(४. १ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेवेन्यू लॉज कमीशन की सिफारिश है। फिर आप दूसरे प्रान्तों को भी, देखिये। मध्यप्रदेश को ले लीजिये। वहां पर रेवेन्यू बोर्ड है। आपका पड़ोसी प्रदेश है। वहां पर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज से कम और हाई कोर्ट के जज की कैलीबर से कम नहीं है।

फिर रेवेन्यू लॉज कमीशन ने क्लीयर कट सिफारिश की है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, स्पीकर, पी. एस. सी. का चेयरमैन ये मिलकर इसको चुनें। इसे तो आप मानिये।

श्री कुम्भाराम आर्य : रेवेन्यू लॉज कमीशन की सिफारिशों को मानने न मानने का प्रश्न नहीं है यहां पर। यहां पर तो केवल यह अध्यादेश लिया गया है जिस पर हमें विचार करना है।

बीकानेर-मगरा-कोलायत से आने वाले माननीय....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने १२ साल की क्वालिफिकेशन रखी है। जैसे जयपुर से आने वाले

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

माननीय सदस्य ने बताया कि अभी के दो सदस्य ऐसे हैं जो इस १२ साल की क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आते और तीसरे ऐसे सदस्य को आपने रिटायर कर दिया है बलवन्तसिंहजी को, जिनका कि कार्यकाल आप एक्सटेन्ड कर सकते थे ५८ साल की उम्र तक, जैसा अमूमन आप करते रहे हैं। पर चूंकि इन्होंने निर्भीकता पूर्वक सच्चे सच्चे फैसले दिए हैं जो सरकार के खिलाफ पड़े इससे नाराज होकर उनका कार्यकाल तो नहीं बढ़ाया सरकार ने, पर अब चतुर्वेदी और आहूजा का बढ़ाएगी इस क्वालिफिकेशन की आड़ में यह कह कर कि १२ साल से अधिक का इनको छोड़कर और कोई नहीं है, इसलिए इनको तो बैठे रहना चाहिएं क्योंकि ये सरकार से डरकर, दबकर सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ईमानदारी से काम करना चाहता है निर्भीकता से न्यायपूर्वक निर्णय करता है उसका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाना चाहते ? बलवन्तसिंहजी का समय क्यों नहीं बढ़ाया ? आप बताएं बढ़ाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चीफ सेक्रेटरी को ५८ साल के बाद भी छः महीने और रिटेन करना चाहते हैं क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, इनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। आपका यह राज्य नहीं चल सकता और बलवन्तसिंहजी को ५५ साल में ही रिटायर करेंगे आप क्योंकि उनसे आपके राज्य को खतरा है।

श्री **कुम्भाराम आर्य** : यह प्रशासन का प्रश्न है। इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिये।

फिर राजस्थान के प्रशासन में किस जगह की क्या स्थिति है, उस पर विचार करेंगे तो उसके लिये मैं तैयार होकर भी नहीं आया हूं, इसलिये फिर आपको सन्तोष नहीं दिला सकूंगा।

मैं कह रहा था ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि १२ साल की अवधि नियत करने के कारण दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं और वर्तमान में जो दो सदस्य रह गये हैं उन्हीं को रख लिया जावेगा और इसी दृष्टि से यह १२ साल की बात रखी गई है, तो इसमें कितना तथ्य है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स की भाषा में ही विधेयक प्रस्तुत किया गया है और चूंकि अध्यादेश का मसविदा मन्त्री-मण्डल के समक्ष आये बिना ही प्रकाशित कर दिया गया है। तो दुबारा फिर इस को कोई चैलेन्ज न कर दे, जैसा कि मालूम भी हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने विचार मन्त्री महोदय प्रस्तुत करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर काफी प्रश्न भी हो चुके हैं, तो उनको आप सारी बातें कहने दें।

Page No.100

(श्री उपाध्यक्ष)

इसके बाद फिर आपको कुछ रखना हो तो रक्खें ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : एक प्रश्न मेरा भी है । इसका जवाब दे दें । ९ जुलाई को १२ साल पूरे करने वाले श्री आहूजा साहब और एस. पी. सिंह भंडारी थे या नहीं ? आपने अपने भाषण में बताया था कि उनके १२ साल पूरे नहीं हुए हैं, ६७ में होंगे । तो यह बात सही है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : इससे इस विधेयक का क्या सम्बन्ध और क्या रिलेवेन्सी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या क्वालिफिकेशन हो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की यह रिलेवेन्सी है जो बिल्कुल उपयुक्त है ।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

माननीय सदस्य जो कोलायत से आये उन्होंने कुछ वैधानिक बात कही । उनकी कुछ बातें विचार योग्य भी हैं । लेकिन इसके साथ उनकी यह शंका कि रिपोर्ट जो रेवेन्यू लॉज़ कमीशन की है, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । मैंने कई बार निवेदन किया और अब इतना और निवेदन कर दूं कि सरकार उस पर विचार कर रही है और उसके अन्दर जो सुझाव ज्यादा लाभ देने वाले हैं उनका लाभ लिये जाने का सरकार का इरादा है ।

रहा सवाल, उनकी इस आशंका का कि यह योग्यताएं जो थीं ये इरादतन रोक ली गई थीं, उनको प्रकाशित नहीं कराया गया, तो ऐसे किसी इरादे का इसमें प्रश्न नहीं है । हांलाकि ऐसी शंका वे रख सकते हैं । यह तो एक विभागीय रुटीन में इस तरह की स्थिति रही जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हो गई । पर इसमें किसी के इरादे का सवाल पैदा नहीं होता ।

एक सवाल यह है कि काम अधिक है, सदस्य कम हैं । यह सुझाव वास्तव में देखने योग्य है । अगर ऐसी स्थिति रही तो जब भी चाहेंगे सदस्य बढ़ा सकते हैं । ऐसी बात नहीं है कि काम को बढ़ने दिया जाय । काम इतना अधिक नहीं बढ़ने दिया जावे कि जिससे जनता परेशानी में पड़े । यह तो सरकार की भी जिम्मेदारी है ।

एक शंका और थी कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य जब किसी जांच में जाते हैं तब वे रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य की हैसियत से इन्क्वायरी में होने से इन्कार करते हैं और कहते हैं कि हम तो सरकारी अफसर की हैसियत से आये हैं । इसके सम्बन्ध में आपको एक ही इन्क्वायरी से शिकायत है जिसमें माननीय सदस्य जो भीलवाड़ा से आये हैं और जो गवाह बनकर शहादत देना चाहते थे पर उनकी शहादत नहीं ली गई । इस सम्बन्ध में मेरा केवल इतना निवेदन है कि ऑफिसर जो है उसको सरकार की ओर से जिस तरह का आदेश मिलता है उस आदेश की जो परिभाषा होती है वह उसी के अन्तर्गत काम करने के लिए सक्षम है उसके बाहर वह नहीं है । इसलिये अगर किसी सदस्य को ऑफिसर की हैसियत से कोई काम सौंपा गया तो वह ऑफिसर की हैसियत से रिपोर्ट देगा और अगर किसी को मेम्बर की हैसियत से रखकर कोई काम सौंपा जाता है तो उसकी सेवायें मेम्बर की हैसियत से बनती हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो विज्ञप्ति पढ़ी गई है....

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बता सकते हैं ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें जो विज्ञप्ति पढ़ी है उसमें मेम्बर, रेवेन्यू बोर्ड शब्द बहुत साफ तौर से लिखा हुआ है।

दूसरे, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में रेवेन्यू बोर्ड की डिवीजन बैंच के सामने यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है कि उनकी हैसियत सिर्फ सरकारी नौकर की नहीं थी बल्कि उनकी हैसियत लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो रेयेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत है वह उनकी है । इसलिए अभी तक यह प्रश्न सारा रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा तय किया हुआ नहीं है और वह मामला भी अभी ५-६-७ महीने से आपकी रेवेन्यू बोर्ड की डिवीजन बैंच उसको खटाई में डाले हुए हैं। यह मामला विचाराधीन है और जो शिकायत है वह एक एन्क्वायरी से नहीं है बल्कि शिकायत तो पांचों एन्क्वायरी के लिए है जिनका हवाला मैंने दिया है कि यह सरकार की आदत बनी रही है कि जब मर्जी चाहती हैं तो कह देती है कि मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड इसकी जांच करेगा । अभी खण्डेले वाले मामले में चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड जांच करने के लिए गये हैं। अगर किसी आई० ए० एस० आफिसर की हैसियत से जो उनकी हैसियत नहीं है क्योंकि वह कह देते हैं कि हम सरकारी अधिकारी की तरह से एन्क्वायरी करेंगे । जुडीशियल आफिसर को आप इन्क्वायरी दें और मेम्बर कहे कि हमारी हैसियत सरकारी नौकर की है उससे इन्क्वायरी करने वाले आफिसर का महत्व नहीं बढ़ता । आप जो दिखावा कर रहे हैं जुडीशियल एन्क्वायरी का वह दिखावा भी आप नहीं कर सकते ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बता दूं कि जिन लोगों को बहुत ही योग्य समझकर बठा रखा है रेवेन्यू बोर्ड में और वहां पर बैठने वाले लोग हैं वह किस तरह के लोग हैं उसके बारे में भी आप सुनिये । जो फैसला माननीय सदस्य श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने सुनाया था श्री मधोक का जिसमें लिखा था कि मैं लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ८ के तहत एन्क्वायरी नहीं कर रहा हूं, मैं मेम्बर ऑफ दी रेवेन्यू बोर्ड की हैसियत से एन्क्वायरी नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने सरकार के हुक्म का पालन कर रहा हूं, उस ऑर्डर की अपील मैंने की है और लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९ के तहत आपकी डिवीजन बैंच में भी अपली की है। उनके ३ फैसले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत करके देखें और आपकी जो डिविजन बैंच के मेम्बर्स हैं वह हमेशा कहते हैं कि यह दूसरे आदमी के पास भेज दिया जाये। एक मेम्बर के पास भेजा, एक ने लिख दिया कि यह लॉ का मामला है इसलिए इसको तो सिर्फ डिविजन बैंच ही सुन सकती है। आपके जो चेयरमैन महोदय हैं वह लिखते हैं, मेम्बर कहता है कि यह लॉ का मामला है तो आप कह दें कि लॉ में क्या आता है ? इसमें १।। साल हो गया अब तक कोई हिम्मत नहीं करता कि इसके ऊपर फैसला दे दे। इस तरह के निकम्मे आदमी आपने रेवेन्यू

बोर्ड में बैठा रखे हैं और आप कहते हैं कि बहुत एफीशियेन्ट आदमियों को बैठा रखा है। फिर इस एन्क्वायरी का मतलब क्या है? आपके कानूनों में लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड का कोई मेम्बर बिना किसी कानून के अन्दर उसको काम नहीं सौंपा जायेगा तब तक काम नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि मैं तो मालिक का हुक्म बजाने के लिए बैठ गया हूँ।

एक बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कहना चाहता हूं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने साफ तौर से एतराज किया है कि आपने जिन महाशय को वहां से हटाया है, जो आपके एडवोकेट हैं राज्य के, उनको इस एन्क्वायरी में अपने पास केबिन में लेकर बैठे थे और मेरे इस मामले के अन्दर उनसे राय ले रहे थे। मैंने लिखा है कि जो आपके राज्य का एडवोकेट है उससे क्या राय ले रहे हैं? तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो आपको ताज्जुब होगा मधोक साहब कहते हैं कि इनसे तो मैं प्राईवेट बात कर रहा हूँ। क्या यह सही है कि आपके रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के मामले में किसी की एन्क्वायरी करे और इस तरह से बैठाकर पक्षपात करे और फिर आप उस पक्षपात के ऊपर छाप लगाना चाहते हैं? जबकि उनकी अपील पेन्डिग है, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने बरखास्त करने के लिए कहा है। मैंने इसको चैलेन्ज किया है और इसी महीने की १ तारीख को पेशी थी वह नहीं हुई और अब फिर तारीख पड़ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे काम इल्लीगल हैं। इस इल्लीगल कानून के ऊपर आप सदन की छाप लगाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य का जो मसला है वह डिवीजन बैंच का है और मैं उस संबंध में कुछ नहीं जानना चाहता हूं कि कानून सही क्या है? मैं तो फंडामेन्टल बात चाहता हूं कि जो सरकार कह सकती है कि इस सारे मामले में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से उनका एपॉइन्टमेन्ट सरकार ने किया था या उनका एपॉइन्टमेन्ट ऐज एन आई० ए० एस० सीनियर ऑफिसर किया गया था?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं माननीय सदस्यों की सभी आशंकाओं का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जिसमें से एक शंका तो जैसा अभी कह रहे हैं कि अभी तक हमारा फैसला पेन्डिंग है तो उसका न तो विवाद करने की आवश्यकता है और न हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। जो फैसला होगा वही मान्य रहेगा इसलिए इसको ऐसा ही रहने दीजियेगा।

रहा सवाल यह कि उसकी हैसियत क्या थी यह तो जो ऑर्डर उसके लिए जारी हुआ है और उसके अन्दर जो लिखा हुआ है वही उसकी हैसियत बन पड़ेगी। यह उस ऑर्डर को देखने से ही पता चल सकेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो आप सुन लीजिए जो ऑर्डर लिखा वह यह है कि राज्य सरकार आदेश देती है कि श्री आर० एन० माधोक, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान निम्नलिखित विषय की जानकारी करेंगे और इस पर भगवतसिंह जी मेहता चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। इसमें लिखा है

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

'सदस्य, राजस्व मण्डल' अब इसको क्या कहेंगे ? यह विज्ञप्ति है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : रेवन्यू मिनिस्टर साहब कहें कि वह आई० ए० एस० ऑफिसर है यह वह रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य है या उसका डु टायर-फंक्शनिंग है। कभी तो आई० ए० एस०.ऑफिसर हो जाता है, कभी मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड हो जाता है। वह एक चोला उतार लेता है और दूसरा पहन लेता है, और कभी दोनों ही पहन लेता है। इसका कुछ स्पष्टीकरण तो हो।

श्री कुम्भाराम आर्य : (कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज नहीं है माननीय सदस्यों को बोलना है तो बोल लें या फिर मुझे बोलने दीजिए और फिर जो कुछ बोलना है वह सुनें।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वह ऑर्डर पढ़ा श्री मधोक को एन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया उस संबंध में जहां तक मैं समझा हूं वह यह है कि उनकी डेजिग्नेशन दी है He was appointed to enquire in the matter as a Member of the Board of Revenue, but the matter was not entrusted to the Board of Revenue or enquiry.

लिहाजा उन्होंने जो कुछ एन्क्वायरी की है वह पब्लिक एन्क्वायरी एक्ट के तहत होना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि इसमें केवल क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्रीमहोदय से माफ किया गया है.... ...

श्री मानधातासिंह : एन्क्वायरी तो पब्लिक एन्क्वायरी एक्ट के तहत होनी चाहिए, just as a High Court is entrusted with the matter as a Member of the High Court. He enquiries into the matter under the Public Enquiries Act उसी सिलसिले में इस विषय में भी जो एन्क्वायरी है वह पब्लिक एन्क्वायरी एक्ट के तहत होनी चाहिए थी। और रेवेन्यू बोर्ड को कोई अधिकारी नहीं है कि वह एन्क्वायरी करे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा अहम मसला इस संबंध में पैदा हो गया। यह कोई विवाद का नहीं है।

(घंटी)

मैं एक मिनट ही बोलना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी एक मिनट है और मैं भी एक मिनट के लिए कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां सारी बातें आ चुकी हैं और उनका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं। क्लेरिफिकेशन के लिए हम पूछ सकते हैं। लेकिन क्लेरिफिकेशन का यह तो अर्थ नहीं है कि हम उसके उपर भाषण देते जायें। और इसके बाद माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए और फिर मैं समझता हूं कि आगे चल सकेंगे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा था कि इसी सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वा-

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

सन दिया था कि हम इसकी जुडिशियल एन्क्वायरी करा रहे हैं और सदस्यों ने बहुत ज्यादा जोर दिया। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए- इस सदन को आश्वासन दिया था कि हम रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य के द्वारा इसकी एन्क्वायरी करा लेंगे। उनके इस आश्वासन के आधार पर ही सदन के सदस्य संतुष्ट हो गये थे कि रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य के द्वारा इस मामले में एन्क्वायरी कराई जायेगी, और जब एन्क्वायरी हो रही है तब एन्क्वायरी ऑफिसर ने कुछ सदस्यों से यह राय जाहिर कर दी कि मैं तो राज्य सरकार के मुलाजिम की हैसियत से एन्क्वायरी कर रहा हूँ और इसी हैसियत से एन्क्वायरी कर दी है। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो आश्वासन मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा इस सदन में दिया गया था, उसी केटेगरी पर इनकी एन्क्वायरी होनी चाहिए। जिन्होंने एन्क्वायरी की वे कल यह भी कह सकते हैं कि मेरी मर्जी की बात है, मैंने तो अपने एक परिवार के सदस्य की हैसियत से एन्क्वायरी की है, क्योंकि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और अपनी मां का पुत्र हूँ इस हैसियत से इसकी इन्क्वा-यरी कर दी है। यह जो एन्क्वायरी हुई है वह भी इसी तरह की हैसियत से हुई है और जिस तरह की एन्क्वायरी यहां पर की गई है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है उसकी लाइट में और जो आश्वासन दिया गया था उस लाइट में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य के नाते, उन पॉवर्स को अख्तियार करते हुए कोई एन्क्वा-यरी हो जैसा कि आश्वासन दिया गया था तो क्या आप फिर ऐसी दूसरी एन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने क्लेरिफिकेशन का प्रश्न पूछ लिया है, अब आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक साथ ही क्यों नहीं कह देते। बारबार हम प्रश्न के नाम पर भाषण प्रारम्भ कर दें, फिर तो कोई व्यवस्था ही नहीं सकेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो कुछ पूछ लिया है उसका ही जवाब आने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जवाब देने को सहूलियत के लिए ही कह रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस पर तो विचार किया जा चुका है। यह आश्वासन मुख्य मन्त्रीजी ने दिया था 'कि राजस्व मण्डल के सदस्य इसकी जांच करेंगे,' वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया और सदन के साथ धोखा किया गया। इसकी जांच गलत हुई तो यह धोखा देने की जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी की है। मुख्य मन्त्रीजी ने धोखा दिया है सदन को, इस मामले का सम्बन्ध उनसे है।

श्री कुम्भाराम आर्य : अन्तिम शिकायत सदस्य महोदय की एक तो यह थी कि बलवन्तसिंहजी को रिटायर कर दिया, उनको वापिस नहीं बुला रहे हैं। मेरे ध्यान में इसकी कोई बात नहीं है। बलवन्तसिंहजी के खिलाफ कोई घटना घटी और उनको फैसला तो देना था एक तारीख को और उसकी जगह उन्होंने फैसला सुनाया, पांच तारीख

(श्री कुम्भाराम आर्य)

को। इस प्रकार की कुछ बातों को लेकर यहां कहा गया। मैं समझता हूँ कि यह एक विभागीय बात है। कहीं किसी से कोई गल्ती हुई हो तो उस तरह की एन्क्वायरी होना तो स्वाभाविक है लेकिन इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भंरोंसिंह : क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि बलवन्तसिंहजी की इसी बात को लेकर आपने भी स्वयं केन्द्रीय गृह मन्त्री को लिखा है कि उनका ५५ साल के बाद जो एक्सटेंशन नहीं किया गया है यह सरकार का उनके प्रति अन्याय है और उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य : हमारी उनके प्रति कोई शिकायत नहीं है। वे रहें यह मैं पसन्द करता था।

एक सुझाव उनका है कि जो सदस्य रेवेन्यू बोर्ड में भेजे जायं उन्हें दुबारा प्रशासन में नहीं आना चाहिए। यह सुझाव अपने आपके अन्दर विशेष प्रकार का है और जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके अन्दर भी मेरे ख्याल में ऐसा सुझाव नहीं है। फिर भी हम इस सुझाव को इस रिपोर्ट के साथ देखेंगे और इससे कितना अधिक लाभ मिल सकता है इस पर विचार किया जाएगा और मैं इस सुझाव के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्योंकि जितने अधिक सुझाव मिलेंगे जनता को ज्यादे से ज्यादा राहत मिलेगी।

एक उनका अंतिम प्रश्न था, शंका थी कि नाजायज कब्जे होते हैं उनको छुड़ाने के लिए सरकार के पास एजेंसी नहीं है। यह बात वे कैसे कहते हैं यह मैं नहीं समझ सका। वे खुद वकील हैं और मेरे खयाल में उनका सीधा सम्पर्क भी ऐसे मामलों में रहा है कि क्या सरकार के पास ऐजेंसी है, ऐसे मामलों में क्या करते हैं और लम्बी बेदखली भी होती है। और ये कार्यवाहियां बेदखली की आज भी चल रही हैं। इसलिए यह शंका निर्मूल सी लगती है।

एक बात उन्होंने तहसील का नाम लेकर कही थी। बनेड़ा तहसील को लेकर कहा था कि कभी तो उसको तोड़ देते हैं और कभी बना देते हैं। यह तोड़ी भी गई है और बनाई भी गई है। तोड़ने के भी कारण थे और बनाने के भी इसके कारण हैं। बहुत छोटी छोटी तहसीलें उस डिविजन के अन्दर थीं इसलिए उनको एक साईज का बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा। वैसा करने के बाद वहां की जनता ने और खास तौर से वहां के विधायक महोदय ने सबसे अधिक असंतोष प्रकट किया और वे सदा इस बात की मांग करते रहे, कोई भी हाउस ऐसा नहीं निकला होगा कि जब उनकी तरफ से यह मांग नहीं रखी गई हो कि बनेड़ा फिर से तहसील बननी चाहिए। उस हालत के अन्दर सरकार विचार कर रही थी और उनका एक गहरा असंतोष जो था वह उनका दूर हुआ था, उन्हें तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह तो दे दिया साहब पहले ही। जैसा आप फर्मा रहे हैं कि छोटी तहसीलें नहीं रखना चाहते हैं तो यही बात मैंने भी जब मुख्य सचिव महोदय से बात की थी तब भी कही थी कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आप छोटी तहसीलें नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए। मुझे तो ताज्जुब यह है कि जो तहसील बनाई, २७ तारीख को उसका हुक्म निकला और २७ ही उसमें पटवार सर्कल थे परन्तु आपके डिप्टी मिनिस्टर ने ३० तारीख को उनमें से दो पटवार सर्किल को हटा दिया और इसको और भी छोटा बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि छोटी तहसील नहीं बनाना चाहते और दूसरी तरफ और छोटी बनाते हैं। इसलिए मेरी आपसे पुर जोर शब्दों में मांग है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे ही इसे बड़ी तहसील बना दें। पिटिशन कमेटी के सामने भी यह लिखकर हमने दिया था और २७ तारीख को जो विज्ञप्ति निकली थी और उस विज्ञप्ति से जो तहसील बनेड़ा बनाई थी उसमें २७ पटवार सर्किल ही शामिल थे, उसमें से बाद में दो पटवार सर्किल निकाल दिए और इस तरह से पिटिशन कमेटी को भी सरकार ने धोखा दिया है। आप कृपया अब आश्वासन दीजिए कि इन दो पटवार सर्किल्स को वापिस बनेड़ा तहसील में मिला दिया जाएगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : आप सोचते हैं कि इकबाल करा लेंगे और काम बन जाएगा इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप मुझे दिखायेंगे और जितना उचित होगा उतना सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन वह तो डिप्टी मिनिस्टर ने निकाल दिए।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री कुम्भाराम आर्य : डिप्टी मिनिस्टर के द्वारा निकाल देने का सवाल नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर जो हैं वे इस तरह से एक तहसील को दूसरी तहसील में बदल दें यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। यह सारा काम प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है और इसमें कोई और अधिक सुझाव, लाभदायक सुझाव आप अगर दे सकेंगे तो उसपर भी विचार किया जायेगा।

मैंने करीब २ सभी आपत्तियों का उत्तर देने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कि कोई प्रश्न किसी का रह गया हो ...

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरे प्रश्न को कवर नहीं किया है।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं अभी बैठा नहीं हूं। जब मैं बैठ जाऊं तो आपत्ति करना

एक तो सबसे बड़ा जो प्रश्न था वह सीलिंग के कानून को लेकर एक बात चली। सदस्य महोदय ने यह कहा कि सीलिंग कानून हिन्दुस्तान में सबसे खराब कानूनों में से है, और हिन्दुस्तान के मुख्य लोगों ने हिन्दुस्तान की सब स्टेटों से यहां की स्टेट को प्रगतिशील माना है राजस्व कानूनों के अन्दर। इसलिए मैं अधिक नहीं कह कर नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटिकली तो उनकी मर्जी है उतने चार्ज लगायें, वैसे यह कानून प्रगतिशील तो है ही।

एक सवाल सीलिंग को लेकर और चला था वह माननीय मुख्य मन्त्री के स्टेटमेंट के सम्बन्ध में। उसके बारे में मुझ

(श्री कुम्भाराम आर्य)

से चाहा गया था कि उस तारीख को क्या क्या फैसले हुए थे और क्या क्या नहीं हुए थे तो मैंने कहा था कि मुझ को कोई वैधानिक या व्यवहारिक कठिनाई नहीं हुई तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सारी स्थिति और कागज आपके सम्मुख रख दूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपकी इच्छा का पालन करने में असमर्थ रहा। इसलिए कि मन्त्री-मण्डल के बैठक की कार्यवाही प्रकट कर नहीं सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध गोपनीयता से है। इसलिए उस स्टेटमेंट के सम्बन्ध में जब मुख्य मन्त्रीजी यहां उपस्थित होंगे तब आप उनसे प्रश्न कर सकेंगे और मन्त्री-मण्डल के अन्दर जो कार्तवाही हुई है उसके सम्बन्ध में, क्योंकि वे पार्टी के हैड हैं, मुख्य मन्त्री हैं, उनसे आप जानकारी मांगेंगे तो वे जितना उचित समझेंगे आपको दे सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे इस बिल को पास कराने में सहयोग देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने जो यह फर्माया कि गोपनीय है डॉक्यूमेंट्स....

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब कई दफा कहने के बाद भी नहीं दिया....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह बहुत जरुरी है। जान बूझ कर उसको टाल रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा है उनको गोपनीय बताया है मैं नहीं समझता कि केबिनेट की मीटिंग में खास तौर से सीलिंग सरीखे कानून पर जो कि एक प्रगतिशील कानून है उस पर डिसकशन हों जो कि राज्य की दो करोड़ जनता से सम्बन्ध रखती है उस पर मंत्रियों में बहस हो रही हो तो बहुत से मुद्दे हो सकते हैं जो कि जनता के बीच में आ सकते हैं तो फिर यह किस हालत में गोपनीय हो सकता है और किस कानून के तहत, उसके बारे में मंत्री महोदय बतायेंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो कहा है, दलील दी दी है तो सीलिंग के कानून के सम्बन्ध में जो आपका डिसकशन है वह इतना आवश्यक है आम जनता के लिए ताकि उनको मालूम पड़े कि मंत्री लोग, विधायक लोग क्या सोचते हैं यह मालूम पड़े। उनको उससे ज्ञान होता है। तो मैं समझता हूं कि इन मुद्दों में गोपनीयता कहां है? वे किस आधार पर कहते हैं? क्या ऐसा मौका नहीं आया? क्या जो चीज केबिनेट में रखने की थी वह केबिनेट में नहीं रखी गई इसलिए मै मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसका स्पष्टिकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि.................

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब इसका मिले।

श्री मथुरेश विहारीमाथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह मौलिक प्रश्न है। १२ साल का आपने इसमें रखा है तो इस प्रश्न का जवाब दे।

श्री कुम्भाराम आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँकि सदस्य महोदयों से कि वह प्रश्न ज्यादा प्रशासन से सम्बन्ध रखता है और इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखता है। पूरक के तौर से पूरकता का पूरक बनकर खड़ा होता है। उनके लिए उतना ही आग्रह करना चाहिए जितना कि हम उत्तर दे सकें, क्योंकि मेरे पास न तो उसको सी० आर० है और न यह कह सकता हूं कि आज के दिन क्या स्थिति है। यह प्रशासकीय मामले हैं प्रशासन के मामले हैं, और इस बिल से कोई उनका सम्बन्ध नहीं है। कोई गलती होगी तो प्रशासनिक अधिकारी की होगी तो अपने आप में भुगता रहेगा। इसका यहां क्या मामला है ?

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : यह आप कहते है वह बिल्कुल सही नहीं है। उसका इस बिल से ताल्लुक है। आपने इस बिल में १२ साल की उनकी क्वालिफिकेशन दी है। आप के सामने एक केस दिया है कि सन् ५५ के अन्दर उनको कन्फर्म किया गया है तो १२ साल तो ६७ में पूरे होंगे। अगर यह बात सही है तो इस बात से इस बिल का संबंध है, प्रशासन से सम्बन्ध नहीं है। आपने इसको प्रशासन से संबंधित किया है वह सही नहीं है। बिल में वह क्वालिफिकेशन १२ साल की है वह वैलिडेट करा रहे हैं। वह सही है या नहीं है यह बिल से ताल्लुक रखता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं कि केबिनेट की प्रोसीडिंग्स जिसको रखने के लिए उन्होंने यहां कहा है और अब वे कह रहे हैं कि विधि विभाग ने यह राय दी है कि प्रोसीडिंग्स यहां पर नहीं रख सकते, तो मैं यह जनना चाहूँगा कि उन्होंने यहां पर अभी-अभी यह जो शब्द कहें हैं कि विधि विभाग को यदि कोई एतराज नहीं होगा या कानूनी अड़चन नहीं होगी तो मैं रख दूंगा। तो यह बात तो जो ऑर्डिनेन्स है और जिस केबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेन्स बनाया है और जिसके द्वारा राजस्व मंडल को नये रूप से बनाया है उसके सम्बन्ध में कही थी कि कानूनी अड़चन नहीं होती तो तारीख बता दूंगा कि केबिनेट की किस मीटिंग में यह तय हुआ था कि यदि राजस्व मंडल खारिज हो जाय तो ऑर्डिनेन्स के द्वारा उसको कर दिया जाय, लेकिन प्रोसीडिंग्स के बारे में आपने कभी यह नहीं कहा बल्कि आपने यह कहा और दूसरी लाइन में यह छूट दे दी कि कल केबिनेट का फैसला ही लाकर बता दूंगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस केबिनेट के फैसले में यह तय नही हुआ था कि ५-६ मुद्दों पर जो पोजीशन आ रही है और जिन चार मुद्दों का आपने अपने भाषण में बहुत विस्तार से जिक्र किया था तो उन चार मुद्दों पर यह तय नहीं हुआ था कि सीलिंग और टेनेन्सी एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवन्टीन्थ एमेंडमेंट ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन, संविधान के सत्रहवें संशोधन का संरक्षण प्राप्त है वर्तमान कानून को, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं किया जाय क्या इस तरह का निर्णय आपकी उस मीटिंग में नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किया गया था ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने निवेदन किया था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से जानकारी करना चाहूँगा, वैसे इसका इस रेवेन्यू बिल से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा भी यहां पर हमेशा हुआ करती है इसलिए मैं यह जानकारी करना चाहूँगा कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर ने सरकारी अधिकारी के हिसाब से जांच की है था मेम्बर की हैसियत से जांच की है ? मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदारों को जो भूमि मिली है उसके संबंध में जो जांच की है उसकी जांच रिपोर्ट कहां है ? वह जांच रिपोर्ट आपको मिली है या नहीं ? और उस जांच रिपोर्ट को सदन में पेश करने में राजस्व मंत्रीजी को क्या दिक्कत आरही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यहां कैसे आती ? उसकी मांग नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या अब रखेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं इसकी वैधानिक स्थिति देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप वैधानिक स्थिति देखें या न देखें परन्तु कम से कम आप यह तो बता सकते हैं कि जांच के सम्बन्ध में रेवेन्यू डिपोर्टमेंट के रजिस्टर फाड़े गये, कागजात बदले गये हैं, फाइलों को तोड़ा गया है, फाइलों से कागज निकाले गये हैं, और इन सब के बाद जो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर ने जांच की है तो इस जांच के दौरान जो कागज बदले हैं क्या वे उसकी जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं खुद ही इत्मिनान कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप खुद इत्मिनान करके अपना जवाब देंगे तो आप यदि हमारा सहयोग लेना चाहेंगे तो हम यह प्रूव करा सकेंगे कि रजिस्टर फाड़े गये है, कागज़ात रिप्लेस किये गये हैं, कागज निकाले गये हैं, नम्बर्स में रद्दोबदल किया गया है। आप इस सम्बन्ध में इत्मिनान करेंगे, लेकिन इस इत्मिनान करने के लिए जांच कर रहे हैं तो इस जाँच में क्या आप हमारा सहयोग लेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : आपको संतोष दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसी मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर सवा घंटा हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें मेरे संतोष का सवाल नहीं है। यदि राजस्व मंत्री का दामन पाक है इस मामले में और सरकार यदि यह सिद्ध करेगी कि रजिस्टर तब्दील नहीं किया गया है और कागजों में हेर फेर नहीं किया गया है तो उन रजिस्टर्स को और कागजों को सदन की मेज पर रख दें, तो मैं इस चीज को साबित करूंगा कि किस प्रकार से कागज निकाले गये है। अगर राजस्व मंत्री जी अपने इत्मिनान और मेरे

(श्री भैरोंसिंह)

संतोष के नाम पर इस एव को छिपाना चाहते हैं तो दूसरी बात है । यदि राजस्व मंत्री जी उन कागजों को सदन की मेज पर रख दें, तो मैं उनको प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक मिनिट आप सुन लीजिए उसका जवाब दें ।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरा भी होने दें, बराबर चलने दें । संतोष से कोई बड़ा शब्द हो उनके पास डिक्शनेरी में तो मुझ को दे दें ।

श्री भैरोंसिंह : संतोष यही है कि रजिस्टर मुझे दे दो मैं बताता हूँ ।

श्री कुंभाराम आर्य : आप राजी होंगे उसी तरीके से सोचता हूँ आपको राजी कर लूंगा । विश्वास दिलाता हूं कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन कर दूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सिद्ध करेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है यह आपकी जानकारी में है या आप जानकारी करेंगे ? यह गंभीर घटना है । मैं समझता हूँ इस संबंध में मुख्य मन्त्री जी ने भूमि की जांच के लिए श्री मधोक को बैठाया और यह कहा कि इस एन्क्वायरी के लिए श्री मधोक को तय करता हूँ इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा । एक कमिटमेंट हाउस को दिया गया है उसकी रिपोर्ट हाउस की टेबल पर नहीं रखी जाय इसमें क्या कानूनी प्रश्न है और क्या विधि विभाग को पूछना है ? बल्कि सदन की अवहेलना करने का प्रश्न है । एन्क्वायरी करने का हाउस में डिक्लेयर किया था तो उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी । रिपोर्ट सदन में नहीं आई यह हाउस का अपमान है । मैं चैलेन्ज के रूप में कहता हूं कि कागज टैम्पर हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रकार से बहस नहीं हो सकती ? मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री मुरलीधर व्यास : रिपोर्ट रख दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहस का प्रश्न नहीं है, केवल भैरोंसिंहजी के सन्तुष्ट होने का प्रश्न नहीं है, सदन के संतुष्ट होने का प्रश्न है । रेकार्ड टैम्पर नहीं हुआ, कागज नहीं फाड़े इसके बारे में जानकारी करना माननीय सदस्यों का पुनीत अधिकार है । एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट हुई है उसके कागज टैम्पर नहीं किये, रेकार्ड नहीं फाड़ा है, पेपर्स बदले नहीं हैं, अधिकारियों को नहीं दबाया है और हर तरह से इस एन्क्वायरी में रुख देखकर मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार को फुल्ली कन्विन्स्ड किया है इसमें बहुत बड़ा शक है । श्री मधोक रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे वे एन्क्वायरी के समय आई० ए० एस० ऑफिसर बन जाते हैं न्यायालय का दर्जा समाप्त हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन क्रियेट हो जाता है । जो न्याय के लिए मान्यताएं लागू होती हैं, न्याय के लिए जिस बात के लिए पाबन्दी वे उन सारी चिजों को छोड़ देते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह एक्ट करते हैं । यह शंका पूरी तरह से सदन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को है कि मधोक को एपॉइन्ट इसलिए किया गया था कि एन्क्वायरी समाप्त की जाय। निश्चित रूप से कागज टैम्पर हुए हैं। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि रिपोर्ट को सदन की टेबल पर रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक टैम्पर होने का सवाल है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आश्वासन देते हैं कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी एन्क्वायरी होगी तो मैं कह सकता हूं कि कागजों में हेर फेर की है, टैम्पर किया है, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के सामने पेश कर सकता हूं। आपमें यदि हिम्मत है, भ्रष्टाचार मिटाने की माद्दा है तो मैं कागजात पेश कर सकता हूं। कितनों में हेरफेर हुआ है मैं कागजात पेश कर सकता हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य : कागज देंगे तो मैं उनका आभार मानूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सारा प्रश्न हम से तालुक रखता है....

श्री उपाध्यक्ष : किस विधि विधान से बोल रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं चार बार खड़ा हुआ हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन आये हैं उनका जवाब दिया है उसके बाद बहस नहीं चल सकती ऐसा नियम है। नियम की अवहेलना करके प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इतने लोग बोल गये तब आपको एतराज नहीं हुआ और यह मुझसे संबंध रखता है तो बोलने नहीं दे रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया - मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि श्री मधोक एन्क्वायरी कर रहे थे उस समय इस सदन के तीन माननीय सदस्य, एक बेरिस्टर और एक आदमी दूसरा ये ५ आदमी मौजूद थे। हमारे सामने जो बातें कही हैं उनमें जो चीजें काट दी या रिकार्ड में नहीं मिलती थीं आज वही चीजें रेकार्ड में बनाकर रख दी हैं। इसकी जानकारी चाहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद एज एन्क्वायरी कमीशन के रूप में बैठ जाइये, खुद इन्क्वायरी करिये, जितने लोग स्टेटमेंट देना चाहते हैं उनके स्टेटमेंट लीजिए....

श्री उपाध्यक्ष - यह तृतीय वाचन पर भी कहा जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक ही बात कहना चाहता हूं सुनलें। जब मैंने दर्खास्त दी कि मेरी एविडेंस लीजिए तो उन्होंने मुझे रिटन में दिया है कि आपके पास जो रेकार्ड बताया जाता है वह मुझे दे दो। तो मैं आपको इस मामले में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। रेकार्ड मांगने का कारण यह था कि सही रेकार्ड हमारे पास था, मधोक साहब, हमारे से लेकर उसको फाड़ डालना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्व मंत्रीजी से कि मुख्य मंत्रीजी ने कमीशन एपॉइंट करते समय कहा था कि इसकी रिपोर्ट दी जायगी। गये अधिवेशन में मैंने कहा था मेज पर रखो और आज भी कहता हूं कि सदन की टेबल

(श्री उमारावसिंह ढाबरिया)

पर रखो । मैं चाहता हूं कि कल आनी चाहिये ।

श्री मानिकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आपका व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं व्यवस्था चाहता हूँ कौनसा प्रश्न हो सकता है माननीय मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आप मूव नहीं करना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं रेज करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : करिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौनसी व्यवस्था हो सकती है मंत्रीजी यह कह दें कि केबिनेट की प्रोसिडिंग्स....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब आ गया है उसके बाद कौनसी आ जायगी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बीच में न बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका जवाब दे दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी तो आदत है जो मर्जी आवे वह कह देते हैं । यह आदत नहीं चलेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मर्जी आवे जैसा करते रहें सदन का समय जाया करते रहें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब क्या यह है कि यह गोपनीय प्रोसिडिंग्स हैं आउट नहीं की जाती हैं तो अखबारवालों को कैसे आउट कर दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अखबारवालों को केबिनेट की कोई प्रोसिडिंग्स नहीं दिखाई हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५ जुलाई को यह छपा है 'सीलिंग कानून में संशोधन अस्वीकार' यह क्या अखबार में झूठा छपा है, गलत छपा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह क्या केबिनेट में हुआ कार्य नहीं है जिसको आउट किया है?

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरा निवेदन है कि इस सदन में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको जवाब आप दे दें । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ । जब आपने कहा कि मंत्री-मण्डल का निर्णय गोपनीय है, गोपनीय निर्णय के बारे में पत्रकारों को सूचना कैसे दी ? यह जो राजस्थान "पत्रिका में लिखा है १५ जुलाई को कि "मंत्री मण्डल द्वारा सीलिंग कानून में संशोधन अस्वीकृत मूल कानून लागू होगा, मुख्यमंत्री जी का बयान । सुखाडियाजी ने मंत्री मंडल का निर्णय घोषित करते हुए कहा कि मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव था लेकिन बहुमत का ध्यान रखते हुये अस्वीकार कर दिया ।" शायद यह समाचार गलत छपा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कर देता हूँ कि यह अखबारवालों को सी एम ने कहा है इस में न तो केबिनेट प्रोसिडिंग्ज को पढ़कर सुनाया है, उन्होंने जो केबिनेट में मोटे मोटे फैसले कुछ वहां पर हुए थे उनके बारे में जिक्र किया है। कुछ फैसले जो नहीं हुए थे वे पेन्डिंग थे और आज दिन तक चल रहे इसलिये अखबारों में छपी बातों से जो मान नीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है वह नहीं होना चाहिये यह साफ कर दूं। यह फैसला केबिनेट में हुआ था कि जो अमेन्डमेन्ट्स राजस्व विभाग ने केबिनेट के सामने सीलिंग कानून के बारे में सुझाव के रूप में रखे थे उनके बारे में सारे सुझावों पर चर्चा हुई, जो सुझाव आये थे उनको डिस्कश करने के बाद यह फैसला मोटे तौर से कर लिया था जिसका जिक्र राजस्व मंत्रीजी ने किया उनको लागू करने के लिए मुख्य कानून में किसी रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

नियमों में अगर कुछ चेंजेज करने हैं, फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो उसको विभाग सोचकर करले। इसके अलावा जो फैसले किये गये थे उनमें मोटे तौर पर यह फैसला हुआ था केबिनेट के अन्दर कि जिन मुद्दों को, जिनको केबिनेट सोचती है, इम्प्लीमेंट किया जाय, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है यह मोटा डिसीजन चीफ मिनिस्टर ने अखबार वालों को सुनाया। उनके पास तब न तो केबिनेट की प्रोसिडिंग्स थी और न अखबार वालों को प्रोसिडिंग्स दी गई। वैसे केबिनेट के फैसलों की राज्य हित में जनता को जानकारी देनी होती है तो उसके बारे में वक्तव्य देना, जानकारी देना, मन्त्रियों का, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है और कर्तव्य के पालन के अन्दर उन्होंने स्टेटमेंट दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन को नहीं बताया जा सकता आपका वह ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में प्रश्न उठाया था और आज भी कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो ने जो केबिनेट के फैसलों का हवाला देकर पत्रकारों को बयान दिया है वह झूठा है और इसलिए है कि १४ जुलाई की केबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं हुआ। १४ जुलाई की केबिनेट मीटिंग की मिनिट्स में जो कि केबिनेट की मिनिट्स मेंटेन की जाती हैं, उसका हवाला नहीं है और सीलिंग के प्रपोजल्स जो राजस्व विभाग ने भेजे, केबिनेट के सामने भेजे वे अगस्त तक पेंडिंग रहे हैं और १४ जुलाई की केबिनेट मीटिंग की मिनिट्स में उनका हवाला नहीं है। जबकि केबिनेट के डिसिजन्स मिनिट्स में रेकार्ड होते हैं लेकिन उन मिनिट्स में रेकार्ड नहीं हैं और केबिनेट के डिसीजन वही माने जायेंगे जो कि मिनिट्स में रेकार्ड हों। इसलिए मैं कहता हूँ कि १४ जुलाई की केबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं हुआ इसलिए मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह झूठा दिया है, केबिनेट की मिनिट्स के खिलाफ दिया है। इसलिए यह मांग की गई थी कि केबिनेट मिटिंग के अन्दर जो डिसीजन १४ जुलाई को हुए हैं उनकी मिनिट्स सदन को संतोष कराने के लिए पेश किये जाय, जो १४ जुलाई की केबिनेट मीटिंग के मिनिट्स हैं जिनमें डिसीजन रेकार्ड हुए हैं उसका उतना रिलेवेन्ट पोर्शन सदन के

Page No.114

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समक्ष पेश किया जाय। नहीं तो जो मैंने आरोप लगाये हैं वे स्टेण्ड करते हैं। यह सही नहीं है कि केबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ क्योंकि वह मिनिट्स में रेकार्डेड है। इसलिए यह केवल झूठा बयान ही नहीं है, बिल्कुल सफेद झूठा बयान है।

श्री नाथूराम मिर्धा–मुख्य मंत्री को और मंत्रियों को विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को झूठा कहने में आनन्द आता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा–यह क्या जवाब हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा–मेरी बात सुनिये।

आनन्द आता है तो वह इसका रस लें–मुझे कोई एतराज नहीं है, आप....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा–यह आनन्द तो आप बहुत लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा–उस आनन्द को लूटिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा–आनन्द तो आप लूटते है सबसे बढ़ कर।

श्री नाथूराम मिर्धा–लेकिन इसमें जो सच्चाई है उसको मै समझा दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा–यह तो कुम्भाराम जी ने कहा है कि मुख्य मंत्री जी ऐसा कोई सफेद झूठा बयान देंगे–ऐसा मैं इत्मिनान नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा–आप बोलिये। मुझे सुन तो लें।

मानिकचन्द सुराणा–इसलिए या तो सुखाड़िया जी का बयान सही है या कुम्भाराम जी, का क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दोनों के ही बयान सही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा–सुखाड़िया जी और कुम्भारामजी, दोनों, के ही बयान सही हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा–दोनों के बयान एक साथ सही नहींहो सकते। इनमें एक बयान झूठा है।

श्री मुरलीधर व्यास–दोनों बयान सही नहीं हो सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा–दोनों बयान सही हैं, मैं आपको बता दूं। दोनों बयान सही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल--बिल्कुल नहीं। दोनों बयान सही नहीं हो सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा--अगर आप समझना चाहेंगे तो समझ जायेंगे और अगर नहीं समझना चाहेंगे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराणा–दोनों बयान सही नहीं हो सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल–यह तो धूप से अगरबत्ती जलाने की बात चल रही है कि दोनों बयान सही हैं। दोनों बयान सही नहीं हो सकते, या तो कुम्भारामजी का बयान झूठा है या मुख्य मंत्री जी का बयान झूठा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप मंत्री जी को सुनिये। ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम मिर्धा–आप मुख्य मंत्री जी में और राजस्व मंत्रीजी में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप काले को सफेद और सफेद को काला कैसे कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी में विवाद खड़ा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल पैदा नहीं होता है पार्टी को मजबूत करने का।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पार्टी को मजबूत करने वाला है कि आप प्रेस को बयान दे सकते हैं। लेकिन इस हाउस की संक्टिटी को नहीं रखना चाहते हैं, मुझे अफसोस है उस सम्बन्ध में सारी प्राइवेसी और सीक्रेसी आप हाउस से ही क्लेम करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप केबिनेट का डिसीजन अखबारों को जो बता सकते हैं वह इस हाउस को भी बताया जाना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी तो सुनें। वह अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मेरा जवाब सुनना चाहें तो मैं जवाब दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं केबिनेट में मौजूद था और केबिनेट की असलियत मैं सबको बता देना चाहता हूं। उस केबिनेट की मीटिंग में, जैसा कि मैंने कहा पांच छः मुद्दे थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो सुन लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन मुद्दों में से चार पांच के ऊपर डिस्कशन होकर, जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा उसी प्रकार से केबिनेट ने एक्सेप्ट किया। और वह बात, जो आपने कही, केबिनेट ने स्वीकार करने का तय किया। यह भी तय किया कि इन बातों को अगर हम स्वीकार करते हैं तो मौजूदा कानून और मौजूदा नियम बने हुए हैं उनमें जहां तक उन पोइन्टस् का सवाल है, मैं उन सारे पोइन्ट्स को रिपीट नहीं करना चाहता, उन पोइन्ट्स पर आलरेडी प्रावधान है। और जिन मामलों पर जो केबिनेट के निर्णय होते हैं उनकी मिनिट्स जो डिप्टी सेक्रेट्री या चीफ सेक्रेट्री वहां बैठते हैं वह रिकार्ड करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रफ नोट्स ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये। रफ नोट्स नहीं, वह डिसीजन रिकार्ड करते हैं, लेकिन जब तक फाइनल रूप में केबिनेट एजेण्डे के आइटम्स को डिस्पोज आफ नहीं कर लेती तब तक रेकार्ड नहीं बनता है। जैसा मैंने कहा कि वह आइटम एजेण्डे पर आज भी पेंडिंग है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यही ! यही !!

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये तो सही ।

श्री परसराम मदेरणा : यह कुछ नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने एलीगेशन लगाया था वे विजनेस, वे प्रपोजल्स जो केबिनेट के एजेण्डे में थे उन पर डिसीजन नहीं लिया गया–इससे हमारी बात की पुष्टि होती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मुद्दा पेंडिंग है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे पेंडिंग हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे नहीं, वह एक है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे पेंडिंग हैं मैं आपको फिर चेलेंज करता हूं ।

श्री श्रवण लाल : थूको और चाटो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं फिर आपको चेलेंज करता हूं । जो केबिनेट मीटिंग के लिए एजेण्डा सरक्यूलेट किया गया है उसमें वे सारे के सारे प्रपोजल्स रिपीटेड हैं, वे सारे प्रपोजल्स पेंडिंग हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे नहीं, उनमें एक पेंडिंग है और वह है गंगानगर....

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप गोपनीयता को भंग कर रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगानगर कमाण्ड एरिया में जो भूमि है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज । सदन का समय समाप्त हो रहा है, मैं समझता हूं यह सदन की मन्शा होगी कि बिजनेस के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बिजनेस समाप्त होने तक बढ़ा दिया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सवाल का जवाब दे दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केबिनेट का जो मीमो या एजेण्डा आया है, क्या यह है कि वे प्रपोजल्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि १४ जुलाई को उनका फैसला हो गया, केबिनेट के कन्सीडरेशन के लिए जो मीमो आता है या एजेण्डा आता है उसमें वे सारे प्रपोजल्स, १,२,३,४,५, आज भी पेंडिंग हैं, और वे उसमें हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आप से बिलकुल साफ कह रहा हूं, लेकिन सुनिये तो सही ।

मैं कह रहा हूं कि पांच छः मुद्दे थे उनमें से दो तीन मुद्दे जिनका राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में जिक्र किया उन मुद्दों पर केबिनेट में राय जाहिर की गई, उन्होंने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जैसा बताया, वैसा किया गया और एक दो मुद्दे जो ट्रान्सफर के या दूसरे थे जिनके बारे में केबिनेट ने कहा मुख्य तौर पर इनको नहीं मान सकते। इनके बारे में यह कहा खास तौर पर, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा है, इनके कहने में स्ट्रेन्थ है कि गंगानगर का कमाण्ड एरिया का जो ६० पर्सेन्ट है उसको सेन्ट पर्सेन्ट कमाण्ड मानकर सीलिंग में उसकी पैदावार का अनुमान लगाया गया है वह सेंट पर्सेन्ट लेना वाजिब नहीं है, उससे सीलिंग की जमीन कम होती है और उससे किसानों को नुकसान होता है। इस बारे में और सोच विचार कर लिया जाय। उसके बाद में इस बारे में सैटलमेंट के लोगों को बुलाकर सलाह ली गई है और सलाह लेने के बाद अभी तक राजस्व मंत्री इसे डिटेल में देख रहे हैं। उस पोइन्ट के सिवाय बाकी के पोइन्ट्स पर जो निर्णय हुए उनको रेकार्ड किया गया है चीफ सेक्रेट्री के द्वारा और जिस प्रकार फाइनल फैसले किये जाते हैं उस रूप में अभी नहीं लिये गये हैं। बाकी नोट्स मौजूद हैं। क्योंकि एक मुद्दा पेंडिंग में निर्णय के लिए पड़ा है, वह बाकी रह गया था इसलिए जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक केबिनेट मीमो या ऐजेण्डे में रहेंगे। और जो रिजल्ट प्रोसिडिंग्स या मिनिट्स में ड्रा आउट किये जाते हैं वे तब किये जायेंगे जब सारों पर निर्णय हो जायेंगे। इसलिए जो केबिनेट का मीमो ओरिजिनल रूप में पेश हुआ है वह उसी तरह पड़ा हुआ है। इसलिए जो मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था वह सही है और राजस्व मंत्री जी ने जो कहा है कि इन बातों को माना है वह भी सही है। और आखिर में यह पोजिशन है कि वह मुद्दा आज भी पेंडिंग है।

श्री भैरोंसिंह—आपके कहने से यह बात तो स्पष्ट हुई कि १४ तारीख की केबिनेट मीटिंग में सीलिंग कानून के विषय में जिस विषय पर विचार किया गया वह १४ तारीख की प्रोसिडिंग्स में नहीं लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा—पूरी प्रोसिडिंग्स, जैसा कि विधान है....

श्री भैरोंसिंह—आप यह कह रहे हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा दो तरह मिनिट्स लिखी जाती हैं, मैं बता दूं, आप समझिये।

श्री भैरोंसिंह : हम यह पूछना चाहते हैं कि १४ तारीख की प्रोसिडिंग्स मे....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें कन्फ्यूजन हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : कन्फ्यूजन नहीं होगा आप यह बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : कन्फ्यूजन हो जायगा और कन्फ्यूजन से आपको और हमें निकलना है। हम कन्फ्यूजन निकालना चाहते हैं। हम हाउस को जानकारी देना चाहते हैं और दुनियां को सही जानकारी मिले, यह अपना कर्तव्य है।

जो फाइनल लाल स्याही में डिपार्टमेन्ट की फाइल में जाती है उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फार्म में एजेन्डा का डिस्पोज़ल नहीं हुआ और जो लाल श्याही में लिखा जाता है वह अभी बन कर तैयार नहीं हुआ। फाउन्टेन पेन और काली श्याही से चीफ सेक्रेटरी आदि नोट लेते हैं वे लिखे गए हैं। इसलिए यह कहना कि प्रोसिडिंग्स में नहीं लिखे गये यह सही नहीं है। आपने जो फैसला सुनाया वह काली श्याही वाला सुनाया और चीफ मिनिस्टर ने जो कहा वह कालीश्याही वाली बात सुनाई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह काली श्याही में हुआ और लाल श्याही में नहीं हुआ यह भी धन्य है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केबिनेट के बिज़नेस रुल्स के अनुसार जब तक फाइल पर लाल श्याही से उस फाइल पर मंत्री मण्डल का निर्णय या बैठक का निर्णय जब तक हैड लाइन में नहीं लिखा जावे तब तक वह निर्णय नहीं माना जाता है यह केबिनेट बिज़नेस रुल्स में साफ तौर से लिखी हुई है। जब तक हैड लाइन्स में लाल श्याही से मंत्री मण्डल का निर्णय नहीं लिखा जाता तब तक वह नहीं माना जाता और उसके लिखने के बाद ही वह मंत्री मण्डल का निर्णय माना जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर जनहित के निर्णय तैयार हो जावें और राजस्व मन्त्री जनता को जानकारी देने में ज्यादा उत्सुक हो और चीफ मिनिस्टर भी जानकारी देने में ज्यादा उत्सुक हों तो दे सकते हैं जब तक लाल श्याही में लिखकर तैयार नहीं होते तब तक उनके मुंह पर ताले नहीं लगा सकते।

मगर जैसा मैंने कहा कि एक पोइन्ट पर फैसला नहीं किया गया। गंगानगर में ६० परसेन्ट वाले को सेंट परसेन्ट माना जावे या नहीं। यह बाकी है। राजस्व मंत्री के आधीन सेटलमेंट भी है इसलिये वे संतोष करने के लिए सेटलमेंट से जानकारी करेंगे कि क्या उसको ६० परसेन्ट माने या सेन्ट परसेन्ट माना है, उस एरिया में कोई परिवर्तन आता है या नहीं। इसमें न तो केबिनेट का कोई विरोधाभास है न कोई बात है। तथ्यों और सच्चाई से भरा हुआ दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक बात मैं पूछना चाहता हूं जो सारे वातावरण को स्पष्ट कर देगी कि जिस तरह की यह व्यवस्था हुई है पहली मर्तबा हुई है या आपके केबिनेट में जितनी दफा केबिनेट चलती है, हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात कई बार होती है। लाल श्याही में लिखने से पहले मंत्री स्टेटमेंट देते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुख्य मंत्री का जो तीन लाइन का बयान है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है। मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया ने प्रतिनिधियों को मंत्री मंडल का निर्णय घोषित करते हुए कहा कि मूल कानून में कुछ संशोधन प्रस्ताव थे किन्तु बैठक में बहुमत के विचारों को

Page No.119

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

आप यह कहते हैं कि एक मसला पेन्डिंग है। मगर उन्होंने यह कहा है कि सारे कानून को पास कर दिया है। कौनसा निर्णय है। आप कहते हैं वह सही है या उन्होंने कहा वह सही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप एक अखबार को गीता का चैप्टर मान कर पढते हैं। मैंने आपको सच्चाई और वास्तविकता की स्थिति थी उसको आपको बताया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो अखबार को ही गीता का पाठ मानते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के साथ साथ बोलते रहे) : इस स्टटेमेंट को सारे अखबारों ने पब्लिश किया है और आप कहते हैं कि आप अखबार की बात को गीता के पाठ की तरह से मानते हैं। अखबारवालों ने कोई गलत बात छापी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं केबिनेट का मेम्बर हूं और मेरी जानकारी उनसे ज्यादा वक्त रखने वाली हैं। आप जानते हैं कि अखबारों के स्टेटमेंट आप भी कुछ देते हैं और वे कुछ लिखते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके लिये यह गीता का पाठ नहीं है हमारे लिये तो यह गीता के पाठ की तरह से है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (श्री उमरावसिंह ढाबरिया के साथ साथ बोलते रहे) : सारे भारत वर्ष के अखबारों ने इसको छापा है। क्या सारे अखबारों ने इसको गलत छापा है। आपका अखबार के प्रति यह रवैया है इसका मतलब यह है कि अखबारों ने गलत छापा है आपने कुछ स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कुछ और छापा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अखबारवालों को भड़काने की कोशिश न करें।

(शोर गुल-व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा एक साथ बोलने लगे) : आपने अखबारों के लिये कहा कि ये अखबार हमारे लिये गीता हैं। आपका अखबारों के प्रति एटीट्यूड ।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा आपके राज्य में अखबारों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी गवर्नमेंट का यह एटीट्यूड अखबारों के प्रति है कि आप उनको स्टेटमेंट कुछ देते हैं और वे कुछ और वे कुछ और छापते हैं। इस तरह से आप अखबारों को बदनाम करते हैं। उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। उनको पिटवाते हैं, ठुकाते हैं और कोई एक्शन ठोकने पीटनेवालों के खिलाफ नहीं लेते। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है।

(श्री नाथूराम मिर्धा बोलने के लिये खड़े हुए)

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉडर प्लीज ।(लगाता घंटी ।)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चुने हुए सदस्यों के बयान भी गलत । ग्रापके ग्रखबारों ने भी गलत खबर छाप दी । चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट गलत छाप दिया....

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां के ग्रखबारों ने गलत छाप दिया । सारे हिन्दुस्तान के ग्रखबारों ने गलत छाप दिया । यह इस बात को बताता है कि प्रजातन्त्र में इन इन्सटीट्यूशनों पर ग्रापको कितना विश्वास है ।

(लगातार लम्बी घन्टी)

श्री उमरावसिंह ढावरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पोर्शन पढ कर सुनाया । ग्राप उसके लिये कहते हैं कि ग्राप ग्रखबार को गीता का पाठ समझते हैं । हम तो उसको गीता का पाठ की तरह समझते हैं ग्रौर इसलिये समझते है कि मुख्य मंत्री के मुंह से यह कहा गया है । ग्रब ग्राप बतादें कि ग्राप इसको गीता का पाठ नहीं समझते हैं तो यह कह दीजिये कि यह बयान झूठा है । ग्राप कह दीजिये कि मोहनलालजी सुखाड़िया ने जो कहा है वह झूठ है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भू राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६६ को जनमत जानने के लिये जो संशोधन ग्राए है उनको स्वीकार किया जाए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : on a point of Order Sir.

श्री उपाध्यक्ष : A point of order cannot be raised when a question is being put to vote.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह से इसको पास नहीं कराया जावे ।

(ग्रस्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने के लिये जो संशोधन थे वे गिर गये ।

प्रश्न यह है कि भू-राजस्व (संशोधन तथा वंधकरण) विधेयक १९६६ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये संशोधन ग्राये हैं उन्हें स्वीकार किया जाए ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ना पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज २ । श्री रामानन्द ग्रग्रवाल ।

श्री भैरोंसिह : on a point Order Sir. उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी इसके प्रथम चरण के वोटिंग के लिये प्रस्तुत किया ग्रौर स्वीकृति सदन से ली । इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पब्लिक ग्रोपीनियन के लिये सर्कयूलेट कियां जाए उसके लिये संशोधन जाए थे । रूल्स में यह प्रावधान हैं कि जो माननीय सदस्य इसको

(श्री भैरोंसिंह)

मूव करने वाले हैं उनसे पहले जानकारी ली जावे कि वे अपना मोशन विथड्रा करते हैं या नहीं । अगर सदस्य उसको विथड्रा नहीं करते हैं तो उस पर मत लिया जा सकता है आपने किसी सदस्य से नहीं पूछा है कि आप इसको वापिस लेना चाहते हैं या नहीं यह हाउस की परम्परा के अनुसार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह हाउस की परम्परा के अनुसार है । आप प्रोसीडिंग देखेंगे तो आपको मालूम होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप परम्पराओं की बात कहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रूल्स को देखें, परम्पराएं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकतीं ।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के अगेन्स्ट नहीं जा सकतीं ।

रूल्स के अन्तर्गत है, रूल्स में साफ है कि यदि नहीं भी पुट किये जायं और ध्वनि मत से किसी तरह से विचरार्थ पेश होता है तो वे प्रस्ताव स्वतः ही फालन गिने जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह कहीं नहीं है, रूल्स में साफ है. कहीं भी रूल्स में बता दीजिये कि जिसने मूव किया उसको बिना पूछे कि विथड्रा करना चाहते हैं या नहीं, मत दान पर नहीं रखा जाय और उस प्रस्ताव को गिरा हुआ समझा जाय । रूल्स में कहीं नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा हुआ है, वोट एक प्रस्ताव का सदन में हो जाता है तो स्वतः अमेंडमेंट गिरे हुए माने जाते हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न यह है कि मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उसको प्रेस नहीं किया, मैंने तो यही समझा कि आपके प्रश्न पर विवाद चल रहा है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रेस नहीं करने का सवाल नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, आप दूसरे को बोलने की इजाजत दें और मुझसे आप यह उम्मीद करें कि मैं चीखा करूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्लेम करना चाहिये था ।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप कई दफा कहते हैं कि बैठ जाओ तो आपकी आज्ञा मानते हैं । और दूसरे सदस्य बोलें तो बैठ जाना चाहिए, भैरोंसिहजी बोलते हैं तो मुझे बैठ जाना चाहिए, उनके बीच में दूसरे माननीय सदस्य बोलें तो उन्हें बैठ जाना चाहिए, आप बोलें तो हमें बैठ जाना चाहिए, आपके बीच में कोई बोले, तो आपको बैठ जाना चाहिए । यदि आप इस मंत्री मण्डल को जो इसके विवाद एतराज और आग्रह हैं उनसे बचाना चाहते हैं तो अलग बात है । वरना नाथूरामजी सारी केबिनेट मिटिंग की प्रोसिडिंग्स पर चर्चा कर जायें और कुम्भाराम जी चुप रहें, नाथूरामजी कहें कि राजस्व मंत्री ने जितने पोईंट रखे, सब....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो भाषण हो रहा है....

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आप इनको नहीं रोकते, ये बीच में खड़े हो जाते हैं क्यों कि ये मंत्री हैं। आप इनका नाम लेकर बोलें या सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखें क्या ये मिनिस्टर हैं इसलिए इनको हम लोगों के बीच बीच में बोलने की इजाजत है ?

श्री मानिकचंद सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष कुम्भारामजी कोई और ही क्लेम करते हैं, तो दूसरे मिनिस्टर को इजाजत दे सकते हैं कि वह केबिनेट मीटिंग के एक एक पोईंट की व्याख्या करे, वे यह कह दें कि कुम्भा रामजी भी ठीक थे, सुखाडियाजी भी ठीक थे....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में वार्तालाप हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय राजस्व मंत्रीजी को प्रेस करें कि केबिनेट की प्रोसिडिंग्स हाउस में रखें। उनका आश्वासन है, यह विवाद राजस्थान में चल गया है, सीलिंग के प्रश्न पर राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि मैंने सुझाव रखे थे, उसकी सारी प्रोसिडिंग्स मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा मिर्धा साहब कहते हैं कि संशोधन स्वीकार नहीं हुआ और यही रखा गया कि कोई संशोधन एक्ट में नहीं किया जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्व मंत्रीजी के सब सुझावों को नामंजूर कर दिया गया फिर भी वे राजस्व मंत्री पद पर बने रहना चाहेंगे, यह उनके सोचने की बात है। कौनसा स्वीकार हुआ, कौनसा सुझाव स्वीकार नही हुआ, इस पर मिर्धाजी ने आधा घंटा पार्टिसिपेट किया है, राजस्व मंत्रीजी ने आश्वा दिया था कि उस प्रोसिडिंग्स को सदन में प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आप उनको सदन में केबिनेट की प्रोसिडिंग्स प्रस्तुत करने की आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में काफी क्लेरीफिकेशन मंत्री महोदय दे चुके हैं। ऐसी परम्परा हाउस में नहीं रही है कि केबिनेट की प्रोसीडिंग्स सदन में रखी जाये, केबिनेट के मन्त्री रेस्पोन्सिबल समझे जाते हैं, जैसे प्रत्येक माननीय सदस्य रेस्पोन्सिबिलिटी से बात कहते हैं, उनको माना जाता है, उसी तरह केबिनेट के मिनिस्टर भी अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी पर कहते हैं, उनको माना जाता है जब तक कि उनके तथ्यों को दूसरे माननीय सदस्य झूठा साबित न कर कर दें। इसलिये इस विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता। इस विषय में जो उन्होंने कहा है उसको माना जा रहा है। अगर इस विषय में और किसी प्रकार का प्रश्न उठाने की माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो विधि विधान के अनुसार उठा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष - विधि विधान को देखना मेरा फर्ज नहीं है। जो माननीय सदस्य उत्सुक हों वे विधि विधान देख लें और चाहें तो प्रश्न उठावें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय नाथूरामजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : इतना सहयोग का सवाल है। परतों माननीय सदस्यों से आश्वस्त हुआ कि सारा कार्य पूरा कर लिया जायगा, उसकी बिना पर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सारा कार्यक्रम बदला गया था। आज जो कार्यवाही रखी गई है, उसको शान्तिपूर्वक आज पूरा कर सकें इस प्रकार का सहयोग इस आसन को माननीय सदस्य देंगे तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा। यह माननीय सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर है। और माननीय सदस्यों की यह मंशा है कि कोई बिल पारित करने की कार्यवाही नहीं करना है तो सदन का मानस बनावें। अगर यह मंशा नहीं है और कार्यवाही करना है जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है तो उसके लिये माननीय सदस्यों का सहयोग वांछित हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सहयोग किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो चेयर की तरफ से व्यवस्था दी गई है वह शिरोधार्य है पर जेन्युआईन डिफीकल्टी सामने आई है। एक स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर का है, एक माननीय नाथूरामजी का है, और एक राजस्व मंत्रीजी का स्टेटमेंट है, मैं कन्फ्युज्ड हो गया आप ही बता दें कि यह निर्णय हुआ। तीनों का समन्वय कर के बता दीजिये कि यह स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि कि सर्वप्रथम तो मैं केबिनेट का मेम्बर नहीं हूं....

श्री भैरोंसिंह : आप में योग्यता है।

एक माननीय सदस्य : अब की बार हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका प्रतिनिधि यहां बैठा हूँ, आपकी मंशा के माफिक कार्य चलाता हूं। आपकी मंशा रूल्स में अभिव्यक्त है : आपकी मन्शा का चलना रूल्स के मुताबिक चलना है। आपकी मन्शा को ही आप जब्त करना चाहें तो रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। रूल्स के अन्तर्गत मैं कार्य कर रहा हूं। एक मंत्री महोदय ने एक बात कही, दूसरे मंत्री महोदय ने दूसरी बात कही, स्पष्टीकरण किया। एक मंत्री महोदय ने यह कहा कि सदन के मंत्री मण्डल के नेता उपस्थित होंगे तो स्पष्टीकरण कर दिया जायगा। तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर और कोई आशंका की बात नहीं रखनी चाहिए। हम अगर उस बात को खींचते घसीटते जांय, तो हमारे सामने जो कुछ तथ्य आ गए उनसे अधिक नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपसे सहयोग की प्रार्थना करता हूँ। जितना प्रकाश उस पर पड़ चुका है, उसको रिजर्व रखते हुए, जब भी अवसर आए, मुख्य मन्त्रीजी आएं, उस समय उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय तो अच्छा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आसन की तरफ से आश्वासन है कि जब मुख्य मन्त्रीजी आएं तो इस आश्वासन के अनुसार इस पाइन्ट को क्लैरीफाई कराने के समय दिया जाएगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुख्य मन्त्रीजी क्योंकि आज सदन में नहीं हैं, अगर कोई गलतफहमी होती है तो मैंने उपनेता की हैसियत से उस सारी चीज को आपके सामने से साफ किया है। उनसे क्या साफ करवाएंगे, मैंने कहा जो पोजीशन है, सच कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : I seek the protectoin of the Chair. मैं आपकी शरण में आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी शरण में आता हूँ, मैं सदन की शरण में आता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि कार्यवाही आगे बढ़ने दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्व मंत्री ईमानदारी के साथ क्या कहना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जो कहदें वही सही है, तीन विचार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कसम खा ली है। मुख्य मन्त्रीजी आएंगे तो दस्त-ब-दस्त हो जायेंगे।

श्री मानधातासिंह : क्योंकि उपनेता ने....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। क्लॉज २ !

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

Clause 2 of the Bill be replaced by the following clause:-

"2. Amendment of Section 4 of Rajasthan Act. 15 of 1966.-In the Rajasthan Land Revenue Act., 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) hereinafter referred to as the principal Act, Section 4 shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted by the following section 4, namely:-

"4. Composition, Appointment and conditions of service of the Members of the Board :

(1) The Board shall consist of a Chairman and such other Members not less than three and not more than seven as the State Government may, from time to time determine.

(2) Every member of the Board shall be appointed by the Governor on the recommendation of a Committee consisting of the Chief Justice of the High Court of Judiccature for Rajasthan, the Chairman of the Rajasthan Public Service Commission and the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly,.

(3) The Chief Justice shall be the Chairman of the said

Committee and shall preside over its meetings.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a member of the Board unless he:—

(a) has worked as a Revenue Officer such as Collector or Assistant Collector, or in the Indian Administrative Service or both cumulatively for 10 years in the State; or

(b) has for at least ten years held a judicial office in the State, or

(c) has for at least ten years been an Advocate of the High Court of Judicature for Rajasthan.

(5) No Member of the Board shall be eligible for appointment to any Government service after he retires or relinquishes office of his own accord.''

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :
Part (i):-

The new sub-section (2) be replaced by the following, namely :—

"(2) The Board shall consist of a Chairman and not less than three and not more than seven members including the Chairman.''

Part (ii):-

The new sub-section (4) be replaced by the following new sub-section (4), namely:—

"(4) A person shall not be qualified for appointment as a Chairman or a Member of the Board unless—

(a) he has worked as an Officer in the Indian Administrative Service, or

(b) he has served as a Judicial Officer for more than 12 years; or

(c) he has worked as an Advocate enrolled by a High Court of Judicature in India for a period more than 12 years."

श्री मानधातासिह (महुवा) :

Part (ii):—

In new sub-section (4) replace the words—

(श्री मानधातासिंह)

"an Officer in the Indian Administrative Service for at least twelve years" by the words "a Collector or Revenue Appellate Authority or District and Sessions Judge for at least ten years."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फौरन जयपुर से सीधे बूंदी जाओ बाइ रोड वाया सांगानेर रोड।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने इस बिल में अपना संशोधन पेश किया है। एक संशोधन जो दरअसल मुख्य क्लाज इस अमेंडिंग बिल के जरिये, सरकार की तरफ से पेश किया गया है उस क्लाज को बिल्कुल हटाकर और उसकी जगह दूसरी क्लाज सब्स्टिट्यूट करने का उसमें संशोधन दिया है। सरकार की तरफ से जो संशोधन इस पुराने कानून में पेश किया जा रहा है उसमें केवल इस बात को कि पहले सरकार यह डिसाइड कर देती क्या राजस्व मंडल के सदस्यों की क्वालीफिकेशन्स होंगी, कितने होंगे, वह पावर्स जो सरकार की थी उनका जिक्र अब इस एक्ट में से, इस धारा में से निकाल दिया है। शायद सरकार की मन्शा उनको फिर नियमों में किसी और तरह से प्रोवाइड करने की हो। मेरी मान्यता है कि अभी भी इसको ऐसा निकालने से स्थिति अनिश्चित बन जाती है और तीन हों या चार हों या पांच हों यह केवल इस धारा में ही रखने से कि ३ से ७ हो सकते हैं यह प्रश्न फिर भी खड़ा रहेगा कि यह तय कौन करेगा कि ४ होंगे या ५ होंगे या ६ होंगे और यह इसी बिना पर यही क्लाज ट्रंक डाऊन हो जायगा। पहले कम से कम यह तो था उसमें कह दिया था As the State Government will determine, और फिर उसके तहत आप नियम बनाकर डिटरमिनेशन का तरीका बना सकते थे लेकिन अब उसको तय कौन करेगा, इस बारे में लॉ साइलेन्ट है। इसलिए उस बिना पर मैं समझता हूं कि यह क्लाज वेग है और वेगनेस की बिना पर यह क्लाज ट्रंक डाऊन हो जायगा। केवल इसी बुनियाद के कारण मैंने यह संशोधन पेश नहीं किया।

इस सदन में इस बिल पर जो पहले बहस हुई है इन्ट्रोड्यूस करते समय उसमें जो माननीय सदस्य आलोचना करते हैं इस राजस्व मंडल के सदस्यों के संबंध में, सरकार द्वारा उनको नियुक्त करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने में, सरकार के हाथ में यह आथोरिटी रहने के कारण, राजस्थान में राजस्व के मामलों में सबसे ऊंची ज्युडिशियल आथोरिटी होते हुए भी, चूंकि सरकार के हाथ मे, एग्जीक्यूटिव के हाथ में उनकी नियुक्ति के पावर्स है, वे स्वतन्त्रता से फंक्शन नहीं कर सकते कम से कम सरकार इस बात को न भी स्वीकार करेगी तो Justice should not only by done but it should appear to have been done. इसलिए कि लोगों के साथ न्याय होता है या राजस्व मंडल स्वतन्त्र है, स्वतन्त्रता से निर्णय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ले सकता है केवल यही बात कहने की नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोसीजर, आपका नियुक्ति का तरीका इस प्रकार होना चाहिए जिससे आम जनता में यह विश्वास हो सके कि राजस्व मंडल के जो भी सदस्य हैं, वे इस तरह की आब्जेक्टिव स्थिति में हैं कि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।

राजस्थान राजस्व लाज कमीशन ने इस सवाल पर विचार किया था और विचार करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट, अपने सजेशन्स भी सरकार को भेजे हैं और मैंने भी उस कमीशन के एक सदस्य होने के नाते जिस बुनियाद पर उन पर बहस हुई और जिस बुनियाद पर सिफारिशें कमीशन ने की हैं, उनका आधार यह था कि इतनी बड़ी ज्युडिशियल बॉडी के सदस्यों की नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। यह ऐसी बाडी के हाथ में होनी चाहिये जो निष्पक्षता से काम कर सके जो कि एग्जीक्यूटिव नहीं है। उन तमाम चीजों को कानून से एग्जीक्यूट करना नहीं है इसलिए इन पावर्स को सरकार के हाथ से निकालना चाहिए और इसलिए उस कमीशन ने यह सजेशन दिया है कि तमाम सदस्यों की नियुक्ति, चेयरमेन समेत, एक तीन आदमियों की समिति द्वारा की जाय जिसका चेयरमेन उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस हो, एक सदस्य पी० एस० सी० का चेयरमेन हो और तीसरा सदस्य मुख्य सचिव हो लेकिन मैंने जो संशोधन पेश किया है, उसमें तीसरे सदस्य के लिए सजेस्ट किया है कि वह विधान सभा का अध्यक्ष हो, जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। इस सदन का एक निष्पक्ष माना जानेवाला प्रतिनिधि होता है। और उसमें रखा है कि यह तीनों आदमियों की समिति जिसका चेयरमेन मुख्य न्यायाधीश हो, एक पैनेल सजेस्ट करे जिसमें से नियुक्ति राज्यपाल करे और इस तरह से अगर नियुक्ति होगी तो एफिशियेन्ट लोग आएंगे, कम से कम लोगों को यह विश्वास हो सकेगा, राजस्व मंडल के सदस्यों में यह विश्वास हो सकेगा कि उनकी नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं है और उनका रिटायरमेंट सरकार के हाथ में नहीं है और वे स्वतंत्रतापूर्वक फंक्शन कर सकेंगे।

दूसरी जो मेरी बुनियाद है संशोधन की वह उनके मेरिट्स के बारे में है उनकी क्वालीफिकेशन्स के बारे में कि राजस्व मंडल के सदस्य कौन होने चाहिए। सरकार का दृष्टिकोण ऐसा मालूम पड़ता है कि वे केवल आई० ए० एस० के हाथों में ही इस मंडल को सौंप देना चाहते हैं।

और जैसा कि अभी जनरल बहस होते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि यह १२ वर्ष की अवधि कुछ इन्ट्रेस्टेड लोगों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये सजेस्ट की है। इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है और उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूँगा लेकिन सैद्धान्तिक तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मण्डल में तीन तरह की योग्यतायें लोगों में चाहिये। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी होनी चाहिये, उनमें रेवेन्यू लाज की वाकफियत होनी चाहिये, उनमें रेवेन्यू लाज के ऊपर पूरी तौर से पकड़ होनी चाहिये और रेवेन्यू लाज को एडमिनिस्टर करने का ज्युडिशियल तरीके से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनका प्रोनाउन्समेंट करने का उनको एक्सपीरियेन्स होना चाहिये और इस दृष्टिकोण को राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन ने स्वीकार किया है और इसीलिये उस कमीशन ने यह सजेस्ट किया है कि इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग रेवेन्यू ऑफिसर्स या कलेक्टर, जिनको पर्टीकुलर अवधि का एक्सपीरियेन्स होता है और जो हाईकोर्ट के तहत काम करने वाले हैं, राजस्थान के अन्दर कितने ही जिलों में कोर्ट्स हैं उनमें काम करने वाले एडवोकेट्स हैं जिनका एक्सपीरियेन्स रेवेन्यू लाज के बारे में है और ज्युडिशियल सर्विसेज के लोग भी जिनको कानून पर ज्युडिशियल माइन्ड एप्लाई करने का अनुभव है ऐसे लोगों को रेक्रूट करना चाहिये, ऐसा सजेशन रेवेन्यू लाज कमीशन का है और रेवेन्यू लाज कमीशन ने जो ये सजेशन्स दिये है उन्हीं सजेशन्स में माइनर अमेन्डमेंट्स करके कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो ज्यादा सीनियर भी न हों, वे कलेक्टर्स चाहते थे मैंने असिस्टेन्ट कलेक्टर्स को भी इन्क्लूड किया है उनको काम करने का एक्सपीरियेन्स दस वर्ष का होना चाहिए और इस दृष्टि से ज्यादा यंगमैन उसमें ला सकें जो ज्यादा पब्लिक से कनेक्टेड हों उनको ला सकें, जो पब्लिक को ज्यादा रेस्पोन्सिब हैं उनको उसमें ला सकें उस दृष्टि से मैंने यह सुझाव रखा है।

तीसरी बात जो मेरे अमेन्डमेंट की बुनियाद में है कि जो भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हो जायं, जो भी अपने आपको वहां जाना पसन्द करें, इस लॉ में यह प्रोवाइड करें कि वे वापिस गवर्नमेंट सर्विस में अपोइन्टमेंट या रिअपोइन्टमेन्ट के लिए ऐलीजिबल नहीं होंगे, वापिस गवर्नमेन्ट सर्विस में नहीं आ सकेंगे। उपाध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि इस तरीके के ज्युडिशियल अपोइन्टमेन्ट के लोग गवर्नमेन्ट की तरफ देखते हैं, उन्हें उनकी नूरे नजर बनाने की ख्वाहिश रहती है इसीलिये मिनिस्टर के दरवाजे खटखटाते हैं। मिनिस्टर मुकर्रर करता है जांच कमीशन में जांच करने के लिये और जब उनको सर्टिफिकेट देता है 'नो नो' कोई गुनाह नहीं किया, उनको बिल्कुल एक्विट कर देता है तो वह अपने आपको क्वालिफाइड समझता है कि तुम रिअपोइन्टमेन्ट के लिये क्वालिफाई हो गये और इस तरीके से गवर्नमेन्ट ने यह तरीका अपनाया हुआ है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को सेक्रेटेरियेट में ले आये और सेक्रेटेरियेट के मेम्बर को उधर भेज दिया और इस तरीके का हेरफेर करने का रवैया अपनाया हुआ है वह सही नहीं है। आज हाई कोर्ट के जज को भी गवर्नमेन्ट रिअपोइन्टमेन्ट देती है, मैं समझता हूं यह बहुत गलत तरीका है। हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस रानावत, जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, एक मामूली इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जज के रूप में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस की हैसियत का व्यक्ति यह न चीफ जस्टिस की शान और हैसियत के माफिक है और न ही प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने का सही तरीका है। अगर यह तरीका अपनाया गया तो हाई कोर्ट के जज भी गवर्नमेन्ट की तरफ देखेंगे कि जैसे जस्टिस रानावत को मौका मिल गया, रिअपोइन्टमेन्ट हो गया तो दूसरे हाई कोर्ट के जज भी इस तरह की ख्वाहिश लेकर बैठेंगे। आखिर इन्सान इन्सान है और भविष्य की उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सोचने की शक्ति होती है और यह नेचुरल है कि हम जनता में वही कॉन्फिडेन्स हाइयेस्ट ग्रागस्ट ट्रिब्यूनल में पैदा नहीं कर सकते कि जो कि इन हाइयेस्ट ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमारी जनता में होना चाहिये इसलिये, उपाध्यक्ष जी, मैंने यह सजेशन रखा है कि रेवेन्यू बोर्ड के जो भी मेम्बर होते हैं उनको रिग्रपोइन्टमेन्ट कहीं भी नहीं मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरीके से अगर हम सलेक्शन के तरीके को रखें, इस तरीके से क्वालिफिकेशन रखें और हाई इन्टीग्रिटी के लोगों को राजस्व मंडल के सदस्य रखें तो इस प्रकार के राजस्व मंडल की ग्राम लोगों के दिमाग में इज्जत होगी, एक्जीक्युटिव के दिमाग में इज्जत होगी और मिनिस्टरों के दिमाग में भी इज्जत होगी। आज वह इज्जत नहीं है जो कि एक हाइएस्ट ट्रिब्यूनल के लिये होनी चाहिये। आज उनके दिमाग में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज राजस्व मंडल किसी भी तहसीलदार का तबादला करता है और कोई इन्ट्रेस्टेड आदमी मिनिस्टर के पास पहुंचता है तो मिनिस्टर साहब केन्सल कर देते हैं उनका तबादला आज यह प्रिविलेज इस राजस्व मंडल का मंत्री महोदय के दिमाग में है। उदाहरण के लिये उपाध्यक्ष जी, हमारे जिले में तिजारा तहसील है, वहां पर किशनसिंह तहसीलदार साहब काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ तिजारा कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत की। सतर्कता आयोग के सामने शिकायत की। सतर्कता आयोग ने उस मामले की इन्क्वायरी के लिये एस० डी० एम० किशनगढ के सामने श्री घासीराम एक्स एम. एल. ए. ने गवाही दी, एडवोकेट्स ने बयान दिये। उसके खिलाफ पांच मेवों ने बयान दिये कि तीन हजार रुपया रिश्वत ली। आपका राजस्व मंडल कह रहा था कि जिस आदमी ने रकम नहीं चुकायी हो तो एरियर्स की वजह से किसी को जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे। उसका अलॉटमेन्ट कैंसिल नहीं करते। इसी किशनसिंह तहसीलदार साहब ने मडाहा गांव की जमीन की कीमत न चुकाने के कारण कानून के खिलाफ उन लोगों का अलॉटमेन्ट केन्सिल कर दिया और बेदखल करके कुछ लोगों को बिकाव करके जिसमें वे इन्ट्रेस्टेड थे उनको रजिस्ट्री करा दी और यह शिकायत है उनके खिलाफ कि उन्होंने एक एक रजिस्ट्री की पांच पाँच सौ रुपया रिश्वत दी है। १९–७–६६ को राजस्व मंडल ने किशनसिंह जी का ट्रान्सफर अनाउन्स कर दिया, ऑर्डर्स हुए कि २४ घंटे के अन्दर तुम अपना चार्ज देकर दूसरे व्यक्ति को और वहां से बिस्तर गोल करो और दूसरी जगह जाओ। लेकिन श्री किशनसिंह जी वहां से बजाय चार्ज देने के कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लेकर भाग गये और उनका जो ट्रान्सफर था वह ५–७–६६ को हमारे मंत्रि मंडल की ओर से केन्सिल कर दिया गया। उस तहसीलदार के खिलाफ कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट ने शिकायत की भ्रष्टाचार की, सतर्कता आयोग ने जांच बिठाई, जिसकी एस० डी० एम० जांच कर रहा है, जिसमें एक्स० एम० एल० ए० घासीराम ने बयान दिये, जिसके खिलाफ मूलचन्दजी वकील किशनगढ, कालीचरण, जगनसिंहजी, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने बयान दिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं, रक्खीमल राजपूत, शरणार्थी आदि ने बयान दिये हैं उसने कहा है कि एक हजार रुपया रिश्वत मेरे से इसने लिया है। ऐसे बयान एस० डी० एम० की अदालत में हुए। २१. ७. ६६ को वहां की जनता ने एक जबदर्स्त प्रदर्शन उस तहसीलदार के खिलाफ किया जिसमें सभी लोग मिले हुए थे— लाल झंडे वाले भी, तिरंगे झंडे वाले भी। वहां राजस्व उप-मंत्री घासी राम यादव खुद मौजूद थे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और खुद ने माना कि वास्तव में उसका तबादला हो जाना चाहिये और कहा कि मैं जयपुर जाकर उनका शीघ्र तबादला कराऊंगा।

उनका तबादला हुआ १९-७-६६ को पर २५. ७. ६६ को इस मन्त्रिमन्डल ने उसका तबादला केन्सिल कर दिया। राजस्व मण्डल ने तबादला किया और इस मंत्रिमण्डल ने केंसिल कर दिया।

केबिनेट की मीटिंग की मिनिटस मेरे पास नहीं हैं जिससे पता चल सके कि कौन से मिनिस्टर ने किया। मुख्य मंत्रीजी ने किया या राजस्व मन्त्री ने किया है। किसने यह किया है, यह व्यास जी को मालूम है। वे हंस रहे हैं। वे ज्यादा ठीक तरह से बता सकेंगे कि किसने किया है। हम समझते हैं कि यह मन्त्रिमन्डल का निर्णय है। इससे लगता है कि यह मन्त्रिमण्डल राजस्व मण्डल की क्या कदर करता है। मंत्री लोग समझते हैं कि ये हमारे अपोइन्ट किये हुए हैं, हम जैसा चलाना चाहें वैसा चलना चाहिये इनको।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल ऑफिसरों के तबादले और इस तरह के काम नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण पालिसी मैटर्स पर ही अपने डिसीजन देता है। यह माननीय सदस्य भी जानते हैं तो जानते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी जब उत्तर देंगे तब सही तौर से पता लगेगा। मुझे तो यही मालूम है कि किशनसिंह तहसीलदार, जिस की शिकायत हुई, जिसने रिश्वतें लीं, वह आज भी वहां मौजूद है बावजूद उसके ट्रान्सफर के आर्डर के। सारी जनता के विरोध के बावजूद वहां मौजूद है। सब लोगों ने उसका मिल जुल कर विरोध किया था।

अभी राजस्व मन्त्रीजी कह रहे थे कि हम इस तरह से दिलचस्पी नहीं ले सकते।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह सही है कि तबादला उसका कर दिया गया था। पर सदस्य महोदय के कार्यकर्त्ताओं ने ही इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा कर दी कि उसको वहाँ पर से अगर बदला जाता तो प्रशासन चलाया जाना मुश्किल हो जाता। उसके खिलाफ काले झंडे निकाले गये। परचे निकाले गये। मीटिंगें की गईं। कहीं सरकारी ऑफिसर के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जाती है?

मैं अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आदमी कैसा ही हो, एक बार कान में कह दें, मैं उसे बदल दूंगा। पर प्रशासन को ही पैरेलाइज करने की कोशिश करेंगे त

(श्री कुम्भाराम आर्य)

मजबूरी होगी मेरी। देखना पड़ेगा और यह आपके लोगों ने किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम मन्त्री महोदय की महरबानी पर तो रहते नहीं हैं। आप करें या न करें। जो वाजिब बात है जनता उसको लेकर उठेगी। आप जनता का हित छोड़ कर उल्टे फैसले करो तो जनता जरूर तहसीलदार को नहीं बदलेगी, वह तो आप को ही बदल देगी। इसलिए आप इस बात से कि केवल हमारे कार्यकर्त्ताओं ने यह कहा कि यह रिश्वतखोर है, उस की रिश्वत की शिकायतें हैं, इसलिए तबादला किया जाय, और इसलिए आप तबादला कैंसिल कर दें तो इससे आप जनता का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना ही खात्मा करेंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य : हम एक को नहीं दस को बदल देंगे जहां जनता वास्तव में उससे असन्तुष्ट होगी। पर जहां पोलिटिकल प्रदर्शन किये जाते हों, और इसका जनता पर असर डाला जाता हो, प्रशासन को डिमोरेलाइज किया जाता हो वहां पर शासन का उसी जनता के हित के लिए कायम रखना जरूरी है। उस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस पोइन्ट की बात मैं कर रहा था, मुझे खुशी है राजस्व मन्त्री ने मान लिया।

राजस्व मण्डल ने एक आर्डर इसके तबादले का १६. ७. ६६ को दिया और उसको इस मन्त्रिमण्डल ने कैंसिल कर दिया। अब इसमें कौन मंत्री जिम्मेदार हैं, किसने यह किया यह आप आपस में बात करके बता दें ताकि आप का सीक्रेट लीक आउट न हो। पर यह तथ्य है कि उस राजस्व मण्डल की यह कदर है आपके दिमाग में और वह इसलिए है कि उसकी अपोइन्टिंग आथोरिटी आप बन गये हैं और उस राजस्व मण्डल की हिम्मत नहीं आपके इस तरह के निर्णयों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की। इसलिए

श्री कुम्भाराम आर्य : प्रशासन का काम देखने की जिम्मा सरकार का है और उस प्रशासन का जहां डैमेज करने की कार्यवाही की जाती हो वहां हमें देखना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे पहले आपने कहा था कि राजस्व मण्डल इस तरह के ट्रान्सफर करता है तो हम उसमें इन्टरफीयर नहीं करते। यह अगर सरकार की नीति है कि कोई भ्रष्ट और रिश्वतखोर ऑफ़िसर हो, भ्रष्टाचार के सबूत हो रहे हों और इस पर अगर राजस्व मण्डल उसे निकाल दे तो आप उसे नहीं निकालने दोगे, आप उसे रक्खोगे। यही आपकी सरकार की नीति है? भ्रष्टाचारियों को इस तरह से प्रोत्साहन देना आपका ही काम हो सकता है। आप लगाइये उनको अपने गले से। उसे आप अपने सिर पर बिठाइये।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं हाउस में चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि आप उसकी एक शिकायत करके उसे साबित करिये। मैं बर्खास्त कर दूंगा उसको।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिकायत एक नहीं चारों तरफ से हो रही हैं, सबूत दिये जा रहे हैं। उस किशनसिंह के खिलाफ एस. डी. एम. की जांच मौजूद है। कितने ही सबूत लोगों ने दिये हैं और आपको भी मालूम होगा शायद, आपने भी जानकारी की होगी, आपसे लोगों ने कहा था। आखिर, उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑफिसर अलवर में भी रहा है तहसीलदार के रूप में। वहां भी उसके बहुत से कारनामे हैं। वह तो बहुत सरनामी है वैसे ही जैसे किन्हीं कारणों से मुख्य मन्त्रीजी सरनामी हैं। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी सरनामी हैं। आप सरनामी हैं। उसी तरह से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में वह ऑफिसर भी सरनामी है। सबूत देखने के लिये निकलेंगे तो वे भी बहुत हैं।

एक माननीय सदस्य : जैसे आप भी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम भी किसी न किसी तरह से हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : आपके इस कथन का सम्बन्ध न इस विधेयक से है, न इसकी किसी धारा से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी रिलेवेन्सी तो राजस्व मन्त्री समझेंगे कि इन हाई इन्टेग्रिटि के बोर्ड के मेम्बरों की अपोइन्टिंग आथोरिटी आप मत रहिये। अपोइन्टिंग आथोरिटि आप बनने के बजाय इसे इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी बनाइये। ऐसा करेंगे तभी इसकी आथोरिटी बढ़ेगी, इसका स्टेटस बढ़ेगा। इसकी इन्टेग्रिटी बढ़ेगी। और आम राजस्थान की जनता में इस हाई ज्युडिशियल बॉडी के बारे में विश्वास बढ़ेगा। वरना तो कोई इसको पिंजरापोल कहने वाला है, कोई इसको गौशाला कहने वाला है। और कोई इसको अनाथालय कहने वाला है। आशा है आप जनता की भावना को समझने की कोशिश करेंगे तब तो उसको आप ठीक कर सकेंगे। वरना तो कान में तेल डालकर जैसे आप बैठे हैं बैठे रहेंगे और तो जिस तरह से चल रहा है, चलाये जाओ, जनता इसे और आपको अपने आप बदल देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को मूव करता हूँ। रेवेन्यू लॉज कमीशन की उन रिकमण्डेशनों को पढ़ कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। दूसरों को मौका मिलेगा, वे उल्लेख कर देंगे। यह कह कर मैं अपने अमेंडमेन्ट पेश करता हूँ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में यह संशोधन विधेयक विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व मण्डल को उसने स्वयं ने अनियमित घोषित कर दिया। इसके बाद जल्दबाजी में एक अध्यादेश जारी किया गया। उसका ड्राफ्ट भी जल्दबाजी और घबराहट में तैयार किया गया, जैसा कि उसके पढ़ने से प्रतीत होता है।

वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया, इससे पूर्व उसका मसविदा राजस्व मन्त्री महोदय ने या राजस्थान के मन्त्रि मण्डल ने सम्भवतः नहीं देखा, न उन्होंने उस पर विचार किया

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें मन्त्रिमण्डल की भावना निहित थी या नहीं। ६ जुलाई को जारी हुआ उसके उपरान्त आवश्यकता यह पड़ी कि इस सदन में उस अध्यादेश को नियमित करार दिया जाये और इस विधेयक में परिवर्तन कराया जाये। अतः इसी विवशता को लेकर आज यह राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैध-करण) विधेयक हमारे सामने विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को यदि गहराई से पढ़ा जाये तो प्रतीत होगा कि इसमें कई ऐसी खामियां हैं कि यदि उन्हें ठीक ढंग से दुरुस्त नहीं किया गया तो वह खामिया बनी रहेंगी और इसमें कई समस्यायें ऐसी पुनः उपस्थित हो सकती हैं जो इस अध्यादेश को अवैध करार दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अध्यादेश को पुनः पढ़ता हूं। इसकी धारा २ में यह है, राजस्थान अधिनियम १५ सन् १९५६ की धारा ४ का संशोधन:—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६), जिसे एततपश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में (१) उप-धारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा सदैव प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थातः- (२) बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो तीन से अन्यून तथा सात से अनधिक हों।

यह राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद है। इसका मूल विधेयक है वह अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है उसमें अंग्रेजी में जो वर्ड्स हैं वह भी अपनी जगह स्पष्ट हैं:—

"The Board shall consist of a Chairman and not less than three and not more than seven other Members."

उपाध्यक्ष महोदय, इस भाषा को पढ़ने से स्पष्ट है कि चेयरमैन एक होगा और चेयरमैन के अतिरिक्त अदर मेम्बर्स जो होंगे वह कम से कम ३ और अधिक से अधिक ७ होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि बोर्ड की संख्या कुल कम से कम ४ और अधिक से अधिक ८ हो सकती है जैसा कि इन वर्ड्स "अदर मेम्बर्स" और वहां अन्य शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न यह आता है कि जहां एक ओर इनको यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि यह संख्या निर्धारण का अधिकार इस कानून द्वारा किसी अन्य मंत्रिमण्डल, राज्य सरकार को या किसी और को नहीं दिया गया है। यह कानून में अधिकार एक वेग प्रकार से रखा गया है, अनिश्चित है। इसलिए यह एक खामी है और इस खामी को अगर हम यहां छोड़ देते हैं तो हमारे लिए यह भूल होगी और इसका परिणाम यह निकलेगा कि इस सदन को फिर अध्यादेश की स्वीकृति के लिए मामला लाना पड़ेगा और फिर संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया जायेगा जिससे इस सदन का समय व्यर्थ में ही खर्च किया जायेगा और पब्लिक का पैसा भी व्यर्थ में गंवाया जायेगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि अस्पष्टता को साफ किया जाये और सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले लेती तो हमें आपत्ति नहीं होती।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक आवश्यकता इसमें संशोधन की इसलिए हुई कि चेयरमैन और चेयरमैन के अतिरिक्त "अदर" और अन्य जो शब्द का प्रयोग किया है कि कम से कम ३ और अधिक से अधिक ७ मेम्बर होंगे जहां तक सदस्यों की योग्यता के संबंध में सब-क्लाज (४) में बताया गया है जो इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होंगे और जिनको १२ साल का अनुभव होगा। लेकिन चेयरमैन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः जैसे "अदर" और अन्य शब्द का विश्लेषण करने से स्पष्ट यहां चेयरमैन और चेयरमैन के अतिरिक्त जो मेम्बर्स हैं उनमें चेयरमैन शामिल नहीं है तो फिर यहां यह एक परेशानी का विषय बनेगा कि चेयरमैन की कोई योग्यता इसमें नहीं दी गयी है। इसलिए यह एक फिर खामी हमारे सामने बनेगी जिसका कि हमें बाद में खमियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है वह केवल इस वेगनैस को ही रिमूव करने के लिए ही केवलमात्र दो शब्द बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया है और जिसका आशय यह है कि चेयरमैन उन ३ या, मेम्बर्स के अतिरिक्त नहीं समझा जाये बल्कि उसी में शामिल समझा जाये। इसलिए "The Board shall consist of a Chairman and not less than three and not more than seven Members including the Chairman."

"अदर" की जगह "इन्क्लुडिंग चेयरमैन" यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। यह अमेंडमेंट हार्मलैस है। अगर राज्य सरकार की यह भावना है कि जो अमेन्डमेन्ट की भाषा है व पुराने विधेयक की भाषा है तो उन्हें इस भाषा को स्पष्ट रूप देने में और इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और क्योंकि यह "अदर" के स्थान पर "इन्क्लुडिंग दी चेयरमैन" का ही समावेश किया गया है इसलिए या तो मंत्री महोदय यह बतायें कि जो विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया है उसका आशय यह है कि चेयरमैन अलग है और चेयरमैन के अलावा अन्य सदस्य ७ हैं अधिक से अधिक और कम से कम ३ हैं।

अगर यह उनकी भावना है तो इसमें चेयरमैन की क्वालिफिकेशन्स का प्रावधान रखना अनिवार्य है और अगर उनकी यह भावना नहीं है तो इस भाषा को स्पष्ट करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के सदस्यों की और चेयरमैन की योग्यता के संबंध में भी मैंने कुछ संशोधन रखे है और वह संशोधन अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया मैं उनकी बातों से बहुत कुछ सहमत हूं। हमारी यह निश्चित धारणा है और यह विचार है कि राजस्व मण्डल को निष्पक्ष और निर्लिप्त होना अनिवार्य है। राजस्थान में करीब ७५ से अधिक प्रतिशत व्यक्ति काश्तकार हैं और उनके मुकद्दमे जो जमीन के संबंध में होते है, राजस्व के संबंध में होते हैं उनका निपटारा करने के लिए राजस्व बोर्ड ही अन्तिम न्यायालय है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के निवासियों पर यह विश्वास की भावना होनी चाहिए कि राजस्थान का राजस्व मण्डल निर्लिप्त और निष्पक्ष

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

संस्था बने। उपाध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान की सरकार ही राजस्व मण्डल के सदस्यों की और चेयरमैन की नियुक्ति करेगी तो वहां उन चेयरमैन और राजस्व मण्डल के सदस्यों की जो उनके सामने स्थिति होगी वह ऐसी होगी जैसे किसी व्यक्ति को दो मास्टरों की सेवा करना अनिवार्य होगा एक मास्टर तो होगा उनका आदमी और दूसरा मास्टर राजस्थान सरकार होगी। ऐसी स्थिति में यह भयावह स्थिति होगी कि वह किस की बात अधिक माने-इस कन्फ्लिक्ट से उनको कभी बड़ा दुखी होना पड़ेगा और आदमियों की कमजोरी के कारण न्यायाधीश का स्थान जिसके लिए वह सुशोभित हो रहे हैं उसके लिए पूर्ण योग्य नहीं होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठें उनके ऊपर से सभी कन्ट्रोल, आकर्षण और दबाव हटा दिया जाये। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजस्व मण्डल जो कि सबसे उच्च न्यायालय है और जिसकी अपील नहीं होती, अन्तिम निर्णय देता है वह निर्णय राज्य सरकार के और जनता के बीच में कई समस्यायें आती हैं उनका भी निर्णय वह देता है, यहां तक कि जो टैक्सेशन संबंधी बातें हैं उनके संबंध में भी उनको ही निर्णय देना है....

श्री दलपतसिंह (आबू) : (बैठे बैठे) Hon'ble member should take rest.

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपको कांग्रेसी सदस्य होने के नाते क्या बैठे बैठे बोलने का प्रिविलेज मिला हुआ है ?

श्री दलपतसिंह : मेरा मतलब यह था कि आप थोड़ा संतोष से बोल लें ताकि आपकी सांस नहीं भरे। We want to hear you earnestly.

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप कुर्सी पर बैठे बैठे निर्लज्जता से ऐसी बातें कहते हैं जैसे आप कोई चेयर पर बैठे हैं।

श्री दलपतसिंह : मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा रुक जायें ताकि आपका सांस नहीं भरे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आसन उधर है इधर नहीं है।

श्री दलपतसिंह : मैं डाक्टर हूं इसलिए राय देता हूँ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : I know my business better.

श्री उपाध्यक्ष : Order please।

(६.०० म. प.)

जो माननीय सदस्य बैठे २ बोलें उनको आप इग्नोर करें। आप प्रारम्भ रखें और जो बैठे बैठे बोला करें उन्हें बोलने दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष और सदस्यों के दो मास्टर तैयार हो जाना बहुत ही अनुपयुक्त रहेगा और यदि राजस्व मण्डल को निर्भीक और स्वतन्त्र संस्था बनाना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान के नागरिकों के विवादों में भी पूर्ण निष्पक्षता से काम करेंगे

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

वे और चाहे राजस्थान सरकार का काम हो या यहां के नागरिकों के अन्य विवाद हों उन सब में निष्पक्षता से काम करें और अपने सब प्रकार के उत्तरदायित्वों के लिए निर्भीकता से जिम्मेदार हों, उसका भी निष्पक्षता से काम करें तो उन्हें निष्पक्ष बनाने के लिए हम सबको कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए । यह सदन की जिम्मेदारी होगी कि राजस्थान सरकार को इस बात के लिए गाइडेंस दे और मजबूर करे कि इस उच्च संस्था को निष्पक्ष रहने दें । इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे सामने गाइडेंस के लिए राजस्थान के रेवेन्यू लाज कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में जो कुछ भी है और बाद में यह समय भी आ सकता है, जैसे भी राजस्थान सरकार की मर्जी होगी उसी समय यह समय आवेगा कि उस समय हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा । इसलिए जो गाइडेंस दी है, जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, उस मार्ग को हीं क्यों नहीं अभी से ही अपना लें । मेरा निवेदन है कि इसमें बतलाया गया है कि राजस्व मण्डल की जो स्थापना की जायेगी उस राजस्व मण्डल के अध्यक्ष और उसके सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति एक उच्च उप-समिति के द्वारा की जायेगी । उप-समिति में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन होंगे और उनके अतिरिक्त चीफ सेक्रेट्री होंगे या जैसा कि कहा गया है अन्य विवाद हुआ तो यहां के स्पीकर महोदय होंगे । यदि इन तीन व्यक्तियों की समिति राजस्व मण्डल के सदस्यों का चयन करने लगेगी तो वह राजस्व मण्डल अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता से अंजाम देता रहेगा । यदि ऐसा नहीं किया गया और राज्य सरकार उनकी अपोइंटिंग आॅथोरिटि और उनकी रिमूविंग आॅथोरिटि बनी रहेगी तो निष्पक्ष काम कर सकेंगे इसमें संदेह है । अगर वे काम करना भी चाहेंगे तो उनके हृदय में भय पैदा होता रहेगा । तो इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में अपने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

संविधान की धारा २१५ की ओर भी इस सदन का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं । इस संविधान को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि न्यायालयों को निष्पक्ष और निर्लिप्त रखा जाय । राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है । वे अधिकार केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं: ऐसा क्यों किया जाता है । जिस समय संविधान बनाया गया था तो उस समय संविधान बनाने वालों के हृदय में; उनके मन में यह धारणा थी कि यदि हम किसी को न्यायालय के नाम से पुकारने जा रहे हैं और उसको इस योग्य बनाना चाहते हैं कि वह निष्पक्ष रहें, निर्भीक रहें तो उसके साथ ही यह आवश्यक है कि वे दूसरों के मातहत भी न रहें, दूसरों के दबाव में न रहें, किसी प्रकार के लोभ में और किसी प्रकार के भय में नहीं रहें ।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इसमें यह भी स्पष्ट करें कि It is a quasi executive body. फुल्ली ज्युडिशियल बॉडी नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि चाहे इसे क्वासी ज्युडिशियल बॉडी कहें या एक्जीक्युटिव बॉडी कहें, इन शब्दों के हेरफेर को तो राज्य सरकार जाने। मैं तो केवल इस हद तक निवेदन करता हूं कि यह न्यायालय है और राजस्थान के राजस्व के झगड़ों के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय है राजस्थान के लिए। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिस प्रकार दीवानी और फौजदारी के मामलों में हाईकोर्ट की जिम्मेदारी होती है उसी प्रकार राजस्व के मामलों में रेवेन्यू बोर्ड की भी वह जिम्मेदारी है। और वे अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में अपने आपको निष्पक्ष और निर्भीक समझने लगें, उसके लिए आवश्यकता होगी इस बात की कि जो हाईकोर्ट के जजों के सम्बन्ध में जो भावनाएं और धारणाएं होती हैं वे ही धारणायें और भावनायें इन राजस्व मण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए। इसलिए यह केवल क्वासी ज्युडिशियल बॉडी ही नहीं है, एक्जीक्युटिव बॉडी भी है, तहसीलदारों का ट्रांसफर वगैरा करते हैं तो इन बातों की उनकी जो न्यायिक स्थिति है उसमें अन्तर नहीं पड़ता। और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह मेरे विचारों को राजस्थान के रेवेन्यू लॉज कमीशन से भी मदद मिलती है। वह एक उच्चतम कमेटी थी जिसके कि अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री दौलतमलजी भण्डारी। इस सदन के माननीय सदस्य भी इसके सदस्य थे और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी थे और सभी ने सर्व सम्मति से बिना किसी नोट ऑफ डिसेंट के इस बात को स्वीकार किया है। जब राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, इस सदन के प्रतिनिधि और हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस ने इस बात को, इस भावना को स्वीकार किया है और हमें मार्ग दर्शन दिया है तो हमें उसके लिए अभी से कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए, उसके बजाय अगर हम अभी से अस्वीकार करना आरम्भ कर दें तो वह हमारे लिए बड़ी दुःख पूर्ण स्थिति बनेगी।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अभी से ही हमें गलत रास्ते पर जाना शुरू न कर हमें प्रगति की ओर जाना चाहिए और अवनति की ओर अपना मुख नहीं मोड़ें। और मैं ऐसा विश्वास करूं कि जो हमारे जन सेवकों ने एक अध्यादेश बना दिया था और उन्हीं जन सेवकों ने उस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम का मजमून रख दिया है, अब हमारे राजस्व मंत्री जो जन प्रतिनिधि हैं उनका काम है कि वे हमें प्रगति की ओर ले जावें, दुर्गति की ओर हमें नहीं मोड़ें। इसलिए मैं जो प्रगतिशील कहलाने वाले हमारे राजस्व मंत्री महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्थिति हमारे राजस्थान में बन चुकी है और जो मार्गदर्शन दिया जा चुका है वह उससे हमें दुबारा अबाउट टर्न नहीं करावें और जितनी भी उनकी गाइडेंस है न्यायिक, व्यक्ति, से सम्बन्धित और प्रशासनिक उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर उसको समर्थन दें और ज्यादा मजबूत बनावें ताकि जनता यह नहीं कहे कि जो भी गाइडेंस हमको दी गई उस पर पानी फेरने का प्रयत्न हमने किया। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपना जो मैन संशोधन है इसके ड्राफ्ट के सम्बन्ध में कि यह जो कुछ मजमून बनाया गया है वह अविवेकपूर्ण है, इसमें सुधार किया जाय ताकि बाद में कोई दुविधा उपस्थित न हो। और दूसरा मेरा संशोधन सब्स्टेंस का है,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

मौलिक सिद्धान्तों का है। इसके सम्बन्ध में मैंने जो दोनों संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूं कि वे इन संशोधनों में से एक या दोनों को ही अगर वे स्वीकार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका भी वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा कि वे राजस्थान के प्रगतिशील नेता है हमारे राजस्व मंत्री और जो बात जिस हद तक बढ़ गई है उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इन संशोधनों को स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास एवं श्री मानधातासिह बोलने के लिए खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानधातासिह।

श्री मानधातासिह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन प्रस्ताव..... ...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल व्यास की ओर मुखापेक्ष) माननीय व्यासजी आपका संशोधन तो नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो इसी सम्बन्ध में बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तृतीय वाचन में बोल लें।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो तीन मिनिट के लिए बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी थर्ड रीडिंग में बोल लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझ को कब इजाजत मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : तृतीय वाचन में।

श्री मानधातासिह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि धारा (२) की उपधारा (४) में बजाय इन शब्दों के "an officer in the Indian Administative Service for at least twelve years"

निम्न लिखित शब्द रखे जावें : "a Collector or Revnue Appellate Authorty or District and Sessions Judge for a least ten years".

यह संशोधन लाने का कारण मैं यह निवेदन करता हूँ कि अभी मौजूदा प्रावधानों के अन्दर जो यह रखा गया है कि बारह साल का आई. ए. एस. ऑफिसर होना चाहिए वह काफी नहीं, क्योंकि बारह साल की अवधि में नई मुख्तलिफ पोस्टों पर रह सकते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश लोग सेक्रेटेडियेट में रहे होंगे या और मुख्तलिफ डिपाटमेंट, एक्साईज, टैक्सेशन या दीगर, डिपार्कमेंट्स में रह हुए हों लेकिन उनको कोई रेवेन्यू एक्सपीरियन्स नहीं है। लिहाजा यह आवश्यक है कि यदि कोई आई

ए० एस० ग्राफिसर है तो उसको कम से कम १० साल का कलेक्टर का ग्रनुभव होना चाहिए । जब तक वह कलेक्टर न रहे तब तक रेवेन्यू लॉज की उनको वकफियत नहीं हो सकती, क्योंकि बहैसियत कलेक्टर वे तहसीलदारों की ग्रपीलें भी सुनते हैं । इस लिये यह ग्रावश्यक है कि कम से कम १० साल तक वे कलेक्टर रहे । इसमें जो मौजूदा मेम्बर्स हैं ग्रौर जो ग्रभी तक रहे हैं रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स उनके सम्बंध में मैं निवेदन करूंगा कि ग्रधिकांश ऐसे हैं या ऐसे थे कि जिनको रेवेन्यु एक्सपीरियन्स नहीं था । शुरु में एम० यु० मेनन चेयरमैन थे । उन्होंने शुरुग्रात स्टेनोग्राफर से की ग्रौर ज्यादातर सेक्रेटेरियल पोस्टों पर रहे । उनको कोई रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स नहीं था फिर एक चेयरमैन ग्राये रावत साहब । वे किसी जमाने में जोधपुर के हिजहाईनेस के हाउस होल्ड कन्ट्रोलर थे ग्रौर उसके बाद कई पोस्टों पर रहे । कोई ग्रधिक उनका रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स नहीं था । तीसरे मौजूदा चेयरमैन श्री ग्रार० के० चतुर्वेदी हैं वे भी ऐसी पोस्टों पर रहे हैं जिन पर उनको रेवेन्यु एक्सपीरियन्स नहीं हुग्रा है । मामूली सा रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स होगा, लेकिन एक हाइएस्ट रेवेन्यू ग्रोथोरिटी को जितना एक्सपीरियन्स होना चाहिए वह नहीं हो सकता जब तक कलेक्टर या दीगर रेवेन्यू पोस्टों के ऊपर ग्रर्से तक काम नहीं करें ।

इसी प्रकार जो ग्राज मेम्बर्स हैं उनमें मधोक साहब हैं वे सेन्ट्रल सेक्रेटेरियेट सर्विस के हैं ग्रौर बरसों तक सेक्रेटिरियेट में हैं । उनको एक्सपीरियन्स सेक्रेटेरियेट का रहा है ग्रौर ज्युडिशियल एक्सपीरियन्स नहीं है । वे जुडिशियल बेन्ट ग्रॉफ माइन्ड के नहीं हो सकते । वे हर चीज को सेक्रेटेरियट पाइन्ट ग्रॉफ व्यू से देखते हैं ग्रौर मिनिस्टर के दबाव में ग्रा सकते हैं ग्रौर गवर्नमेंट के दबाव में ग्रा सकते हैं । ज्युडिशियल एक्सपीरियन्स का जो ग्रादमी है वह गवर्नमेंट के दबाव में नहीं ग्रा सकता है ग्रौर मिनिस्टर के दबाव में नहीं ग्रा सकता है । रेवेन्यू बोर्ड एक हाइएस्ट रेवेन्यू ग्रोथोरिटी है । इसलिए यह नितान्त ग्रावश्यक है कि उसके मेम्बर हों या उसके चेयरमैन हों वे जुडिशियल एक्सपीरियन्स के हों, रेवेन्यू एक्सपीरियन्स के हों ताकि इन्डिपेन्डेन्ट फैसला दे सके ।

एक ग्रौर चेयरमैन रहे हैं श्री बलवन्त सिंहजी वे कहीं लेफिटीनेन्ट कर्नल ग्रार्मी की पोस्टों पर रहे हैं । वे कलेक्टर ग्रौर कमिश्नर भी दे रहे हैं लेकिन बहुत थोड़े समय तक । तीसरे कक्कड़ साहब मेम्बर हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं ग्रौर उनको ज्यादा रेवेन्यू एक्सपीरियन्स नहीं है । एक उज्ज्वल साहब हैं । उनकी हालत यह थी कि जब वे जयपुर में कलेक्टर थे तो चार हजार केसेज उनके यहाँ पेन्डिंग थे ग्रौर कोई केस डिस्पोज ग्रॉफ नहीं कर सके ।

इस प्रकार से मेम्बर या चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड बनाने से वहां का काम निपट नहीं सकता । वहां हजारों केसेज पैन्डिंग हैं । इसका कारण यह है कि वहां पर जो ग्रपॉईटमेंट किया जाता है वह ऐसे लोगों का किया जाता है जो ग्राई० ए० एस० ग्राफिसर है, उनका कर दिया जाता है । उनको रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स नहीं है । तो मेरे संशोधन का मकसद यह था कि केवल १२ साल ग्राई० ए० एस० ग्राफिसर होना ही काफी

(श्री मानधातासिंह)

नहीं है, बल्कि उसको बहैसियत कलेक्टर १० साल कम से कम काम करना चाहिए ।

दूसरा जो मैंने सुझाव दिया था वह यह था कि कलेक्टर के अलावा रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी की पोस्ट पर भी उसने काम किया है तो वह काफी है । रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी आर० ए० एस० की सिलेक्शन ग्रेड से अपॉईन्ट होते हैं, परंतु राजस्थान सरकार ने जो आई० ए० एस० और आर० ए० एस० में फर्क कर रखा है वह इतना अधिक है कि आर० ए० एस० आफिसर कोई सीनियर पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है, यहां तक कि कलेक्टर की पोस्ट भी होल्ड नहीं कर सकता है । जहां तक मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान के दीगर राज्यों में कलेक्टर की पोस्ट पर प्रोविन्शियल सर्विसेज के लोग ही तैनात होते हैं, मगर राजस्थान में ऐसे नियम बना रखे हैं कि कलेक्टर आई० ए० एस० ऑफिसर ही हो सकता है चाहे उसे ५ साल का सी ऐक्सपीरियन्स हो । इसीलिए हम आज कल देखते हैं कि जरा २ से बच्चे भी कलेक्टर हो जाते हैं । उनको कोई एक्सपीरियन्स नहीं होता है । एडमिनिस्ट्रेशन का उनको कोई अनुभव नहीं है, उनको लॉ एण्ड आर्डर मैन्टेन करने का कोई अनुभव नही है । जिले के अन्दर जितनी गड़बड़ होती है वह इसी कारण होती है कि इनएक्सपीरियन्स्ड कलेक्टर तैनात कर दिये जाते है । इनके बजाय रेवेन्यू के एक्सपीरियन्स्ड लोगों को तैनात किया जाय तो यह गड़बड़ नहीं हो सकती । इसी तरह से रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी जो रहे हैं उनको अपील के केसेज डिसपोज ऑफ करने का ज्यादा अनुभव है बनिस्बत आई० ए० एस० आफिसर के । रेवेन्यू बोर्ड में उनको भी स्थान देना चाहिए ताकि अपील डिसपोज ऑफ करने का अनुभव वे रेवेन्यू बोर्ड में काम में ला सकें ।

तीसरा इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन और था कि इस समय जो राजस्थान में आर० ए० एस० और आई० ए० एस० में इतना डिस्टिन्क्शन कर रखा है कि वह ब्रिटिश टाइम में भी नहीं था । उस समय में भी प्रोविन्शियल सर्विसेज के लोग हाइएस्ट पोस्ट्स पर पहुंच सकते थे । मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं श्री वी० टी० कृष्णामाचारी का जो कि जयपुर में दीवान थे । वे मद्रास सर्विस के थे और वे मद्रास में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे । वे पी० सी० एस० के थे और पी० सी० एस० का सदस्य रेवेन्यू बोर्ड में बैठ सकता था तो क्या वजह है कि इस वक्त आई० ए० एस० के साथ आर० ए० एस० के लोग रेवेन्यू बोर्ड में नहीं बैठ सकते हैं ? पहले वे आई० सी० एस० के साथ बैठ सकते थे । मैं इस बात पर जो जोर दे रहा हूं वह इसी कारण से दे रहा हूं कि जो लोग रेवेन्यू अपीलेट ओथोरिटी रह चुके हैं और जो आर० ए० एस० के लोग हैं, लेकिन उनको अनुभव है अपील के केसेज को डिसपोज ऑफ करने का, वे वहां पर रेवेन्यू बोर्ड में केसेज जल्दी डिसपोज ऑफ कर सकते हैं बनिस्बत उन कलेक्टरों के जिनको ४-५ साल का अनुभव है ।

दूसरा मेरा सजेशन यह था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज को भी इसके लिए एलिजिबल किया जाय । रेवेन्यू केसेज के अन्दर ज्युडिशियल एक्सपीरियन्स होना आवश्यक

Page No.141

(श्री मानधातासिंह)

है। आज कल अपना देखते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले कोई इन्डिपेन्डेन्ट नहीं होते हैं। वह इसी कारण से नहीं होते हैं कि जो मेम्बर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं वे गवर्नमेंट के दबाव में आ जाते हैं। यहां तक सुना जाता है वकीलों से जो प्रेक्टिस करते हैं रेवेन्यू बोर्ड में कि गवर्नमेंट का टेलिफोन आता है बोर्ड में तो वह फैसला उस टेलिफोन के मुआफिक किया जाता है। यदि जुडिशियल सर्विस का आदमी रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर होता है तो इस किस्म की दस्तन्दाजी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सजेशन यह है कि जो बेन्चेज़ होती हैं रेवेन्यू बोर्ड में यानी जो दो बेन्चेज होती हैं उनमें कम से कम एक मेम्बर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हो और एक मेम्बर ज्युडिशियल सर्विस का हो ताकि ज्युडिशियल सर्विस वाले का ज्युडिशियल एक्सपीरियन्स और रेवेन्यू सर्विस वाले का रेवेन्यू का एक्सपीरियन्स मिल कर सही फैसला किया जाय।

रेवेन्यू बोर्ड में दो किस्म के काम किये जाते हैं। एक तो जुडिशियल केसेज़ का डिसपोज़ल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इस किस्म का होता है इन्सपेक्शन्स, सुपरवीजन का और ट्रान्सफर्स करने का, लैण्ड रेकार्ड्स के मेन्टीनेन्स का, कोलोनाइजेशन का और सेटिलमेंट करने का। इस बारे में हाइएस्ट ओथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड है। यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर अच्छी तरह से देख सकता है। जहां तक जुडिशियल वर्क का सवाल है उसके लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट जज एक बेंच में होना चाहिए।

अगर टेक्सेशन लॉज़ का सवाल हो, आजकल टेक्सेशन लॉज़ की अपीलें भी रेवेन्यू बोर्ड में होने लग गई हैं, तो अभी आपने देखा है कि मौजूदा रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स में कोई भी ऐसा मेम्बर नहीं है जिसको टेक्सेशन लॉज का एक्सपीरियन्स हो। लेकिन रात दिन देखा यह जाता है कि तहसीलदारों के तबादले करने होते हैं तो चेयरमेन भागते हुए आते हैं सेक्रेटेरियट में और राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव से राय लेकर तबादले करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि थोड़ी बहुत इन्डिपेन्डेंस उनको देनी चाहिये जिनके ट्रान्सफर करने हैं They should be allowed to exercise these powers. जुडिशियल केसेज में दस्त– नहीं होनी चाहिये लेकिन रोज देखते हैं कि दस्तन्दाजी बढ़ती जा रही है इसका कारण यह है कि मेम्बर्स का अपोइन्टमेंट सही ढंग से नहीं होता, वे गवर्नमेंट के दबाव में आ जाते हैं। वे ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं इसलिये वे ज्यादा इन्डिपेन्डेंस कायम नहीं रख सकते। हालांकि कल माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था बलवन्त सिंहजी ने जो जजमेंट दिया उसके बारे में उनके पी० ए० और रीडर का हलफनामा लिया गया। यदि इस किस्म की कार्यवाही अदालतों में होने लगी तो अदालतों से लोगों का विश्वास हट जायगा। हर केस में प्रेसाइडिंग ऑफिसर फैसला देते हैं और जिस तारीख को वे फैसला सुनाते हैं उसी तारीख का माना जाता है। अब क्योंकि श्री बलवन्तसिंहजी ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दे दिया इसलिये उनके पी॰

(श्री मानधातासिंह)

ए० और रीडर को दबाकर उनसे हलफनामे लिये जाते हैं, वह भी उनके रिटायर होने के बाद। क्या इससे ज्युडिशियल इन्डिपेन्डेन्स कायम रह सकेगी? वह रिटायर हो गये। सर्विस के दौरान उन्होंने गर्वमेंट के खिलाफ फैसला दे दिया इसलिए उनको तंग किया जाय यह तरीका गवर्नमेंट का ठीक नहीं है।

अन्त में मैं फैसलों के डिस्पोजल के बारे में अर्ज करूंगा। राजस्व मण्डल में सन् ६० से केसेज पेन्डिंग हैं। ६ साल के केसेज पेन्डिंग हैं। आम तौर पर राजस्व मंडल हाईयेस्ट रेवेन्यू ओथोरिटि है। वह इन्सिस्ट करती है सबेडिनेट कोर्ट्स को कि जल्दी से जल्दी एक दो साल में फैसले हो जाय, लेकिन हाईयेस्ट रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ६ साल तक खुद फैसले नहीं कर सकते तो वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अकुंश किस तरह से रख सकेगा। एक मेग्जिम है लॉ का:

Justice delayed is justice denied. यदि जस्टिस डिले करते हैं तो it is as good as justice denied? ६ साल तक केसेज को पेन्डिंग रखना रेवेन्यू बोर्ड के लिये शोभनीय नहीं है। डिले इसलिए होती है कि अधिकांश मेम्बर्स को रेवेन्यू का एक्सपीरियेन्स नहीं है इसलिए उनको अधिक टाइम लगता है। डिस्पोजल को वे अवोइड करना चाहते हैं। वे केवल बीफोर लंच बैठते हैं, आफ्टर लंच नहीं बैठते हैं। रिविजन केसेज की भी यह हालत है कि सन् ६१, ६२ से पेन्डिंग हैं। साल दो साल में फैसला हो जाना चाहिये। रिविजन केस का मुझको खुद को अनुभव है। मेरा खुद का एक केस है जिसमें सन् ६२ से तारीखें पड़ती हैं। मेरे बोन्ड्स अटैच कर रखे हैं वे जल्दी गवर्नमेंट को रिलीज नहीं करने पड़ें; केवल विरोधी दल के सदस्यों को दबाने के लिये इस तरह की कार्यवाही की जाती है और वह भी अदालत के जरिये। यदि गवर्नमेंट इस तरह का कार्य करे तब तो मैं मान सकता हूं कि गवर्नमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट नहीं है लेकिन इन्डाइरेक्टली रेवेन्यू कोर्ट्स के जरिये दबाव डालकर इस तरह का कार्य करे, यह सरकार अपने आपको डेमोक्रेटिक सरकार कहती है उसके लिये यह कतई शोभनीय नहीं है, इसको फासिस्ट सरकार की उपाधी दी जा सकती है।

राजस्व मंत्री जी से निवेदन यह है कि जो दो गवर्नमेंट एडवोकेट्स रेवेन्यू बोर्ड में अपोइन्ट किये हैं, एक जनरल केसेज के लिये एक जागीर केस के लिए। दो दो गवर्नमेंट एडवोकेट्स की कतई आवश्यकता नहीं है। इतने केसेज नहीं है कि दो गवर्नमेंट एडवोकेट्स रखे जाय। सारे केसेज को एक ही डिसपोज ऑफ करवा सकता है। जागीर केसेज के लिये डिप्टी कलेक्टर जागीर के यहां पर एक गवर्नमेंट एडवोकेट अपोइन्टेड है वह केवल इसलिए कि मिनिस्टर्स के मर्जीदानों को अपोइन्टमेंट मिल सके। जयपुर में एक मिनिस्टर साहब के मर्जीदान हरिश्चन्द्र शर्मा हैं, टोंक में एक मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार अपोइन्टेड हैं। कई जगहों का उल्लेख किया जा सकता है वहां पर केवल मिनिस्टर्स के फेवाराइट्स को जगह देने के लिये जागीर एडवोकेट्स अपोइन्ट किये हैं। जागीर केसेज के लिये एडवोकेट्स को

Page No.143

(श्री मानधातासिंह)

अपोइंट करने की आवश्यकता नहीं है जब कि जागीर के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर जागीर हैं, डिप्टी कमिश्नर जागीर हैं, वे फैसले करते हैं वे इस तरह से करते हैं जैसे कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज करे, अपने पावर्स को एक्सरसाइज करके फैसले करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि किसी जागीरदार को कम्पन्सेशन न मिले और उधर डिप्टी कमिश्नर जागीर ने फैसला कर दिया तो साथ ही गवर्नमेंट उस एडवोकेट के थ्रू अपील करवा देती है और नतीजा यह होता है कि जागीरदार को कम्पन्सेशन नहीं मिलता है और उनके प्राइवेट प्रोपर्टी के केसेज में भी अपील हो जाती है और वे लटके रहते हैं। एक तरफ रिविजन कर दिया फैसला हो गया कि इतना कंपेनसेशन जागीरदार को मिलेगा, यह उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी रहेगी और फैसला होते ही उसके साथ साथ अपील करवा देते हैं यह नाजायज है।

रेवेन्यू अपील्स के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि प्रोपर डिविजन ऑफ वर्क नहीं है। जयपुर डिविजन में बहुत हेवी कॉज़ लिस्ट रहती है और बाकी में इतनी नहीं है इसलिये सरकार समझे कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जाय तो ठीक रहेगा मैं अपना अमेंडमेंट सेक्शन २. सब सेक्शन (४) में मूव करता हूं।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : इससे पहले कि मंत्री महोदय कहें, मैं स्पेशल चीज रखना चाहता हूँ टेबल ऑफ दि हाउस पर डोक्यूमेन्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : डोक्युमेन्ट रख दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : बाद में रख देना।

श्री मानसिंह महार : इतने उतावले क्यों हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार लेट अस फिनिश ऑवर बिजनेस।

श्री मानसिंह महार : विरोधी दल के सभी सदस्यों के, ३७ सदस्यों द्वारा दस्तखत किया हुआ यह डोक्यूमेन्ट है जो आपके पास पेश करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि राजस्थान टिनेन्सी बिल प्रवर समिति से आ गया है उसको इसी सत्र में लिया जाय। वह क्योंकि काश्तकारों के फायदे की चीज है इसलिये इसको लिया जायगा तो सदन की कार्यवाही १५,२० दिन और चलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बिल को लेगी यह मेरी धारणा है। विरोधी पक्ष के सभी मांग करते हैं तो इसे लेना चाहिये। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि २ बिल आज और पड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तृतीय वाचन पर भी भाषण होंगे इसलिये आज सदन की कार्यवाही खत्म नहीं होगी, तीन बिल आज नहीं हो सकते फिजिकली फिजीबल नहीं है। इतने भाषण होंगे, अहम मसला है, रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान में रेवेन्यू की सुप्रीम अथोरिटी है, इसे हरी-अप करके ज्यादा देर बैठकर सदस्यों का दिल और दिमाग सही नहीं रह सकता। आपको मालूम है कि पंचायत कानून इसी तरह से हरी-अप किया गया था। रेकार्ड सिटिंग थी. रात को १ बजे तक बैठे थे और उसमें कई कमियां रह गई। उसी तरह से राजस्व-मंडल का यह कानून बहुत महत्व पूर्ण है इसको आज का आज मोटर गाड़ी की तरह से दौड़ाया जाय यह उचित नहीं है। महत्वपूर्ण है, सुझाव आयेंगे

(श्री मानसिंह महार)

आते जायेंगे इसलिये सदन का समय २९ तारीख के बाद रखा जाय और आगे सेशन बढ़ाया जाय, हम सब अध्यक्ष महोदय से मिलने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको आज यहीं पर समाप्त कर दिया जाय, एक दो क्लॉज लेना चाहें तो भले ही ले लें बाकी आयन्दा के लिये रख दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन की मेज पर कागज रखना हो तो रख दें। आज ये तीनों बिल चाहे रात को २ बजे उठें, पास करके ही उठेंगे।

श्री मानसिंह महार : १२ बजे बाद भी यह पास न हो तो क्या इसको लेप्स समझेंगे? १२ बजे आज का दिन समाप्त हो जायगा। बाद में इसको लेप्स समझें तो हम बैठने को तैयार हैं। हम कोऑपरेशन चाहते हैं ढंग से....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कोऑपरेशन तो कभी मिला नहीं। अभी कह रहे थे कि घटे दो घंटे बाद सारी कार्यवाही समाप्त कर देंगे और अब यह पोइन्ट आ गया।

श्री मानसिंह महार : यह कैसे हो सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जो अमेंडमेंट या कागज रखना हो वह रख दें।

श्री मानसिंह महार : यह कैसे हो सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपके नेताओं से बात की है उसके बाद यह कार्यक्रम तय हुआ है।

श्री मानसिंह महार : यह एक महत्वपूर्ण कानून है, मैं कहता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : और हमने यह तय किया चाहे रात खराब करनी पड़े, चाहे रात भर काम करना पड़े हम बराबर यहाँ बैठेंगे और बराबर काम करेंगे। आखिर सदन की कोई सेंक्टिटी है, हम जो कुछ प्रतिवेदन पास करते हैं उस पर कहीं तो आप लोगों को टिकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : रोटी मंगा लें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मानसिंह महार : कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर की बात हमने बहुत संयम से सुनी। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा है शायद लेकिन कानून कानून के तरीके से पास होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : वैसे ही तरीके से करें, मैं तरीका नहीं बदलना चाहता हूँ।

श्री मानसिंह महार : यह कोई किताब नहीं जिसको जेब में डाला और चल दिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पन्द्रह वर्ष से जानता हूं कि कानून किस तरह पास होते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हैं। आप तो बीच में चार पांच साल गायब होगये थे।

श्री चन्दनमल वैद : और आप केवल दस वर्ष से ही जानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो चार पांच साल गायब होगये थे बीच में।

श्री मानसिंह महार : मैं पांच वर्ष जयपुर लेजिस्लेटिव कौंसिल में काम कर चुका हूं। मैं आपसे सीनियर हूं, मैं जूनियर नहीं हूं। जब आप अंग्रेजों की गुलामी करते थे तब भी मैं पोलिटिशियन था, उस वक्त में जयपुर लेजिस्लेटिव कौंसिल में काम कर चुका हूं।

श्री चन्दनमल वैद : यह धन्धा अब छोड़ा है।

श्री मानसिंह महार : आप जेल में भी नहीं गये हैं। आप अपना इतिहास देखिये। आप तो ऊपर से लपक कर आ गये हैं और सदन के बीच में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप कैसे आये है। आप क्यों अपना इतिहास खुलवाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप त्याग की मूर्ति नहीं हैं। मैंने उस वक्त भी जूते खाये हुए हैं, मैं १९४२ से इस धन्धे में हूं, १९४२ के आन्दोलन से।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कागज रखवा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह कागज आप रख दें।

श्री मानसिंह महार : मैं उधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार जल्दबाजी न की जाय। यह मत कीजिये कि मंत्रियों ने कहा कि यह कानून पास करना है और पास कर दिया। कह दिया रात भर बैठेंगे। तो खाने की व्यवस्था कौन करेगा? क्या आप खाना खिलायेंगे? आपकी केन्टीन में तो अभी कुण्डे बजने लगे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपने खाने की व्यवस्था करिये, हम अपनी कर लेंगे।

श्री मानसिंह महार : हम क्यों करें? बिल आपको पास करना है तो खाने की व्यवस्था हम क्यों करें? और फिर आप फूड मिनिस्टर हैं अगर एम.एल. एज. को ही भूखा मारोगे तो जनता के लिए खाने की क्या व्यवस्था करोगे? आपने कह दिया कि आप करो। हम करें तो आप छोड़ दीजिये फूड मिनिस्टरी और इधर आ जाइये, और फिर देखिये कि हम आपको क्या क्या खिलाते हैं। आप इधर जाकर बैठो और देखो कि अभी पन्द्रह मिनिट में व्यवस्था होती है। मैं अभी व्यवस्था कर देता हूं और कल से ही अनाज दो सेर का बिकवा देता हूं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां दस बजे से बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं आप हम पर रहम खाइये और अपने आप पर भी रहम कीजिये। मैं तो निवेदन करता हूँ कि इससे आपकी तन्दुरुस्ती को भी नुकसान हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सुबह से विराजमान हैं इस आसन पर इसलिए एक दो सेक्शन्स पास करके सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यस! माननीय मंत्री।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कल दो सिटिंग लेंगे।

श्री मानसिंह महार : काहे को कर लेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहुत भाषण हुए हैं, जब से यह रखा गया है, पन्द्रह से २२ तक सात दिन बराबर भाषण चलते रहे हैं। इसलिए भाषणों के सम्बन्ध में तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। जो अमेंडमेंट इसमें पेश किये गये हैं। एक तो टोंक से आने वाले महानुभाव हैं जिनकी यह शंका है कि यदि उनका अमेंडमेंट स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसमें अपूर्णता रह जाती है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह शंका वह नहीं रखें। यह अपूर्णता उसके अन्दर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें और इसको इसी तरीके से पास करवायें।

दूसरे महोदय कह रहे थे, उनका अमेंडमेंट जो है वह भी स्वीकार योग्य नहीं बनता है। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपा करके सहयोग दें और अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल।

Would you like to withdraw your amendment ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I want to press it.

श्री उपाध्यक्ष (श्री राधाकृष्ण गोयल से) : आप ?

Would you like to withdraw ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं भी अपना अमेंडमेंट वापिस नहीं लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री राधाकृष्ण गोयल : स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल का प्रस्तुत हुआ है उसको पारित किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 'हां' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : "ना" पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह त गिर गया, फरवरी में देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : "ना" पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट क्लॉज २ पर श्री राधाकृष्ण गोयल ने रखा है उसको पारित किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री मानधातासिंह ने रखा है उसे पारित किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना" पक्ष जीता।

श्री राधाकृष्ण गोयल "हां" पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 'ना" पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार : Ayes have it बहुत सब्सटेंसियल अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष –मैं फिर प्रश्न करता हूं प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री मान्धाता सिंह ने रखा है उसको पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

श्री मानसिंह महार–नां की आवाज आई ही नहीं।

श्री राधा कृष्ण गोयल-Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष–You want division ?

श्री गिरधारीलाल व्यास-Noes have it.

श्री मानसिंह महार–घंटी तो बजा दो साहब।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल–एक दफा बुला कर फिर ले लेना वोटिंग।

श्री उपाध्यक्ष–डिविजन बेल बजाई जाय और लॉबीज क्लीअर कराई जायं।

(मत-विभाजन घंटी)

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल–फिर से रख दें प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष–मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन धारा २ में माननीय श्री मान्धाता सिंह ने रखा है उसे पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल–अब जीत गये।

श्री उपाध्यक्ष–प्रश्न यह है कि धारा दो विधेयक में अंग रूप, से जोड़ी जाय.

(मतदान के पश्चात)

श्री मानसिंह महार–"ना" पक्ष जीता

श्री हरिदेव जोशी–"हां" पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष–"हां" पक्ष जीता है।

धारा दो विधेयक में अंगरूप से जोड़ी गई)

Page No.148

(विराम)

क्लॉज ३ व ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि धारा ३ व ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

धारा ३ व ४ विधेयक में अंगरूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज १ प्रस्तावना, नियमन इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रस्तावना, नियमन इत्यादि विधेयक में अंगरूप से जोड़े जाए।

(स्वीकृत)

धारा १ प्रस्तावना, नियमन इत्यादि में अंगरूप से जोड़े गए।

(विराम)

श्री कुंभाराम आर्य (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको समय दीजिए मगर मुझे भी समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्रम निश्चित कर रखा है। आपको समय मिलेगा।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir. क्या तीसरी रीडिंग में भी नाम देना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसके आ गये हैं यह ठीक है। मगर यह एकोमोडेशन की बात है मैं नाम बोल चुका हूँ। उनके बाद (श्री मुकटबिहारी लाल को संबोधित करते हुए) आप बोल लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल के संबंध में जो विचार यहां पर प्रकट हुए हैं उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे अगर इस प्रकार का वेलिडेटिंग बिल और अमेंडिंग बिल नहीं लाते तो जिस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड है उसकी कार्य प्रणाली जो हम चला रहे थे उसको ठीक तरह से नहीं चला सकते थे। इसलिए इसके बारे में विचार सबसे पहले करना होगा। यहां जिस प्रकार के भाषण दिये गये कि अगर इस प्रकार के संशोधन रेवेन्यू बोर्ड में किये गये तो रेवेन्यू बोर्ड सब खराब हो जावेगा और उसकी कार्य प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगी। मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों ने जो निर्णय दिये है, मैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

अपनी राय में वैधानिक नहीं मानता । जो सदस्य उसमें रहते हैं उसके लिए कोन्सटीट्यूशन के बारे में कहने का हक नहीं है। उसके लिए कोम्पीटेन्ट कोर्ट हाई कोर्ट हो सकता है। जो उन्होंने कोन्सटी-ट्यूशन के बारे में फैसले लिए मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं थे। गवर्नमेंट एडवोकेट की भी यही राय थी और इस वजह से यह वेलिडेटिंग बिल लाना पड़ा।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक जुडिशियल अथोरिटी ने एक फैसला दिया और उसके खिलाफ आप फरमा रहे हैं कि उनको फैसला देने का हक नहीं था। आप उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं कोन्सटीट्यूशन के बारे में कह रहा हूं। कोन्सटी-ट्यूशन के बारे में कह सकता हूँ और कहता हूँ कि वैधानिक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल - आप मुझे एक मिनट के लिए इन्ट्रप्ट करने के लिए माफ करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जस्टिस ने शपथ नहीं ली। उसकी अथोरिटी उस हाई कोर्ट के जज के सामने उसको अदरवाइज करार दिया। वह भी पोइन्ट रेज कर सकते हैं। आप सब रेवेन्यू बोर्ड को कन्डेम कर रहे हैं। आप पूरे बोर्ड के मेम्बरों के फैसलों को कन्डेम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सारी गवर्नमेंट को कन्डेम कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर वेलिडेटिंग बिल नहीं लाया जाता और जो मुकदमें तय किये जाते

श्री मानसिंह महार : आपको जो अभी बताया गया है उसका जबाब तो दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : और जितने ओफिसरों के अपोइन्टमेंटस् किये गये हैं, अगर इसको वेलिडेट नहीं करते तो सब इनवेलिड होते। इस प्रकार का वेक्यूम क्रीएट होता और इससे उनको राहत प्राप्त हुई है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट मैं आपको और डिस्टर्ब करता हूं। आप क्षमा करें आपने आर्डिनेन्स निकाल कर वेलिडेट करवाया। सारे रेवेन्यू के केसज सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है। आप का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट है। इसकी जरूरत क्या है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो माननीय सदस्यों की अपनी अपनी विचार धारा है। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कहता हूँ। माननीय सदस्य ने कहा कि इसका हल यह है कि जो रेवेन्यू बोर्ड के केसेज हैं वे सिविल कोर्ट में चले जावेंगे इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। यों तो सिविल कोर्ट में हर प्रकार के केसेज डील होते हैं और डिसाइड होते हैं मगर जब रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू के बारे में हाइयेस्ट अथोरेटी है और चूंकि रेवेन्यू या लैंड सेटलमेंट का इससे ताल्लुक है इस लिए इसकी अलग से व्यवस्था कायम की है। इसके लिए जो अपोइन्टमेंटस आदि हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनको ठीक नहीं समझा इसलिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है ।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आई० ए० एस० ओफिसर्स १२ वर्षों के अनुभव का हो उसे मेम्बर बनाया जावेगा । अगर १२ साल के एक्सपीरियेन्सड ओफिसर कोउसमें लिया जाता है तो माननीय सदस्योंका यह कहना कि वह केसेज या अपने डिसिजन में रद्दोबदल गवर्नमेंट के अनुसार कर सकता है, मैं समझता हूँ कि यह उनका कहना उचित नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां के जितने एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जैसे कलेक्टर आदि सब आई० ए० एस० हैं अगर उनके डिसिजन गवर्नमेंट के ईशारे से होते तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता । जिनको आपने इस प्रकार की सीट पर विठा दिया कि वह कानून की तहत अपनी व्यवस्था कायम करे तो उस पर कोई किसी प्रकार का इन्फ्लुएस डाला जाता है उसको मानने के लिये मैं कतई तैयार नहीं हूं ।

इसके अलावा जितने भी आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं उनको हर प्रकार का एक्सपीरियन्स होता है और सब विभागों का अनुभव होता है जैसे रेवेन्यू का कार्य, सेटलमेंट का कार्य वे करते रहते हैं और भी दूसरे सभी प्रकार के अनुभव उनको होते हैं । इसलिये १२ वर्षों की बात आपने रखी है कि अनुभव प्राप्त अधिकारी कहां जाकर बैठें तो वे सही निर्णय पर पहुँचेंगे इसलिए जो भी अमेन्डमेंट लाया गया है या इसके लिए जो भी अवधि रखी गई है १२ वर्षों की, उनके एक्सपीरियेंस के बारे में, वह मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल उचित है और सारे राजस्थान के रेवेन्यू मुकदमें हैं उनके बारे में जो भी रेवेन्यू और टैक्सेशन संबंधी कानून में अधिकार दिये गये हैंअगर उनको हम वेलिडेट नहीं करते, अपोइन्टमेंट को वेलिडेट नहीं करते तो बड़ा केओस राजस्थान में पैदा हो जायगा, सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी इसलिये मै इस बिल को सपोर्ट करता हूँ । इसको पास किया जाय यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान राजस्व मंडल का निर्माण विचाराधीन है । यह सत्य है कि यह सरकार राजस्थान की जनता के लिये, खास तौर से राजस्थान की कृषक जनता के लिये सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष न्याय देने में अपने आपको असमर्थ पा रही है, इस कार्य में यह सरकार बुरी तरह फेल हुई है । इसका सबसे पहला मुख्य कर्त्तव्य यह था कि किसानों के लिए, राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिये सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराती । किसान नेता कहे जाने वाले राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस पोइन्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा । किसानों के मुकदमों का निर्णय करने की यह कल्पना कर रहे थे कि किसान के खेत पर जा कर किसानों के मुकदमों का निर्णय किया जायगा, क्या वह आप कर पाये हैं ? क्या आपने उनके लिये सस्ते, सुलभ और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था कर दी है ? राजस्व मंडल जो खेती के मामलों में सबसे बड़ा न्यायालय है, छोटे

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

न्यायालयों में उसके निर्णयों को रूलिंग के रूप में रखा जाता है, उसका गठन ठीक नहीं हो तो कैसी भयावह स्थिति राजस्थान में होगी ? आसाम, उत्तर प्रदेश के टिनेन्सी कानून हैं, राजस्व मंडल हैं उनके फैसलों को नजीर के तौर पर रूलिंग के तौर पर पेश करते हैं। राजस्थान के राजस्व मण्डल का गठन ऊंचे दर्जे का नहीं होगा तो राजस्थान के लिये उदाहरण की चीज नहीं बना कर देश के दूसरे हिस्सों में जो राजस्व मंडल हैं, उनमें हम क्या उदारण प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

होना तो यह चाहिये कि राजस्व मंडल का गठन भी उसी तरह करें जिस तरह हाई कोर्ट का गठन होता है। राजस्व मंडल का सदस्य रहने के बाद फिर कोई प्रशासन में नही लौटे, इस भावना को राजस्व मंत्रीजी ने रखा उनकी इस भावना का मैं स्वागत करता हूं। जो इमिनेन्ट लायर्स हैं, जूरिस्ट हैं और जो कृषि के मामलों में विशेषज्ञ हैं उनका चयन भी राजस्व मंडल में उसी तरह होना चाहिये जिस तरह कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चयन होता है।

राजस्थान राजस्व मंडल पर दोहरा नियंत्रण रहे तो वह उपहास की बात होगी, राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य गवर्नमेंट के जुए के अन्दर रहते हैं तो वे लोग ईमानदारी से काम कर सकेंगे, इसमें मुझे शक है। राजनैतिक सरकार के काम स्वार्थ की प्रेरणा से गाइड होते हैं। जो सरकार के जुए के अन्दर रह कर काम करता है वह निष्पक्षता से ड्यूटी का अन्जाम नहीं दे सकता, इस प्रकार की गुंजाइश तो है। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। बूंदी के मामले में सदन में एक बात कही गई, मैं बूंदी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं तो हरेलगांव का जिक्र करूंगा। राजस्थान के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी हैं आज, उन्होंने जो बात की है, क्या राजस्थान का राजस्व मंडल उनके बारे में कोई निर्णय करने को समर्थ है ? मैं कहता हूं वह निर्णय नहीं कर सकता, अगर आज की व्यवस्था रहती है तो। हमारे मुख्य सचिव हैं श्री भगवतसिंह जी मेहता, इनकी जागीर रेल-मगरा ग्राम में थी। उसके एवज में, आल्टरनेट तौर पर उन्होंने भीलवाड़ा जिले के हरेल ग्राम में जमीन प्राप्त की। हुआ क्या ? होना तो यह चाहिये था कि जब यह आल्टरनेट जमीन दी गई तो खालसे की जमीन दी जानी चाहिये थी। एक तरफ हम राजस्थान के मन्त्री मण्डल के सम्बन्ध में अखबारों में पढते हैं, दो मंत्री आपस में लड़ते हैं, मुख्य मंत्री वक्तव्य प्रसारित करते हैं नीति के संबंध में और दूसरे मंत्री उसको काट देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, पर वस्तुस्थिति यह है कि जो चरागाह की जमीन है, उस पर किसी को कब्जा नहीं दिया जायगा, यह निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया। आदमी के लिये रोटी रोजी की व्यवस्था कर दें यह ठीक है पर मूक प्राणी, उपयोगी पशु हैं, पशु धन ही हमारे देश के आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत है। पशु धन बर्बाद हो गया तो देश की बैक बोन टूट जायगी, उन पशुओं के लिये जो चरागाह है उसको, हरेल गांव के चरागाह को, मुख्य सचिव महोदय ने एलोट करा लिया। क्या प्रक्रिया काम में लाई जानी चाहिये थी, उस जगह के कलेटर को लोगों के ओब्जेक्शन इन्वाइट करने चाहिये थे। पर बगैर ओब्जेक्शंस इन्वाइट किये **२५२ बीघा**

जमीन इनको एलोट करदी। यह प्रश्न यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। मुख्य सचिव बड़े अधिकारी हैं, सीलिंग हमारे राजस्थान में लागू है, राजस्व मंत्री लागू करना चाहते हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री लागू करना चाहते हैं या नहीं यह पता नहीं पर सीलिंग के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों से बचने के लिये इन्होंने एक दूसरा डिवाइस काम में लिया है, कुछ ट्रान्सफर किया अपनी धर्म पत्नी के नाम, कुछ ट्रान्सफर बेचान किया अपनी लड़की के नाम कुछ जमीन लड़की की नाबालिग अविवाहित लड़कियों के नाम ट्रांसफर कर दी, कुछ शांतिलाल बापना के नाम ट्रांसफर कर दी, पांच छः आदमियों के नाम जमीन ट्रान्सफर की है, इस आशा पर की कि सीलिंग के प्रावधान आने वाले हैं, उनसे बचा जा सके। राजस्थान के मुख्य सचिव इस प्रकार की बात करें। उनके इस प्रकार के कार्य को हम किसी न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं तो कौनसा ऐसा निष्पक्ष न्यायालय है राजस्थान के अन्दर जिसके सामने जनता का साधारण नागरिक न्याय की याचना कर सके। चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हों, चाहे मुख्य सचिव हों चाहे मुख्य सचिव के रिश्तेदार हों, उनके खिलाफ क्या किसी गरीब साधारण आदमी को न्याय मिल सकेगा जिससे कि भारत वर्ष के करोड़ों आदमी कह सकें कि चाहे मुख्य मंत्री थे या मुख्य सचिव या उनके रिश्तेदार उनके विपरीत एक साधारण आदमी को राजस्थान के निष्पक्ष न्यायालय ने न्याय दे डाला।

(७. म. प.)

जब उस जमीन का ट्रान्सफर इन ५–६ लड़कों और लड़कियों के नाम हुआ तो सवाल पैदा हुआ कि इसका म्युटेशन किया जाय याने दूसरों के नाम एन्टर किया जाय। क्योंकि कानून के अनुसार इस प्रकार का नामांतर पंचायतों के अधिकार में है, जब इस प्रकार का सवाल पंचायत के सामने आया तो उन्होंने नामन्जूर कर दिया कि इस प्रकार का म्युटेशन नहीं किया जायगा। उस पर मुख्य सचिव ने कलेक्टर महोदय को फोन करवाया। कलेक्टर महोदय ने जबरदस्ती पंचों को जीप में पकड़वाकर उन पर दबाव डाला कि इस नामांतर को स्वीकार करें। इस तरह म्युटेशन की कार्यवाही उन्होंने भीलवाड़ा में बिठाकर करवाई। मुझे जैसी जानकारी मिली है उसके आधार पर कहता हूं कि पंचों ने इस प्रकार के हलफनामे अदालत मे दिए हैं कि हम पर प्रेशर डालकर इस प्रकार की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा कराई गई हैं, मुख्य सचिव महोदय के इशारे पर किया है। यह अन्याय है। राजस्थान में पंचायती राज के हामियों! मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि पंचायती राज, जिसके बारे में मुख्य सचिव ने कई उपाधियां ली हैं राष्ट्रपति से, क्या पंचायतों की सार्वभौमिकता को इस तरह से देखना चाहते हैं कि पंचों को पकड़ लिया जाय और इस तरह से मोहर लगवाई जाय? अब क्या हुआ? अब ऐसी जमीनों को मुख्य सचिव महोदय बेचने की फिक्र में है क्योंकि उनको कैबिनेट के फैसले की भनक पड़ी कि जो बेचान हो जायगा, तो हम वैलिडेट कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो लैंड रेवेन्यू बिल है, उसमें संशोधन केवल राजस्व मंडल के सदस्यों के बारे में है।

Page No.153

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज हम इस मामले को न्यायालय में चैलेंज करना चाहते हैं, क्या वहां का हरेल का भूमिहीन किसान किसी भी ओथोरिटी के सामने न्याय की भीख मांगना चाहे कि यह भूमिहीन किसानों के लिए एलोट होनी चाहिए या चरागाह की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि पशुधन को मर जाने से बचाया जा सके, अगर इस प्रकार की व्यवस्था हम राजस्थान में चाहते हैं तो क्या राजस्थान में कोई ऐसी व्यवस्था है ? नहीं है क्योंकि राजस्थान में ऊंची से ऊंची अगर कोई अदालत है तो राजस्व मण्डल है। उसका माडर्न एक कठपुतली, किसके हाथ में ? मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव के हाथ में। बल्कि वह बात याद करें कि राजस्थान के अन्दर बाबा की हथाई और बाबा का ही न्याय। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान केबिनेट के एक मन्त्री महोदय ने पिछली २७ तारीख को मुझे बताया गया कि, एक बड़े जागीरदार को इस बात की सलाह दी है कि वह अपनी १६०० बीघा जमीन किन्हीं लोगों के लिए बेच डाले, भले ही बेच दें, हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं, सीलिंग का कानून तुम पर लागू नहीं होगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : झूठ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आप थोड़ा सा सुन लें। आप जिस स्कीम को लेकर अपने द्वारा इस राजस्थान की महान कृषक जनता के लिए जो खेती के सम्बन्ध में व्यवस्था करना चाहते हैं, आज आपका मंत्रीमंडल अगर उस गुटबंदी को बंद कर दे, तो कृषकों का भला हो सकता है। कुछ कानून पास होगया है, कुछ फैसले लिए जा चुके हैं अगर इस प्रकार की व्यवस्था सामने आई, कैबिनेट के सदस्य अपने एक आदमी को सलाह देते हैं कि इस प्रकार की बात होने वाली है, तो बहुत ही बुरा है। उस गांव का नाम है लूलास। इसकी बीड़ में वनेड़ा गांव के अन्दर १६०० बीघा जमीन है। उसको एक बड़े सीनियर मंत्री के द्वारा वहां के जागीरदार को, इस बात की सलाह दी है, सलाह ही नहीं दी, इस बात की गारंटी भी ली है कि उन तमाम मामलों को रेग्युलेराइज करवा देंगे, यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सूचना के अनुसार ६०,०००) रु० एडवांस के तौर पर प्राप्त किए जा चुके हैं जागीरदार के द्वारा। यही नहीं यह सौदा १,३०,०००) रु० में हो चुका है राजस्थान के निवासियों के लिए नहीं, गुजरात के निवासियों के लिए। तो इस तरह के मसले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : On a Point of Order Sir, माननीय सदस्य नाम बताएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह थर्ड रीडिंग है, उसके अंदर कोई गल्ती से सारे सदन के डिस्कशन के बाद ऐसी कोई कानूनी चीज छूट गई हो, उस पर कहने का हक है। यह जनरल डिस्कशन नहीं है, यह बात अविश्वास प्रस्ताव पर आ सकती है। न तो राजस्व मंत्री इस स्थिति में हैं कि इसका निराकरण कर सकें। आपकी तरफ से रूल्स पढ़ लिए जायं, उनके तहत कम से कम कोई लिमिट तो हो, हम तो बैठे रहेंगे लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि किस विधि विधान के तहत क्या चीज हुई। मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं, वह अपने केसेज में बिजी हों और जब बहस हो तो अनुपस्थित

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो जाय उसका बदला थर्ड रीडिंग पर लें, यह सदन के लिए शोभा की बात नहीं है, यह थर्ड रीडिंग है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कहते हैं नियमों के विषय में और दूसरे विषयों में वह सही है । जो विषय पहले नहीं उठाए गए हैं, वही थर्ड रीडिंग पर उठाए जायं । इसमें जो हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम २८२ है अथवा क्लोजर के रूल्स हैं, माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं उन माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं, वह सीनियर मेम्बर हैं । परंतु यहां सवाल यह है कि राजस्व मंडल का जो गठन हुआ है उसमें जो सदस्य महानुभाव कार्य करेंगे और इस प्रकार की इर्रेग्युलेरिटीज और हार्डहैडेडनेस को चेक करने में आया समर्थ होंगे या नहीं । इसके लिए मैं उदाहरण उपस्थित कर रहा था । मेरी भावना है कि राजस्व मंडल बिल्कुल निष्पक्ष हो, उस पर प्रशासन का कोई अंकुश न हो, वह सस्ता न्याय दे सके, निष्पक्ष दे सके । हम सस्ता न्याय देने की तरफ पहल करें । आज हमने प्रथम अपील के लिए राजस्व ऐपेलेट अथोरिटी कायम की है । आप भरतपुर की मिसाल लीजिए । भरतपुर या धौलपुर की मिसाल लीजिए । वहां का कोई एस. डी. ओ. फैसला देते हैं, दूसरी पार्टी पहली अपील करना चाहे तो कहां जायगी ? भरतपुर का जुरिसडिक्शन कोटा में रखा गया है, वह कितना दूर पड़ता है ? भरतपुर से १८० मील और धौलपुर से २५२ मील बसेड़ी जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां से २८२ मील । पहली अपील के लिए एक किसान को धौलपुर से चलकर, भरतपुर से चलकर, राजाखेड़ा से चलकर, जो भूतपूर्व राजस्व मन्त्री थे उनका क्षेत्र है, वहां से चलकर करीब २८० मील जाकर अपील करने के लिए कोटा जाना पड़ेगा ।

आपने व्यवस्था की है कि जो रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी है, अलवर वालों के लिये व्यवस्था की, वह कुछ दिन अलवर जाकर व्यवस्था करे । जो कोटा की अपीलेट अथोरिटी है वह राजाखेड़ा व धौलपुर में बैठ कर वहां के किसानों के लिये व्यवस्था करे । अगर भरतपुर का ज्युरिसडिक्शन जयपुर के साथ लगा दिया जाय तो यहां रोजाना मोटर आती जाती है । कोटा जाने में क्या दिक्कतें होती हैं कि तीन तीन दिन लग जाते हैं ये जो छोटे २ मसले हैं उनको तरफ ईमानदारी से इस भावना से सोचा होता कि जनता को राहत देना चाहते हैं, सस्ता न्याय सुलभ करना चाहते हैं, काश्तकारों के हकों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वास्तविक न्याय जिसमें ज्यादा खर्चा न हो यह देना चाहते हैं यह भावना व्यक्त की है लेकिन आचरण क्या किया है ? ऐसी सूरत में राजस्व मंडल का गठन हुआ है. मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा मंडल है जैसे दूसरे हैं । मंत्री मंडल तो कोई मंडल ही नहीं है । इसके लिये तो हमारे भाई ज्वाला प्रसादजी ने बात कही थी कि यह एक पिंजरा पोल है । मंत्री मंडल पिंजरा पोल हो तो चल सकता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने कभी मंत्री मंडल को 'पिंजरा पोल' नहीं कहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका कहना यह है कि रेवेन्यू बोर्ड न होकर मंत्री मंडल एक 'पिंजरापोल' है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस सरकार के नीचे ऐसा राजस्व मंडल चलता हो राजस्व मंडल 'पिंजरा पोल' न हो तो सरकार 'पिंजरा पोल' हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सुकरात की औलाद आप पैदा हो गये हैं। आप कहते हैं आप जानें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे तो चाबी लगाने वाले हैं। बात तो आपके मन में है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : हमने आई. ए. एस. ओफिसर्स को रेवेन्यू के मामले में रखा है। आज राजस्थान का बड़े से बड़ा आई. ए. एस. ओफिसर है वह इतना ज्ञान नहीं रखता है जो साधारण पटवारी को ज्ञान रखना चाहिये, रेवेन्यू के मामलों में। होता क्या है कि नये से नया आई. ए. एस. ओफिसर आया प्रथम ही उसको असिस्टेन्ट कलेक्टर के पॉवर दे देते हैं। जनमता है वैसे ही असिस्टेन्ट कलेक्टर हो जाता है। क्रिमिनल मामले में यह व्यवस्था जरूर है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद यह अधिकार मिलेगा। केटेगरी इस प्रकार चलती है। रेवेन्यु के मामले में जो भी अफसर बन कर आया उसका डेजिग्नेशन ही असिस्टेन्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट है। जिन्होंने कभी खेतों के दर्शन नहीं किये, हल का मूठिया जिसने कभी नहीं पकड़ा, चने के पौधे और जवासे में कितना अन्तर होता है, रेवेन्यु की ए, बी. सी, डी, नहीं जानते वे असिस्टेन्ट कलेक्टर बनते हैं, फिर एस. डी. ओ. बन कर आगे कलेक्टर बन जाते हैं और फिर राजस्व मंडल में पहुंच जाते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको इसका कोई ज्ञान न हो और जो ऐसे समुदाय से चलकर नहीं आये हों। आई० ए० एस० ओफिसर ऐसे नहीं बनते ? उनके भी हमारे जैसे हाथ कान नाक हैं। अनुभव की बात कहता हूँ। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज पटवारी के लिए साधारण ज्ञान होना चाहिए, जो एक साधारण किसान है, बिना पढ़ा लिखा किसान है, अंगूठा टेक किसान है जितना वह व्यवहारिक ज्ञान रखता है उतना ज्ञान राजस्थान के राजस्व मंडल के वरिष्ठ से वरिष्ठ सदस्य भी खेती के मामले में नहीं रखता है। एक ऐसी होचपोच स्थिति पैदा होती जा रही है कि राजस्व मंत्रीजी से मैं बार २ निवेदन करूंगा कि वे इसको समझें। राजस्थान में इसके लिए प्रगतिशील लेजिस्लेशन लायें। किसान को सस्ता न्याय दिलायें। आप किसानों के प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं, जिस प्रकार की ताकत आप लेना चाहें उसमें हम सहयोग करेंगे, सच्चे मामले में हम आपको सहयोग देना चाहते हैं लेकिन आप इस विधेयक को इस स्टेज पर भी वापिस ले लीजिये। फिर एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी विधेयक लाइये। यह सदन की संपदा हो चुकी है और सदन आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह इजाजत जरूर दे देगा कि माई बाप के चर्खे सरीखा जो कानून बनाया गया उसको वापिस लेने की इजाजत दे दे। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं तो हम रात भर, दिन भर बैठ सकते हैं। कृषि मंत्रीजी भोजन की बात करते हैं हम चार दिन भी बिना भोजन रह सकते हैं। आप सच्चा और सुलभ न्याय

(श्री मुकुट विहारीलाल)

किसान के लिए इस सदन से पास करायें ताकि राजस्थान सच्चे और प्रगतिशील प्रांत में गिना जा सके । राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे कार्यवाही बढे, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ भावनायें व्यक्त हुई हैं कि इस विधेयक को पारित करने के बाद सदन को दस पन्द्रह मिनिट के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि सदन के नेता और उपनेता गण मिल कर विचार कर लें कि आगे के लिये क्या व्यवस्था रहेती है और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव इत्यादि का काम है वह भी उसमें लेना है या नहीं तो इस विषय में मैं आगाह कर देता हूं ।

अब मैं प्रस्तुत विधेयक को रूल २८२ के अन्तर्गत पारित करने के लिये रखता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये तो सही ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय ...

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें,

(हां की आवाज)

(शोरगुल)

जो इसके विरोध में हों वे ना कहें ।

(नो नो की आवाज)

हां पक्ष जीता ।

(No, No की आवाजें ।)

(लगातार शोरगुल)

Division please !

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हठधर्मी हो रही है ।

(शोरगुल)

(मत विभाजन सूचक घंटी)

(श्री मानसिंह महार और अन्य सदस्य बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन वेल के समय कोई रिकॉडिंग नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय । जो पक्ष में हों वे हां कहें, जो विपक्ष में हों वे ना कहें ।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

(अत्यन्त शोरगुल-अश्रव्य)

विरोधी पक्ष के सदस्य : No, No.

(शोरगुल)

Noes haue it, sir.

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष "हां लॉबी" में, ना पक्ष 'ना लॉबी' में ।

(अत्यन्त शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनको गाली देने की क्या आवश्यकता थी ? उनको इतनी भी तमीज नहीं । गाली दें । इस तरह की भद्दी गालियां बकें क्योंकि वे कांग्रेस की बैंचों पर हैं, बहुमत में हैं, मिनिस्टर हैं ।

(शोरगुल)

श्री जोधसिंह चौहान : कोई जूता मार देगा साहब ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अब देखो गाली देकर । वह अपने आपको क्या समझते हैं मिनिस्टर हैं तो ।

चन्दनमलजी गाली देकर जा रहे हैं ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

यह तो तुम्हारा झूठ बोलने का हमेशा से काम है । इस तरह की नालायकी नहीं चलेगी ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : इस प्रकार सदन में मखौल हो रहा है । यह कोई तरीका है ।....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप गालियां बोलते रहें और दूसरे चुपचाप बैठकर सुनते रहें ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्पीकर साहब यहां नहीं हैं । हम आपके सामने

Page No.158

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास करेंगे। आप इन लोगों से यहां बैठ कर हमें गालियां दिलवाते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : जिस प्रकार से यह प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने शुरू की है, मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा किसी की गलती समझते हैं हम, तो आपकी समझते हैं।

आपको इस सारी डिबेट का जिस शालीनता से संचालन करना चाहिये वह आपने कतई नहीं किया। आप यदि कोई डिवीजन हम पर लादना चाहते हैं इस तरह से तो हम इसे अपना बड़ा भारी अपमान समझते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि जिन्होंने ब्रिटिश ट्रेडीशन को देखा है, उसका अध्ययन किया है वह व्यक्ति यहां इस तरह से कांग्रेस पार्टी का टूल बन जावेगा कि आधा घण्टा और बीस मिनिट यदि हम बोलते तो अधिक से अधिक बोलते पर इतने समय तक भी हमें नहीं बोलने देकर अकस्मात् इस तरह से सारी प्रक्रिया समाप्त कर दें। कोई आधा घण्टा-बीस मिनिट हमारी सुन लेते तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : द्वितीय वाचन तो हो ही चुका था।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कांग्रेस वालों से दबते हैं।

श्री मानसिंह महार : आप क्या बात कर रहे हैं ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

सारा डिविजन गलत ढंग से आपने कराया है। नियमों के खिलाफ डिवीजन कराया है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के खिलाफ नहीं है। रूल २८२ के अन्तर्गत किया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किसी ने क्लॉजर मूव नहीं किया और हम पर यकायक डिवीजन थोप दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्लॉज़र मूव करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम बहुत अदब के साथ आपके आदेशों को मानते हुए सहयोग कर रहे थे। यह गवर्नमेंट बावजूद इतने विरोध के जो खुद ने नोटिस निकाला ३० तारीख तक सदन को चलाने का उसके अनुसार न चल कर इस चलते हुए बिजनेस को रोक कर जबर्दस्ती सदन को स्थगित कराने की कोशिश कर रही है।

जिस तरह से हम इस सारी बहस में हिस्सा लेकर जनता की बात को यहां रखने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का प्रयत्न कर रहे हैं और इस तरीके से हमने फिर भी हर मामले में सरकार को कोआॅपरेट किया है । आज इसका फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ । सेकिण्ड रीडिंग खत्म हुआ । अगर नॉन कोआॅपरेशन की भावना होती तो उस समय भी प्रोलोंग कर सकते थे । पर जब तीसरे रीडिंग में बोल रहे थे तो बोल सकते थे, वह बोलना हमारा वैधानिक अधिकार है । बहुत से सदस्य न पहले में बोले न दूसरे में बोले । तो उनका भी अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित बातें कहनी हैं । यह आखिरी डिबेट है, और फिर मौका बार बार मिलता नहीं ।

तो इस तरह से सारा काम शान्ति से और शालीनता से चल रहा था । पर बीच में इस बात पर कि कांग्रेस के कुछ नेता यह कहें कि चूंकि उनका बहुमत है और वे नहीं चाहते कि इस पर कोई बहस आगे चले और उनके इशारों पर आप यह तरीका अपनाएं तो मैं समझता हूँ, यह अत्यन्त खेदजनक बात है । इस ढंग से इस विधान सभा की कार्यवाही बिल्कुल ही बहुमत के इशारे पर चले तो इसके टूल आप न बनें ।

हम यह फिर निवेदन करना चाहते हैं कि आप उनके टूल न बनें और हमारा जो कम से कम वैधानिक अधिकार है उसका उपभोग करने का हमें मौका दें और अगर मजबूर करने का इस तरह का तरीका आप भी अपनावेंगे तो हमें भी इस सदन के अन्दर दूसरे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिये और आप अगर उनको बहुमत की ताकत पर उनकी गिनती की ताकत पर हमारे उस वैधानिक अधिकार छीनने के टूल बनना चाहते हैं तो यह हम भी नहीं होने देंगे ।

आप कोआॅपरेशन की बातें बहुत करते हैं, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिवीजन का वक्त है, हाउस आॅर्डर में न हो जावे तब तक इसको रेकार्ड नहीं किया जावे । डिवीजन के बाद तो उसका परिणाम सदन में आना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य : यह रेकार्ड नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का मौका दें । जो भी प्रक्रिया उसके बाद हुई है, उसको गलत करार देकर वापिस सदन की कार्यवाही वहीं से शुरू करें । हम इस कानून को पास कराना चाहते हैं ।

आपने स्वयं ने आसन से यह आदेश दिया है कि १५ मिनिट के लिए ऐसा मौका देंगे कि उसमें सब आपस में बातचीत करके आगे का प्रोग्राम तय कर सकें तो कोई उस समय पहाड़ नहीं गिर जायेगा । तृतीय वाचन पर कुछ मेम्बर्स बोल लें और उसके मुताबिक फिर यह बिल पास हो जाये, उसके बजाय आप उकसावे में आकर बीच में मुख बन्द करें यह उचित नहीं है । माननीय उप-नेता जी इशारा कर रहे हैं कि

Page No.160

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं मानेंगे। अगर गवर्नमेन्ट ने इसी तरह का रुख रखा, गवर्नमेन्ट इसी ताकत पर और गिनती के बल पर पास करेगी तो अपोजीशन इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहीं से इसको शुरू कराइये और माननीय सदस्य श्री मानसिंह जी महार को बोलने दीजिए। तृतीय वाचन करके हम इस बिल को पास करेंगे।

(शोरगुल-व्यवधान)

अगर यही रुख रहा तो हाउस नहीं चलेगा।

सरकारी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : चलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल व विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : नहीं चलने देंगे।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हरगिज नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान-शोरगुल)

यहां लाठी चार्ज हो जायेगी, अश्रु गैस चल जायेगी, लेकिन हाउस नहीं चलेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं। इस बिल के ऊपर करीब करीब सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर जब कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें यह बात तय हुई थी कि इस प्रकार से यह कार्यक्रम लिया जायेगा। उसमें विरोधी दल के सब माननीय सदस्य मौजूद थे। यह तो कहीं अंत नहीं है। फर्स्ट रिडिंग सेकिण्ड रीडिंग याने अमेन्डमेन्टस और फिर थर्ड रीडिंग। आप जैसा देखते हैं हर एक विधेयक ३ स्टेजेज से गुजरता है और यह भी हर एक माननीय सदस्य को पता है कि हमने इस विधेयक को १५ तारीख को प्रस्तुत किया और उसके बाद में कितना समय इसके लिए दिया है। हाउस को चलाने नहीं चलाने का प्रश्न नहीं है। बहुत से मसले ऐसे हैं कि माननीय सदस्य इसी सरकार पर किसी प्रकार का दोषारोपण रखना चाहते हैं उसके लिए अविश्वास का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है। आप देखें और बहुत सी बातें जो कहनी रह जायेंगी वह अविश्वास के प्रस्ताव पर रख सकते हैं। इस प्रकार से इस लैण्ड रेवेन्यू विधेयक पर इस तरह से करना मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की सब की इज्जत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हम माननीय सदस्य जितने भी इस सदन में बैठते हैं सब उसके सदस्य हैं और....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने केवल यही कहा था कि इस बिल के ऊपर काफी बहस हो गयी और जितना भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ना चाहिए वह पड़ चुका है और विधिवत् ही सारे कार्य हुए हैं। और मैंने आपसे वादा लिया था कि सब बिल कल ही तस्फिया हो जायेंगे तो कल नहीं हुआ और आज भी यह नहीं हुए। मैं आपको हर

(श्री उपाध्यक्ष)

तरह से एकोमोडेट करने के लिये तैयार हूँ और जब कि एक तरफ से यह भाव आया कि इन तीनों को पारित नहीं करना चाहते हैं तो मैंने समझा कि इसको कहीं तो रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और जो भी मेम्बर्स बोलना चाहते थे वह बोल लिये ।

श्री मानसिंह महार : मैं तो बोला ही नहीं । एक बार भी नहीं बोला ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके उपरान्त भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल बाकी है उसके लिए मैं कोई रुकावट नहीं करता ।....

श्री मानसिंह महार : हम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा कोऑपरेट करते हैं । हम कम बोलते हैं और फिर हमें ही आप कहते हो, हमारा ही गला काटा जाता है । हम दो दिन इस पर नहीं बोले ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं इसको १५-२० मिनट के लिए स्थगित करके जैसा आप चाहें वैसा करने के लिए तैयार हूं ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ५-७ मिनट का समय दे सकते हैं । जब नाथूराम जी ने कहा कि इन बिलों को पास करना है चाहे हम कितनी ही देर तक बैठें तो हमने उसका विरोध नहीं किया । अब इसमें केवल ५-१० मिनट का झगड़ा है । एक माननीय सदस्य बोलना चाहते थे बाकी के अधिकांश मेम्बर्स बोल चुके थे । एक मेम्बर बोल लेते तो उसमें आपत्ति नहीं होती । हमारी भी बात समाप्त हो जाती और आगे का बिल भी ले लेते और इतने समय में तो माननीय सदस्य बोल लेते....

श्री उपाध्यक्ष : यदि यही बात है कि एक ही मेम्बर बोलें तो मैं सदन की आज्ञा से..

श्री भैरोंसिंह : वह तो आज्ञा आपकी है, सदन की क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार यह हो भी चुका है ।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): मुझे एक मिनट के लिये सुन लीजिए । मैं आपकी आज्ञा से ही बोल रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने संसदीय परिपाटी को स्वीकार किया है । इस परिपाटी के अन्दर इधर के दल के लोग और उधर के लोग जब तक आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की धारणा से नहीं चलेंगे यह परिपाटी सफल नहीं हो सकती । इसको चलाने के लिए विरोधी दल के नेताओं की और इस पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में अध्यक्ष महोदय के समक्ष बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में समय का विभाजन हुआ । क्या यह गलत है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह पूछूं तो कि सभी पार्टियों के सदस्यों ने यह ऐश्योरेन्स दिया था माननीय अध्यक्ष को कि आज ५ बजे तक यह सारे बिल पास हो जायेंगे ?....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५ बजे तक ।

Page No.162

श्री हरिदेव जोशी : यह निश्चित रूप से हुआ था। यह एश्योरेन्स मैंने नहीं दिया था आपने दिया था। इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य विभाजन को स्वीकार करके इस सदन से स्वीकार कराया। यह निश्चित है कि जब तक विरोधी दल के माननीय सदस्य सहयोग नहीं करते हैं तब तक सदन का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। किन्तु यह उनके सोचने की बात है कि इस सदन की प्रतिष्ठा केवल इस बात पर ही निर्भर करती है कि वह जो कुछ कहें उसको उसी रूप में चाहे विभाजन हो जाये, चाहे चेयर की ओर से कोई रूलिंग हो जाये, चाहे वह नियमों के अनुकूल नहीं हो तब भी माना जाये तभी वह संसदीय है तभी वह पार्लियामेन्टरी है तभी प्रजातांत्रिक है।....

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मिनिस्टर गाली दे जायें, हल्ला मचायें।

श्री हरिदेव जोशी : हमें, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखना है। हमें कतई एतराज नहीं है। आप बैठ जाइये इस बिल को पास कर लीजिए। हम बैठने के लिए तैयार हैं। कितना समय आप निर्धारित करते हैं उतने समय के अन्दर समाप्त कर लें। जितने वक्त आप तय करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना दीजिए और उनका समय तय करके हम आपको दे देते हैं और उसके अनुसार समय विभाजन करके कर दीजिए, हमें एतराज नहीं है। हमें तो, उपाध्यक्ष महोदय, परेशानी वहां पैदा होती है जब कि विरोधी दल के नेतागण इकट्ठे होकर और समय निर्धारित करके अध्यक्ष के समक्ष सारी चीजों को तय करके सदन में दूसरे प्रकार की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज अपने स्वयं की है उसको कृपया स्वयं रख लें। अब जहां तक इस बिल का सवाल है इस बिल पर बहुत मुमकिन है कि एक माननीय सदस्य के कुछ सेन्टीमेन्ट्स हों, लेकिन यह भी स्थिति है कि अध्यक्ष महोदय कोई गलती नहीं करते लेकिन फिर भी कहें कि अगर गलती भी हुई है तो इस आसन से एक आदेश हुआ है उस आदेश की परिपालना में विभाजन हो चुका है और अब विभाजन का केवल रिजल्ट अनाउन्स करना है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका तो आदेश दूसरा हो गया। उन्होंने बोलने की इजाजत दे दी।

श्री हरिदेव जोशी : उस विभाजन संख्या को घोषित करके रिजल्ट डिक्लेयर करना है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाकर प्रत्येक पार्टी के व्हिप बैठकर समय तय कर लें।

श्री भैरोंसिंह : अभी जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि विरोधी दल के प्रतिनिधि बैठ कर बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी के अन्दर वादा कर आते हैं तो वे स्वयं जानकारी रखते होंगे कि बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी ने बिल्स पास करने के लिए समय रखा था वह १२ बजे से ५ बजे तक का था, अर्थात् पांच घण्टे उसमें लगने चाहिए। आपको स्वयं जानकारी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किस प्रकार से एडजोर्नमेंट मोशन तीन बजे तक चलते रहे। उसके बाद केवल दो ही घण्टे तो मिले हैं। इन दो घण्टे में ही मंत्री महोदय को एतराज हो रहा है और यदि हम पांच से बाद में समय

(श्री भैरोंसिंह)

मांगते हैं तो झगड़ा तो केवल समय का है। हमारा तो केवल कहने का अधिकार है, आप मानें या नहीं मानें हम तो कहते जायेंगे। अगर आप हमारी बातों को मानते ही जायं तो फिर झगड़ा पांच मिनट में ही खत्म हो जाय, लेकिन आप मानते नहीं है इसलिए हमें बारबार अर्ग्यूमेंट करके लोजिक दे देकर अपनी बात रखने को विवश होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा कहने भर का अधिकार है, स्वयं अपनी जबान से बोल कर अपनी बात को सदन में रिकार्ड कराने का अधिकार है, उस काम में समय की आवश्यकता है। आप केवल सुनना भी नहीं चाहें और समय भी नहीं देना चाहें तो यह चीज सम्भव नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : जितनी सहिष्णुता से हम सुनते हैं उतना तो कोई और सुनेगा भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : हम कितनी ही बातें यहां पर कहते हैं और आप उनको बिलकुल असत्य और निराधार कह कर उन पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हम तो अपनी बात को आपके सामने रख कर, जनता के जो ग्रिवांसेज हैं उनको इण्डीकेट करके हम अपनी रेस्पॉसिबिलिटि पूरी करते हैं। यदि आपकी तरह से भी इसी दृष्टि से रेसपांस मिलता हो तो आपस में इस प्रकार की तानातनी की स्थिति पैदा नहीं होती। अभी यहां पर सदन के उप नेता ने कहा कि हम यह बिल पास कराये बिना नहीं जायेंगे तो हमने भी कहा कि हम भी बैठे हैं। इसी उद्देश्य से इस सदन की कार्यवाही को आगे चला रहे हैं कि जब बिल सामने आयेंगे तो हम भी अपने विचार यहां पर व्यक्त करेंगे। झगड़ा जो है वह केवल समय का है, पांच दस मिनट के समय का है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस प्रकार की उदारता रखते हुए चल रहे हैं उसी प्रकार अगर दस पन्द्रह मिनट का समय और रख देते इसके लिए तो कोई विवाद नहीं होता और जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चली वह नहीं चलती। हाउस में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे दूसरे पक्ष वाले कह रहे हैं कि डिविजन हो गया है तो डिविजन तो होता रहता है, डिविजन के उपरान्त वोटिंग का काउण्ट भी होता है और सब कुछ होता है। अगर आप दस मिनिट का समय देकर इस सारी स्थिति को एवॉयड कर सकें और जो माननीय सदस्य का सेंटीमेंट है कि वे दस मिनिट के लिए ही इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप आज्ञा देकर उनको बोलने दें तो उपयुक्त होगा और यह सारी स्थिति रोकी जा सकेगी।

श्री हरिदेव जोशी : We leave it to you.

श्री मानधाता सिंह (महुआ) : मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में आदेश हो गया है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। अब केवल इस कारण से कि सदस्य ने यह धमकी दी है कि अविश्वास का प्रस्ताव ले आयेंगे और उससे डर कर अगर आप उनको फिर बोलने की इजाजत देते हैं तो यह नहीं होना चाहिए। जो एक आदेश दे दिया है चैयर ने उस पर सुदृढ़ रहना चाहिए और उसका पालन होना चाहिये तभी ऑर्डर कायम रह सकता है।

(श्री मानधातासिंह)

मेरा निवेदन यह है कि आसन का आदेश हो गया है कि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो फिर अब आसन को उससे वापिस नहीं होना चाहिए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष-महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना भाषण दस मिनिट की बजाय पांच ही मिनिट में बोलकर खत्म कर दूंगा। मैं अधिक नहीं बोलूंगा और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं हमेशा से आसन की इज्जत करता आया हूँ, और मैं....

श्री मानधाता सिंह : डरा कर आसन की इज्जत नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार कर अपना भाषण दो मिनिट के अन्दर समाप्त भी करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विचार रखना प्रारम्भ करूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मानधातासिंहजी इसके प्रोटेस्ट में वाक आउट नहीं करेंगे !

श्री मान सिह महार : वे तो सर्विस क्लास के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

श्री **मानधाता सिंह** : ऐसे एक्सपर्शन पास करने का कोई मतलब नहीं है। हर हाउस में हर असेम्बली में ऑर्डर मेंटन होना चाहिए। जब आसन ने आदेश दे दिया तो हर सदस्य का यह फर्ज हो जाता है कि वह उस आदेश का पालन करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मानधाता सिंहजी जो बात कहें उसका पालन होना चाहिए।

श्री मानसिंह महार : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह राजस्व बोर्ड का जो गलत ढंग से गठन हुआ था उसको वैलिडेट करने का जो कानून सदन के समक्ष है उसके तथ्यों का विवेचन इस समय सदन में चल रहा है, उस पर ज्यादा न कह कर तथ्यों को सामने रखूंगा....

श्री मानधातासिंह : विधेयक तो पारित हो गया।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ईमानदार लोग आपके नौकर नहीं रह सकते, यह आप देख लीजिए। यह तो स्वतन्त्र पार्टी ही है जो ऐसे ईमानदार आदमियों को आश्रय देती है।

(शोरगुल-अश्रव्य, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मानधातासिंह : मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि यह विधेयक पारित कर दिया गया है या नहीं ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a point of order Sir:...

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री मानसिंह महार : मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने भी एलॉटमेंट राजस्थान में हुए हैं एलॉटमेंट कमेटी ने किये हैं वे गलत किये हैं और आपका एलॉटमेंट कानून इतना गलत है कि उसकी अपीलें जो राजस्व मंडल तक जाती हैं वे भी बहुत हैं और उनमें किस तरह से गलत निर्णय होते हैं उनको भी मैं एलोबरेट कर के सदन को बताता, परन्तु उधर बैठने वाले मित्र बहुत उतावले हो रहे हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों का पालन करते हुए मैं दस मिनिट भी न बोलकर एक मिनिट में ही अपना भाषण समाप्त करते हुए आप से निवेदन करूंगा कि तथ्यों का विवेचन समाप्त करके इस बिल को पारित किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, मैं एक मिनिट में अपनी बात समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में इस समय स्वतंत्र पार्टी का प्रदर्शन हुआ है उससे स्पष्ट मालूम हो गया कि स्वतंत्र पार्टी के चीफ व्हिप और उसके जनरल सेक्रेट्री इस सदन के अन्दर यहां की प्रक्रिया के बारे में क्या विचार रखते हैं और आपके सामने एक समस्या पैदा कर दी। आज जो यह स्वतन्त्र पार्टी के अन्दर दो तरह के विचार उभर कर सामने आना चाहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही हालत आपकी पार्टी में है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जो स्वतंत्र पार्टी का नमूना सामने आया है इससे मालूम हो गया है कि यह तो घर की पार्टी है, साले-बहनोइयों की पार्टी है।

श्री जयनारायण लाखोटिया : आपके द्वारा तो रोज ही नौटंकी होती है।

श्री मानधातासिंह : मैं केवल एक मिनिट में स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ मैंने आपके सामने निवेदन किया था और उसमें मैं जहां तक समझा था वह यह था कि विधेयक पारित कर दिया गया है शायद हमारे चीफ व्हिप साहब ने उसे सुना या नहीं। जब विधेयक पारित कर दिया गया तो उसके बाद बोलने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए मैंने यह समझा कि शायद उन्होंने समझा नहीं है कि विधेयक को पारित कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! डिविजन का परिणाम यह रहा कि 'हां' पक्ष में ५३ और 'ना' पक्ष में कोई नहीं, इसलिए विधेयक पारित किया गया। मैं सदन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ...

[विभाजन के अनुसार "हां" व "ना" पक्ष की सूची:-

"हां" पक्ष की सूची।

श्री अलदाराम मीणा

श्री बालकृष्ण कौल

श्री भीखाभाई

Page No.166

श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दलपत सिंह
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडोली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह पिड़ावा
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड़
श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
श्री कानाभाई नुवाल
श्री किशनसिंह वाटड़
श्री लालाराम
श्री मजलिस खां
श्री मांगीलाल रिणवा
श्री मोहनराज
श्री मोहरसिंह राठौड़
श्री मोतीलाल चौधरी
श्रीमती नगेन्द्रबाला
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री रामप्रसाद लढ्ढा

श्री रूपाराम पंवार

श्री सागरमल

श्री शंकरलाल जाट

श्री कुम्भाराम आर्य

श्रीमती सुमित्रा

श्री तेजाराम गहलौत

कुमारी उमा माथुर

श्री विरधाराम फुलवारिया

"ना" पक्ष की सूची-

(विपक्षी सदस्य मतदान के लिए लॉबी में नहीं गए।)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को एक बार पुनः वोट पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मैं इसके लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन में प्रश्न उठा था कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप उस बात को भूल जाइए साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह तो उसी समय हो गया जो होना था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सदन किसी भी दिन यह चाहेगा कि मैं इस पद के लिए अयोग्य हूं और यहां पर नहीं रहूं तो उसी समय स्तीफा दे सकता हूं। जिस सदन ने मुझे सर्व-सम्मति से यहां बैठाया, अगर वह नहीं चाहे तो मैं कल ही स्तीफा दे सकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसा नहीं हो सकता, साहब !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यदि नहीं रहेंगे तो हमें इतना लिबरल ट्रीटमेंट कहां मिलेगा ?

श्री मानसिंह महार : हम भूख हड़ताल कर देंगे, साहब !

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक, सदन की मंशा के अनुसार मैं बीस मिनिट के लिए स्थगित करता हूं और इन बीस मिनिट के अन्दर....

श्री मुरलीधर व्यास : आधा घण्टा के लिए कर दें, साहब।

श्री चन्दनमल वैद : बैठक तो चलने दें, हम बाहर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं १५ मिनट के लिए

(श्री उपाध्यक्ष)

कर देता हूं। we Will meet again at 8.05. इसके दौरान आप निर्णय कर लें कि मुझे किस प्रकार से चलना है।

(तदनन्तर—सदन की कार्यवाही ७ बज कर ५० मिनट पर रात्रि के ८.०५ तक के लिये स्थगित हुई)

सदन की बैठक ८.२० पर पुनः प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : तो अब मैं सदन की मंशा से सूचित होना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : हमने आपसी चर्चा की और उसमें तय किया कि २।। घन्टे तो राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक, १९६६ के लिए और आधा घन्टा राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६६ के लिए। इसमें आप थोड़ा बहुत इधर उधर समझ लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सजेशन रखा है उसमें मैं एमेंडमेंट पेश करता हूँ और उससे आप एकोमोडेट करेंगे कि आज एक बिल ओफिशियल लेन्ग्वेज का ले लिया जावे और ट्रान्सपोर्ट वाला बिल कल ले लिया जावे। कल वह बिल और फूड डिबेट दोनों काम खत्म हो सकेंगे। ट्रान्सपोर्ट का बिल इस लिए इम्पोर्टेन्ट है कि राजस्थान रोडवेज और ट्रान्सपोर्ट, राजस्थान की जनता जिसमें सफर करती है उससे कन्सर्न्ड है जो सारे दिन के थके हुए होने के कारण नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको कल लिया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल भी मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखते हुए निवेदन किया था कि आज ही इन सब विधायी कार्यों को पूरा करने का तय किया था और जैसा आगमी हमने निवेदन किया है जितना समय माननीय सदस्य बैठना चाहें तो हम बैठने के लिए तैयार हैं इसलिए हमारी यह राय है कि इन बिलों को आज ही पास किया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट बिल को कल ले लिया जावे अन्यथा यह होगा कि आप घास काटना चाहें तो घास काटने की तरह तो हो जावेगा लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर तो समय मिलना चाहिए। इसलिए इस पर समय मिलना चाहिए।

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि आज इतने लम्बे अर्से के बादमें अधिवेशन होता है और उसमें एक दो दिन ज्यादा भी बढ़ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी कौन सी चीज का आपको नुकसान हो जावेगा। मैं यह समझता हूं कि लोकतन्त्र में आप इतने लम्बे अर्से से अधिवेशन बुलाते हैं और ६ दिन में खत्म करते हैं आप यह चाहते हैं कि जितना जल्दी हो

Page No.169

(श्री मुरलीधर व्यास)

सके खत्म किया जावे ताकि इनसे पिन्ड छूटे यह कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जल्दी जल्दी में बिल पास करते हैं। हमको इन पर गंभीरता से देखना चाहिये। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे यहां के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ६ महीने खत्म होते हैं और एसेम्बली का अधिवेशन बुलाना जरूरी होता है इसलिए बुलाया जाता है और आप यह चाहते हैं कि किसी तरह से खत्म हो तो बला टले और आप ऐसा ही करते हैं। यह आपका रुख इतना खतरनाक है जब कि दूसरी विधान सभाओं में अधिवेशन काफी लम्बे समय तक चलता है। हमारे यहां पर ६ महीनों के बाद आप अधिवेशन बुलाते हैं और क्योंकि वह भी बुलाना जरूरी है इसलिए बुला लिया जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जैसा उन्होंने कहा है हिन्दी बिल को आज पारित कर दिया जावे और दूसरे बिल को कल ले लिया जावे क्योंकि बहुत से सदस्य चले गये हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो हरिदेवजी हैं वे भी इस राय को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मोटरगाड़ी करारोपण विधेयक है उसमें एक तो माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का संकल्प है। इसमें एक यह हो सकता है कि संकल्प पर अभी विचार कर लिया जावे और बाकी कल हो जाए। यह इस तरह हो सकता है जैसे मैंने माननीय अध्यक्ष से सलाह ली थी। उनकी यह राय थी कि हो सकता हो तो राजस्थान ओफिशियल लेंग्वेज बिल पहले ले लें और इसे बाद में ले लें। ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष के आदेश हैं उससे हम सहमत हैं। इस पर भी समय लगेगा उसको कल ही हम कोओपरेट करेंगे और खत्म कर लेंगे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) आपने अभी यह सूचना दी कि अध्यक्ष महोदय के डाइरेक्शन हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कोई डाइरेक्शन नहीं दिया है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अभी हमने सदन के बाहर स्पीकर चेम्बर में बात चीत की उस वक्त दुविधा का यह मसला था कि अध्यक्ष महोदय जो कह कर गये हैं। आदेश दे कर गये हैं कि हर हालत में यह दोनों बिल आज ही निपटाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कार्य सलाहकार समिति का और अध्यक्ष का निर्णय था कि ये तीनों बिल आज ही निपटने चाहिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अभी जो सलाह हुई है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें एक बिल आज ले लिया जावे और दूसरा बिल कल ले लिया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने कहा था कि समय का विभाजन कर लें और आज

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ही इनको निपटा दें। अध्यक्ष महोदय, खुद जाते वक्त कह गये कि रात को एक बजे तक भी इनको कर लेना ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us proceed now. राजस्थान मोटर विहिकल्स बिल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर आप अपनी व्यवस्था दें। हम फिर अपनी बात जोसे कहना चाहते हैं कि तमाम रोडवेज, ट्रान्सपोर्ट के तमाम प्रश्न पर बहस का प्रश्न आएगा जिसमें जनता को दिक्कत है और माननीय सदस्य उनको कहना चाहेंगे उसमें काफी समय लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल - आज आप ओफिशियल लेंग्वेज बिल ले लें। इसको कल ले लें। हम परसों बैठने को तैयार हैं। जो छुट्टी रखी गई है उसको कैंसिल कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अगर थोड़ा सा शुरू हो जावेगा तो कल इस पर भार नहीं पड़ेगा। कल ले लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने थोड़ा सा शुरू करने वाली बात कही । मैं इसको थोड़ा सा शुरु कर देता हूँ । आप जिस स्टेज पर करना चाहें कर दें । मैं अपना मोशन मूव कर देता हूं। बाकी कल हो जावेगा। पहले भाषा का बिल ले लें।

श्री हरिदेव जोशी : कार्य सलाहकार समिति ने इसको पहले रखा है। इसीलिए आप इसकी शुरुआत कर दीजिए । जितना समय निर्धारित करें उसके बाद में हाउस एडजोर्न करें। लेकिन इसकी शुरुआत अभी कर देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पर अब आप कह रहे है राजभाषा संशोधन विधेयक को डिस्कशन बगैर ही पास कर दिया जाय....

श्री हरिदेव जोशी : शुरुआत मोटर ट्रान्सपोर्ट विधेयक से करें क्योंकि एजेंडा में वह पहले है।

रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान राज भाषा विधेयक से शुरुआत करे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं, वह प्रोग्राम तय करती है, उसके मुताबिक हमको चलना चाहिए पर जहां फेर बदल होती है तो इस फेर बदल करने के कारणों पर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसका एकमात्र कारण वह है कि आप सहयोग नहीं देते ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं बोल रहा हूँ पहले मुझे बोलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय ये बीच बीच में बोलते हैं आप इनको मना नहीं करते। हम बोलते हैं तब तो स्पीकर साहब हमको बाहर निकाल देते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : वे निकाल दें तो मैं क्या करूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोल रहे हैं, आप इनको

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

क्यों नहीं निकालते हैं। हम भी तो अपने सजेशन रख सकते हैं न ?

श्री हरिदेव जोशी : जरुर रखिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कल भी स्पीकर साहब ने फरमाया था, आज भी फरमाया था। होम मिनिस्टर साहब दो मामलों के रिप्लाई करने वाले हैं। अभी पहले मंत्री महोदय के रिप्लाई होने चाहिये, उसके बाद विधाई कार्य लेना चाहें तो लें, पर यह नहीं हो सकता कि सरकार जैसा भी चाहे अपनी मर्जी के माफिक करा ले।

श्री उपाध्यक्ष : एक सुझाव के रूप में रखता हूँ। यदि माननीय सदस्य तैयार हैं कि राजस्थान राजभाषा संशोधन विधेयक को बिना बहस के पारित कर दिया जाय तो इसको पारित कर दिया जाय। उसके बाद मोटर गाड़ी करारोपण द्वितीय संशोधन विधेयक को ले लिया जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : बिना बिल के कोई बिल पारित नहीं होगा। पहले मोटर ट्रान्सपोर्ट बिल को ले लीजिए, फिर दूसरा बिल ले लीजिए। हमारा निवेदन केवल यह है कि मोटर ट्रान्सपोर्ट बिल को शुरू करवा दीजिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आसन की तरफ से कितने ही आल्टरनेटिव्ज् शासक दल के सामने रखे गये हैं पर शासक दल अपने बहुमत के बल पर इस सदन को डिक्टेट कराना चाहता है, आसन की सहूलियत नहीं देखता। आसन को अधिकार है कि बिजनेस के किसी आइटम को पहले लें या बाद में लें। आसन की तरफ से यह सुझाव दिया गया कि राज भाषा बिल को पहले पास कर दिया जाय, बाद में मोटर ट्रान्सपोर्ट बिल को किया जाय। शासक दल इसे मानने को तैयार नहीं, आसन की तरफ से कहा गया उसकी अवहेलना शासक दल कर रहा है, शासक दल तानाशाही के बल पर चलना चाहता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो अपने दल की ओर से और माननीय सदस्यों से बात की उनसे सहमत हूँ कि राजस्थान राज्यभाषा बिल रख दीजिए, हम नहीं बोलेंगे जब सरकार का एक बिल एक मिनिट में पास कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मोटर विहिकल्स बिल को आज लेने को तैयार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बोलने दीजिए। मोटर विहिकल्स के बारे में जो मेरा रेजोल्युशन है, उसको मैं पढ़ दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं अपने आपको रोक सकता हूँ केवल अपने रेजोल्युशन को मूव कर दूंगा, आप चाहेंगे तो मूव भी नहीं करूंगा। उसके बाद मोटर विहिकल्स का बिल है उसकी एक आध घंटे में फर्स्ट और सैकिण्ड स्टेज पूरी कर दीजिए। थर्ड रीडिंग के लिये कल घंटा आध घंटा रख दीजिए। राजभाषा विधेयक एक मिनिट में पास करेंगे जिसके लिये ढाई घण्टे रखे गये हैं। घंटे भर में कल निबटा लेना। मैं मेरी तरफ से यह कह सकता हूँ कि राजभाषा विधेयक पर हम कोई नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I think it is the opinion of all.

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य की बात को जहां तक समझता हूँ वह यह है कि राजभाषा सम्बन्धी बिल को पास कर दिया जाय और ट्रान्सपोर्ट बिल की सेकिण्ड रीडिंग पूरी कर ली जाय और थर्ड रीडिंग कल कर ली जाय....

एक माननीय सदस्य : आज फर्स्ट रीडिंग कर ली जाय....

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने तो यह कहा है कि सेकिन्ड रीडिंग कर लेंगे और आप इस तरह कह रहे हैं फर्स्ट रीडिंग का।

श्री उपाध्यक्ष : Then I proceed now.

(८.३६ म० प०)

राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६६,

श्री निरंजननाथ आचार्य (विधि-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी स्पोर्ट्समेन स्पिरिट को देखिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लोग तो अड़ गए थे यह तो हमारी स्पोर्टसमेन स्पिरिट है।

(८.३८ म० प०)

राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६

(विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कॉन्स्टट्यूशनल ऑब्जेक्शन है। कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ३०४ (बी) के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : बिल विचारार्थ पेश करें तब....

Page No.173

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आर्टिकल ३०४ (बी) यह कहता है :

"Not withstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मंत्रीजी का जवाब आ जाय....

श्री चंदनमल वैद (यातायात मंत्री) : सतीशचन्द्रजी प्रस्ताव पेश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : yes. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री मानिकचंद सुराणा : प्रक्रिया व नियमों में प्रावधान यह है कि यदि किसी बिल के इन्ट्रोडक्शन पर माननीय सदस्य को एतराज हो संवैधानिकता के सवाल पर तो बिल इन्ट्रोड्यूस होने वाला हो उस समय एतराज करें। माननीय सदस्य का एतराज उसी तारीफ में आता है, ये इसकी संवैधानिकता को चैलेंज कर रहे हैं । इसका कन्टेन्शन है कि राष्ट्रपति की एसेन्ट नहीं है इसलिए यह बिल इस विधान सभा में पेश नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : यह विचारार्थ स्टेज पर बाद में लिया जायगा । अब माननीय ढाबरिया, और माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल के प्रस्ताव आयेंगे । इसको लेने के बाद जो कुछ आपत्ति आएगी, उसको देखेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय । मेरा परिनियत संकल्प इस प्रकार है :–
"यह सदन दिनांक २८ जुलाई, १९६६, को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, १९६६, (अध्यादेश संख्या ६ १९६६) को अस्वीकार करता है ।"

जैसा मैंने आश्वासन दिया है, उसी आधार पर मैं इस संकल्प के संबंध में भाषण नहीं देता हूँ । जो अध्यादेश जारी करने की सरकार की परम्परा है, वह परम्परा सरकार ने बना रखी है, मैं उसका विरोध प्रकट करता हूँ और खास तौर से बजट अधिवेशन में जो इस मोटर ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में सदन में भावना व्यक्त की गई कि इसमें रिडक्शन करनी चाहिए टैक्सेज में, सरकार ने उस समय कुछ नहीं किया है । जैसे ज्वालाप्रसादजी कहते हैं, सदन में मांग की जाती है लेकिन सदन में रिडक्शन की घोषणा नहीं करते हैं । बाद में करते हैं । सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए यही निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में केवल मोटर ट्रांसपोर्ट की टैक्सेज में ही कमी की जरूरत नहीं है, अन्य आवश्यक वस्तुओं में भी टैक्सेज में कमी की जरूरत है। ये बातें कहते हुए मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : I do not want to move.

श्री उमरावसिंह ढावरिया : मैं नहीं बोलना चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा विचार कर लिया है कि फर्स्ट और सेकन्ड स्टेज में १० मिनट में पूरा कर लें और थर्ड रीडिंग पर कल बोलने दिया। मन्त्री महोदय को संकल्प स्वीकार करना हो तो कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : I put this to vote. जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, उसे पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प गिर गया।

प्रभारी मन्त्री।

श्री चन्दनमल वेद (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मेरा निवेदन है कि क्या इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली गई है?

श्री चन्दनमल वेद : यह कॉम्पेन्सेटरी टैक्स है इसलिए इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सुप्रिम कोर्ट ने किस मामले में होल्ड किया है कि राष्ट्रपति की असेन्ट की जरूरत नहीं है?

श्री चन्दनमल वेद : काम्पेन्सेटरी टैक्सेज बिल होगा तो उसमें राष्ट्रपति की असेन्ट की जरूरत नहीं है और ऐसा सुप्रीमकोर्ट ने होल्ड किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह बिल जिसमें पैसा इन्वाल्व्ड हो, उसमें सेंक्शन की जरूरत है। यह हुआ है या नहीं, साबित किया जाय। आप हमेशा ऐसे बिलों पर सैंक्शन लेते हैं और उन करारोपण के बिलों से यह कैसे डिफरेन्शियेट करता है, यह सरकार को बतलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, उसको कोट कर समझना चाहिए।

श्री चंदनमल वेद : इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। राज्यपाल की जरूरत थी। वह ले ली गई है और चूंकि यह काम्पेन्सेटरी टैक्सेशन बिल है इसलिए राष्ट्रपति की सैंक्शन की जरूरत नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, I want your ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम सैकण्ड स्टेज कर लें और उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर कल निर्णय दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रपति की एप्रूवल की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जहां ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई बिल जाता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी बहस थर्ड रीडिंग पर करेंगे। उसी समय मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिसीजन को कल तक डेफर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

खंडश : क्लॉज २ इस पर श्री ज्वाला-प्रसाद का संशोधन है।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : In the new sub-section (2) sought to be inserted in section 17 replace the words "Not exceeding Rs. 500/-" by the words "double the amount due",

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Add the following second proviso to new sub-section (2) of section 17 of the principal Act, namely:—

"Provided further that the provision of sub-section (2) shall not apply to the non-transport vehicles registered in Rajasthan.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्लॉज २ पर माननीय अब्दुल जब्बार का संशोधन है।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान मोटर-गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६, पर मैंने अपना संशोधन दिया है। आम तौर से यह देखने में आता है और आम चर्चा होती है कि मोटर मालिकों में टॅक्सेज की बकाया की वसूली के तरीके गलत हैं, सुपरविजन गलत है, यहां पर वसूली का मेथड ठीक नहीं है। ऐसी हालत में जहां सरकार इस क्लॉज में संशोधन लाकर यह कहना चाहती है कि ड्राइवर्स या मालिकों से इस बात का बांड लिखाया जाय, उस पर जो बकाया है, मांगी जाय, मेरा यही संशोधन है क्योंकि इस में सरकार का फायदा ही है कि मोटर मालिकों और ड्राइवरों, दोनों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके। सेकिंड पैरा में है: 'not exceeding Rs.500/- from the driver or the owner of the vehicle as the case may be., मेरा संशोधन है:

'In the new sub-section (2) sought to be inserted in sec. 17 replace the words 'Not exceeding Rs. 500/-' by word 'double the amount due.'

डबल दी अमाऊंट से यह होगा कि जिसके द्वारा यह बांड या श्योरिटी दी जाती है, उसको इससे डर रहेगा कि double the amount मुझे देना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट में

(श्री अब्दुल जब्बार)

जो तारीख दे दी है, इकरारनामा किया है, उस तारीख पर जमा नहीं कराएंगे तो। इसलिए सरकार को मान लेना चाहिए अन्यथा जो टैक्सेज का बकाया है मोटर-मालिकों में, वह मालिक तो बम्बई चला जाता है या मद्रास चला जाता है, तो मोटरों को रोकना चाहिए। इसलिए यह संशोधन "Double the amount" मान लेना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनेन्स की शक्ल में सरकार ने निकाला है। उसके विस्तार में न जाते हुए श्री सतीशचन्द्र ने जो प्रक्रिया चालू की है, मैं भी संक्षेप में कुछ बातों पर जोर देना चाहता हूँ।

एक तो यह है कि यहां इसी सदन के अंदर जब टेक्सेशन लगाते हैं बजट सेशन के अंदर और इसकी तरफ से सरकार से कहा जाता है कि ये टेक्सेज बहुत लग रहे हैं और कम होने चाहियें और सारे सदस्य कहते हैं तब भी असर नहीं पड़ता है। मैंने पिछले कई मर्तबा कहा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सिनेमा वालों पर टैक्स लगा दिया, डेपुटेशन उनका मिलता है, हम बिखर गये और उनको कन्सेशन हो गये। हर सेशन के बाद इस तरह की बात होती है। मेरा यह मतलब नहीं है कि सरकार नहीं बदल सकती है। सरकार को बजट सेशन को अच्छा बनाने के लिये उसके लिये एक कोन्शियसनेस होनी चाहिये। मैंने पिछली मर्तबा पूछा कि इनमें कमी करेंगे तो कहा कि नहीं करेंगे। यहां पर प्रोसिडिंग्स है उसको पढ़ ली जाय। मैंने पूछा कि मुंह से कहिये कि कोई टेक्सेशन में बदला होगा या नहीं तो मुझे कहा गया कि नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह आया। मोटरों का सारी स्टेट्स में यह काम होता है, लोगों को रोजी मिलती है लेकिन आप देखिये कि यहां पर डेढ गुना टैक्स लगा रखा है। मोटर विहिकल एक इन्डस्ट्री की तरह काम करती है। दूसरे टैक्सेज की तरह इसको करेंगे तो इस प्रकार की चर्चा चलने लगी है कि एक तरह के टक्स होने चाहिये। यहां निश्चित रूप से डेढ गुना टेक्स है। उनकी गाड़ियां बिक जाती हैं, वे इतना पैदा नहीं कर सकते। चूंकि गाड़ियां ले रखी हैं, अनइकोनोमिकली चलती हैं तो दिवाला निकल जाता है। नसीराबाद इस इन्डस्ट्री के लिये मशहूर है। आपने अदालतों में सड़ी हुई मोटरें देखी होंगी। क्यों नीलाम हो रही हैं? इसलिये नीलाम हो रही है कि टैक्स नहीं पे कर सकते। ऐसी सूरत में इसको व्यवस्थित करना चाहिये। यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की नहीं है। यह तो फाइनेन्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और फाइनेन्स मिनिस्टर को जवाब देना चाहिये। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब आप पंजाब से भी डेढ गुना ज्यादा लेते हो। एक आदमी को मेरा खयाल है कि ६००) रु. इन्टरनल टैक्स के देने पड़ते हैं। चाहे उसकी गाड़ी खड़ी रहे। उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बाहर के प्रोपेगेन्डा को लेकर टैक्स घटायें तो यहां से निकल कर जाते हैं। आपको यहां की इन्डस्ट्री के लिये कोई फिक्र नहीं है। रिडक्शन करते हैं एक बात के लिये। बाहर की गवर्नमेंट आपको दबा रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को शिकायत हुई और उसने दबाया और उसमें आप यह टैक्सेज घटाते हैं। उनके मालिक

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

और हिमायती मौजूद हैं। उनकी सुननी पड़ती है। जवान नहीं होती इस तरह से टैक्सेज से हैवीली मोटरव्हिकल्स इन्डस्ट्री को दवा रखा है। ट्रान्सपोर्ट को बढ़ावा होना चाहिये। क्या आपने दिया ? उसको इससे आपने खत्म कर दिया। मैं जनरल ढंग से कहता हूं कि जो रेट्स वहां रखी हैं, यहां वालों को रिडक्शन नहीं दिया चीफ मिनिस्टर ने कोई आश्वासन दियां फिर भी शिकायत रह गयी। उसको सरकार दूर करे।

इस विल में यह रखा है कि टेक्सेशन की वचत करके लोग भाग जाते हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूं। लोग मिल मिला कर टैक्सेज की चोरी करते हैं। उसके लिये प्रोविजन रखा है। उसके लिये ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी की जिम्मेवारी बढी है। वे कह देते हैं, वात नहीं कर सकते, उसके लिये सदन इस विल के जरिये अधिकार देता है कि उन लोगों को पूछ सके उनके कागज देख सके। रोकने का अधिकार नहीं था इसलिये इसके जरिये उनको रोक भी सकें। इसका मैं स्वागत करता हूं।

दूसरी वात, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहव की इस स्पिरिट की दाद देता हूं। सरकारी टैक्सेज को वसूल करने का सवाल आता है तो इसके लिये पावर्स है, वे इतना वढा कर देते हैं कि इलेक्शन में जरूरी है तो पकड़ लेंगे और चौकी पर लेजावेंगे- और मर्जी होगी तो पांच सौ रुपये के मुचलके पर छोडेंगे। प्राइवेट नोन ट्रान्सपोर्ट मोटरे हैं उन पर भी सरकार ने अमेन्डमेन्ट मान लिया है। वाहर की गाड़ियों के लिये नहीं है, वाहर की गाड़ियां यहां रजिस्टर्ड हैं, नोन ट्रान्सपोर्ट हैं उसमें लोग चलते हैं। जनरल ढंग से पावर लेने की कोशिश करके इसको सरकार लायी है। इसमें मेरा संशोधन इस प्रकाक हैं :

"Provided futher that the provision of subsection (2) shall not apply to the non--transport vehicles registered in Rajsthan,"

मैं शुक्र गुजार हूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहव का कि उन्होंने इस अमेन्डमेन्ट के जरिये कार वालों को हैरासमेन्ट से वचाया हैं।

श्री चन्दनमल वैद : नसीरावाद से आये माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट उठाया है और जो संशोधन रखा है मैं उसको स्वीकार करता हूं। सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने जो पोइन्ट्स रखे हैं उनके लिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, वे मुझे क्षमा करेंगे। निम्वाहेड़ा से आये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा निवेदन करना यह है कि आपको क्या आपत्ति है ? इतना हो जाय क्लेरिफिकेशन।

श्री उपाध्यक्ष : Should I consider it withdrawn ?

श्री अब्दुल जब्बार : मुझे वता दें कि उसको एक्सप्रेप्ट करने में क्या नुकसान है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २ में माननीय श्री अब्दुल जब्बार ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २ में माननीय श्री ज्वाला प्रसाद जी ने रखा है क्लॉज २ में उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(६.०० म. प.)

प्रश्न यह है कि यथा संशोधित क्लाज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी ।

(विराम)

क्लॉज ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ५ और ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ और ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज पांच और छः विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कोई स्थगत प्रस्तावों पर स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मंत्री) : "राजस्थान पत्रिका" के बारे में तो अनुसंधान जारी है ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में होंगे । आज नहीं । क्लॉज ४ । श्री अब्दुल जब्बार ।

(इस खण्ड पर निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ) ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : Part 3 of the clause be replaced by the following :— "in item 4, the expression" No tax will be charged for days of halt, on which the vehicles will not ply on any road" shall be replaced by the expression

(श्री अब्दुल जब्बार)

"No tax will be charged if the halt is due to some accident".]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ पर मेरा संशोधन है। ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या सरकार आगे भी यही चाहती है कि हड़ताल हो, रोजाना नारे लगें और इस बात की कोशिश हो कि ट्रकें नहीं चलें ?

अच्छा है, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो इन्कलाब जल्दी आवेगा।

इसमें साफ लिखा है कि

'In item 4, the expression "No tax will be charged for days of halt on which the vehictes will not ply on any road" shall be omitted. अब सवाल यह आता है कि जब कि एक प्रोसीजर है, रूल्स है। कोई भी व्यक्ति अगर मोटर नहीं चलाता है तो कागज सरेण्डर कर देता है। तो इस आधार पर इसकी क्या आवश्यकता है।

अगर एक्सीडेन्ट के आधार पर पड़ी रहे तो इसका प्रबन्ध होना चाहिए। कोई ट्रक मालिक यह नहीं चाहता कि उसकी ट्रक बिना चले पड़ी रहे और जब तक कागज सरेण्डर न किये गये हों, तब तक यही माना जावे कि गाड़ी चल रही है। तो इसमें मेरे संशोधन को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है। रीजन बतावें। पहले का भी रीजन नहीं बताया।

मेरा संशोधन है :

Para 3 of the clause be replaced by the following:-

"In item 4, the expression 'No tax' will be charged for days of halt on which the vehicles will not ply on any road" shall be replaced by the expression No tax will be charged if the halt is due to some accident"

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, माफ करेंगे माननीय सदस्य मुझे कि मैं उनका संशोधन मानने में असमर्थ हूँ। उन्होंने शायद पार्ट ३ के पैरा को समझने की कोशिश नहीं की है। हम खुन भी इसको डिलीट कर रहे हैं कि :

"Nc tax will be charged for days of halt on which the vehicles will ply on any road.

पर आप कह रहे हैं कि इसको डिलीट कर के उसके स्थान पर यह रक्खा जावे। तो जहां तक डिलीट करने का प्रश्न है, वहां तक आधा संशोधन ५० पर्सेन्ट आपका मान लिया गया है।

दूसरी बात जो इसकी जगह दूसरा क्लाबा रखने की कही है "No tax will be charged if the halt is due to some accident."

तो एक्सीडेन्ट के कारण जो समय लगेगा वह ७ दिन में नहीं गिना जावेगा। यह उनके लिए है जो राजस्थान के बाहर की गाड़िया राजस्थान में आती हैं। उन पर पहले टैक्स प्रति दिन के बेसिस पर

लगता था, अब हफ्ते के बेसिस पर कर दिया है। अगर एक्सीडेन्ट की बात मानलेते हैं तो उसका हिसाब रखना मुश्किल हो जावेगा और टैक्स का लीकेज होगा। लीकेज को रोकने के लिए तो हमने यह किया है। हर गाड़ी के पीछे तो ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर लगा नहीं रह सकेगा। इसलिए यह हिस्सा माना नहीं जा सकता आपके संशोधन का।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने यह भी देखा कि क्या कारण है इस ट्रक के रुकने का। वे कमाई के लिए आते हैं। आराम के लिए नहीं। एक्सीडेन्ट या ऐसा ही अन्य कारण हुए बिना वह नहीं रुकेगा। आपको नहीं मालूम हो तो वह शहादत दे सकता है। आपकी चैक पोस्टें बनी हुई हैं। इसके बिना आज लाखों की चोरियां हो रही हैं टैक्स की। आप मध्यप्रदेश के बोर्डर पर जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री अब्दुल जब्बार ने रखा है वह स्वीकृत किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज १, नियमन सिद्धान्त, प्रस्तावना आदि।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, नियमन सिद्धांत, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, नियमन सिद्धान्त, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका किसी खास कारण पर विरोध करता हूँ। सदन का समय बहुत हो गया है। बाकी का भाषण मैं कल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चार पांच लाइन बोल दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कल बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ९.९ बजे शुक्रवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५७ का उत्तर देखिये)

सवाई माधोपुर जिले के राजनैतिक पीड़ित के बारे में सूचना

क्रमांक	नाम राजनैतिक पीड़ित	आधार जिस पर राजनैतिक पीड़ित माने गये
(१)	श्री ओंकारसिंह	सन् १६२० से श्री ओंकारसिंह राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेता रहा है। समय-समय पर राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लेकर कारावास का दण्ड भी भोगा है।
(२)	श्री किशनप्रसाद भटनागर	श्री भटनागर कम्पाउन्डर का काम करते थे राजनैतिक गतिविधियों के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।
(३)	श्री मुरारीलाल	सन् १६३६ से श्री मुरारीलाल ने राजनैतिक आन्दोलनों में कार्य किया था तथा सन् १६४२ में उन्हें अजमेर जेल में बन्द रखा गया।

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

दौसा में कॉलेज के लिये भवन

१६८. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दौसा में कॉलेज के लिए जमीन प्राप्त करली गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि जनता की तरफ से कॉलेज के लिए पचास हजार रुपये भी जमा कराये जा चुके हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दौरे के समय दौसा में मुख्य मंत्री ने वहां कॉलेज खोलने का आश्वासन जनता को दिया था ?

(४) अब तक वहां कॉलेज नहीं खोले जा सकने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जमीन प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही उप–जिलाधिकारी, दौसा द्वारा की जा रही है ।

(२) २५,०००) रु० भूमि अवाप्ति हेतु कनवीनर, टाउन इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट दौसा से प्राप्त हुए थे ।

(३) आश्वासन देने की जानकारी नहीं है । दौसा में पहिले से ही कॉलेज चल रहा है ।

(४) दौसा में एक राजकीय महाविद्यालय चल रहा है ।

राज्य में दुग्ध वितरण योजनाएं

१६९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में राजकीय दुग्ध वितरण योजना कहां कहां चलाई जाती है और इस पर कुल कितना रुपया अब तक खर्च किया गया है ?

(२) इस योजना से वार्षिक शुद्ध (नेट) लाभ कितना रहा है ?

उत्तर

(१) राजकीय दुग्ध वितरण योजना केवल जयपुर में ही चलाई जाती है । इस पर कुल खर्चा ५०.४८ लाख रुपये हुआ है ।

(२) इस योजना को अब तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान घोषित नहीं किया गया है, अतः व्यवसायिक पद्धति के अनुसार आंकड़े नहीं लगाये जाते हैं और शुद्ध लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सातवीं कक्षा के लिये छात्रों को पुस्तक की उपलब्धि

१७०. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष कक्षा ७ वीं के कोर्स में एक नई पुस्तक "दीपक रीडर" शामिल की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पुस्तक अभी तक बाजारों में उपलब्ध नहीं है ?

(३) उक्त पुस्तक को कोर्स में शामिल किये जाने की क्या आवश्यकता थी ?

(४) छात्र-छात्राओं को यह पुस्तक शीघ्र मिल सके इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, कक्षा ७ में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिये, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, बम्बई, द्वारा प्रकाशित दीपक रीडर भाग २ को मान्यता प्रदान की गई है।

(२) प्रकाशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस पुस्तक (दीपक रीडर, भाग २) की उपलब्धि के लिये प्रबन्ध कर दिया गया है।

(३) उक्त पुस्तक को अंग्रेजी भाषा को रचनात्मक पद्धति (Structural Method से पढ़ाने के लिये, कोर्स में शामिल किया गया है।

(४) मण्डल का कार्यालय पाठशालाओं तथा प्रकाशकों से निरंतर सम्पर्क बनाये हुए है, और जहां कहीं भी जिस किसी भी पुस्तक की मांग होती है संबंधित प्रकाशक को उसकी सूचना दे दी जाती है।

जिला परिषद् झुंझुनूं को आवंटित कोटा

१७१. **श्रीमती सुमित्रा** (झुन्झुनू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) सन् १९६१ से लेकर सन् १९६६ के अगस्त मास तक हर महीने जिला परिषद् झुन्झुनूं को कितना कोटा राज्य सरकार से सीमेन्ट और टीनों का दिया गया ? इस कोटे के महीने वाइज वितरण के आंकड़े देने की कृपा करें।

(२) क्या यह बात सही है कि पंचायत समितियों के बजाय यह कोटा जिला परिषद् झुन्झुनूं सीधा उपभोक्ताओं को दे देती है ?

(३) क्या अन्य जिलों में भी यही व्यवस्था है ?

उत्तर

(१) सन् १९६१ से लेकर १९६६ के अगस्त मास तक झुन्झुनूं जिले को ५२८ टन नालीदार चद्दरों का कोटा अलॉट किया गया। लोहे का कृषि कोटा प्रति मास अलॉटमेंट नहीं किया जाता है अपितु इसका अलॉटमेन्ट पहले अर्द्ध-वार्षिक होता था परन्तु गत वर्ष से यह वार्षिक होता है। वितरण के माह वार आंकड़ों की सूचना स्टाकिस्टों से मांगी जा रही है।

(श्री कृषि मंत्री)

कृषि के लिए सीमेन्ट का वितरण दिसम्बर, १९६५ तक उद्योग एवं रसद विभाग द्वारा किया जाता था अतः इसके आंकड़े कृषि विभाग के पास नहीं हैं तथा पहली जनवरी, १९६६ से सीमेन्ट पर से कन्ट्रोल हटा दिया गया है।

(२) इसके लिये सूचना जिला परिषद् से प्राप्त की जा रही है।

(३) अन्य जिलों में नालीदार चद्दरों का वितरण जिला परिषद् द्वारा किया जाता है। दूसरे सभी प्रकार के लोहे का माल आधा फेब्रीकेटरों को दिया जाता है और आधा पंचायत समिति की मारफत वितरण किया जाता है।

उच्च विद्यालय रामगंज मंडी में कामर्स क्लास खोलने की मांग

१७२. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उच्च विद्यालय रामगंज मण्डी द्वारा सरकार से कामर्स क्लास खोलने की मांग की गई है व कमरे के निर्माण हेतु स्थानीय एस० डी० ओ० के संरक्षण में ३७,५००) रु० बैंक में जमा भी करवा दिये हैं ?

(२) राजस्थान में ऐसे कितने उच्च विद्यालय हैं जिनमें साइन्स व कामर्स की क्लासें साथ-साथ चल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा ऐसे कितने उच्च विद्यालय हैं जिनमें साइंस या कामर्स सेक्शन में से एक के होते हुए भी दूसरा इसी साल खोला गया है ? कृपया नाम बताने की कृपा करें।

(३) किसी स्थान पर कामर्स सेक्शन खोलने के लिए सरकार किन-किन बातों पर ध्यान देती है और क्या रामगंज मण्डी उच्च विद्यालय सरकार के निर्धारित पैमाने में नहीं आता है ? कृपया रामगंज मण्डी में कामर्स सेक्शन नहीं खोलने के कारण बतावें।

उत्तर

(१) गत वर्ष मांग की गई थी और एस० डी० ओ० के संरक्षण में स्कूल भवन निर्माण हेतु ३७,५००) रु० जमा है। जिसमें से ५०००) इस साल बायलोजी खोलने को शिक्षा विभाग को दे दिये गये हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) वाणिज्य विषय खोलने पर मोटे तौर पर निम्न बातों का होना आवश्यक है—

(१) कम से कम २५ छात्र हों।

(२) भवन व्यवस्था उपलब्ध हो।

(३) टाइप राइटर्स जनता द्वारा उपलब्ध हों।

रामगंज मंडी में कामर्स खोलने के प्रस्ताव इस वर्ष प्राप्त नहीं हुये और न ही भवन की व्यवस्था जनता द्वारा की गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनाज पहुँचाने की व्यवस्था, जिला बांसवाड़ा

१७३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिये इस वर्ष में अब तक कितना अनाज पहुँचाया गया है ?

(२) अनाज को रेल्वे स्टेशनों से दुकानों तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि उप जिला कुशलगढ़ के क्षेत्र का अनाज रेल्वे स्टेशन उदयगढ़ पर बरसात में भीग कर खराब हो गया था ? यदि हां, तो कितना अनाज और अनाज के खराब होने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(४) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार को ट्रकों द्वारा रेल्वे स्टेशनों से अनाज दुकानों तक पहुंचाने का ठेका दिया गया था उसने समय पर अनाज नहीं पहुंचाया और इस कारण लोगों को चार-चार दिन तक अनाज के बिना रहना पड़ता था ?

(५) क्या इस ठेकेदार को पहले भी कभी अनाज ढोने का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पहले भी इसने अपना काम सही ढंग से नहीं किया था ? यदि हां, तो इसे दुबारा ठेका क्यों दिया गया ?

(६) क्या इस ठेकेदार के साथ कोई एग्रीमेन्ट हुआ था ? यदि हां, तो क्या ठेके की शर्तों के अनुसार इससे नुकसान की कोई रकम वसूल की गई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अकाल पीड़ित क्षेत्र में जनवरी ६६ से अब तक १०६२८ टन अनाज पहुँचाया गया है।

(२) ट्रकों द्वारा पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।

(३) रेलवे स्टेशन पर अनाज खराब नहीं हुआ बल्कि केवल ३८ बोरी अनाज खुले वैगन व टपकती हुई छत के वैगन में आने के कारण खराब हुआ जिसकी जिम्मेवारी रेलवे पर है।

जी नहीं। रेलवे स्टेशन से जिस ठेकेदार को ट्रकों से माल पहुंचाने का ठेका दिया गया वह समय पर पहुंचा दिया जाता था।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां। नुकसान नहीं होने से रकम वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में आयातित गेहूं

१७५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य में अमरीकन व आस्ट्रेलियन गेहूं पिछले १ वर्ष में कितना कितना वितरण हेतु आया और उसमें से कितना वितरित किया गया ?

(२) इस आयात किये हुए गेहूं को राज्य सरकार को केन्द्र को क्या दाम देना पड़ता है ? और केन्द्र सरकार अमरीका व आस्ट्रेलिया से किस भाव पाती है ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(३) क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं से लागत से ३ गुना कीमत ली जा रही है ? अगर हां, तो क्या लाभांश राज्य सरकार अपने पास रखती रही है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से इसकी लागत की कीमत पूछने की कोशिश कभी की ? अगर हां, तो कब-कब और क्या उत्तर मिला और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१–विदेशी गेहूं भारत सरकार से राज्य सरकार को माह जुलाई, ६५ से अगस्त, ६६ तक ३,५२, ६२६ टन वितरण हेतु आया। जिसमें से लगभग ३, २४, ६८६ टन अगस्त ६६ के अन्त तक वितरण किया गया।

२–राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आयातित गेहूं का १–४–६५ से ३१-१०-६५ तक ४८/- रुपये प्रति क्वि० के भाव से तथा १-११-६५ से ३१-८-६६ तक ५०/– रुपये प्रति क्विन्टल दिया। केन्द्रीय सरकार अमरीका व आस्ट्रेलिया से किस भाव पाती है राज्य सरकार को मालूम नहीं है। यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

३– जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

४–जी नहीं लागत की कीमत पूछने की राज्य सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की कीमतें निर्धारित करने के नियम

१७६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की कीमत निर्धारित करने के नियम क्या हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कीमत निर्धारित करते समय मण्डल प्रशासकीय खर्च इसमें जोड़ता है ?

(३) यदि हां, तो कितने प्रतिशत प्रशासकीय खर्च कीमतों में जोड़ा जाता है ?

(४) वास्तविक प्रशासनिक खर्च कितना बैठता है ?

उत्तर

१– राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की कीमत निर्धारित करते समय जिन खर्चों का ध्यान रखा जाता है उनका विवरण संलग्न प्रोफार्मा में है।

२– जी, हां।

३– ७॥ प्रतिशत प्रशासकीय खर्चा कीमतों में जोड़ा जाता है।

४– गत पांच वर्षों में निम्नांकित प्रशासकीय खर्चा हुआ है:–

वर्ष	प्रशासनिक व्यय
१९६१-६२	१,४६,६५६-००
१९६२-६३	१,४७,५५०-००
१९६३-६४	१,६४,१९६-००
१९६४-६५	१,७१,०७३-००
१९६५-६६	१,७२,९२०-००
कुल रुपये	८,०३,३९५-००

राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का मूल्य निर्धारण पत्र

(१) छपाई का खर्चा

(२) कागज की कीमत

(३) पाण्डुलिपि लेखक का पारिश्रमिक

(४) पाण्डुलिपि समीक्षक का पारिश्रमिक

(५) प्रूफ शोधक का पारिश्रमिक

(६) चित्रकार का पारिश्रमिक

(७) ब्लाकों की कीमत

(८) यातायात व्यय

(९) गोदाम का किराया

(१०) प्रशासनिक व्यय....७॥ प्रतिशत

(११) संभावित हानियां....२॥ प्रतिशत

(अ) यातायात में हानि

(ब) दीमकों आदि द्वारा नष्ट पुस्तकें

(स) न बिकने वाली पुस्तकों के या पुस्तकों में परिवर्तन होने के कारण स्टॉक में पड़ी रहना।

(१२) पुस्तक विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन १५ प्रतिशत व वितरण व्यवस्था का खर्च २॥ प्रतिशत।

घग्घर की बाढ़ सम्बन्धी योजना

१७७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हर साल घग्घर की बाढ़ के पानी से गंगानगर जिले के विशेषकर हनुमानगढ तहसील के बहुत से गांव डूब जाते हैं और फसल को भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो इस पानी का सही तौर से उपयोग किया जाय, इसके लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां तो वह क्या है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या इस पानी को चूरू व नागोर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र को नहीं दिया जा सकता ?

(३) क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बनाने का विचार रखती है और क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को आगाह किया गया है तथा क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को शामिल करवाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि हर साल घग्घर की बाढ़ के पानी से गंगानगर जिले के विशेषकर हनुमानगढ़ तहसील के बहुत से गांव डूब जाते हैं लेकिन यह सही है कि जब बाढ़ अधिक तेजी से आती है तो काफी जमीन पर पानी फैल जाता है जिससे कभी कभी फसल को यदि उस जमीन पर बोई हुई हो तो नुकसान भी होता है लेकिन रबी की फसल काफी अच्छी हो जाती है। इस बाढ़ नियन्त्रण के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत ४ करोड़ २२ लाख रुपया है और यह योजना जून सन् १९६७ तक पूरी हो जायेगी। जिससे आइन्दा बाढ़ से नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं रहेगा।

(२) जी हां, जिसे करना अव्यवहारिक एवं खर्चीला होगा।

(३) यद्यपि चूरू व नागौर जिले में इस पानी को देने की कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है लेकिन बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से नोहर फीडर के नाम की एक योजना सरकार ने बनाई है जिस पर लागत ६ करोड़ १८ लाख रु० की लगेगी और इस योजना के अन्तर्गत ओटू से पानी आयेगा और इस तरह Flood moderation में सहायता मिलेगी।

बून्दी हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े गये छात्रों का परीक्षा फल

१७८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बून्दी के हायर सैकेन्डरी स्कूल में सन् ६५-६६ में परीक्षा के समय नकल करते हुए कुछ लड़के पकड़े गये थे ? अगर हां, तो कितने ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया था? अगर हां, तो कितने विद्यार्थियों को?

(३) क्या यह सही है कि उक्त निष्कासित विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई थी? अगर हां, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि बोर्ड के अधिकारियों को बून्दी से तार द्वारा सूचना दी गई थी कि स्कूल के अध्यापकों की राय से परीक्षा में विद्यार्थियों को नकलें करने की छूट दीगई है? अगर हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई?

(५) क्या यह सही है कि स्कूलके प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के सम्बन्ध में इस बारे में जांच करवाई गई थी? अगर हां, तो किसके द्वारा व उसका क्या परिणाम रहा?

(६) क्या यह सही है कि कई विद्यार्थियों के परिणाम घोषित करने से रोक दिए गये थे? अगर हां, तो कितने विद्यार्थियों के?

(७) क्या यह सही है कि बाद में कुछ विद्यार्थियों के परिणाम, जो रोक दिए गये थे, घोषित किये गए? अगर हां, तो तो क्यों? और घोषित परिणामों की उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी रही?

(८) अभी कितने विद्यार्थियों के परिणाम घोषित क्यों नहीं किए?

उत्तर

१. जी हां, ६ छात्र पकड़े गए थे।

२. परीक्षा काल में किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं किया गया।

३. अधिकांश छात्रों पर नकल करने का संदेह था अतः केन्द्र के सम्पूर्ण छात्रों को १६ मार्च तक के सारे प्रश्न पत्रों में दुबारा सम्मिलित होने के लिए लिखा गया था, परन्तु अधिकांश इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः पुनः परीक्षा नहीं ली गई।

४. जी नहीं।

५. हायर सैकेन्ड्री बोर्ड द्वारा मनोनीत व्यक्ति व उप निरीक्षक, शिक्षा विभाग, उदयपुर द्वारा जांच की आज्ञा जारी की गई है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

६. २४५ हायर सैकेन्ड्री परीक्षा तथा १३४ सैकेन्ड्री स्कूल परीक्षा के छात्रों के परिणाम रोके गये थे।

७. जी हां। उन सब छात्रों के उत्तर पुस्तकों की दुबारा जांच कराई गई। दुबारा जांच करने पर जिन छात्रों के खिलाफ नकल करने का पूरा प्रमाण नहीं पाया था उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया जिनकी संख्या इस प्रकार है—

हायर सैकेन्ड्री परीक्षा—	उत्तीर्ण	३३
	अनुत्तीर्ण	२८
सैकेन्ड्री परीक्षा	उत्तीर्ण	१५
	अनुत्तीर्ण	२६

(श्री शिक्षामंत्री)

८. १८४ हायर सैकेन्ड्री के व १४३ सैकेन्ड्री स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों का नकल करना पाया गया इसलिए उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई और इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को भेज दी गई तथा अखबारों में भी घोषित कर दी गई क्योंकि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप सही पाये गये और उनके उत्तरों से यह संतोष नहीं हो सका कि इन्होंने नकल नहीं की थी। कुछ छात्रों ने मान भी लिया कि बूंदी परीक्षा केन्द्र पर आम तौर पर नकल की गई।

गांव महेसरा खुर्द का बांध

१७६. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील दौसा के गांव महेसरा खुर्द में स्टेट के जमाने का पुराना बांध था और उससे आस पास के गांवों में पिलाई होती थी और कुओं में भी पानी रहता था ?

(२) क्या यह सही है कि वह बांध टूट गया था ?

(३) क्या यह सही है कि इसको बन्धवाने के लिए सर्वे हो चुकी है परन्तु अब तक यह बांध नहीं बन्धा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां।

३. सर्वे अवश्य हो चुकी है किन्तु पुराने बांध की पाल की मिट्टी खराब होने के कारण इसका जीर्णोद्धार तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं समझा गया है।

पंचायत समिति सांचोर द्वारा प्राथमिक पाठशाला खोलने की मांग

१८०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर ने पांच प्राथमिक पाठशालाओं के लिए संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा काफी अरसे पहले मंजूरी मांगी थी ? अगर हां, तो अब तक मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ?

(२) अब उन पाठशालाओं के खोलने की मंजूरी शिक्षा विभाग द्वारा कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ६५-६६ में नवीन प्राथमिक शालाऐं चालू करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था।

(२) अगले वर्ष इन शालाओं का ध्यान रखा जावेगा और जितने स्कूलों के खुलने का प्रावधान होगा उसमें मेरिट के आधार पर इनकी भी जांच की जावेगी यदि यहां का नम्बर आयेगा तो जहां संभव होगा स्कूल खोलने का प्रयत्न किया जायेगा।

पंचायत समिति, सांचोर के लिये ट्रेक्टर्स के लिये ऋण

१८१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर ने कृषि विभाग से पांच ट्रेक्टर्स के लिए ऋण मांगा है ? अगर हां, तो ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के पास कब आया था ? तथा पंचायत समिति, सांचोर द्वारा प्रस्ताव कब पारित किया गया था ?

(२) ऐसा ऋण उपरोक्त पंचायत समिति को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) ट्रेक्टर ऋण पंचायत समिति सांचोर को कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) अभी इस विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्डौन में कॉलेज

१८२. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन–सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार हिन्डौन की जनसंख्या व विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए हिन्डौन हाई स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

वर्तमान में सरकार की यह नीति है कि पहले प्रत्येक जिले में एक ही कालेज खोलना है। सवाई माधोपुर जिले में करौली में एक कालेज है जो हिन्डौन से करीब २० मील की दूरी पर है अत: हिन्डौन में अभी कालेज खोलना सम्भव नहीं है।

उदयपुर नौ-लखा महल

१८४. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में गुलाब बाग (समीर बाग) में जो नौ-लखा महल है वह ऐतिहासिक महत्व का है ?

(२) क्या यह सही है कि इस महल में आबकारी विभाग का कार्यालय चल रहा है ?

(३) क्या सरकार इस ऐतिहासिक महत्व के महल को पुरातत्व विभाग के अधीन लेकर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। गुलाब बाग में नौलखा महल स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व, स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस महल में निवास से है। यहां पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की परन्तु इसका कोई भी अवशेष नहीं रहा।

(२) जी हां। इसमें आबकारी आदि विभाग का कार्यालय चल रहा है।

(३) जी नहीं, इसमें अब कोई ऐतिहासिक महत्व की वस्तु नहीं है। इसलिए इस महल को स्मारक रूप में सुरक्षित घोषित करना उचित नहीं समझा जाता।

परिशिष्ट ३

(श्रम मन्त्री द्वारा सदन की मेज पर रखी गई सूची)

The list of defaulting establishments for which prosecution orders have been issued under payment of bonus Act.

AJMER REGION.

1. Vedic Yantralaya, Ajmer.
2. Shri Ganesh Iron Factory, Ajmer.
3. Kishan Iron & Steel Foundry, Ajmer.
4. New Mejestic Talkies, Ajmer.
5. The Beawar Wool Pressing Co., Beawar.
6. Ganesh Cotton Ginning Factory, Beawar.
7. Mahalaxmi Mills Pressing & Ginning Factory, Beawar.
8. Edward Mills Ginning Factory, Beawar.
9. New Cotton Wool Pressing Factory, Beawar.
10. Hydrolic Cotton Press Company, Beawar.
11. Manohar Printing Press, Beawar.
12. Mahavir Printing Press, Beawar.
13. Mazdoor Hath Kargha Utpadak Sahakari Samiti, Kishangarh.
14. Babeti Hath Kargha Utpadak Kendra, Kishangarh.

15. Kishangarh Hath Kargha Sahakari Samiti, Kishangarh.
16. Shri Mahesh Industries, Kishangarh.
17. Kekri Cooperative Marketing Society, Kekri.
18. Shri Vijai Cotton Mills, Bijainagar.
19. Shri Bijai Laxmi Industries, Bijainagar.
20. Pilani Industrial Corporation, Pilani.
21. Shri Bijai Sahakari Handloom Society, Bijainagar.
22. Kisan Majdoor Sahakari Samiti, Bhadeo (Bhilwara).
23. Gulabpur Cotton Ginning and Pressing Co-op. Society, Gulabpur.
24. R. B. Seth Moolchand Nemichand Pvt. Ltd., Mandalgarh.
25. Abhai Kumar Jain, Mandal.
26. Raila Industrial Coop. Ltd. Raila Road, Bhilwara.
27. Satyanarain Madanlal Bidi Foctory, Shahpura.
28. Jai Singh Bidi Factory, Shahpura.
29. Manak Bidi Factory, Gulabpura.
30. Parasram Loolaram Bidi Factory, Shahpura.
31. Baldeo Cotton Ginning Factory, Gangapur.
32. Mansinghka Expert Co., Bhilwara.

BIKANER REGION.

33. Barbari Lal Nath Ram Sachdev, Bikaner
34. Mohata Ayurvedic Rasayan Shala, Station, Road, Bikaner.
35. Maheshwari Oil Mills, Ganganagar.
36. Periwal Cotton Ginning Factory, Sriganganagar.
37. Nagauri Flour & Ginning Factory, Sriganganagar.
38. Shri Sanwaldas Madhodas, Ganganagar.
39. Mahadev Oil, Floor, Dal, Cotton Ginning Factory.
40. Shri Vijainagar Industry.

JAIPUR REGION.

41. Polo Victory Cinema, Jaipur.
42. Saranjam Karyalaya, Gangori Bazar, Jaipur.
43. Diamond Printing Press, Jaipur.
44. Azad Bidi Workers Coop. Society, Bundi.

UDAIPUR REGION.

45. Associated Soapstone Factory, Udaipur.
46. Bishab Chatar Ginning Factory, Fatehnagar.
47. Central Cooperative Bank, Bhilwara.
48. Lalchand Tirath Dass, Ajmer.
49. Krishna Mills, Beawar.

50. Mahalaxmi Mills, Beawar.

51. Edward Mills Co., Beawar.

52. Dholpur Glass Works, Dholpur.

53. Sainik Motors, Jodhpur.

54. Shri Meghwal Bunkar Sahakari Samiti, Kishangarh.

55. Ganganagar Roadways.

56. Moti Metal Industries, Bhilwara.

57. Raj Metal Works, Bhilwara.

58. Plaza Talkies, Ajmer.

59. Motor Workers Coop. Society, Bundi.

60. National Weaving Industries, Jodhpur.

61. Raj Law Weekly, Jodhpur.

62. Birla Marketing Society, Bilara.

63. Marwar Textile Works, Jodhpur.

64. Mathania Vastra Utpadak Sahakari Samiti.

65. Sumerpur Hath Kargha Vastra Utpadak Samiti.

66. Raghunandan Industries, Makrana.

67. Raj Oil Mills & Ginning Factory, Mandi Ramganj.

68. Bagreeth Ginning Factory, Vallabhnagar.

69. Krishna Oil Mills Factory, Ramganjmandi.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	४	गुरु वार	गुरुवार,
,,	अन्तिम से १०	(लूनकरणसर)	(लूणकरणसर) :
२	६	डांगी)	डांगी) :
३	शीर्ष	जुझासिह	जुझारसिंह
,,	७	लचरेवल	ल्चरेवल
५	५	होग	होगा
,,	६	(आसपुर)	(आसपुर) :
,,	१७	कि	को
६	११	भारत भी	भारत सरकार भी
,,	१३	सर्व	सर्वे
,,	६	हस्तान्तारित	हस्तान्तरित
,,	११	पाडितों	पीडितों
,,	५	है ।	है :-
,,	४	श्री	(१) श्री
,,	३	पेंशन	पेंशन ।
८	१	श्री	(३) श्री
,,	२	पेंशन	पेंशन,
,,	१६	मरेरणा	मदेरणा
,,	२०	लिला । समम	लिया । समय
,,	२	प्रमाणित	प्रमाणित
९	५	श्रवणलाम	श्रवणलाल
,,	१२	सामान्य विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
,,	१४	स्वातन्त्रता के	स्वतन्त्रता
१०	अंतिम से ११	करेगे	करेंगे :-

१	२	३	४
,,	७	से ।	से ?
,,	अन्तिम से ४	इकट्टा	इकट्ठा
७ से ४२ तक	शीषर्क	सितम्बर	सितम्बर,
११	७	निमाण	निर्माण
,,	१२	कमेटा	कमेटी
१२	३	यीगेन्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
१३	१	: (अलवर)	(अलवर) :
,,	३	कमेटी को	कमेटी की सिफारिशों को
,,	अन्तिम से ११	मिटिंग	मीटिंग
,,	५	अग्रबाल	अग्रवाल :
,,	३	सिफारशों	सिफारिशों
१४	३	दौरार	दौरान
,,	५	उहके	उसके
१५	६	क के	करके
,,	१८	वे	वे
,,	२३	भीखाभाई	भीखाभाई :
,,	२५	उसकी	उसकी
१६	अन्तिम से ६	बिल्लुल	बिल्कुल
,,	५	समीझता	समझौता
१७	१६	नुकशान	नुकसान
,,	१७	भीखाभाई	भीखाभाई
,,	अन्तिम	कहां	कहां
१८	१	अन्तिरिम	अन्तरिम
,,	१०	इन्होने	इन्होंने
,,	अन्तिम से ६	स०	सं०
,,	८	१६०. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) द्वारा पूछा गया) :	१६०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) [श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] :

१	२	३	४
,,	२	ही	की
१६	शीर्ष	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडॉवत)	(श्री अब्दुलजब्बार खां)
,,	अन्तिम से ३	मे	में
२०	१६	फेर्मि	फॅमि-
,,	२४	मान	मान-
,,	२५	नीय	नीय
,,	अन्तिम से ५	सर	सर-
२१	६	वास्त	वास्त-
,,	१८	वुनि	वुनि-
,,	२२	लार्डस	लार्ड्स
२२	१	आचाय	आचार्य
,,	२	लेफि	लेफि-
,,	अन्तिम से १०	क्या	क्या
,,	२	कृपा वह	कृपया वह
२४	अन्तिम से ८	भं य क र	भयंकर
,,	२	व्यापारियो	व्यापारियों
२६	१३	क्या	क्या
,,	अन्तिम से ७	खाद्यनों	खाद्यान्नों
३०	१	से	से,
३१	१३	इस परियोजना	(विलपोप)
,,	१५	के लिए	इस परियोजना के लिए
३५	७	रार्मसिंहपुर	रायसिंहपुर
,,	११	तकमीने	तखमीने
४२	१०	बैंक	बैंक
४३	शीर्षक	६८	६६
४७	अन्तिम से ७	एडी	एडी-
,,	४	किर	फिर
४८	६	नम्रतापूवक	नम्रतापूर्वक
,,	१४	समा	सभा-

१	२	३	४
,,	२३	सुखा	सुखा-
,,	२५	पोस्ट	पोस्ट-
,,	२८	अख	अख-
५०	६	एडोटोरियल	एडीटोरियल
,,	अन्तिम से ८	(सोजत)	(सोजत) द्वारा पूछा गया
५१	२	६४ मुकावले	६४ के मुकावले
५५	२१	नोड्स	नीड्स
५६	१ व ७	हरिप्रसाद	हरिप्रसाद शर्मा
६१	अन्तिम से २	सतीश्चन्द	सतीशचन्द्र
६४	२	पाटी	पार्टी
६५	८	बम्बस	बम्बस
६६	१४ से अन्तिम	हर	पर
,,	अन्तिम से २	फम्से	फर्म्स
६७	शीर्णक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के ता. प्रश्नोतर
,,	८	एक्लोजिव	एक्सप्लोजिव
,,	अन्तिम से १३	प्रम्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६८	शीर्णक	अ. स. के. ता. प्रश्नत्तोर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से १४	अतारा कित प्रश्नोतर	अतारांकित प्रश्नोतर
६६	अन्तिम से ६	सिफ्ट	शिफ्ट
७१	३	आध्यपक	अध्यापक
७२	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोतर	ध्या. प्र. वस्थ. प्र. संबंधी व्यवस्था
७३	१	अनुपगढ	अनूपगढ
,,	६	सुचना	सूचना
७४	अन्तिम से ११	एडजोर्नमेन्ट	एडजोर्नमेंन्ट
८०	७	कोलोकाइजेशन	कोलोनाइजेशन
८६	अन्तिम से ५	हिन्दुतान	हिन्दुस्तान
८६	५	साइनवोर्डस	साइनवोर्डस
,,	अन्तिम से १४	में	मैं
६०	अन्तिम से २	है । पड़ता	पडता है ।
६१	२	वयवस्था	व्यवस्था

१	२	३	४
,,	१३	नइ	नई
९२	८ व ९	स्टैंडेड	स्टेन्डर्ड
९३	६	सनभता	समझता
,,	१७	कोइ	कोई
९६	११, १६, १८, २३ व २६	फाइनेशिदल	फाइनेन्सियल
९७	शीर्ष	रामानन्द	रामानन्द
,,	६	परातु	परन्तु
,,	अन्तिम से ४	राजव	राज्य
९८	१२, १३, १४,	गुट्ट	गुट
,,	१४	सूप्रीग	सुप्रीम
,,	२१	को	का
,,	२४	कमयाव	नाकामयाब
,,	२८	सूख	भूख
१०१	५	अगर बिजली	बिजली
,,	अन्तिम से ३	एगलायर्स	एम्प्लायर्स
१०२	७	इन्डस्ट्रिमल	इन्डस्ट्रियल
,,	१५	कौन्फेंस	कौन्फेंस
१०४	२१	प्रोटेक्ट	प्रोटेस्ट
,,	अन्तिम	कीं	के
१०५	३	संविधान	संविधान में
,,	अन्तिम से ८	एम्लॉईज	एम्प्लॉईज
१०७	४	ऐसेनिजि	निजी
१०८	१७	अतगीत	अन्तर्गत
,,	अन्तिम	प्रकार, से	सरकार से,
१०९	१३	रहें	रहे
,,	अन्तिम से ७	राजस्यान	राजस्थान
११०	६	पर्सेन्ट	पर्सेन्ट

१	२	३	४
११०	१८	वह कमु	वह मुक-
,,	अन्तिम से ४	है	हैं
,,	अन्तिम से २	वाद	वाद
१११	७	है.	हैं,
,,	११	है.	हैं,
११२	४	ज्वालाप्रसादजी	ज्वाला प्रसादजी
,,	६	हैं ।	है ।
,,	अन्तिम	गवनमेंट	गवर्नमेंट
११३	४	काग्रेस	कांग्रेस
,,	७	द्रसाद	प्रसाद
,,	८	ध्ध्रान	ध्यान
,,	२२	परसेंट	पर्सेन्ट
११४	२	शुरु	शुक्र
,,	५	पार्टी	पार्टी
,,	अन्तिम से ७	इन्डस्ट्रियल्न	इन्डल्ट्रियलिस्ट्स
,,	अन्तिम से ५	दुए	हुए
११५	३	सकती	सकतीं ।
,,	५	मजदूर	मजदूर,
११६	१५	कार्पोरेशन,	कर्पोरेशन
११७	५	स्पष्टीरण	स्पष्टीकरण
,,	१२	sir	Sir
,,	१६	करता	करना
११८	६	हैं	है
,,	१३	था ?	था ।
,,	१५	ख़ाते	खाते
११९	अन्तिम से ६	नगेन्द्रवाला	नगेन्द्रवाला
,,	६	भी	भी ४
,,	१६	आकंपित	आकंपित

१	२	३	४
१२३	४	आंपके	आपके
,,	६	कॉम्टिशन	कॉम्पीटीशन
,,	२०	कापून	कानून
,,	२६	फॅक्टरी	फॅक्टरी
,,	२८	अधि	अधि-
,,	३०	अकाउंटिग	अकाउंटिंग
१२५	३	अकाउंटिग	अकाउंटिंग
,,	अन्तिम से ३	प्रीविलज	प्रीविलेज
१२६	५	निर्णित	निर्णीत
,,	१३	सर्वोच्च	सर्वोच्च
,,	१५	को	का
१२७	अन्तिम से ६	भी भाई	भीखाभाई
१२८	अन्तिम से १२	विरुद्ध मुकदमें	विरुद्ध मुकदमे
,,	अन्तिम से १०	मुकदमें	मुकदमे
१२६	१३	संस्थाओं	संस्थानों
१३०	अन्तिम से ६	इलेक्ट्रिसिटि	इलेक्ट्रिसिटी
१३१	२	संस्थाओं	संस्थानों
,,	अन्तिम से ११	हो	हों।
,,	५	सिवा	सिवाय
,,	८	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
१३२	१४	मेजी	भेजी
,,	१७	इंउस्ट्रियल	इंडस्ट्रियल
,,	अन्तिम से ३	हो,	हों,
१३३	१२	डिस्पयूट्स	डिस्प्यूट्स
१३७	१३	मिधी	मिर्धा
१३८	१६	कोर्ट चले जांय	कोर्ट में चले जाय
,,	१८	थूराम	नाथूराम
,,	२४	स्टेजज	स्टेजेज
१३६	६	dy	by
,,	८	इम्लीमेंट	इम्प्लीमेंट

१	२	४	४
,,	१६	जांय।	जांय।
,,	१६	जांय	जाय
,,	अन्तिम से ५	महोदय	महोदय,
,,	अन्तिम	वेस्ट	वेस्ट
१४०	१३	वक्त	वक्त
,,	२१	खामखां	ख्वामाख्वाह्
,,	२४	में	मैं
१४१	१६	टावरिया	ढावरिया
,,	अन्तिम से ४	२१२	३१२
१४२	१	फिफटी	फिफ्टी
,,	६	राजस्यान	राजस्थान
,,	अन्तिम से १०	(शोरगुल अश्रव्य)	(शोरगुल-अश्रव्य)
,,	अन्तिम से ६	रामान्द	रामानन्द
,,	अन्तिम से ८	(शोरगुल अश्रव्य)	(शोरगुल अश्रव्य)
१४३	१०, १७	(शोरगूल घंटी अश्रव्य)	(शोरगुल–घंटी–अश्रव्य)
१४४	१२	(शोरगुल अश्रव्य)	(शोरगुल–अश्रव्य)
१४५	१३	वाक	वाक
,,	१७	(घंटी शोरगुल अश्रव्म)	(घंटी-शोरगुल-अश्रव्य)
१४७	४	हे	है
,,	अन्तिम से ४	सीमित	सीमित
१४६	अन्तिम	हीता	होता
१५०		वाद	बाद
१५२	८, ३०	मै	मैं
,,	११, १२	मेट्रीकुलेटस	मेट्रीकुलेट्स
,,	१८	मामा	मामा
,,	अन्तिम से ४	हू	हूं
१५४	२१	गए	गये
१५५	१६	यिया	दिया
१५६	१७	कुज	कुछ
१५७	१८, २२	रिटिंनग	रिटनिंग

१	२	३	४
१५८	७	यह्	यहां
,,	१८	इन्स्टींट्युशन्स	इन्स्टीट्युशन्स
१५६	५	हीं	ही
१६१	३	खर्सदने	खरीदने
,,	१६	ऋणवसूली	ऋणवसूली
१६२	अन्तिम से १	संकाए	शंकायें
१६७	अन्तिम से ७	समापति यह महोदय मे	समापति महोदय में यह
१५०	शीर्ष	वि०६६६६	वि० १६६६
,,	६	खाडर	खाकर
१७१	अन्तिम से १	हैं	है
,,	अन्तिम	पाटीं	पार्टी
१७७	अन्तिम से ७	हू	है
१७८	८	फा	का
१८०	२५	मीं	मी
१८१	६	श्री भेरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	अन्तिम से १०	मैरे	मेरे
१८५	३	छपाते	छिपाते
१८६	अन्तिम से ७	स्थित	स्थिति
१६३	अन्तिम से ६	हैंसियत	हैसियत
२०१	अन्तिम से ७	खंडेले	खंडेला
२०२	८	बठा	बैठा
,,	२१	अपली	अपीली
२०३	अन्तिम से १५	तज्जुव	ताज्जुब
२०५	१३	उपाध्य	उपाध्यक्ष
२०६	५	enquiries	enquiries
,,	१०	अधिकारी	अधिकार
,,	अन्तिम से ८	कलेरिफिकेशन	क्लैरिफिकेशन
,,	,, ,, ७	उपर	ऊपर
२१०	,, ,, १०	वनेड़ा	बनेड़ा

१	२	३	४
२१३	१५	कार्तवाही	कार्यवाही
,,	१८	दी	–
२१६	अन्तिम से १	मैं	में
२१८	,, ,, १	मैरे	मेरे
२२०	५	क्रिगा	किया
,,	अन्तिम से ६	पोर्शन	पोजीशन
,,	,,	जाता	जाती
२२१	अन्तिम से ११	तालुक	ताल्लुक
२२४	,, ,, १५	मैरा	मेरा
२२५	१	कर	कह
,,	१५	डिस्यश	डिस्कॅस
,,	अन्तिम से ६	नही	नहीं
,,	अन्तिम से २	राज़्य	राज्य
२२६	१६	प्रपोजल्स	प्रोपोजल्स
२३५	८	श्याही	स्याही
,,	६	काली श्याही	काली स्याही
,,	१२	श्याही	स्याही
,,	१३	श्याही	स्याही
,,	अन्तिम से १५	रुल्स	रूल्स
,,	,, ,, १४	श्याही	स्याही
,,	,, ,, १३	वैठक	बैठक
,,	,, ,, १०	रुल्स	रूल्स
,,	,, ,, ९	हैड	हेड
,,	,, ,, ८	श्याही	स्याही
,,	,, ,, ८	निरण य	निर्णय
२३६	,, ,, २	श्याही	स्याही
,,	अन्तिम से ६	श्याही	स्याही
,,	४	मुख्य मत्री	मुख्य मंत्री
२३९	१	ग्राडर	ग्रार्डर
,,	१	लगाता	लगातार

१	२	३	४
२४१	१६	विचरार्थ	विचारार्थ
२४२	अन्तिम से ६	मिटिंग	मीटिंग
२४४	१	आश्वा	आश्वासन
२४६	२	वठा	बैठा
२४७	२	toin	tion
,,	अन्तिम	Rovenuc	Revenue
२४८	३	Scction	Section
,,	अन्तिम से ८	Indiccature	Indicature
२५२	अन्तिम से ४	by	be
२५३	६	आब्जेक्टिहव	आब्जेक्टिव
२५४	४	चेमरमेन	चेयरमैन
,,	६	ही	हो
,,	अन्तिम से १३	सयस्यों	सदस्यों
२५५	१०	कोर्ट्स	कोर्ट्स
,,	१५	रेक्रूट	रेक्रूट
२५६	६	जबदस्त	जबर्दस्त
२६०	अन्तिम	त	तो
२६१	अन्तिम से ८	उस	उसी
२६२	१४	का	को
२६३	अन्तिम से १०	किरी	किसी
२६५	१४	वह	वे
,,	१५	खामिया व र्ा	खामियां वैनी
२७५	१४	नेकर	करने
२७६	१	जाल	लाल
,	१५	मिम्न	निम्न
,,	१८	a	at
,,	अन्तिम से ३	डिपार्कमेंट्स	डिपार्टमेंट्स
२८१	१	अपना	अपन
२८२	१७	दस्त	दस्तन्दाजी
,,	२३	इन्डिपेन्हेस	इन्डिपेन्डेंस

१	२	३	४
२८३	१०	पेन्डिग	पेन्डिग
,,	११	पेन्डिग	पेन्डिग
,,	१३	सर्वेडिनेट	सबोर्डिनेट
२८४	१४	उपाधी	उपाधि
२८५	६	नो	को
२८७	अन्तिम से ९	घटे	घंटे
२८८	१	नाथूराम	नाथूराम
,,	६	श्रो	श्री
२८९	७	श्री मार्नासह	श्री मार्नासह
,,	२२	मैने	मैंने
२९१	२	सिटिट लेंगे।	सिटिंग कर लेंगे।
२९२	११	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	१८	त	तो
२९३	६	श्री राधाकृष्ण गोयल "हां":	राधाकृष्ण गोयल : "हां"
,,	१५	श्री मान्धाता	श्री मानधाता:-
,,	१८	नां	ना
२९४	११	मे	में
,,	१२	श्री मान्धाता सिह	श्री मानधातासिंह
,,	अन्तिम	गई)	गई।
२९५	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
,,	४	विधे-	विधे
,,	१६	इत्यादि में	इत्यादि विधेयकं में
२९६	६	श्री उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से ८	िचार	विचार
२९७	२,५,१७, व १८	कोन्सटी-	कॉन्स्टी-
,,	६	समभता	समभता
२९८	१	श्री गिरधारीलाल	गिरधारीलाल
,,	७	अपोइन्टमेंटस	अपोइन्टमेन्ट्स
,,	८	वेलिडंट	वेलिडेट
,,	,,	सत्र	सत्र

१	२	३	४
२८६	१५	केसज	केसेज
,,	१६	श्री गिधारीलाल	श्री गिरधारीलाल
,,	२४	जाबेंगे	जावें गे
,,	२६	च कि	चूं कि
२६६	५	वर्ष ों	वर्षों
,,	१०	मै	मैं
,,	१५	ईशारे	इशारे
,,	१६-२०	इन्फ्लुएस	इन्फ्लूएन्स
२६६व ३००	अन्तिम से ५ व १	वप	वर्षो
३००	८	के मोस	कैम्रॉस
,,	२५	उपलव्ध	उपलब्ध
३०१	१०	राजस्बमडल	राजस्व मंडल
,,	१६	नहृी	नहीं
,,	१७	मै	मैं
,,	२०	राजस्य	राजस्व
३०२	८	सकत ।	सकता
,,	अन्तिम से ३	कलेटर	कलेक्टर
३०३-३०४	शीर्णक	मजदूरों को बोनस देने संबंधी -२२ सितम्बर,६६-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	राजस्थान भू-राजस्व-२२सित-म्बर, ६६-(सं० तथा वै०) विधेयक, १६६६
३०३	शीर्ष	—	(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
,,	२	सचिब	सचिव
,,	१३	जडकियों	लड़कियों
,,	१५	ट्रांसफर	ट्रान्सफर
३०४	,,	जैसो	जैसी
,,	२२	ग्राहवान	ग्राहृवान
,,	२६	लिमा	लिया
३०५	अन्तिम से ६	श्री मुकुटविहारीलाल	श्री मुकटविहारीलाल गोयल
३०७	१	रीडिग	रीडिंग

१	२	३	४
,,	६	ह	है
३०६	२१ व २२	क्लेक्टर	कलेक्टर
,,	२४ व ३०	रेवेन्यु	रेवेन्यू
३१०	१८	करुंगा	करूंगा
३१३	२ व ३ के बीच	—	(विराम)
,,	१२	hauc	have
,,	अन्तिम से ४	मट्टी	मट्टी
३१४	४	श्री	श्री
३१५	अन्तिम से ७	अधिक	अधिक
३२०	शीर्षक	(स० तथा वे.	(सं० तथा वं०)
,,	६	रिडिग	रीडिंग
३२२	१०	मुझ	मुझे
,,	अन्तिम से ३	एश्योरेंन्स	एश्योरेन्स
३२४	२२ व २५	एडवाईजरी	एडवाइजरी
३२५	७	अग्यूमेंट	आर्ग्यूमेन्ट
,,	अन्तिम से ८	रेसपांस	रेस्पोन्स
३२७	१५	(व्यवधान)	(व्यवधान)
३३१	१७	श्री गोविन्दसिंह पिड़ावा	श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
३३४	अन्तिम	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
३३५	८ व ६ के बीच	—	सदन की अगली कार्यवाही के संबंध में चर्चा
३३६	[illegible]	अगामी	आज भी
३३७	५	ं भीरता	गंभीरता
३३८	८	जो से	जोर से
,,	१८	जाव	जावे
३४०	११	रामानन्द अग्रवाक्ष	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	अन्तिम से ३	में	मैं
३४६	६	अग्रवाल	अग्रवाल
३४७	अन्तिम से १२	श्री चन्दनमल वेद	श्री चन्दनम वैद
३४८	४, १७	,,	,,

१	२	३	४
३४६	६	यह कि	यह है कि
३५०	१	vebiclee	vehicle
,,	४	अब्दुल जदबार	अब्दुल जब्बार
,,	५	श्री अब्दुल जबबार	श्री अब्दुल जब्बार
,,	८	संज्ञोधन	संशोधन
३५२	४	मैं	में
,,	१०	टक्स	टैक्स
,,	११	टेक्स	टैक्स
३५३	अन्तिम से ४	ट्रान्Bपोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
३५४	४	प्रकाक	प्रकार
,,	५	futber tbat tbc	surther that the
३५६	अन्तिम से १६	स्थगत	स्थगन
३५७	,, १०	एवीडेन्ट	एक्सीडेन्ट
३५८	१४	खुन भी	खुद भी
,,	अन्तिम से ८	क्लाबा	क्लाज
३५६	शीर्षक	—	(श्री चन्दनमल वैद)
,,	२	को	की
,,	४	टक्स	टैक्स
३६०	अन्तिम से ४	(तदन्तर	(तदनन्तर)
,,	अन्तिग	हुई	हुई ।)
३६७	१२	आध	आधा
३६६	१	ण्यवस्था	व्यवस्था
	८	को	की
३७०	५	(३)	(२)
,,	१२	जी नहीं ।	(४) जी नहीं ।
३७६	६	अ शा	अदेशा
३७७	शीर्षक	परीशिष्ट	परिशिष्ट
,,	अन्तिम से ६	धोषित	घोषित
,,	,, ५-६	तो तो क्यों ?	तो क्यों ?
३८१	१३	की	को